अभिनव राजस्थान

असली लोकतंत्र असली विकास

डॉ. अशोक चौधरी

असली लोकतंत्र
असली विकास

छद्म अवतारवाद से जनजागरण की ओर,
जनजागरण से स्वशासन की ओर,
स्वशासन से वास्तविक विकास की ओर,
राजनीति से लोकनीति की ओर.

अभिनव राजस्थान अभियान

अभिनव राजस्थान

असली लोकतंत्र
असली विकास

डॉ. अशोक चौधरी

इन्फ़ोलिम्नर

© डॉ. अशोक चौधरी

प्रकाशक :
इन्फ़ोलिम्नर मीडिया प्रा. लि.
डी-44, ज्योति मार्ग
बापू नगर
जयपुर - 302015

प्रथम संस्करण : दिसंबर 2016

डिजाइन : इन्फ़ोलिम्नर मीडिया
मुद्रक : नवसूर्य कम्प्यूटर्स एंड प्रिंटर्स, जयपुर
आवरण : मदन मीना

मूल्य : 225 रुपये
ISBN: 978-81-931220-6-8

Asli Loktantra Asli Vikas
by Dr. Ashok Choudhary

अनुक्रम

समर्पण 1

प्रेरणा पुंज 2

बात कुछ यूं शुरू हुई, बात कुछ यह है. 3

कैसा था राजस्थान, और कैसा हो गया है? 5

राजस्थान में संसाधनों की कमी नहीं है, इनके प्रबंध की कमी है. 7

अभिनव राजस्थान आखिर है क्या? सरल शब्दों में. 9

अभिनव राजस्थान, समृद्धि, प्रकृति और संस्कृति का संगम. 11

यह असली लोकतंत्र क्या है? यह लोकनीति क्या है? 13

असली विकास किसे कहेंगे? क्या होगा उस विकास में? 15

यह अभिनव राजस्थान बनेगा कैसे? कौन बनाएगा इसे? 17

अभिनव राजस्थान कब तक बन जायेगा?क्या यह निकट... 19

हमारा वादा, पक्का वादा, थोथा, झूठा घोषणा पत्र नहीं. 21

हमारी कार्यनीति, अभिनव कार्यनीति. 23

हमारा नारा, आपां नहीं तो कुण? आज नहीं तो कद? 25

अभिनव राजस्थान क्षेत्रीयता का नहीं, राष्ट्रीयता का नाम है... 27

गुलामी की मानसिकता, मूल समस्या. 29

अभिनव राजस्थान अभियान, अब तक की यात्रा. 31

<u>अभिनव समाज</u>

अभिनव समाज से बनेगा अभिनव राजस्थान... 35

वर्तमान राजस्थानी समाज, आर्थिक विकास का दुश्मन. 37

अभिनव समाज, राजस्थान के आर्थिक विकास को समर्पित समाज. 39

अभिनव समाज बनाने के लिए, हमारी स्पष्ट कार्यनीति. 41

अभिनव विवाह, विवाह आनंद का विषय होगा, परेशानी का नहीं. 43

मौत का जश्न (मृत्युभोज), नहीं होगा अभिनव समाज में. 45

अभिनव सामाजिक मूल्य, जो देंगे विकास को नए आयाम. 47

मानव गरिमा, महिला सुरक्षा, अभिनव समाज में सुनिश्चित होंगे. 49
अवसरों की समानता होगी, अभिनव समाज में. 51
गरीबी, क्यों कर होगी अभिनव राजस्थान में? 53
बेरोजगारी, बीते दिनों की बात होगी. 55
भ्रष्टाचार, जड़ से कम हो जायेगा अभिनव राजस्थान में. 57
आरक्षण, और अभिनव राजस्थान. 59
अपराध और नशे से दूर, अभिनव समाज. 61
शिक्षा से समाज में सुधार, अभी तो नहीं हो रहा. 63
अभिनव परिवार, अभिनव नागरिक. 65

अभिनव शिक्षा

अभिनव शिक्षा, ज्ञान वही जो काम आये. 69
वर्तमान शिक्षा, निरर्थक शिक्षा. 71
अभिनव शिक्षा की कार्यनीति, कैसे राजी करेंगे समाज को? 73
अभिनव शिक्षा की संरचना एवं प्रशासन, सरल परन्तु प्रभावी ढांचा. 75
अभिनव प्राथमिक शिक्षा, खेल खेल में, आनंद से. 77
अभिनव माध्यमिक शिक्षा, रीढ़ की हड्डी. 79
अभिनव उच्च माध्यमिक शिक्षा, अपने मन की, रुचि की शिक्षा. 81
अभिनव शिक्षण विधियाँ, न बस्ते का बोझ, न होमवर्क का झंझट. 83
अभिनव परीक्षाएं, तनाव से मुक्त. 85
अभिनव महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ज्ञान सृजन के केंद्र होंगे. 87
अभिनव खेल, ओलम्पिक के लिए, स्वस्थ समाज के लिए. 89
अभिनव कला, समाज के आनंद के लिए. 91
सर्वशिक्षा का सपना पूरा होगा, असल में, अभिनव राजस्थान में. 93
मुफ्त शिक्षा नहीं होगी, न मिड डे मील होगा, अभिनव शिक्षा में. 95
अभिनव शिक्षा में छुट्टियाँ, प्रकृति के अनुसार होंगी. 97
अभिनव कॉलेज, अब डिग्रियां ही नहीं, नॉलेज भी बांटेंगे. 99

अभिनव शासन

अभिनव शासन, अपना शासन.	103
राजस्थान का वर्तमान शासन, पता नहीं किसका शासन!	105
अभिनव शासन की नई व्यवस्था, समाज से पूछकर होगी.	107
अभिनव राजस्थान का ढांचा, सरल और स्पष्ट.	109
अभिनव संभाग, अभिनव विकास खंड (जिले).	111
अभिनव विकास उपखंड, विकास के शासन का आधार.	113
अभिनव मुख्यमंत्री, अभिनव मंत्री. 'विकास' को समर्पित...	115
अभिनव शासन की कार्यप्रणाली, सरल, सक्षम, प्रभावी...	117
शासन में लोक सहयोगियों का प्रवेश (भर्ती), विशेषज्ञता के अनुसार.	119
प्रोमोशन, ट्रांसफर और अनुशासन, योग्यता से...	121
अभिनव नीति और योजना निर्माण, असली विकास की यात्रा.	123
अभिनव बजट, अपना सरल हिसाब किताब!	125
अभिनव पुलिस, अपनी पुलिस.	127
अभिनव चिकित्सा, अभिनव स्वास्थ्य.	129
अभिनव सड़क व्यवस्था, अभिनव यात्रा.	131
अभिनव जल प्रबंध, बूँद बूँद का हिसाब.	133
अभिनव विद्युत व्यवस्था, आत्मनिर्भरता से.	135
अभिनव न्याय, अब देर नहीं, अंधेर नहीं.	137
अभिनव भू-प्रबंध, आधुनिक, सरल, प्रभावी.	139
अभिनव राजस्थान के लिए, धन की व्यवस्था.	141
अभिनव परिवहन, दुर्घटनाओं में भारी कमी.	143
अभिनव जनसम्पर्क, शासन का प्राण.	145
अभिनव ग्राम विकास, अभिनव शहर विकास.	147

अभिनव कृषि

अभिनव कृषि, उन्नत कृषि. 151

वर्तमान राजस्थान में कृषि, एक मजबूरी का नाम. 153

अभिनव कृषि की कार्यनीति, समाज, कृषि, बाजार... 155

अभिनव कृषि विकास केंद्र, असली विकास की बयार का सूत्रधार. 157

अभिनव बीज व्यवस्था, उन्नत बीज, स्थानीय बीज. 159

कृषि विज्ञान और किसान मिले तो? एक बीघे में एक लाख की पैदावार. 161

अभिनव पशुपालन, गाय–बैल बचेंगे भी, बढ़ेंगे भी. 163

अभिनव उद्योग

अभिनव उद्योग, स्थानीय उत्पादन से. 167

वर्तमान राजस्थान में उद्योग, धीमी मौत मरता उद्योग. 169

अभिनव कार्यनीति, उद्योगों को रोशन करने के लिए. 171

अभिनव उद्योग विकास केंद्र, उत्पादन के स्तम्भ होंगे. 173

अभिनव प्रकृति

अभिनव प्रकृति, सृष्टि का वंदन होगा. 177

वर्तमान राजस्थान में, प्रकृति का सवा सत्यानाश. 179

अभिनव प्रकृति प्रबंध, जयपुर से गाँव तक. 181

अभिनव खनन, खनन कम से कम. 183

खेजड़ली, बनेगा पर्यावरण का विश्व तीर्थ. 185

अभिनव संस्कृति

अभिनव संस्कृति, आनंद से भरा जीवन. 189

वर्तमान राजस्थान, सिमटती संस्कृति. 191

अभिनव पर्यटन, देशी पर्यटन पर जोर. 193

अभिनव राजस्थान में, आपको यह नजारा दिखाई देगा. 197

धन्यवाद 199

लेखक परिचय 200

समर्पण

राजस्थान के महान ऋषियों को

कपिल मुनि, द्रोणाचार्य, जाबालि ऋषि, गुरु दत्तात्रेय, ऋषि वाल्मिकी और ऋषि भर्तृहरि को, जिनके तप से यह भूमि पवित्र हुई, जिनके ज्ञान ने विश्वभर को सार्थक मानव जीवन का मार्ग बताया.

राजस्थान के लोकदेवताओं को

गोगाजी, तेजाजी, हड़बूजी, पाबूजी, रामदेवजी, मल्लीनाथजी, तल्लीनाथजी, सोनाणा खेतलाजी, देवनारायणजी, बाबू महाराज, देव बाबा और जुन्झार बाबा को, जिन्होंने अपने निस्वार्थ त्याग और बलिदान से इस धरा का गौरव बढ़ाया. इन वीर महापुरुषों के जीवन चरित्र आज भी राजस्थान की जनता को प्रेरित और रोमांचित करते हैं, विश्वास से भरते हैं, जोश से भरते हैं.

राजस्थान की लोकदेवियों को

करणी माता, स्वांगिया माता, नागणेची माता, वीरात्रा माता, सुंधा माता, सुगाली माता, अर्बुदा देवी, घेवर माता, कालिका माता, सीता माता, चौथ माता, कैला देवी, नारायणी माता, शीतला माता और जीण माता को, जिनकी ममता में राजस्थान पलता है, जिनके भरोसे पर जीवन के कष्ट भुलाये जाते हैं और जिनके भरोसे उम्मीदों के सहारे पैदा होते हैं. शक्ति की प्रतीक माताओं का आशीर्वाद हमें मिले.

राजस्थान के महान संतों को

जसनाथ जी, जाम्भोजी, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी, मीरा बाई, राणा बाई, करमा बाई, फूलां बाई, हरिदासजी, दरियावजी, नवलजी, आईजी, जलंधरनाथजी, मावजी, गवरी बाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, रामचरणजी, धन्नाजी, पीपाजी, लालदासजी, चरणदासजी, प्राणनाथजी, कृष्णदास पहियारीजी, अग्रदासजी, परशुराम देवाचार्यजी और दादूदयालजी को, जिनकी अनुभव वाणियों ने आमजन को धर्म पालन के सरल तरीके समझाए, जिनका दर्शन समाज के हर वर्ग को धर्म से जोड़ने में कामयाब रहा.

राजस्थान के समाज सुधारकों को

स्वामी दयानंद, गोविन्द गुरु, मोतीलाल तेजावत और स्वामी केशवानंद को, जिन्होंने समाज को रूढ़ियों की जकड़न से बाहर निकाला और संस्कृति के मूल भाव से पुनः जोड़ा. राजस्थान में शिक्षा के प्रसार में इन महापुरुषों का योगदान अप्रतिम रहा है. उत्तर से दक्षिण राजस्थान तक आज भी समाज इनके सुधारों के प्रयासों का आभार प्रदर्शित करता है.

प्रेरणा पुंज

ओशो (बीसवीं सदी के महान दार्शनिक)

उनकी पुस्तक, 'स्वर्ण पाखी था जो कभी, और अब है भिखारी जगत का', अभिनव राजस्थान की अवधारणाओं की गहराई में हर कदम पर है. भारत की मूल समस्याओं को समझने और उनके समाधान तक पहुँचने में इस पुस्तक ने बहुत मदद की है. उनकी एक और पुस्तक, 'एक नई मनुष्यता का जन्म', भी विचार पुंजों की तरंगों में है.

श्री अरविन्द (महान क्रांतिकारी और दार्शनिक)

उनकी पुस्तक, ' पश्चिम से खंडहरों से, भारत का पुनर्जन्म', ने भारत के भविष्य को लेकर आशावादी बनाया है. सौ वर्ष पहले उनकी कही गई बातें अब सत्य सिद्ध होती प्रतीत होती हैं. आज विश्व बदल रहा है, वैसे ही जैसा श्री अरविन्द ने कहा था. भारतीय संस्कृति की जड़ों में अरविन्द का प्रगाढ़ विश्वास था. उनके इस विश्वास ने ही हमें समृद्धि को प्रकृति और संस्कृति से जोड़ने का साहस दिया.

अरिंदम चौधरी (मैनेजमेंट गुरु)

उनकी पुस्तक, 'The Great Indian Dream' ने एक समाज, एक शासन और एक देश के लिए योजना बनाने का सूत्र दिया. इस पुस्तक में भारत के शासन को सरल और सक्षम बनाने के कई सुझाव दिए गए हैं.

आधुनिक राजस्थान के पांच प्रमुख स्तम्भ

अर्जुनलाल सेठी, विजयसिंह पथिक, केसरीसिंह बारहठ, जयनारायण व्यास और कुम्भाराम आर्य ने राजस्थान को एक नए संदर्भ में ढालने और स्वदेशी-लोकतांत्रिक शासन की रचना करने में अहम् भूमिका निभाई थी. इन्होने अपना सर्वस्व अगली पीढ़ी के सुखद भविष्य के लिए वार दिया. खूब कष्ट सहे, अपमान सहा, पर अपनी तपस्या में कमी नहीं आने दी. पथिक जी के निर्देशन में 'राजस्थान सेवा संघ' ने राजस्थान के लोगों में लोकनैतिक चेतना पैदा करने का बड़ा काम किया. अभिनव राजस्थान के निर्माण की रणनीति बनाने में राजस्थान सेवा संघ की कार्यशैली ने मार्ग प्रशस्त किया है.

राजस्थान के शहीद

प्रतापसिंह बारहठ, सागरमल गोपा, बालमुकुन्द बिस्सा, कालीबाई भील, नानकभाई भील, नानाभाई खांट, बीरबल जीनगर तथा मानगढ़, विजयनगर, नीमूचणा, बेगूं, तसीमो और डाबड़ा हत्याकांडों में हुए शहीद. इन शहीदों की अमर गाथाओं ने अभिनव राजस्थान के निर्माण के संकल्प को पल पल पोषित किया है.

बात कुछ यूं शुरू हुई, बात कुछ यह है.

राजस्थान के बीचों बीच एक छोटा सा गाँव, मेरा गाँव, आकेली 'ए', जहाँ मैं पढ़ता था सरकारी स्कूल में. समर्पित शिक्षकों के संरक्षण में. सत्तर का दशक था. देश-विदेश में उथल पुथल थी. कुछ समय पहले अमेरिका ने चाँद पर मानव का पहला कदम रखने का रोमांचक दावा किया था, तो सोवियत संघ (रूस) भी प्रतिस्पर्द्धा में कुछ न कुछ करता रहता था. इसी दशक में बांग्लादेश को लेकर भारत-पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी. युद्ध के दौरान डरावनी रातें गुजरती थीं. लाइटें बंद करो की चेतावनी हर तरफ थी. युद्ध जीते तो सभी बड़े जोश में थे. इंदिरा गांधी ने देवी का रूप ले लिया था. लगता था कि उनके पास हमारे जीवन के सभी समाधान हैं. खेती का, शिक्षा का, गरीबी का, सभी का समाधान है. फिर पता नहीं क्या हुआ कि उनके खिलाफ आवाजें आने लगीं. उसके बाद आपातकाल लगा था. यह भी युद्ध जैसा डरावना काल था. लोग शहर जाने से डरते थे, अफवाहों से बच्चे स्कूल से भाग जाते थे. अचानक इंदिरा गांधी को दुर्गा कहने वाले लोग उनसे घृणा करने लगे थे. फिर जो हुआ सो हुआ. आज तक यही सब हो रहा है.

लेकिन बचपन के उस माहौल में हम स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, भगत सिंह और सुभाष चन्द्र बोस के भी दीवाने होने लगे थे. शिक्षक इनके जीवन चरित्र को बार बार हमारे सामने रखते थे. प्रार्थना सभा में, क्लास में, जहाँ भी मौका मिलता. साथ ही हमें यह भी बताया जाता कि जापान ने कितनी तरक्की की है. हमें यह भी कहा जाता कि देश में लोकतंत्र है. सभी को समान अधिकार है.

बाल्यकाल और किशोरावस्था के काल में पड़े इन प्रभावों ने जाने कब सपनों के पंख लगा दिए. हम जापान या इंग्लैंड हो सकते हैं क्या, यह विचार मन में घर करने लगा. ऐसे में समाज और शासन की तत्कालीन व्यवस्था और किताबों में पढ़े 'स्वप्नलोक' में अंतर चुभने लगा. लगा कि इस अंतर को पाटना है. स्थिति को ऐसे ही नहीं छोड़ना है. कुछ 'विशेष' काम करना है. परन्तु मेरे बाल मन को वह 'विशेष' काम क्या करना है, समझ नहीं आया. तब यही समझ आया कि डॉक्टर बनकर गरीबों की निःशुल्क सेवा करनी है. लगा कि ऐसा करके एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है.

सपनों की पीछा करते करते 1989 में जब डॉक्टर बन गया, तब वह 'विशेष' काम समझ आने लगा. गाँव से बाहर आकर दायरा बड़ा हुआ और अख़बारों में रुचि बढ़ी, तब वह काम समझ आया. ऐसे में 'ओशो' की पुस्तकों ने उस तड़प को, उस असंतोष को 'रूप' देना शुरू किया. समझ आ गया कि वर्तमान व्यवस्था में राजस्थान और भारत में असली विकास की संभावना नहीं है. ऐसे हाल में हम जापान या किसी विकसित योरोपीय देश जैसे कतई नहीं बन सकते. इस व्यवस्था में बुनियादी कमियां हैं.

इसी उधेड़बुन में कहीं से यह सूझा कि वर्तमान व्यवस्था को समझने के लिए शासन का प्रत्यक्ष हिस्सा बना जाए. एक बार इसकी बारीकियां समझ पड़े तो नई और उचित व्यवस्था की रचना पर विचार हो सके, काम हो सके. सिविल सर्विस में अस्थाई तौर पर जाने के लिहाज से परीक्षा दे दी तो प्रवेश हो भी गया. यह 1993 की बात है. सुखद संयोग से, यह परीक्षा देने का एक बड़ा फायदा और हुआ. परीक्षा के लिए देश-दुनिया के समान्य ज्ञान-विज्ञान के साथ साथ संविधान, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान पढ़ने का मौका मिल गया. इन विषयों के अध्ययन ने वर्तमान व्यवस्था की समझ और नई व्यवस्था की कल्पना को आधार दे दिया. समाज और शासन के बारे में गहराई से अनेक बातें पता चलीं.

भारत सरकार में एक दशक तक काम करने से समाज और शासन के जकड़न भरे ढाँचे की समझ बढ़ी और असली विकास के मार्ग में खड़ी बाधाओं का भान हुआ. यह समझ आया कि असली विकास हो क्यों नहीं रहा है. विकास हमारे घर और मोहल्ले तक क्यों नहीं पहुँच रहा है. शासन की अंग्रेजी-सामंती सोच और कार्यशैली को नजदीक से देखने पर समस्याओं के साथ साथ समाधान भी दिखाई देने लगे. यह भी महसूस हो गया कि समाधान इतने सरल नहीं हैं, जैसा कभी युवा साथी जोश जोश में सोच लेते हैं.

अब मुझे यह विश्वास हो गया था कि नई व्यवस्था की रचना के लिए मन और मस्तिष्क तैयार है. ऐसे में मैं बिना समय खराब किये समाज के मैदान में आ खड़ा हुआ. निर्णय बहुत ही सुखद था. जो जीवन के लिए सोचा था, वह 'विशेष' काम करने का समय आ गया था. अधिकतर लोगों को यह निर्णय समझ नहीं आया और वे अपने मन से गाथाएँ गढ़ते रहे पर मैं मस्ती में था. फकीराना मस्ती.

2004 से अपना यह 'विशेष' काम शुरू हो गया. मैं मेरे मूल स्थान मेड़ता आ गया. जीवनयापन के लिए व्यवसाय करने लगा और लग गया अपने काम में. यहाँ एक दशक में कई प्रयोग किये, राजस्थान के हर भाग का भ्रमण किया, कई विकसित देशों की व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, राजस्थान को तीन बार पुस्तकों के रूप में लिखा, पढ़ाया, चर्चाएँ की, सम्मेलन किये. सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जगत का अनुभव लेने के खूब मौके भी मिले. इस दौरान प्रिंट, चैनल और नए युग के सोशल मीडिया ने बहुत मदद की और सम्पूर्ण राजस्थान में अनेक साथी मेरे सहयोगी बनकर आगे आये.

इस 'विशेष' काम को अब नाम दिया गया- अभिनव राजस्थान. एक नई व्यवस्था, जिसमें असली लोकतंत्र होगा और जिसमें असली विकास होगा. एक ऐसा राजस्थान, जो समृद्ध होगा पर प्रकृति और संस्कृति की कीमत पर नहीं. ऐसा राजस्थान, जो भारत माँ की आँखों का तारा होगा. ऐसा राजस्थान जो अन्य प्रदेशों के लिए असली विकास का मार्गदर्शक बनेगा. ऐसा राजस्थान, जो अभिनव भारत की रचना का अग्रेसर बनेगा. ऐसा राजस्थान जो धरती की सबसे सुन्दर और आनंददायक जगह होगी.

वन्दे मातरम्

डॉ. अशोक चौधरी

कैसा था राजस्थान, और कैसा हो गया है?

आज जब भी भारत में या विश्व में, राजस्थान प्रदेश की बात होती है तो दो तीन बातें कही जाती हैं. एक तो यह कि राजस्थान पिछड़ा प्रदेश है, यहाँ विकास बहुत कम हुआ है और आज भी कम हो रहा है. दूसरी बात यह कि यहाँ पानी की कमी है. इसके कारण खेती और उद्योग में कठिनाई होती है. तीसरी बात यह कि यहाँ पूँजी की कमी है. पैसा नहीं है राजस्थान के लोगों के पास. बार बार दोहराने से ये बातें हमारे जहन में बैठ भी गई हैं. जबकि इन तीन बातों में से केवल पहली बात सही है. सही है कि विकास की गति यहाँ कम है. लेकिन पानी और पूँजी कम होने की बात में दम नहीं है. हमारी समस्या पानी या पूँजी के कम होने की नहीं है बल्कि इनके उचित प्रबंध की है.

ऐसे माहौल में राजस्थान के विकास को लेकर हमारा हौसला डगमगा गया है. हमें विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि हम भी कभी पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र से आगे जा सकते हैं. हमें यह बात कहना कब से बंद कर दिया है कि राजस्थान कभी अपने दम पर विकास की राह पकड़ेगा. हमें यही कहा जा रहा है कि देश-विदेश से कुछ लोग यहाँ आयेंगे और वे ही हमारा कल्याण करेंगे !

ऐसे में यह जरूरी है कि हम असली विकास की योजना की हमारी कहानी को शुरू करने से पहले, यह जान लें कि यह राजस्थान हमेशा से ऐसा ही पिछड़ा था या बाद में ऐसा हो गया है. यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राजस्थान की स्कूलों में भी राजस्थान के आर्थिक गौरव की बातें नहीं पढ़ाई जाती हैं! भारत में हमें केवल राजनैतिक इतिहास पढ़ाने की आदत है. यह इतिहास का अपमान ही तो है. इसके कारण ही तो हम पीढ़ियों से निराशा ढो रहे हैं, भारत में भी और राजस्थान में भी. इसलिए यहाँ हम जान लें कि भारत के इस सबसे बड़े प्रदेश के क्या हाल थे, किसी जमाने में.

मित्रों, पीछे चलते हैं समय में. जब अंग्रेज भारत नहीं आये थे. तब भारत के सभी प्रमुख भागों से जो माल चीन, मंगोलिया और योरोप या अरब देशों को जाता था, वह राजस्थान से होकर ही जाता था. गुजरात, मालवा, बंगाल और दिल्ली से माल लिए हुए काफिले इधर से ही गुजरते थे. इन काफिलों के निशान आज भी अपनी कहानियां कहते हैं. इन रास्तों पर पड़ने वाले शहर आज भी उन काफिलों को याद करके सिसकते हैं. चित्तौड़, अजमेर, मेड़ता, नागौर, बीकानेर हो या चुरू जिले का राजगढ़. हनुमानगढ़ का भटनेर भी उन काफिलों का गवाह है. जालोर जिले का भीनमाल, जोधपुर का मंडोर और बाड़मेर का बालोतरा भी ऐसे स्थान रहे हैं. पाली शहर तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त था. वर्तमान पाकिस्तान के मुल्तान और कराची शहर राजस्थान को विश्वभर से जोड़ते थे.

उस स्थिति में राजस्थान के इन मशहूर रास्तों और शहरों पर पूरी दुनिया की निगाहें थीं. बड़े बड़े पूंजीपति इन शहरों में व्यापर संभालते थे. ये बिड़ला, बजाज, सांघी आदि यहीं तो थे. उस समय के बने भव्य मंदिर और हवेलियाँ उस समृद्धि को आज भी बयान करते हैं. वहीं, यहाँ के कारीगरों की भी दुनिया में धूम थी. यहाँ के बने कपड़े, गहने, जूते, लोहे-लकड़ी के सामान की मांग हर तरफ थी. साथ ही यहाँ पशुधन की देखभाल भी आला दर्जे की थी. ऊँट, भेड़ें और गायें ग्रामीणों के समृद्ध जीवन के लिए काफी थीं. पानी के प्रबंध की कहानी, तालाब और बावड़ियाँ अपनी जुबानी आज भी कह देते हैं. जैसलमेर के पालीवाल तो रेत के धोरों में सरसों और गेहूं की खेती कर लेते थे. क्या पानी की कमी, क्या पूँजी की कमी रोते हैं हम अब. वही जमीन है, वही पानी है, वही पूँजी है, वही कला है. प्रबंध की कमी है.

ऊपर से राजस्थान की उस समय की संस्कृति भी निराली थी. कन्हैयालाल सेठिया के गीत 'आ तो सुरगां ने सरमावे, इण पर देव रमण ने आवे, धरती धोरां री' से सब समझ आ जाता है. यहाँ के गीत, यहाँ के नृत्य, यहाँ की समृद्ध भाषा. बहुत कम लोग जानते हैं कि राजस्थानी भाषा में एक शब्द के जितने पर्यायवाची शब्द हैं, उतने दुनिया की किसी भाषा में नहीं है.

फिर ऐसे राजस्थान को किसका श्राप लगा कि हम आज इसे पिछड़ा प्रदेश कहते हैं? यह सब पहले हुआ, अंग्रेजों के कारण. अंग्रेजों ने व्यापार का रास्ता बदल दिया. भूमध्यसागर से स्वेज नहर निकालकर इन लोगों ने जहाजों से व्यापार बढ़ा दिया. साथ ही उन्होंने सूरत, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता को व्यापार और उद्योग के नए केंद्र बना दिया. उनके इस परिवर्तन से अचानक पूंजीपति और कारीगर राजस्थान से इन केन्द्रों की ओर खिसकने लगे. बस, राजस्थान के दिन लदने लगे. हौसला कम होने लगा. पूँजी और कला का यह पलायन आज भी जारी है.

देश की तथाकथित आजादी के बाद राजस्थान के शासन में जो लोग आये, उनकी एक समृद्ध राजस्थान को लेकर कोई सोच नहीं बन पाई. वे तो केवल 'राज' में आने के लिए तड़पते रहे. जयनारायण व्यास और विजयसिंह पथिक में जरूर कुछ करने का जज्बा था पर वे शुरू में ही किनारे कर दिए गए. जनता भी राजतंत्र की आदि थी, सो 'राजाओं' को चुनने को लोकतंत्र समझ बैठी. आज तक यही हो रहा है.

इस दौरान राजस्थान में जो भी योजनाएं बनीं, वे केवल केन्द्रीय शासन की थीं या उसकी नकल थीं. शासन अक्षम और गैर-जिम्मेदार भी रहा, जिसके कारण आर्थिक विकास का माहौल ही नहीं बन पाया. खेती, पशुपालन और कुटीर उद्योग ऐसे शासन में दम तोड़ते गए. सिंचाई और ऊर्जा की परियोजनाएं बहुत ही धीमी गति से और बहुत अधिक लागत में पूरी हुईं. आज भी यही हाल है.

फिर राजनैतिक इतिहास ने भी अपने आपको दोहराया. दलीय राजनीति के चलते दिल्ली का कब्जा अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान पर हो गया. आज भी जारी है. नतीजन राजस्थान संसाधनों में समृद्ध होते हुए भी प्रबंध की कमी से एक 'पिछलग्गू' और पिछड़ा प्रदेश बन गया है.

राजस्थान में संसाधनों की कमी नहीं है, इनके प्रबंध की कमी है.

जैसा कि अभी पीछे बात हुई थी कि राजस्थान के पिछड़े और पिछलग्गू प्रदेश बनने का कारण संसाधनों की कमी नहीं है, संसाधनों के प्रबंध की कमी है. चाहे आप मानवीय संसाधनों की बात करो या भौतिक संसाधनों की, राजस्थान भारत के किसी भी प्रदेश से उन्नीस नहीं है. पर हमें अर्थव्यवस्था की किताबों में जो पाठ पढ़ाये गए हैं, बरसों से, उनसे हमारा हौसला पस्त हो गया है. बार बार किसी व्यक्ति को बीमार बीमार कहो तो उसे लगने लगता है कि वह वाकई में बीमार है! राजस्थान को भी इसे न जानने वालों ने इतनी बार पिछड़ा कहा है कि अब हमने मान लिया है कि इस प्रदेश में कोई बड़ी बीमारी है. जबकि यह बिल्कुल ही आधारहीन बात है, झूठी बात है. इस बात में कोई दम ही नहीं है. कैसे?

सबसे पहली बात तो यह कि राजस्थान में मानव संसाधन की कमी नहीं है. यहाँ के मानुस की सोच और उसकी पारखी नजर का दुनिया में कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है. पर भौतिक संसाधनों के प्रबंध की कमी ने यहाँ के आम आदमी को बेरोजगार कर दिया है. अपने हुनर के अनुसार काम न मिलने पर यहाँ का स्वाभिमानी व्यक्ति या तो प्रदेश और देश से बाहर जा रहा है या कुंठित होकर, निराश होकर बैठ गया है. गैर-जिम्मेदार शासन इस कुंठा को, इस निराशा को समझ नहीं पा रहे हैं. जबकि आज भी संसाधन व्यवस्थित हो जाएँ तो राजस्थानी मानुस भारत को दुनिया की ताकत बनाकर रख दे.

दूसरी पहली बात यह कि राजस्थान में पानी की भी कोई कमी नहीं है. हाँ, पूर्व दिशा के प्रदेशों से बारिश यहाँ कम होती है पर इतनी जरूर होती है कि इस जलवायु की फसलें यहाँ आराम से हो जाती हैं. बाजरा-मोठ-तिल-ज्वार-मक्का-उड़द-केर-सांगरी-बेर-घास के लिए जितना पानी चाहिए होता है, उतना लगभग बरस ही जाता है. कभी थोड़ा कम, कभी थोड़ा ज्यादा. समस्या कम पानी की नहीं है. समस्या इस पानी के प्रबंध की है. जितना भी पानी हमारी छतों पर या खेतों में बरसता है, उसको सहेजने का कोई पुख्ता प्रबंध नहीं है. थोड़े बहुत प्रयास होते हैं, पर वे बहुत ही कम हैं, नगण्य. जितना बारिश राजस्थान की धरा पर बरसता है, उतना हम सहेज लें तो दो-तीन वर्ष तक पर्याप्त होगा.

पानी के प्रबंध की कमी के साथ ही कम पानी की फसलों की मार्केटिंग भी नहीं हो पाई है. इसके कारण बाजरा-मक्का-ज्वार राजस्थानी रसोई से गायब हो गए हैं, तिल के स्वास्थ्यवर्धक तेल को छोड़कर हम नकली तेल खाते हैं. मोठ-उड़द से भी राजस्थानी लोग किनारा कर गए हैं. मार यहाँ पड़ती है. खाते हैं हम गेहूं-चावल और वे यहाँ कम पानी में हो नहीं सकते हैं. ऐसे में या तो जमीन से बेतहाशा पानी निकलकर गेहूं उगाते हैं या फिर बाहर से गेहूं लाते हैं. कम पानी का रोना इसी वजह से है.

पानी के बाद आइये बिजली पर. हवा और धूप से बिजली बनाने के लिए इस धरती पर अगर कोई सबसे उचित जगह है तो वह राजस्थान है. निकम्मे शासन इस बारे में बरसों से कुछ नहीं कर पाए हैं. वे तो बार बार एक ही बात कहते हैं कि राजस्थान आओ, पैसा लगाओ, वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा बनाओ और पैसा बनाओ. जबकि हम अपने दम पर हिम्मत करते तो अभी तक यह बिजली कई अन्य प्रदेशों को बेच रहे होते. पर 'पैसा नहीं, पैसा नहीं' करते रहे और बैठे रहे. राजस्थान में पैसा नहीं, पूँजी नहीं?

पैसा कब कम रहा है राजस्थान में? यह दुनिया का भ्रम ही है कि राजस्थान में पैसा नहीं है. ऐसा कैसे हो सकता है कि राजस्थान वालों के पास तो पैसा है पर राजस्थान में पैसा नहीं है? खूब पैसा है यहाँ आज भी, बस समाज और शासन का जुड़ाव नहीं होने से यह समस्या है.

यही नहीं, बहुत कम राजस्थानी लोग जानते हैं कि भारत में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक दूध राजस्थान में होता है! मगर दूध के बाजार में हल्ला गुजरात का ज्यादा है. हम भी मान बैठे हैं कि दूध के मामले में हम तो कहीं नहीं हैं. जैसे हर मामले में मान कर बैठ ही गए हैं. इतना दूध पैदा करने के बाद भी, हमारे पास इसके प्रबंध की पुख्ता व्यवस्था नहीं है. दूध दिल्ली और गुजरात चला जाता है.

खेती के बारे में भी बड़ी बड़ी गलतफहमियां हैं, राजस्थान से बाहर वालों को भी और भीतर वालों को भी. आपको मालूम हो कि राजस्थान में भारत की लगभग आधी सरसों पैदा होती है. यही हाल अब दालों और कपास का है. भारत को तेल और दाल पैदा करके देने वाले शीर्ष प्रदेश हैं हम. वहीं बाजरे में तो हमारी मोनोपोली है ही, इसबगोल और जीरे के उत्पादन में भी हम सिरमौर हैं. फिर भी हम 'पिछड़े' हैं!

खेती और पशुपालन के बाद जानिये खनिजों के हाल. राजस्थान में खनिज तेल, गैस, लिग्नाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, ताम्बा, लोहा, सोना और मैंग्नीज के अथाह भंडार हैं. रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, स्टील ग्रेड लाइमस्टोन और सीसा-जस्ता के उत्पादन में तो हम भारत के इकलौते प्रदेश हैं. इनके अलावा कोई पचास तरह के खनिज राजस्थान की धरती उगलती है. पत्थर क्या, बजरी क्या. पर भाई लोग चुपचाप राजस्थान का खनिज ले जा रहे हैं और राजस्थान को केवल आधी अधूरी रॉयल्टी पकड़ा देते हैं. खुश रहो. इत्ते में ही. और ऊपर से कहा जा रहा है कि हम 'पिछड़े' प्रदेश हैं! कमाल है.

कुल मिलाकर, राजस्थान में संसाधनों की कोई कमी नहीं है, कमी इन संसाधनों के प्रबंध की है. भारी कमी है. यूं मानिए कि यह प्रबंध अभी शुरू ही नहीं हुआ है. हम अभी भी कच्चे माल को पैदा करने तक सीमित हैं. एक हजार रुपये के माल के सौ रुपये भी नहीं ले पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि अभी तो सत्तर सालों में यहाँ 'राज' हुए हैं केवल, राजनेताओं, अफसरों और उनके दलालों के राज. अपने संसाधनों का प्रबंध करके एक विकसित अर्थव्यवस्था खड़ी करने के बारे में सोचना बाकी था. हमने सोच लिया है. वही सोच है- अभिनव राजस्थान. वही प्रबंध है- अभिनव राजस्थान.

अभिनव राजस्थान आखिर है क्या? सरल शब्दों में.

अभिनव राजस्थान, उस व्यवस्था का नाम है, जिसकी हम सभी चाहत रखते हैं. समाज और शासन की वह व्यवस्था, जिसको हम अपने और अपने परिवार के लिए चाहते हैं. यह अलग बात है कि हमें ऐसी व्यवस्था के कभी बन जाने का विश्वास नहीं होता है. हमें यही लगता रहता है कि ऐसा कभी हो नहीं पायेगा. हमें यह भी लगता है कि कोई भी ऐसा कर नहीं पायेगा. यानि हमें अपने आप पर विश्वास नहीं और किसी दूसरे पर भी विश्वास नहीं. लेकिन मन में किसी कोने में, कहीं छुपी हुई यह चाहत नहीं मरती है. क्या है यह चाहत, क्या है वह इच्छा, क्या है वह सपना? क्या है?

हम सभी को यह चाहत है कि हमारे परिवार की आमदनी ठीक ठाक हो. खेती से, सरकारी सेवा से, व्यापार से, उद्योग से या किसी अन्य काम से. हमारी आमदनी इतनी हो कि हम वर्तमान महंगाई में भी अपनी मूल जरूरतों को पूरा कर सकें. हम चाहते हैं कि इस काम से हमें इतनी आमदनी हो कि हम अपने कुछ छोटे छोटे सपनों को पूरा कर सकें. हम यह भी चाहते हैं कि हमारे पास हमारी योग्यता, हमारी काबिलियत के अनुसार कोई काम हो. मन के मुताबिक़ काम हो. यही चाहते हैं न?

फिर हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के लिए अच्छा सा, सुन्दर सा मकान हो, हमारे परिवार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य का बेहतर प्रबंध हो. हम चाहते हैं कि हम जिस सड़क पर चलें, वह शानदार हो, उस पर चलने में आनंद हो, सुगमता हो. हम चाहते हैं कि हमारे घर में, रसोई तक, ऊपर की टंकी तक साफ़ पानी आ जाए. निश्चित समय तक, रोज पानी आये. हम चाहते हैं कि हमें 24 घंटे बिजली मिले और उसका बिल भी माथा न दुखाये. सस्ती बिजली मिले. हम यह भी चाहते हैं कि हमारा मोहल्ला, हमारा गाँव, हमारा शहर साफ सुथरा हो. और हम यह भी चाहते हैं कि जरूरत पड़ने पर पुलिस हमें सुरक्षा का अहसास दिलाये. पुलिस हमें अपनी पुलिस लगे, यह भी हम चाहते हैं.

हम तो यह भी चाहते हैं कि जीवन में आनंद ज्यादा हो, परेशानी कम हो. हम अपने माथे और चेहरे पर झुर्रियां कम चाहते हैं. हम अपने रिश्तों में भी झंझट कम चाहते हैं. हम यह भी चाहते हैं कि अपने प्रियजनों की शादी या मौत या अन्य अवसरों पर हमारे खर्चे कम हों, परिवार की कमर न तोड़ें. हमारी चाहत जायज है कि शादी घर में आनंद का माहौल बनाये, न कि परेशानी का. बूते से बाहर खर्चे होंगे तो परेशानी ही होगी. हम यह भी चाहते हैं कि हमारे समाज में संस्कार बने रहें, परिवार में, मोहल्ले में मर्यादाएं बनी रहें. हम अपने ज्ञान और अपनी कला का महत्व भी चाहते हैं, पद या पैसे की तरह. हम शुद्ध हवा पानी भी चाहते हैं. बस, इतना ही चाहते हैं! बस, इतना ही हमारा साझा ख्वाब है!

तो क्या हमारी चाहतों की यह सूची ज्यादा लम्बी हो गई? क्या ये मुंगेरीलाल के हसीन सपने हो गए? क्या यह इस धरती पर, इस भारत में, इस राजस्थान में इन चाहतों को पूरा करना संभव नहीं है? आपको यह लगता होगा और आपको ऐसा लगने के वाजिब कारण भी हैं. एक हजार साल तक पराये लोगों के शासन में हमारा जीना सबसे बड़ा कारण है, इस अविश्वास का. एक हजार साल कम वक्त नहीं होता है, गुलामी तो एक दिन भी बुरी है. गुलामी व्यक्ति के विश्वास को, आत्मविश्वास को तोड़ देती है. उसकी सोच को रोक देती है. गुलामी के लम्बे दौर में, एक हजार साल से, हमें कहा गया कि हम नालायक हैं, हम कामचोर हैं, हमारे ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है. हमारी संस्कृति को, हमारे रहन सहन को नीचा बताया गया. कभी सुल्तानों द्वारा, कभी मुगलों द्वारा तो कभी अंग्रेजों द्वारा.

फिर दूसरी चोट हमारे साथ हुई, अंग्रेजों द्वारा सत्ता के हस्तांतरण के बाद. शासन में आए 'हमारे' लोग सत्ता की लालच से आगे नहीं बढ़ सके. उनको लगा कि यहाँ के लोगों की जागरूकता की कमी और गुलामी की मानसिकता को भुनाया जाए. इन चतुर लोगों ने हमारे द्वारा अपनाये गए लोकतंत्र की खिचड़ी बनाकर इसे एक चुने हुए राजतंत्र में बदल दिया. आर्थिक विकास की या सभ्य समृद्ध समाज की सोच उनमें नहीं थी. वे 'राज' में मस्त हो गए और एक पूरी कौम, एक जमात ऐसे लोगों की देश में पनप गई. राजस्थान में कुछ ज्यादा ही ! यहाँ पर तो राजतंत्र में तिहरी गुलामी जो थी. अंग्रेज का गुलाम राजा, राजा का गुलाम ठाकुर और उसके गुलाम हम. आज भी यही सब जारी है. 'वोट-तंत्र' से ज्यादा यहाँ कुछ नहीं पनपा. नतीजा यह हुआ कि एक 'विकसित सभ्य-समृद्ध समाज' की कल्पना ही चुभती है हमें.

तभी तो हम आज भी इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि हमारे 'कुछ' कर सकने पर विश्वास ही नहीं होता है. हमें नहीं लगता है कि जो काम स्वीडन, इजरायल, नॉर्वे, जापान, न्यूजीलैंड या सिंगापुर में वहां के नागरिकों के लिए, वहां के नागरिकों के द्वारा हुआ है, वैसा हमारे यहाँ भी कभी हो सकता है. हमें नहीं लगता कि वे देश भी इसी धरती का हिस्सा हैं. बल्कि वे समाज और शासन तो इनसे ऊपर उठकर बहुतेरे काम करने में लगे हैं. वे नोबेल पुरस्कार पाने में लगे हैं, वे ओलम्पिक में परचम लहराते हैं, वे साहित्य रचने में लगे हैं, वे तूफानों से खेलते हैं, वे जीवन को 'जीते' हैं. जब वे ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? यह क्या कि हमारा तो पड़ोस के प्रदेशों गुजरात, महाराष्ट्र या पंजाब या तमिलनाडु से भी अपनी तुलना करने का मन नहीं करता है ! हमने अपने आपको 'पिछड़ा' मान लिया है. गलती से.

तभी तो हमें चाहतों की यह सूची लम्बी लगती है, जबकि किसी भी विकसित समाज में ये चाहतें सामान्य बातें हैं. समाज और शासन को इन्हें पूरा करना ही है. इसके लिए कोई कुतर्क देने की कहाँ जरूरत है कि यहाँ पानी कम है, पूँजी कम है. सब है यहाँ. प्रबंध की, सोच की कमी है.

हमारी इन्हीं छोटी छोटी मानवीय चाहतों, सपनों के प्रबंध का नाम ही है - अभिनव राजस्थान.

अभिनव राजस्थान, समृद्धि, प्रकृति और संस्कृति का संगम.

अब आते हैं, अभिनव राजस्थान की अवधारणा पर. आखिर यह अभिनव राजस्थान है क्या और यह कैसे बनेगा. कहीं यह कोरी कल्पना तो नहीं है और कहीं इसमें ऐसी बातें तो नहीं हैं, जिनको लागू नहीं किया जा सकता है? पहले पहल ये प्रश्न किसी भी पाठक के मन में कौंधेंगे. स्वाभाविक है.

मित्रों, अभिनव राजस्थान, उस नई व्यवस्था का नाम है, जो राजस्थान में लागू होगी. इस व्यवस्था में दो बातें प्रमुख हैं. पहली तो यह कि इस व्यवस्था में असली लोकतंत्र होगा. असली लोकतंत्र? तो अभी लोकतंत्र नहीं है यहाँ? नहीं जी, यह जो तंत्र हमारे चारों ओर है, यह मात्र 'वोट तंत्र' है. लोग अभी वोट देने को ही लोकतंत्र कहते हैं और जिन लोगों के इस तंत्र में स्वहित अधिक हैं, वे इसे इस रूप में महिमामंडित भी करते हैं. यह तंत्र यहाँ के लोक के लिए काम नहीं करता है बल्कि जिनके हाथ में 'राज' आ जाता है, उनके हितों के लिए काम करता है. यह बात आप भी जानते हैं. तभी तो कोई अधिकारी 'सच' जानते हुए भी 'ऊपर' के 'दबाव' में चुप हो जाता है या 'गलत' का साथ दे देता है. जबकि कागज पर उसने संविधान की कसम खा रखी है, न्याय करने की शपथ खा रखी है. तो यह तो साफ है कि यह असली लोकतंत्र नहीं है. अभिनव राजस्थान में असली लोकतंत्र होगा, जो पांच वर्ष, दिन-रात लोक के हित में काम करेगा. आगे के अध्याय में उस पर विस्तार से लिखा है, ताकि बात अधिक स्पष्ट हो जाये.

दूसरी बात, जो अभिनव राजस्थान में होगी, वह होगी- असली विकास. तो यह जो विकास होने के दावे किये जा रहे हैं, वे झूठे हैं? हाँ, लगभग. अभी भारत में विकास की यात्रा शुरू ही नहीं हुई है. बल्कि कई बार तो यह लगता है कि हम पीछे जा रहे हैं, आगे की बजाय. सत्तर सालों में जो भी विकास हुआ है, वह विकृत स्वरूप लिए हुए है. कुछ लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा आया है और दूसरे, यह विकास हमें हमारे घर, मोहल्ले में महसूस नहीं होता है. अखबार से या चैनल से ही पता चलता है कि देश या प्रदेश कितना आगे बढ़ा है. आमजन के मन के अन्दर से कोई उछाल नहीं आता है. यानि, असली विकास होना अभी बाकी है. असली विकास वह, जो हमें गहरे में महसूस हो. इस पर भी आगे विस्तार से.

यानि ये दो बातें, अभिनव राजस्थान के केंद्र में होंगी, असली लोकतंत्र और असली विकास. साथ ही इस नई व्यवस्था में जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र को लेकर हमारी योजनाएं हैं. हम यह मानते हैं कि किसी भी एक क्षेत्र में परिवर्तन से वांछित परिणाम तभी आएंगे जब उससे जुड़े हुए दूसरे क्षेत्रों में भी ऐसे ही परिवर्तन हों. जैसे महिला सुरक्षा का ही विषय लें. इसमें शासन की कोई व्यवस्था तभी कारगर होगी, जब समाज, संस्कृति और शिक्षा में भी यह विषय प्रमुख हो जाये. वरना, केवल लीपापोती होगी.

इसलिए अभिनव राजस्थान, एक असली लोकतंत्र और असली विकास की व्यवस्था है, जो जीवन के कई क्षेत्रों में एक साथ स्थापित होगी. जीवन के ये क्षेत्र सात हैं- समाज, शिक्षा, शासन, कृषि, उद्योग, प्रकृति और संस्कृति. हमने इसे इन्द्रधनुषी व्यवस्था कहा है. सात रंगों वाली. हमारा सतरंगी 'लोगो' इन्हीं सात क्षेत्रों को परिभाषित करता है. हम इन्हें संगीत के सात स्वर भी कहते हैं- सा-रे-गा-मा-पा-धा-नि. इन सात स्वरों को साथ साथ उपयोग में लेने से ही संगीत का सार निकलता है. वरना 'शोर' हो जाता है. अभी के शासन में, समाज में शोर ही ज्यादा है, विकास का, आनंद का संगीत कम निकलता है.

यह भी समझ लें कि अभिनव राजस्थान में आर्थिक विकास बहुत होगा, कृषि और छोटे उद्योग के उत्पादन पर बहुत जोर होगा लेकिन यह विकास हमारी प्रकृति और संस्कृति की कीमत पर नहीं होगा. ऐसा नहीं कि विकास हो जाये पर नदियाँ, पहाड़ और वन खत्म हो जाये. ऐसा नहीं होगा कि विकास के साथ समाज में अश्लीलता, अभद्रता, संस्कार की कमी या आनंद की कमी देखनी पड़े. प्रकृति और संस्कृति के विनाश की कीमत पर हमें विकास नहीं चाहिए. ऐसा विकास अस्थाई होता है, तो कुरूप भी होता है. यह पीड़ादायक होता है. विश्व के कई तथाकथित विकसित देश यहीं मात खा गए हैं. इसलिए हमारी योजना में राजस्थान की प्रकृति और संस्कृति को आर्थिक विकास से जोड़ा गया है. समृद्धि, प्रकृति और संस्कृति की यह त्रिवेणी ही अभिनव राजस्थान होगी. आगे के अध्यायों में इस समन्वय पर विस्तार से लिखा है. वहां आप विस्तार से विकास के इस पहलु को जान सकेंगे. मान सकेंगे.

यहाँ आपको यह भी जानना जरूरी है कि अभिनव राजस्थान, वर्तमान व्यवस्था में सुधार का कोई प्रयास नहीं है. वर्तमान व्यवस्था में सुधार से कुछ नहीं होगा. यह व्यवस्था अंग्रेजों और राजाओं के हितों के अनुसार बनाई गई थी. 'राज' के लिए बनाई गई थी. इसका आमजन के आर्थिक विकास से कोई कनेक्शन नहीं था. हमने देश की तथाकथित आजादी के बाद उसी व्यवस्था को अंगीकार कर लिया था क्योंकि नई व्यवस्था बनाने का नए चुने हुए 'राजाओं' के पास न समय था और न जज्बा था. उनके नीयत भी 'राज' के चस्के में डोल गई. अब यह व्यवस्था समय के साथ साथ जर्जर हो गई है. इसको दीमक लग गया है. इसकी लीपापोती कारण बेकार है. इसकी जगह नई व्यवस्था बनानी होगी. अभिनव राजस्थान वह नई व्यवस्था है- राजस्थान के समाज, संस्कृति, प्रकृति और मन के अनुसार.

अंतिम बात, ये हवाई किले नहीं हैं. कि मन में कुछ कल्पनाएँ उठीं और उनको शब्द दे दिए. दो दशकों के अथक परिश्रम से यह व्यवस्था और उसकी योजनाएं तैयार हैं. इसके लिए राजस्थान के कोने कोने में खूब घूमना हुआ है, मिलना हुआ, चर्चाएँ, सम्मेलन हुए हैं, खूब पढ़ना हुआ है, लिखना हुआ है. निश्चिंत रहें, यह व्यवस्था आसानी से लागू होने लायक है, लागू हो जाएगी. वर्तमान संविधान के भीतर, राजस्थान के वर्तमान संसाधनों के भीतर. यह व्यवस्था आमजन के मन को भा जाएगी. दुल्हन वही जो पिया मन भाये ! तभी तो इसके वे परिणाम आयेंगे, जो सोचे गए हैं.

यह असली लोकतंत्र क्या है? यह लोकनीति क्या है?

अभिनव राजस्थान का सबसे बड़ा आधार असली लोकतंत्र और उसके अनुरूप लोकनीति है. तो सबसे पहले इन शब्दों, लोकतंत्र और लोकनीति का अर्थ और महत्व मालूम होना चहिये.

याद होगा, पता होगा, वर्ष 1947 में तथाकथित आजादी के समय भारत की जनता को कहा गया था कि अब इस देश में राजतंत्र की जगह लोकतंत्र होगा. कहा गया कि अब यहाँ वह तंत्र, वह सिस्टम काम करेगा, जिसके लिए लोक के हित सर्वोपरि होंगे. अब किसी 'राज' या 'राजा' के लिए यहाँ का तंत्र काम नहीं करेगा. यह भी कहा गया कि इस तंत्र के शासन को चलाने वाले लोग जनता अपने वोट से चुनेगी और उनके सहयोगियों को परीक्षाओं के आधार पर चयनित किया जायेगा. ये सभी लोग जिम्मेदारी मिलते ही भारत के संविधान की शपथ लेंगे कि वे भारत राष्ट्र और यहाँ की जनता के हित में निष्पक्षता और समर्पण से काम करेंगे. इसके एवज में इन लोगों को जनता के द्वारा दिए गए टैक्स या कहिये चंदे में से मानदेय दिया जायेगा. वर्ष 1950 में संविधान के भीतर यह सारी व्यवस्था लिखकर भी दे दी गई.

पर हुआ क्या? जनता लोकतंत्र की आदी नहीं थी. सदियों से राजतंत्र में जीती रही थी. तथाकथित आजादी के आन्दोलन में उसका गुस्सा 'बाहरी' अंग्रेजों पर था. जैसा सिखाया गया, वैसे ही गुस्सा 'बाहरी' लोगों पर अधिक था. व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा लगभग नहीं था. भगत सिंह और सुभाष चन्द्र बोस कहते रहे कि हमारी लड़ाई केवल अंग्रेजों तक सीमित नहीं, हमारी मूल लड़ाई शोषण, असमानता और अनाचार की व्यवस्था के खिलाफ है. लेकिन उनकी ये बातें 'अंग्रेज भगाओ' के शोर में दब गई. नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों और उनके सामंतों के जाते ही उनकी जगह सत्ता को लालायित चतुर भारतीयों ने ले ली. जनता अंग्रेज जाने की खुशी में थी, उसे इन नए 'राजाओं' के स्थापित हो जाने का पता ही नहीं चला. जनता इनकी जय जयकार में मस्त हो गई. इनको माई बाप समझने लगी. महात्मा गांधी भी इस आंधी में लटकते रह गए और अहिंसा की बात कहते कहते हिंसा की भेंट चढ़ गए. उनका मारना चतुर राजनेताओं के काम आ गया. उनकी तस्वीर को लटकाकर नया 'राज' शुरू कर दिया.

इन नए राजाओं को मालूम था कि संविधान में जनता को सबसे ऊपर बताया गया है. तो क्या करें? जनता को कैसे भ्रमित करके रखें? तो सोचा, चलो उसे वोट में उलझाये रखते हैं. जनता भी खुश हो गई कि वह अब अपना 'राजा' चुन सकती है. इतने में ही खुश हो ली. इस वोट का इतना भारी महिमामंडन किया गया कि जनता लोकतंत्र की बाकी सभी बातें भूल गई. ऊपर से संप्रदाय-क्षेत्र-जाति की अफीम खाने को दे गई. जनता मस्त हो गई. अब एक नया तंत्र यहाँ स्थापित हो गया- चुना हुआ राजतंत्र.

आज भी यही चल रहा है. भारत भर में ये चुने हुए 'राजा', उनके 'सामंत' यानि अफसर और इनके दलाल भारत के शासन पर कब्ज़ा किये हुए हैं. जनता अभी इसका 'राज' और उसका 'राज' कहती है. कभी किसी व्यक्ति का 'राज' तो कभी किसी दल का 'राज'. मीडिया भी यही शब्द दोहराता रहता है. जनता का शासन है या होना चाहिए, इस पर लगभग चुप्पी है. खतरनाक मौन है. मीडिया और न्यायपालिका से उम्मीद थी कि वे जनता के शासन को स्थापित करने में मदद करेंगे पर वे भी धीरे धीरे 'राज' में हिस्सेदारी के भाव से भर गए. आते तो वे भी इसी समाज से हैं.

इस बीच वर्ष 2005 में एक चमत्कार हुआ, लोकतंत्र की स्थापना को लेकर. यूं कहिये कि 1947 के बाद असली लोकतंत्र के लिए यह पहला गम्भीर प्रयास था. संविधान निर्माण से भी बड़ा. अरुणा राय और अन्ना हजारे की मेहनत से भारत की संसद ने भारत के आमजन को 'सूचना का अधिकार' देने का कानून पारित कर दिया. यह अलग कहानी है कि चतुर 'राजनेता' कैसे राजी हो गए, आमजन को 'राज' में तांक-झांक करने देने को. पर यह हो गया. आमजन को यह अधिकार मिल गया कि वह मात्र दस रुपये में भारत के किसी भी शासन से अपने टैक्स से होने वाले काम के बारे में पूछ सकता है.

लेकिन सूचना का अधिकार भी बड़े स्तर पर बिना प्रशिक्षण के वोट की तरह नाकाम होने लगा है. बेईमान राजनेता, अफसर और उनके दलाल इस अधिकार को कमजोर करने में संगठित हो गए हैं. मीडिया और न्यायपालिका भी इस अधिकार को बचाने में अब पीछे हटने लगे हैं.

आज परिणाम यह है कि जनता को, 'लोक' का यह तंत्र अपना नहीं लगता है. उसे थाना, तहसील, अस्पताल, सरकारी कार्यालय या कोर्ट अपना नहीं लगता है. लोक को लगता है कि यह सब आज भी 'राजकीय' है, 'राज' का है. तंत्र में बैठे लोग भी जनता को यह अहसास हर कदम दिलाते हैं कि 'राज' उनका है. उनके 'रौब', रहन सहन, उनके बयान, उनके कर्म, सभी से उनका 'राज' जाहिर होता है. जनता सहमी हुई है, डरी हुई है, उनींदी सी है. अभी भी तंत्र का मालिक 'लोक' अपने हक़ के लिए धरने देता है, 'मांगें' करता है, ज्ञापन देता है, 'प्रार्थना पत्र' देता है.

अभिनव राजस्थान, लोकतंत्र की इस अधूरी कहानी को पूरा करेगा. असली लोकतंत्र स्थापित करेगा. कैसे करेगा? पूरी तैयारी से करेगा. अब चुनाव से आगे लोकतंत्र को बढ़ाया जाएगा. जनता को बड़े पैमाने पर लोकतंत्र में प्रशिक्षित किया जायेगा. जागरूकता का बड़ा कार्यक्रम चलाया जायेगा. चुनाव के मायने बदल दिए जायेंगे. अब चुनाव 'राजनीति' से नहीं, बल्कि 'लोकनीति' से होंगे. तंत्र पूरे पांच साल लोक के लिए समर्पित होगा. लोक का हित सर्वोपरि होगा. इसके लिए हम उस व्यवस्था को स्थापित करेंगे, उस सिस्टम को स्थापित करेंगे जो लोकनीति से चलेगा. वह तंत्र, जो लोक को हर पल अपना लगेगा. बहुत विस्तार से नई, असली, वास्तविक लोकतांत्रिक व्यवस्था का आगे के अध्यायों में वर्णन है.

असली विकास किसे कहेंगे? क्या होगा उस विकास में?

सबसे पहले 'विकास' शब्द का अर्थ समझते हैं. विकास का सीधा मतलब होता है, वर्तमान स्थिति से बेहतर स्थिति. विकास का मतलब किसी भी क्षेत्र में सकारात्मक प्रगति. विकास किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, समाज में, बाजार में, खेती में, उद्योग में, संस्कृति में, प्रकृति में. विकास व्यक्ति का भी हो सकता है. पर हम जिस विकास को ज्यादा गाते हैं, वह आर्थिक विकास है. आर्थिक विकास यानि हमारे उत्पादन, हमारी आमदनी और हमें मिल रही सुविधाओं का विकास. हमारे खेत का उत्पादन बढ़े, उद्योग का उत्पादन बढ़े, हमारा व्यापर बढ़े, हमारी आमदनी भी बढ़े और इस आमदनी से हमें बेहतर सुविधाएँ मिलें तो हम कहेंगे कि विकास हो रहा है. बेहतर सुविधाएँ मिलें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, सफाई और सुरक्षा की. साथ ही यह भी ध्यान रहे कि हमें विकास करने के सामान अवसर मिलें. विकास सभी का एक जैसा नहीं होगा, योग्यतानुसार होगा, पर अवसर समान मिल जाएँ तो काफी हैं.

विकास की इस परिभाषा में हम भारत और राजस्थान को देखेंगे तो पायेंगे कि सत्तर सालों में विकास को लेकर समाज और शासन ने ख़ास गम्भीरता नहीं दिखाई है. 'राज' में आने और राज में बने रहने के चक्कर में विकास की कोई दृष्टि नहीं बन पाई है और न ही कोई सार्थक पहल हुई है. अंग्रेजी-सामन्ती व्यवस्था की अपनी कमजोरियां हैं और उनके कारण अधिकतर शासन अक्षम और भ्रष्ट सिद्ध हो रहे हैं. अक्षम शासन होने के कारण विकास का कोई रोडमेप नहीं बन पा रहा है. ऐसे लोग शासन संभाल रहे हैं, जिन्होंने कभी घर नहीं संभाला, कोई रोजी रोटी का काम कभी नहीं किया. वे बस एक ही काम जानते हैं- राजनीति में उछल कूद. कभी इधर, कभी उधर. जनता इस तमाशे को देख रही है, तालियाँ पीट रही है, नारे लगा रही है. फिर किसी नए राजनेता का नया तमाशा देखने निकल पड़ती है. कई दशकों से यही चल रहा है. विकास की कहानी शुरू ही नहीं हो पा रही है. जो काम विकास के नाम पर हुआ है, वह गुणवत्ता के बगैर जनता के पैसे से की गई फिजूलखर्ची है.

राजस्थान में विकास के क्या हाल हैं? पिछले दशकों में खेती और उद्योग राजस्थान में पिट रहे हैं, बाजार खिल नहीं पा रहा है, स्कूलों-कॉलेजों की दशा खराब हुई है, अस्पताल सेवा का केंद्र नहीं रहे हैं, सड़कें बनते ही टूटने लगती हैं, राजस्थान की आधी से ज्यादा आबादी जहरीला-खारा पानी पी रही है. तीन रुपये में खरीदी गई बिजली छः रुपये में बेचने पर भी बिजली कम्पनियाँ भारी घाटे में चल रही हैं. पुलिस को देखकर आज भी शरीफ लोग डरते हैं, पटवारी-तहसीलदार-कलक्टर आज भी शेरशाह सूरी के जमाने की याद दिलाते हैं. विकास केवल अख़बारों और चैनल में दिखाई देता है.

दूसरी बात जो गलत हो रही है, वह है, विकास की प्राथमिकता. अभी विकास की प्राथमिकता हो गई है- सुविधाएं मुहैया करवाना. उत्पादन बढ़ाना प्राथमिकता नहीं है. यह खतरनाक खेल है. सुविधाएँ जुटाने के लिए उधार भी लेना पड़े तो लिया जा रहा है. कहा जा रहा है कि ये सुविधाएँ जुटेंगी तो उत्पादन बढ़ेगा. सुविधाओं के बगैर उत्पादन नहीं बढ़ेगा. पर यह बात इतनी सलीके से कही जाती है कि इसके विरोध में कोई बोलेगा तो विकास विरोधी मालूम होगा. अरे, आधारभूत सुविधाओं, इन्फ्रास्ट्रक्चर का विरोध करते हो, उसके बिना विकास कैसे होगा. हम सरल भाषा में कहते हैं कि मित्र, घोड़ा आगे होगा या गाड़ी. घोड़ा ही आगे होगा न. आर्थिक विकास की यात्रा में घोड़ा, उत्पादन है. सुविधाएँ गाड़ी है. कई दशकों से भारत और राजस्थान में गाड़ी को आगे कर दिया गया है, घोड़े को पीछे. कैसे चलेगी?

उत्पादन बढ़ाना तो अब प्राथमिकता ही नहीं है. गाँव या शहर में विकास करना है तो सड़क बनाओ. कोई भवन बनाओ. यह नहीं कि पहले गाँव या शहर की खेती, पशुपालन और कुटीर उद्योग का उत्पादन बढ़ाओ, आमदनी को बढ़ाओ. सुविधाएं भी चाहियें पर प्राथमिकता में पहले उत्पादन को रखना होगा. आमदनी बढ़ेगी तो परिवार, गाँव और प्रदेश में सुविधाएँ बढ़ा लेंगे. उधार के पैसों से सुविधाएँ जुटाकर और उत्पादन को भुलाकर काहे को प्रदेश को खाई में खिसका रहे हो? हकीकत तो यह है कि इस नीति के कारण ही आज राजस्थान और भारत विकास नहीं कर पा रहा है. उधार के अम्बार खड़े करके झूठी शान दिखाकर हम महाशक्ति नहीं बन पाएंगे. यह 'झूठ' लम्बा नहीं चलेगा.

एक और रट हमारे गैर-जिम्मेदार 'राजाओं' ने पकड़ रखी है. निजीकरण की. शासन संभल नहीं रहा है तो उसे बेच दो. कुतर्क दो कि सरकारी कर्मचारी अक्षम हैं, नेतृत्व तो बेचारा समर्पित और ईमानदार है. खड़ी करो, फिर से शोषण और असमानता की व्यवस्था. राजतंत्र के लिए पूंजीवाद जरूरी होता है, उसे फिर से स्थापित करने के जतन हो रहे हैं. अवसरों की असमानता भी विकास के मार्ग में बड़ी बाधा है. योग्य लोग गरीबी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. मानव संसाधन का बड़ा नुकसान हो रहा है हमें.

अभिनव राजस्थान में हम असली लोकतंत्र के बाद असली विकास को हमारी दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता कहते हैं. असली विकास वह, जिसमें राजस्थान के औसत परिवार की आमदनी बढ़े. यह आमदनी उत्पादन बढ़ने से होगी. खेती का, उद्योग या किसी सहयोगी कार्य का उत्पादन बढ़ने से ऐसा होगा. इसके लिए समाज और शासन को मिलकर योजनाओं को बनाना और चलाना होगा. असली विकास की दूसरी प्राथमिकता होगी- सुविधाओं की गुणवत्ता, क्वालिटी और उपलब्धता. क्वालिटी के साथ सुविधाओं का आसानी से उपलब्ध होना असली विकास में हो पायेगा. फिर असली विकास में अवसरों की समानता जरूरी है. गाँव से लेकर बड़े शहर तक समान अवसर होने पर ही विकास सब तरफ दिखाई देगा.

और अंत में असली विकास वह जो हमें अपने घर में, मोहल्ले में महसूस हो. हर दिन, हर पल.

यह अभिनव राजस्थान बनेगा कैसे? कौन बनाएगा इसे?

इस अभिनव राजस्थान को कैसे बनाया जाए, इस पर हमने खूब मंथन किया है. हमने विश्वभर की कई समृद्ध सभ्यताओं, विकसित देशों की कहानियों का अध्ययन किया है ताकि वे सूत्र हाथ लग सकें जो हमें सफलता दिलवा सकें. इतिहास से यही सीखना होता है कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के प्रयोग करते समय किन बातों का ध्यान रखा जाये. वरना आधे अधूरे प्रयोग निराशा को कम करने की बजाय बढ़ाते हैं. हालांकि भारत में तो अभी एक हजार सालों से आर्थिक समृद्धि का कोई प्रयोग ही नहीं हुआ. केवल 'राज' बदलते रहे हैं. आज भी राज बदलने से ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है. 'कल्याण' की कुछ थोथी बातों को या 'निजीकरण' को विकास कहकर काम चलाया जा रहा है.

तो हमने अपने अध्ययनों में पाया कि कोई भी समाज या देश सही मायने में समृद्ध तब बनता है, जब वहां का औसत नागरिक ज्ञानवान, जागरूक और जिम्मेदार होता है. किसी एक आदमी या राजनेता के 'चमत्कारों' से समृद्धि का वह स्वरूप नहीं निखरता है जो समानता का अहसास दिलाता हो. ऐसे में विकास का भ्रम ही हो सकता है पर विकास धरातल पर नहीं उतरता है. विकास धरातल पर तभी उतरता है जब औसत नागरिक की भागीदारी होती है. योरोप के कुछ देशों में कुछ कुछ ऐसा हुआ है. हालांकि प्रकृति और संस्कृति की कीमत पर विकास करने से उनके मॉडल में दाग जरूर रह गए हैं.

इसलिए हमने तय किया है कि हम राजस्थान के औसत नागरिक को इस परिवर्तन के लिए पहले तैयार करेंगे. अभिनव राजस्थान के मुद्दों, नई व्यवस्था के विषयों के बारे में व्यापक जनजागरण करेंगे. जागरूकता की यह जमीन तैयार होना जरूरी है. तभी इसमें डाले गए नई व्यवस्था के बीज पनपेंगे. यह काम हमको भारत में 1947 में करना था पर उस समय नहीं हुआ. सत्ता के लालच तक में देश की अग्रिम पंक्ति ने नागरिकता के पाठ नहीं पढ़ाये. बल्कि यह कहा कि हमें ही 'राजा' मान लो, हम आपका कल्याण करेंगे. आज तक उनके वंशज, उनके जैसे राजनेता यही कह रहे हैं.

हम 2017 के वर्ष में राजस्थान भर में अभिनव राजस्थान के बारे में बातें करेंगे. गाँव-गाँव, शहर-शहर. आमजन से पूछेंगे कि उनको इस नई व्यवस्था की बातें जमती हैं क्या. उनसे पूछेंगे कि उनका मन कहता है क्या कि ऐसा होना चाहिए. उनके मन का रुझान हमारे लिए महत्वपूर्ण है. इस रुझान में ही हमारी सफलता के सोपान छुपे हैं. इस रुझान के बिना नई व्यवस्था दम तोड़ देगी. यह रुझान पैदा करना हमारी पहली प्राथमिकता है. यह तैयारी अभिनव राजस्थान की जमीन होगी. इस तैयारी पर अभिनव राजस्थान की नींव लगेगी. नई व्यवस्था के भवन की नींव.

आपको यहाँ ध्यान दिलाना जरूरी है कि इस मानसिक तैयारी के बिना हमने 1947 में सत्ता का हस्तांतरण कर लिया था. हमारे लोग राजतंत्र के आदी थे, उनको लोकतंत्र में जीने की आदत एक हजार साल से नहीं थी. वे राजा-महाराजा और राज-राजनीति जैसे शब्दों के अभ्यस्त थे. हमने उनके प्रशिक्षण का कोई व्यापक इंतजाम किये बिना उनके हाथ में 'वोट' का झुनझुना पकड़ा दिया. वे इससे खेलते रहे. आज भी खेल रहे हैं. पर जमीन लोकतंत्र के लिए तैयार न होने से विकास की फसल नहीं पनपी. पनपी तो खरपतवार. अब हमारे इस खेत में, इस देश में हर तरफ फसल से ज्यादा खरपतवार ही दिखाई दे रही है. यह बढ़ती भी जा रही है. खरपतवार की तासीर ही है कि यह बढ़ती जल्दी है.

तो सबसे पहला काम होगा, अभिनव राजस्थान के लिए समाज को मानसिक रूप से तैयार करना. पिछ्ले कई वर्षों से हम इस तैयारी के प्रयोग सोशल मीडिया के माध्यम से और सम्मेलनों के माध्यम से कर रहे हैं. इनके उत्साहजनक परिणाम आये हैं. विश्वास हो गया है कि राजस्थान में नई व्यवस्था को स्थापित करना संभव है. हजारों नागरिक अभी तक नई व्यवस्था को लेकर आशान्वित हुए हैं, नई व्यवस्था के शब्दों से परिचित हुए हैं. अब उस संख्या को बढ़ाना है. आमजन को सरल शब्दों में नई व्यवस्था के मायने समझाने हैं. ऐसे शब्दों में जो पढ़े लिखे और नहीं पढ़े लिखे, दोनों को एक ही भाव से समझ आयें. यह काम हमारे वे साथी करेंगे जो परिवर्तन के जज्बे से भरे होंगे, जिनकी नीयत समाज और प्रदेश-देश को समृद्ध देखने की होगी. ऐसे साथी अब इस अभियान में बड़ी संख्या में हैं.

इस जनजागरण में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी भाषा संयत हो, हम तथ्यों से बात करें, सच बोलें. झूठे भ्रम फैलाकर हमें सस्ती लोकप्रियता प्राप्त नहीं करनी है. न ही हमें ऐसी बातें करनी हैं, जो व्यवहार में लागू न हो सकें. साथ ही यह भी ध्यान रखेंगे कि अर्थहीन बहस में न उलझें. न ही हम कुतर्कों से जूझेंगे. सदियों से यहाँ कुतर्कों और निराशा का बोलबाला रहा है, हम उनसे बचेंगे. हम अपनी बात सकारात्मक भाव से, सरलता से, सहजता से, स्नेह से, सम्मान से कहेंगे. व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप या ऊंचा-नीचा दिखाने में भी नहीं उलझेंगे. हम धरने-प्रदर्शन भी नहीं करेंगे और न किसी को ज्ञापन देंगे. हमारे लिए अपनी बात को जनता तक पहुँचाना पहला लक्ष्य होगा. तभी तो हम रचनात्मक हो पाएंगे.

एक वर्ष के जनजागरण के प्रयास के बाद हम इस जनजागरण को संगठित करेंगे. जनजागरण तभी सार्थक होगा, जब यह संगठित होगा. हम राजस्थान में जागरूक नागरिकों का एक बड़ा समूह खड़ा करेंगे. इस समूह में किताबें पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे, सभी नागरिक होंगे. लेकिन यह एक संगठित समूह होगा, भीड़ नहीं होगी. हम भीड़ से बचेंगे. भीड़ भ्रम से इकट्ठी होती है और उसी से छंट जाती है. यह भीड़ वाला फार्मूला राजनीति में ठीक है पर हमें तो लोकनीति पर चलना है. हमें तो नया निर्माण करना है. जागरूक नागरिकों का यह समूह ही अभिनव राजस्थान का निर्माण करेगा.

अभिनव राजस्थान कब तक बन जायेगा? क्या यह निकट भविष्य में संभव है?

सदियों की निराशा, गुलामी और शोषण के माहौल में रहे समाज में जब अभिनव राजस्थान जैसी कोई बात होती है तो पहला भाव, अविश्वास का पैदा होना स्वाभाविक है. बिना विचार किये, कोई भी कह देगा कि यह संभव नहीं है. हम समाज की इस मानसिकता को समझते हैं. हमें इस मानसिकता से कोई शिकायत नहीं है. हमें यही तो बदलनी है. मानसिकता बदलने पर ही अगला कदम उठेगा कि यह काम कैसे करना है. तभी यह लगेगा कि जल्दी करो भाई, दुनिया में हम कितने पीछे रह गए हैं.

मित्रों, एक मजेदार बात बताता हूँ. 1993 में जब मैं मसूरी में आई.ए.एस. अकादमी का शुरुआती कोर्स करने गया था तो तीन दिन तक वहां मैराथन दौड़ हुई. छोटी मैराथन. कई कि.मी. दौड़कर जाना था. वह भी पहाड़ों के ऊंचे नीचे रास्तों से होकर. इससे पहले कभी इतना लम्बा दौड़ने का काम ही नहीं पड़ा था. पर यहाँ ट्रेनिंग के चक्कर में सभी को दौड़ना था. पहले दिन जब लगभग पंद्रह किमी का रास्ता तय करके अकादमी पहुंचा तो एक सवाल अचानक मेरे मन में आया. कि मैं मेरे गाँव से मेड़ता शहर तक कभी दौड़कर क्यों नहीं गया. कई बार मेड़ता जाने का विचार इसलिए त्यागना पड़ता था कि बस या अन्य साधन की व्यवस्था नहीं हो पाई. जबकि यहाँ मैं पौन घंटे में दौड़कर आ गया था. यहाँ ऐसा क्या हुआ? यह कैसे हो गया? यहाँ माहौल बन गया. एक साथ सभी दौड़े तो दौड़ना हो गया.

अभिनव राजस्थान का निर्माण भी ऐसे ही माहौल से होगा. यही नागरिक इस राजस्थान का निर्माण करेंगे, जागरूकता की ऊर्जा से भरते ही. माहौल बनते ही वे काम शुरू कर देंगे. और राजस्थान में यह काम बहुत तेज गति से होगा. विश्व में सबसे तेज गति से. क्यों? मैंने शुरू के अध्याय में बताया था कि राजस्थान कभी विश्व का प्रमुख बाजार हुआ करता था, एक समृद्ध समाज और क्षेत्र हुआ करता था. परिस्थितियां बदलीं तो हम पिछड़ गए. पिछड़े तो हौसला खो बैठे. मन में निराशा बैठ गई कि हम अब कभी भी दुनिया के सबसे अधिक विकसित क्षेत्र नहीं बन सकते. लेकिन राजस्थान में समृद्धि के लिए जरूरी वे बीज अभी भी मौजूद हैं, माहौल की जरूरत है. मन के हारे ही तो हार है, मन के जीते जीत.

इधर जैसलमेर में दो घासें होती हैं- सेवण और धामण. नाम सुना होगा? इन घासों की ख़ास बात यह होती है कि गर्मी के दिनों में ये रेत के धोरों में कहीं दिखाई नहीं देती हैं. जमीन के नीचे इनकी जड़ें अपनी गांठों के दम पर बची रहती हैं. आपको नहीं लगेगा कि यहाँ आप गायों को चरा सकते हैं कभी भी. लेकिन राजस्थान की कुदरत का कमाल देखिये. बारिश की कुछ बूंदे गिरते ही मरुधरा पर घास खिल जाती है. वह घास जो सबसे अधिक प्रोटीन से युक्त होती है. बीज मरते नहीं हैं.

राजस्थान की इस देव भूमि में इन घासों की तरह ही विकास के बीज मौजूद हैं, मरे नहीं हैं. हर नागरिक में, हर क्षेत्र में वे बीज हैं. कला के बीज, ज्ञान के बीज, रचना के बीज. बस, माहौल नहीं बना है विकास का. विश्वास और आत्मविश्वास की बूँदें नहीं बरसी हैं इधर. अभिनव राजस्थान अभियान उस बारिश का ही तो दूसरा नाम है. विकास की मानसिकता का माहौल बनते ही दुनिया देखेगी कि अचानक कोई फूल खिला है धरती पर. भारतभूमि में. दुनिया यह भी देखेगी कि सिंगापुर, दक्षिण कोरिया या चीन में विकास की रफ़्तार बहुत कम थी. असल विकास की रफ़्तार तो इसको कहते हैं. वह भी एक सुन्दर, आनंददायक यात्रा के साथ.

राजस्थान के लोग जब विकास करने पर आमादा हो जायेंगे तो आप देखिएगा कि कैसे चीन के उत्पाद बौने लगने लगेंगे. देखिएगा कि कैसे योरोप के लोग फिर भारत की ओर क्वालिटी के लिए देखने लगेंगे. क्योंकि जो पारखी नजरें यहाँ के लोगों की हैं, जो हुनर यहाँ के हाथों में है, वह दुनिया की किसी कौम में नहीं है. ऐसा मैं यहाँ के गौरवशाली इतिहास के आधार पर कह रहा हूँ. उस इतिहास की गवाही आज भी राजस्थान के मंदिर देते हैं न. रणकपुर या आबू के मंदिर गवाही देते हैं न. ओसियां के मंदिर जैसी कृति दुनिया में कोई बना सकता है क्या? उस नाजुक से मरमरे पत्थर को कौन तराश सकता था?

2017 में जब अभिनव राजस्थान के निर्माण के लिए जनजागरण व्यापक हो जायेगा, संगठित हो जायेगा तो समझिये कि असली विकास की जमीन तैयार हो गई. तो समझिये कि हौसला लौट आया. उसके बाद जब हमारी रणनीति से, हमारी योजना से काम शुरू होगा तो 2020 में अभिनव राजस्थान के दर्शन हो जायेंगे. हमें पक्का विश्वास है. हमने अभिनव राजस्थान की व्यवस्था की रचना में इस बात का ध्यान रखा है कि इसे स्थापित करने में ज्यादा समय न लगे. इसके लिए हमने सभी योजनाओं को सरल बनाया है, ताकि उन्हें लागू करने में ज्यादा दिक्कतें न आयें और परिणाम जल्दी मिल सकें.

इसी वजह से हम बार बार लोगों की मानसिक तैयारी की बात करते हैं. मानसिक तैयारी होने पर ही योजनाएं सार्थक होंगी और अड़चनें कम आएँगी. जब लोगों को योजनाएं अपनी बनाई हुई और समझ में आई हुई लगेंगी, जब योजनाओं का असर नजदीक से महसूस होता लगेगा तो वे इनमें रुचि लेंगे. इस कार्यनीति और योजना का विस्तार से आगे के पृष्ठों में विस्तार से वर्णन है.

अब सवाल उठता है कि हम इस कार्यनीति और योजनाओं को किसी 'सरकार' को 'पेश' करेंगे या कोई और रास्ता अपनाएंगे. या कोई आन्दोलन करेंगे? नहीं जी. हम इन योजनाओं को सबसे पहले जनता को ही बतायेंगे. सरकारें तो सरकारें हैं, वे तो 'राज' हैं, उनको न ये समझ आएँगी और न उनको ऐसे कामों में रुचि है. हमारे लिए जनता का समर्थन, जनमत, सबसे पहली आवश्यकता है. यह बन गया तो आधा काम हो गया. आधा काम आगे की कार्यनीति से होगा. चुनाव लड़ेंगे क्या? यह अभी तय नहीं है. जनता की मानसकिता अभिनव राजस्थान के निर्माण के पक्ष में होना अभी की प्राथमिकता है. तभी आगे बढ़ेंगे.

हमारा वादा, पक्का वादा, थोथा, झूठा घोषणा पत्र नहीं.

सत्तर वर्षों में कई वादे हुए हैं, कड़वे अनुभव हुए हैं, भारत में. हर दशक में कोई न कोई 'छद्म अवतार' या कोई महत्वाकांक्षी राजनैतिक दल आता है और कहता है कि वह जनता के लिए 'स्वर्ग' उतार लायेगा. पांच बातें हर दल कहता है, नए नए रूप में. पहली तो यह कि विकास की गंगा बहा दी जाएगी. दूसरी यह कि गरीबी मिटा दी जायेगी. तीसरी, बेरोजगारी का नामोनिशान नहीं रहेगा. चौथे, भ्रष्टाचार दिखाई नहीं देगा. और पांचवीं बात यह कि महंगाई खत्म हो जाएगी. घूम फिरकर हर बार यही पांच बातें दोहराई जाती हैं. जनता हर बार धोखा खाती है पर फिर वोट आते ही उसका मन हो जाता है कि एक और हसीन धोखा खाया जाए. किसी एक 'राजा' को हराने और दूसरे को जिताने का चस्का फिर चढ़ जाता है. उसे फिर भ्रम होता है कि वह ही 'असली मालिक' है देश का और उसका वोट 'अमूल्य' है.

हर बार धोखा खाकर भी भारत का मतदाता अभी तक यह बात स्वीकार नहीं करता है कि उसने गलती की. वह कहता है कि जिसको वोट किया, वह गलत निकला. वह यह स्वीकार नहीं करता है कि उसके वोट देने के आधार में ही कोई जागरूकता नहीं थी. उसने अहंकार के नशे में, नींद में, बहकावे में वोट दिया था. किसी सस्ते लालच में, किसी गुस्से में वोट दिया था. जाति के नाम पर या कुछ मुफ्त मिलने या माफ़ होने के नाम पर वोट दिया था. या किसी झूठे वादे के चक्कर में वह आ गया था. जब आप ज्यादा कुरेदोगे, तो वह झुंझलाकर कहेगा कि उसके पास कोई 'विकल्प' ही नहीं था. दो बुरों में से एक को चुनना था. क्यों चुनना था? क्योंकि माहौल बन गया था, टीवी, अखबार, राजनेता माहौल बना चुके थे और मन हो आया था वोट करने का. हमेशा की तरह.

ऐसे में कोई विकल्प भी कहीं उभरा तो वह भी पहले दलों की कॉपी से आगे नहीं बढ़ा. इस विकल्प को अपनाने के बाद भी स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं आता दिखाई दिया. बल्कि अधिकतर तो यह विकल्प, पहले वालों से भी गया गुजरा निकला. नतीजा यह हुआ कि अब 'विकल्प' के नाम से ही घबराहट होने लगी है. कई प्रदेशों में ऐसे विकल्प अब मुख्य दल हो गए हैं, वह बात अलग.

अविश्वास के इस माहौल में अगर अभिनव राजस्थान अभियान को भी शंका से देखा जाये तो यह नितांत स्वाभाविक है. अविश्वास होना ही है. भले हम कहें कि जनता जागरूकता की कमी से धोखा खाती रही है, पर आज की जनता यह बात नहीं मानेगी. वह तो अहंकार में यही कहेगी कि उसमें जागरूकता की कमी नहीं थी, राजनैतिक दल ही गलत थे. यह बात हमें बिना बहस के आगे बढ़ाये मान लेनी होगी. ऐसा कुछ करना होगा जो हम पर पुख्ता विश्वास का कारण बने.

अभी अभी दिल्ली में ऐसा ही एक प्रयास हुआ है, आम आदमी पार्टी के रूप में. स्वाभाविक रूप से हमारे बारे में भी ऐसा ही कहा जायेगा कि आप भी 'उनके जैसी' बातें कह रहे हो. हर आदमी इतनी गहराई में नहीं जायेगा कि उन्होंने क्या कहा और हम क्या कह रहे हैं. मोटे तौर पर हमें भी एक ऐसे ही 'विकल्प' के तौर पर देखा जायेगा. यह समझाने की चुनौती शुरू में रहेगी कि हम उनसे कैसे अलग हैं.

यहाँ संक्षेप में बता दें, कि आम आदमी पार्टी भारत की राजनीति को बदलना चाहती है, हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं. हम राजनीति को बदलना नहीं चाहते, हमें तो राजनीति को भारत से विदा करके उसके स्थान पर 'लोकनीति' को स्थापित करना है. राज में आने की नीति की जगह लोक के विकास की नीति पर चलना है. हम मानते हैं कि राजतंत्र में राजनीति होती है और लोकतंत्र में लोकनीति होती है. हमें असली लोकतंत्र स्थापित करना है और इसके लिए राजनीति शब्द को ही को तिलांजलि देनी होगी. यह मात्र शब्दों का हेरफेर नहीं है, इसके गहरे मायने हैं जो इस पुस्तक में आगे चलकर स्पष्ट हो जायेंगे.

दूसरे, हम वर्तमान व्यवस्था में कोई सुधार नहीं करना चाहते हैं. हमारे माने यह व्यवस्था अंग्रेज और सामंतों के 'राज' के हिसाब से बनी हुई है और अब जर्जर हो गई है. हमें इस जर्जर भवन की पुताई करके काम नहीं चलाना है, हमें नई व्यवस्था को स्थापित करना है. साथ ही हम आरोप-प्रत्यारोप और धरने प्रदर्शन से दूर रहना चाहते हैं. हम भ्रष्टाचार को मिटाने के दावे भी नहीं कर रहे हैं. हमारे माने पत्तियों को तोड़ने से कुछ नहीं होता, जड़ को निकाल बाहर करना ही अंतिम और स्थाई उपाय है. फिर भी हम उनके काम को कम नहीं आंकना चाहते हैं. यह थोड़ी सी तुलना यहाँ प्रासंगिक हो गई थी.

हम क्या करेंगे? कैसे करेंगे? बहुत ही सरल और स्पष्ट बात हो जाये. ताकि कोई भ्रम न रहे, कोई शंका न रहे. हम वर्ष 2017 में राजस्थान की जनता को अपना एजेंडा, अपनी कार्यनीति समर्पित करके इस पर उनकी राय जानेंगे. सीधे, सरल शब्दों में हम इस नई व्यवस्था के कई विषयों पर जनता की राय लेंगे. कि क्या यह व्यवस्था मन को जमती है, कि क्या यह व्यवस्था लागू होने जैसी है, कि क्या इस व्यवस्था से वे परिणाम आ जायेंगे, जिसकी इच्छा हम सबकी है. यह काम बहुत ही सलीके से, प्रेम से, शालीनता से होगा. कोई कुतर्क नहीं, कोई अनावश्यक बहस नहीं. इस जनमत को हम कई माध्यमों से जुटाएंगे. प्रत्यक्ष बैठकों में, सोशल मीडिया से, नेट से, कागज़ से.

हमारी कार्यनीति और योजनाओं के पक्ष में प्रबल जनमत खड़ा हो जाने पर हम हमारे एजेंडे को एक न्यायिक आधार देंगे. कोर्ट में एफिडेविट देंगे. कि अगर जनता हमें इस एजेंडे को लागू करने की जिम्मेदारी देती है तो हम यह जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं. अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कोई भी जागरूक नागरिक कोर्ट में जाकर हम पर धोखा करने का केस इस एफिडेविट के आधार पर कर सकेगा. थोथे घोषणापत्र के दिन तभी लदेंगे. लेकिन अगर जनमत नई व्यवस्था यानि अभिनव राजस्थान के पक्ष में मानसिक रूप से तैयार नहीं होता है तो हम यहीं रुक जायेंगे. बिना मानसिक तैयारी के, हमारे जिम्मेदारी लेने का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा.

हमारी कार्यनीति, अभिनव कार्यनीति.

अभिनव राजस्थान के निर्माण के लिए हमारी कार्यनीति (रणनीति!) में पांच बिंदु मुख्य होंगे. इनके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे ताकि यह निर्माण जल्दी हो, सरलता से हो और लम्बे समय तक स्थाई रहे.

पहली बात तो यह कि हम बड़े स्तर पर 'माहौल' बनायेंगे. असली लोकतंत्र और असली विकास के लिए माहौल का बनना जरूरी है. भारतीय मानसिकता ही ऐसी होती है. सब कर रहे हैं तो हम भी कर लें. काम गलत हो तो भी कई बार जब अनेक लोग करते हैं तो उसमें बुरा नहीं लगता है. यह मानसिकता है. दहेज बुरा है पर सभी दे रहे हैं तो क्या करें. ऊंच नीच गलत है पर सभी तरफ है तो क्या करें. कानून क्या कहता है, यह महत्वपूर्ण है पर इतना ज्यादा नहीं, जितना समाज के अधिकतर लोगों का सोचना, करना. अकेले आदमी या परिवार की हिम्मत कम ही होती है कि वह कोई परिवर्तन अपने दम पर कर ले. कई लोग कहते हैं कि अच्छे उदाहरणों से समाज में बदलाव आयेगा, वह बात भारत में नहीं जमती है. यहाँ 'सभी' का एक साथ बदलना जरूरी है. हमें इस मानसिकता को स्वीकार करना होगा.

इस कारण हम किसी भी क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव के लिए लोगों को तैयार करेंगे. बड़े स्तर पर लोगों के तैयार होने से हर आदमी, हर परिवार खुशी खुशी इस बदलाव का हिस्सा बन जायेगा. उसे अब अपनी थोथी इज्जत या शान के खोने का डर समाप्त हो जायेगा. लेकिन यह भीड़ का बदलाव नहीं होगा, यह जागरण से बदलाव होगा. हल्ले से बदलाव नहीं होगा, समझ से होगा. तभी यह बदलाव स्थाई रहेगा, वरना इसका असर जल्दी ही समाप्त हो जायेगा. यह बात हम अनुभव से कह रहे हैं.

दूसरी बात, अभिनव राजस्थान के निर्माण के लिए हम सात महत्वपूर्ण क्षेत्रों में एक साथ काम करेंगे. पहले एक क्षेत्र में काम करो, फिर दूसरे में करो, की नीति में दम नहीं है. हम मानते हैं कि ये सातों क्षेत्र एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं कि एक क्षेत्र में कोई परिवर्तन तभी परिणाम देगा, जब दूसरे में भी उसके अनुरूप परिवर्तन होगा. जैसे समाज में फिजूलखर्ची रोके बगैर खेती और उद्योग के लिए पूँजी नहीं जुटाई जा सकती है. शिक्षा में कोई भी परिवर्तन समाज से जोड़े बिना निरर्थक होगा. खेती और उद्योग को प्रकृति से जोड़े बिना विकास कम होगा, विनाश ज्यादा होगा. समाज के एक क्षेत्र का असर दूसरे पर होता है.

निराशावादी लोग अपने कुतर्कों से अक्सर योजनाओं को यहीं पर धीमा कर देते हैं. वे कहते हैं कि शिक्षा का प्रसार अपने आप समाज को सुधार देगा. जबकि ऐसा होता नहीं है और न हुआ है. वे कहते हैं कि कानून बना दो, समाज सुधर जायेगा. पर शासन के कानून समाज में वांछित परिवर्तन नहीं ला पाए हैं क्योंकि समाज में परिवर्तन के काम को छोड़ दिया गया है.

तीसरी बात, हम न बहुत तेज चलेंगे और न बहुत धीमे. बुद्ध का मध्यम मार्ग अपनाएंगे. हमारे पास यहाँ समय सीमित है और दुनिया में बदलाव तेजी से हो रहे हैं. पहले से ही हम बहुत पिछड़े हुए चल रहे हैं. इसलिए धीमे रफ़्तार खतरनाक होगी, निराशाजनक होगी. हमें चलना तो तेजी से होगा. पर हम इतना तेजी से भी नहीं चलेंगे कि फिसल जाएँ. हमारे कदम सधे हुए होंगे. हमको अपने लक्ष्य स्पष्ट करने होंगे. प्रत्येक वर्ष में हम एक निश्चित दूरी तय करेंगे. पारदर्शिता से, ताकि आमजन भी इस यात्रा का साक्षी बन सके, इस यात्रा का आनंद व्यक्त कर सके. उसे अखबार या चैनल से नहीं जानना होगा कि वह और उसका परिवार एक वर्ष में कितना आगे बढ़े हैं. अभी ऐसा होता है.

चौथी बात, हम तथ्य और सत्य पर चलेंगे. पारदर्शिता से काम करेंगे. सस्ती लोकप्रियता के लिए झूठ को नहीं अपनाएंगे. ऐसे झूठ से एकाध दशक तक काम चल जाता है पर आगे की पीढ़ियाँ इसका बहुत नुकसान भुगतती हैं. हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे. कई लोग यह तर्क देते हैं कि अच्छे काम के लिए झूठ बोल लेना चाहिए पर हम उस तर्क से सहमत नहीं हैं. ऐसे झूठ पिछले दशकों में भारत पर बहुत भारी पड़े हैं. सत्ता की लालसा में झूठे वादे और झूठे दावे किये गए हैं. अमेरिका और रूस भी ऐसे दावों से दुनिया को डराते-भरमाते रहे हैं. अब खोखलापन झलकता है तो कितना बुरा लगता है. जबकि स्वीडन, नॉर्वे, न्यूजीलैंड जैसे देश चुपचाप मानव विकास के मामलों में इनसे बहुत आगे चले गए.

हम अपने पक्ष में जनमत को लेकर वही कहेंगे, जो है. मनगढ़ंत आंकड़ों की दुहाई देकर अपनी मजबूती के दावे नहीं करेंगे. अपनी योजनाओं की उपलब्धियों को लेकर भी हम सतर्क रहेंगे. उतना ही बतायेंगे, जितना हुआ है. लेकिन इसका अर्थ निराशाजनक बातें नहीं होगी. कि कम हुआ तो कुछ नहीं हुआ. हमारी बात में आत्मविश्वास और गुणवत्ता झलकेगी. हमारी प्रस्तुति सुन्दर होगी, सकारात्मक होगी. हम अपने काम की मार्केटिंग में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. झूठ की मार्केटिंग के मुकाबले जब सच की मार्केटिंग उतरती है, तो झूठ टिकता नहीं है. अभी तक यहीं धोखा हुआ है और भले लोग भी झूठ के सहारे को मजबूर हो गए हैं. उनको गलत लगा कि सौ बार दोहराने से झूठ सच हो जाता है. नहीं जी, झूठ सच जैसा लगने लगता है, सच नहीं हो जाता है. वह भी इसलिए कि सच की मार्केटिंग नहीं हो पाती है. सच्चाई और अच्छाई को मार्केटिंग के संकोच ने डुबो दिया है भारत में. लस्सी इसी वजह से कोका कोला से पिछड़ गई, राजनीति इसी वजह से लोकनीति पर भारी पड़ गई.

और पांचवीं बात हमारी कार्यनीति की यह कि हम लोगों के मन के स्तर पर अधिक काम करेंगे. हमारे लिए तन और धन से अधिक मन का महत्व है. तन और धन तो मन के पीछे चलते हैं. मन में जब कोई बात जमती है तो ही उसका असर ज्यादा और स्थाई होता है. हमारे अभियान और काम का ज्यादा जोर लोगों के मन को परिवर्तन के लिए तैयार करने पर होगा. नई व्यवस्था के लिए, नई योजनाओं के लिए. तन और धन तो पीछे पीछे भागते आयेंगे. शास्त्र यही कहते हैं और सही कहते हैं.

हमारा नारा,
आपां नहीं तो कुण? आज नहीं तो कद?

अभिनव राजस्थान का यह नारा जोधपुर जिले के बोरुन्दा निवासी इन्द्रदान देथा ने हमें दिया है. एक बार मेड़ता से जोधपुर की यात्रा में देथा जी के साथ जाना हुआ तो बात से बात निकल आई. उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कभी ऐसा प्रयास किया था और यह नारा दिया था. उनके सहमति से हमने इस अभियान का नारा यही बना लिया क्योंकि यह नारा गहरे में बहुत कुछ कहता है.

आपां नहीं तो कुण? यानि हम नहीं तो कौन? यह प्रश्न राजस्थान में हर उस व्यक्ति के सामने रखना होगा, जो विकास चाहता है, जो अपने परिवार को आगे बढ़ता देखना चाहता है. आखिर कौन आयेगा जो उसके प्रदेश या परिवार को समृद्ध करके दे देगा? कब तक हम उन 'छद्म अवतारों' के 'चमत्कारों' में अपनी समृद्धि की संभावनाएं देखते रहेंगे? कब तक? और कब तक?

आपने देखा होगा कि हमारी चौपालों पर अक्सर यह बात होती है. विद्वान (?) कहते हैं कि समाज में कितनी खराबियां आ गई हैं, संस्कृति कितनी प्रदूषित हो गई है. देखिये साहब, शासन में बेईमानी कितनी हो गई है, सड़कें कितनी खराब हैं, पानी समय पर नहीं आता. कवि लोग भी अपने मंचों पर बरसों से यही कह रहे हैं कि समाज और शासन में बहुत गड़बड़ है. उनके पास अपनी 'निंदा पुराण' में शब्दों के भंडार भरे हैं. अखबार और चैनल भी दिन रात यही कहते हैं कि कहीं कुछ ठीक है ही नहीं. यही होता है न? जिस तरफ देखो, शिकायत ही शिकायत. समाधान कहीं नहीं.

सभी कहते हैं कि 'कोई' समाधान क्यों नहीं करता, कोई मोहल्ले के गुंडे से निजात क्यों नहीं दिलाता, कोई औरतों की इज्जत को बचाने क्यों नहीं आता. कोई बेईमानों को पकड़कर जेल क्यों नहीं भेजता, कोई सड़कें ठीक क्यों नहीं करवाता. जीभ, होठ और दिमाग थक गये हैं, निंदा करते करते. लेकिन यह 'कोई' कौन है, इसका अभी पता नहीं चला. कुछ छद्म बुद्धिजीवी कहते हैं कि यह 'कोई' वही है जिसका जिक्र – जब जब धर्म की हानि होगी – 'यदा यदा ही धर्मस्य' वाले श्लोक में बताया गया है. कि कोई 'अवतार' ही यह सब करेगा, हमारे बस का कहाँ है जी. हम नहीं कर सकते हैं. शास्त्र में लिखा है कि हम नहीं कर सकते हैं. जबकि शास्त्र तो 'कर्म' करने को कहते हैं पर गुलामी में रंगे लोग अपनी परिभाषा और अर्थ निकाल लेते हैं. अपने डर और नाकारापन को छुपाने का काम कर लेते हैं.

कभी आम राजस्थानी या भारतीय को लगता है कि वर्तमान राजनीति में ही कोई 'छद्म अवतार' पनपेगा, जो सब ठीक कर देगा. वे इसकी या उसकी स्तुति कर लेते हैं और अगर वह असफल होता है तो उसकी निंदा शुरू! लेकिन यह मन में नहीं बैठ रहा है कि खुद मरे बिना मोक्ष नहीं मिलेगा!

तो अभिनव राजस्थान के इस नारे में पहली बात यह है कि सब कुछ हमें ही करना होगा. हमारे ही हाथों से. कोई और यह हमारे लिए नहीं करके देगा. न अमेरिका, न जापान. न कोई 'अवतार' इस कलियुग में आने वाला है. उस उम्मीद को भी भूल जाओ ! भूलना ही होगा. आपां नहीं तो कुण?

दूसरी बात इस नारे की है - आज नहीं तो कद? यानि आज नहीं तो कब? यह बात उन निराशावादियों के लिए है, उन कुतर्क शास्त्रियों के लिए है, जो कई कुतर्कों से यह सिद्ध करते रहते हैं कि जल्दी जल्दी में कुछ नहीं होगा. सब समय के साथ होगा. वे इस तर्क के साथ अकर्मण्यता परोस देते हैं. वे 'धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय' मुहावरे का गलत अर्थ लगाकर हर काम को रोक देते हैं. समाज की व्यवस्था बदलनी है तो कहते हैं, अभी रुक जाओ. शासन में बदलाव करना है तो अभी रुक जाओ. अभी समय नहीं है. अनुकूल समय नहीं है. उनका यह अनुकूल समय अभी भारत में नहीं आया है !

हम कहते हैं जनाब, आज नहीं किया तो कब करोगे. समय निकलता जा रहा है. देखते ही देखते कई समाज और देश हमसे आगे निकल गए हैं. पांच सौ साल पहले बसा अमेरिका विश्व की महाशक्ति बना घूम रहा है, चीन अभी अभी हमसे आगे निकला है, इजरायल उधार की जमीन पर ताकत बन गया है. हम यहाँ इन्तजार करते खड़े हैं. अब नहीं, इन्तजार बहुत हुआ है, जो करना है, करो. पहले ही हमारी बहुतेरी पूँजी और कारीगर लेकर हमारे लोग कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और विदेश में जा बसे हैं. बाकी भी जाने की तैयारी में रोज रहते हैं. अगर समय रहते राजस्थान का समाज और शासन नहीं बदला तो हमारी सभी तरह की प्रतिभाएं खिसक लेंगी. अब समय भी अधिक तेजी से चल रहा है. तकनीक की तेजी है.

अब तो राजस्थान के विकास में देरी कुछ ज्यादा ही चुभने लगी है. पास ही में गुजरात हो या दूर आन्ध्र या केरल हो, लोग बहुत तेजी से तकनीक के सहारे दुनिया नाप रहे हैं. अपने नागरिकों के लिए अवसर पर अवसर खोल रहे हैं. उनका एक पैर यहाँ और एक पैर विदेश के बाजार में है. जबकि राजस्थान में पिछले बीस-तीस सालों में विकास की गाड़ी पीछे जा रही है. खेती बुरी तरह पिटने लगी है, पशुपालन खतरे में है. उद्योग की विकास दर नेगेटिव हो गई है, शून्य से नीचे जा रही है. हमारे अनुसंधान संस्थान बंद से पड़े हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बंद हो चली है. अभी भी हम अगर कहेंगे कि 'धीरे धीरे रे मना' तो नप लेंगे हम तो. कोई दिन आ जायेगा जब राजस्थान के समृद्ध संसाधनों को देखते हुए कोई भारत की सरकार यहाँ की जमीन को ऑस्ट्रेलियन या कोरियन या जापनी कम्पनियों को थोक के भाव दे देगी और हम गुलामी के नए दौर में पहुँच जायेंगे. चेता दें कि यह प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है. दबे पांव दुनिया की कई कंपनियां राजस्थान में घुसने लगी है.

ऐसे में हमारे पास इस नारे 'आपां नहीं तो कुण? आज नहीं तो कद?' के सिवाय कोई चारा नहीं बचता है. अपने हाथों से, अपने लिए और तुरंत राजस्थान का निर्माण हमें करना ही होगा, अगर धरती के इस सुन्दर भाग, देव भूमि को बचाना है तो.

अभिनव राजस्थान क्षेत्रीयता का नहीं, राष्ट्रीयता का नाम है. अभिनव राष्ट्रीयता.

हो सकता है कि कई आलोचक सम्पूर्ण भारत के सम्बन्ध में सोचते वक्त 'अभिनव राजस्थान' की अवधारणा को क्षुद्र 'क्षेत्रीयता' के चश्मे से भी देख लें. हम इस भाव के निर्मित हो जाने के प्रति भी पूरे सचेत हैं. सचेत होना भी चाहिए. कई बार आपकी नीयत साफ़ होने के बावजूद शब्दों का मायाजाल कुछ अलग ही संकेत दे दे, अलग ही इम्प्रेशन दे दे. सावधानी जरूरी है.

सबसे पहले हम यह बात जाहिर तौर पर कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी तरह से राजस्थान में क्षेत्रीयता का भाव विकसित नहीं करना है. हमें आमार बांग्ला या आमचा महाराष्ट्र जैसे नारों जैसा कोई 'आपणों राजस्थान' नहीं बनाना है. हमारा अभिनव राजस्थान तो सभी भारतवंशियों का राजस्थान होगा. यहाँ किसी भी रूप में भारत के किसी भी निवासी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा. अभी भी राजस्थान में ऐसा नहीं है. यहाँ क्षेत्रीयता की भावना पनपी ही नहीं है और हम भी उससे बचेंगे. सस्ती लोकप्रियता या सत्ता की लालच में हमें ये तुच्छ भाव पैदा नहीं करने हैं. हमारे लिए तो राष्ट्र प्रथम होगा.

हमारे लिए 'अभिनव राजस्थान' नाम रखना इसलिए आवश्यक हो गया था क्योंकि हम अपनी विकास की अवधारणा को किसी इकाई से बांधना चाहते थे, उसके बिना कोई मॉडल नहीं बन सकता था. अभी भारत को लेकर काम करने का हमारा सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं. पर हम यह चाहेंगे कि विकास का यह अभिनव मॉडल समस्त भारत में लागू हो. बल्कि हम तो चाहते हैं कि दुनिया के पिछड़े हुए सभी देश भी इस मॉडल को अपने यहाँ लागू करें. तभी मानवीयता को हमारी मेहनत का लाभ होगा. हमें जो मॉडल बनाया है, जो डिज़ाइन बनाया है, वह मानव मात्र को समृद्धि के साथ आनंद से जोड़ने के लिए है. वह समृद्धि को प्रकृति और संस्कृति से जोड़ने के लिए है. वह एक स्थाई और सुन्दर विकास के लिए है. तभी तो सृष्टि बचेगी. तभी तो जीवन सार्थक होंगे. फिर से.

अभिनव राजस्थान, अभिनव भारत, अभिनव विश्व, परमात्मा का काम है और इस काम को संकीर्णता से बांधना ठीक नहीं होगा. इस काम की खुशबू ज्यों ज्यों चारों और फैलेगी तो हमें अच्छा लगेगा. फिर कोई अभिनव बंगाल, अभिनव उत्तरप्रदेश, अभिनव तमिलनाडु या अभिनव केरल क्यों न बने. या अभिनव सिंध या अभिनव बलूचिस्तान या अभिनव नेपाल क्यों न बने. अभिनव राजस्थान की गहराई में प्रेम, भाईचारा, सहयोग, मानव गरिमा और समानता के भाव हैं. इन भावों की हर प्रदेश को, हर देश को आवश्यकता है. इन भावों की सम्पूर्ण मानवता को आवश्यकता है. आज तो कुछ ज्यादा ही. हर तरफ फैली असमानता और घृणा के बीच अभिनव विकास की आवश्यकता है.

पर बड़ा दिल रखने का अर्थ यह भी न हो कि राजस्थान त्याग करता रहे और उसे क्षेत्रीयता के नाम पर दबाया जाता रहे. तथाकथित आजादी के पहले और उसके बाद भी राजस्थान की भावनाओं को बुरी तरह से आहत किया गया है. सबसे पहले अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रियों का माल भारत के बाजारों में खपाने के लिए राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध कुटीर उद्योगों को चौपट कर दिया था. कई तरह के टैक्स लगा दिए और व्यापारियों को धमकाया कि अंग्रेजी माल बेचो, अगर व्यापार करना है तो. यही नहीं, राजस्थान के प्रसिद्ध पूंजीपतियों को लोभ देकर अपने खुद के सीधे शासन वाले इलाकों में ले गए. मद्रास, बम्बई, कलकत्ता ले गए. राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध बाजार और व्यापार चौपट होना ही था.

उस समय से बर्बाद हुए हमारे कुटीर उद्योगों की कमर अभी तक सीधी नहीं हो पाई है. अब हमारी जान को चीन बाजारों में छा गया है. हर छोटी चीज चीन के गाँवों से बनकर आती है. राजस्थान की बर्बादी के इस जश्न में हमारे तब के और अब के शासन एक जैसे, निकम्मे, निकले हैं.

फिर अंग्रेजों ने समुद्री व्यापार को बढ़ाकर राजस्थान के सभी दुनियावी रास्तों को वीरान करना शुरू कर दिया. बीकानेर से मुल्तान का लिंक कमजोर होने लगा. बन्जारों के काफिले छोटे होने लगे. उनके गीतों की गहराई और उनके नाच की खनक भी कम होने लगी. 'भीणजारी ये मीठी मीठी बोल, प्यारी प्यारी बोल, बातां थारी रह जासी !' बातें ही रह गई हैं, उन बांके बन्जारों की.

सत्ता देशी लोगों के हाथ पड़ने पर तो राजस्थान के साथ और बुरा हुआ. भारत-पाकिस्तान के विभाजन ने राजस्थान को दुनिया से एकदम अलग कर दिया. एक दीवार बन गई, राजस्थान और दुनिया के बीच. जबकि गुजरात और महाराष्ट्र पर इसका कोई असर नहीं हुआ. अब सारे अंतर्राष्ट्रीय रास्ते उन प्रदेशों से होकर जाने लगे. सेन्ट्रल एशिया और चीन का माल भी उधर से ही जाता है. जबकि अगर राजस्थान और दुनिया के बीच पाकिस्तान रूपी दीवार नहीं होती तो आज राजस्थान इन व्यापार मार्गों की बदौलत चमन रहता. यह होना था, हो गया, राजस्थान ने सह लिया. पर राजस्थान का यह बलिदान दिल्ली को कभी समझ नहीं आया है. न कभी राजस्थान ने यह कहा है. दबी जुबान में भी नहीं कहा है.

बोले तो हम तब भी कहाँ थे जब वर्ष 1950 में सदियों से राजस्थान के हिस्से में रहे माउंट आबू को बॉम्बे प्रेसिडेंसी (गुजरात-महाराष्ट्र) को गिफ्ट दे दिया गया था. बोले कि तुम राजस्थान वाले क्या करोगे, माउंट आबू का. बड़ी मुश्किल से वापिस मिला था, छः साल बाद. आज हमारा सतलज-व्यास-रावी का पानी पंजाब नहीं दे रहा है, यमुना का पानी हरियाणा नहीं दे रहा है तो माही नदी का पानी गुजरात नहीं दे रहा है. इतना ही नहीं हमारी राजस्थानी भाषा को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है. हम ही मिले इतने सीधे? यह सब भेदभाव क्या है? क्यों है? हम अपने विकास के लिए आवश्यक मुद्दे नहीं छोड़ेंगे पर फिर भी हम क्षेत्रीयता के नारों से बचेंगे. भारत के पहरेदार जो रहे हैं, हमेशा. राजस्थान ही जब क्षेत्रीयता करेगा तो भारत में कौन नहीं करेगा?

गुलामी की मानसिकता, मूल समस्या.

भारत या राजस्थान में आज जितनी भी समस्याएँ हम देख पा रहे हैं, जिनके कारण हमारा आर्थिक, सामाजिक, मानसिक या लोकनैतिक विकास रुका हुआ है, उनके मूल में गुलामी की मानसिकता है. यह मानसिकता जब तक हमारी समझ में नहीं आयेगी, जब तक हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम समाधानों की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे. हम समस्याओं को और उलझाते रहेंगे.

असल में भारत ने एक लम्बा समय बाहरी और देशी शासकों की गुलामी में गुजारा है. एक हजार साल से तो हम सीधे सीधे बाहरी शासकों की गुलामी में जिए हैं. इतना लम्बा समय किसी भी कौम के लिए भारी होता है. इतने समय में गुलामी रगों में घुस जाती है. अपनी मूल संस्कृति की जड़ें उखड़ने लगती हैं और पहचान का संकट खड़ा हो जाता है. भारतीय जनमानस के साथ यही हुआ है.

एक गुलाम व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं? यह जान लेना बहुत आवश्यक है. सबसे पहला लक्षण होता है कि वह आत्मविश्वास खो देता है. उसे नहीं लगता कि वह कुछ करने के काबिल है. वह हिम्मत हार जाता है. उसे लगता है कि उसका 'मालिक' ही शक्तिवान है और वह स्वयं असहाय है. गुलामी उसे अन्दर से तोड़ देती है. यह पहला लक्षण है. फिर वह व्यवस्था से डरने लगता है. घबराता है. व्यवस्था उसका शोषण करती है पर वह नहीं बोलता है. वह सोचता है कि इससे उसका अधिक नुकसान होगा.

ऐसा डरा हुआ गुलाम व्यक्तिअविश्वास से भी भर जाता है. वह अपना आत्मविश्वास तो खोता ही है, दूसरों पर भी उसे अविश्वास हो जाता है. उसे लगता है कि जैसे हर कोई उसका शोषण करना चाहता है, उसे नुकसान पहुँचाना चाहता है. कोई उसका भला करना चाहे तो भी वह उससे दूर भागता है. जैसे कोई बच्चा डॉक्टर से डरता है ! साथ ही वह जोखिम भी नहीं लेना चाहता है. जैसा है, वैसे हाल में रहने में ही अपना भला समझता है. वह प्रयोग नहीं करना चाहता है. नए प्रयोग से उसे डर लगता है. हिम्मत ही नहीं होती है. पर अपनी इस कमजोर स्थिति को वह कुतर्कों से ढकता है. कहता है कि मैं कमजोर नहीं हूँ पर इन इन कारणों से प्रयोग करने या चुनौती स्वीकार करने से बच रहा हूँ! कुतर्कों का मास्टर हो जाता है यह गुलाम मानव.

यह गुलाम व्यक्ति अब अपनी स्थिति में बदलाव के लिए किसी छद्म अवतार की तलाश में रहता है. उसे लगता है कि वह खुद कुछ नहीं कर सकता है, उसे तो कोई और ही मुक्त करेगा. कोई और ही आकर उसका भला करेगा. वह ऐसे किसी छद्म अवतार की बातों से आसानी से भ्रमित हो लेता है. उसे तर्कों से समझाना मुश्किल होता है पर झूठ-कपट-छल से भरमाना बहुत आसान होता है. उसे सपने दिखाओ तो वह उनमें उड़ने लगता है पर तथ्य बताओ तो दूर भाग जाता है ! यह है गुलाम की मानसिकता.

आत्मविश्वास में कमी, डर, दूसरों पर अविश्वास, जोखिम या जिम्मेदारी से घबराहट, कुतर्क और भ्रमित होने की प्रवृति वाला यह गुलाम मानसिकता वाला जीव कौन है? एक औसत भारतीय. एक औसत राजस्थानी. (बुरा मत मानिएगा, स्वीकार कीजिएगा. स्वीकार्यता समाधान की ओर ले जाती है, छुपाना बीमारी को बढ़ाता है.) एक हजार साल की गुलामी अभी भी उसके जहन में समाई हुई है. इसी का फायदा उठाकर आज के राजनेता उसे ठगते हैं. हर बार कोई न कोई झांसा देकर उससे वोट ले लेते हैं. अपने आपको छद्म अवतार के रूप में प्रस्तुत करके सभी समस्याओं के समाधान का वादा कर देते हैं. गुलाम मानसिकता का व्यक्ति भ्रमित हो जाता है पर कई कुतर्कों से अपने इस भोलेपन को जस्टिफाई करता है, सही ठहराता है! वह चाहता है कि किसी और के घर भगत सिंह हो और वह उसका गुणगान कर देगा! वह खुद कोई जिम्मेदारी या जोखिम नहीं लेना चाहता है! बतौर शायर इब्ने इंशा- हक़ अच्छा है पर इसके लिए कोई और मरे, तो और अच्छा!

गुलामी के इस लम्बे दौर में अजीब तरह के बुद्धिजीवी भी पैदा हो गए. हम इन्हें गुलामी की बौद्धिक परम्परा कहते हैं! ये बुद्धिजीवी छद्म अवतारों के गुणगान में माहिर होते हैं. उनमें दैवीय शक्तियां ढूंढते रहते हैं. एक अवतार से मन भर जाता है तो नया ढूंढ लेते हैं. खुद घर से बाहर निकलकर समस्याओं के समाधान नहीं ढूंढते हैं पर समस्याओं और समाधानों पर काल्पनिक ग्रन्थ रच देते हैं. बिना पुख्ता जानकारी के, बिना तथ्यों के. आज सोशल मीडिया पर आप इस गुलाम परम्परा के बुद्धीजीवियों का जमघट देख सकते हैं. 'ज्ञान' के ये पुंज हर तरफ फैले हैं!

अभिनव राजस्थान में हम यह स्वीकार करेंगे कि आम राजस्थानी इस मानसिकता में लिपटा हुआ है. इस मानसिकता से हम कब तक दूर भागेंगे? इसे समझे बिना और इसे कम किये बिना कोई भी स्थाई हल नहीं निकलेगा. हमारे उपाय इसी वजह से अभिनव होंगे. एकदम व्यावहारिक. हम उपदेश से यह मानसिकता दूर नहीं करेंगे और न ही वीर रस की कविताओं से. डर ऐसे नहीं भागते हैं. सीधे सीधे डरे हुए से व्यक्ति को व्यवस्था से टकराने को या उसे बदलने को कहोगे तो वह भाग जायेगा!

हम कहते हैं, **छद्म अवतारवाद से जनजागरण की ओर**. हमारे माने जानकारी के अभाव में अन्धेरा रहता है और गुलामी की मानसिकता पोषित होती है. जानकारी का प्रकाश होगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगा. जानकारी और ज्ञान आत्मविश्वास देते हैं. यह आत्मविश्वास गुलामी की पहली कड़ी को तोड़ेगा. अभिनव राजस्थान में हम औसत राजस्थानी को जानकारियों से लैस करेंगे. जानकारियों में उसकी रुचि जगायेंगे. आत्मविश्वास जागेगा तो वह जिम्मेदारी लेने के लिए हिम्मत करेगा. तब हम कहते हैं- **जनजागरण से स्वशासन की ओर**. जागरण होगा तो व्यक्ति नागरिक बनने लगेगा और उसे शासन अपना लगेगा. फिर हम कहते हैं- **स्वशासन से असली विकास की ओर**. तभी असली विकास हो पायेगा, जब नागरिक खुद अपने शासन को संभालने को तैयार होंगे. अभी के छद्म अवतार और राजनीति तब विदा होंगे और लोकनीति राजस्थान में आयेगी. अभिनव राजस्थान उस व्यवस्था का ही नाम है. इसमें हम कहेंगे- **आपां नहीं तो कुण? आज नहीं तो कद?**

अभिनव राजस्थान अभियान, अब तक की यात्रा.

वैसे तो अभियान वर्ष 2005 में समाज सुधार के एक आन्दोलन से शुरू हो गया था पर वर्ष 2009 में अभियान की औपचारिक शुरुआत हुई. अभियान के उद्देश्य, विषयों और प्रक्रिया को लेकर मित्रों से चर्चाएँ शुरू हुईं, अनुभवी लोगों से मंत्रणाएं हुईं. यह एकदम नया विचार होने से समाज में इसकी स्वीकार्यता में समय लगेगा, यह सोचकर धीरे धीरे योजना से आगे बढ़ने के बारे में सोचा गया. यह अभियान किसी व्यवस्था में सुधार का न होकर एक नई व्यवस्था की स्थापना का अभियान है और इसलिए इसके विभिन्न पहलुओं को एक एक कर धारणाओं में, कांसेप्ट्स में ढालने का काम शुरू हुआ.

वर्ष 2010 में अभिनव राजस्थान पर पहली पुस्तक का विमोचन हुआ और राजस्थान के लेखकों, कवियों और पत्रकारों तक इसे पहुँचाया गया. इसी वर्ष एक मासिक समाचार पत्र 'रोचक राजस्थान' भी प्रारंभ किया गया और राजस्थान में इसकी पांच हजार प्रतियाँ हर महीने भेजी जाने लगीं.

वर्ष 2011 में अभिनव राजस्थान का पहला प्रदेश स्तरीय सम्मेलन मीरा के आँगन में मेड़ता में हुआ, जिसमें लगभग सात सौ लोगों ने भाग लिया. इस सम्मेलन में तय किए गया कि एक वर्ष तक राजस्थान का सघन भ्रमण किया जाये और राजस्थान के समाज और शासन का प्रत्यक्ष अनुभव किया जाये. तब राजस्थान के सभी क्षेत्रों के 35 कस्बों का चयन किया गया. इन सभी कस्बों में जाकर एक दो दिन रहने और वहां के मित्रों से धरातलीय हकीकत जानने का निर्णय हुआ. वर्षभर यह प्रोग्राम चला और अत्यंत सफल रहा. पहली बार राजस्थान को इसकी समग्रता में समझने का एक अद्‌भुत प्रयास हुआ. इन कस्बों में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क-पानी-बिजली, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का व्यापक अध्ययन किया गया. इन कस्बों के पारंपरिक उद्योगों और आसपास के गाँवों की खेती और पशुपालन की स्थिति पर भी जानकारियां जुटाई गईं.

गंगानगर जिले का सूरतगढ़ हो या बाँसवाड़ा का कुशलगढ़, जैसलमेर जिले का पोकरण हो या धौलपुर का बाड़ी कस्बा, सभी कस्बों में जाने का और उनको समझने का अनुपम प्रयास किया गया. इन सभी कस्बों की समान समस्याओं और उनके समाधानों पर स्थानीय लोगों की राय जानी गई. एक तरह से राजस्थान को एक परिवार की तरह मानने और जानने का यह एक सफल प्रयोग था. यह प्रयोग ही आगे जाकर अभिनव राजस्थान की नीति और व्यापक योजना का पुख्ता और व्यावहारिक आधार बना. अभिनव राजस्थान, हवाई किला नहीं है, जो घर में बैठकर बना है.

वर्ष 2012 में मेड़ता में ही अभियान का दूसरा प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हुआ. इस बार प्रदेश के कई भागों से लगभग एक हजार प्रतिभागी शामिल हुए थे. इस सम्मेलन में किये गए निर्णय के अनुसार प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर संभागीय सम्मेलन करने का प्रोग्राम बना.

जून 2014 से जून 2015 के बीच प्रदेश के नागौर, जयपुर, जोधपुर, गंगानगर, बीकानेर, चूरू और अजमेर शहरों में अभियान के बड़े सम्मेलन हुए. इस सम्मलेनों में अभियान के उद्देश्यों के बारे में जागरूक नागरिकों को बताया गया. साथ ही इन क्षेत्रों में समाज को बेहतर योगदान करने वाले व्यक्तियों और संगठनों के 'अभिनव सम्मान' भी हुए. ये सम्मेलन अत्यंत सादगी और गरिमा से आयोजित हुए.

इस दौरान सूचना के अधिकार का व्यापक प्रयोग करके वर्तमान शासन व्यवस्था को समझने और उसमें सुधार करवाने के प्रयास भी अभियान के साथियों ने किये. कई जिलों में और राजस्थान शासन के सचिवालय में अलग अलग विभागों में सूचना के अधिकार से आवेदन किये गए. हमारा फोकस शासन द्वारा संचालित योजनाओं की प्रक्रियाओं और उनके परिणामों को जानने पर था. राजस्थान में ही नहीं, भारत में पहली बार सूचना के अधिकार का प्रयोग उस मकसद से किया गया, जिसके लिए यह अधिकार आम जनता को दिया गया था. वरना अभी तक तो लोगों को अपने निजी हितों या अधिकारियों को परेशान करने के लिए ही इस अधिकार का प्रयोग करते सुना था.

हमारी सकारात्मक सोच के कारण हमें शासन का सहयोग भी भरपूर मिला. हमने सूचना के अधिकार से फोटोकॉपी लेने की बजाय फाइलों के निरीक्षण पर अधिक जोर दिया, जो इस अधिकार के उपयोग करने का सही तरीका है. हमारे सैंकड़ो साथियों ने इस अधिकार से अपनी जागरूक पहचान बनाई. साथ ही उन्होंने समाज में सूचना के अधिकार के प्रति आकर्षण, आदर और विश्वास भी पैदा किया. यह काम शासन के जिम्मे है, जो नहीं हो रहा है.

पिछ्ले दो वर्षों से हमारा ध्यान जिन विषयों पर अधिक रहा और जिन पर काम करके हमने राजस्थान के शासन को जगाये रखा, उनमें प्रमुख हैं- पुलिस अधिनियम, 2007, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी मिटाने की एम्पावर योजना, जल संरक्षण, राष्ट्रीय कृषि योजना, बागवानी मिशन, कृषि उपज मंडी व्यवस्था, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, नागौर नहर परियोजना, नागौर अजमेर टोल सड़क परियोजना, दुर्घटना की रोकथाम, विद्युत खरीद और वितरण व्यवस्था, आदि आदि.

अब 25 दिसम्बर 2016 के अभियान के जयपुर सम्मलेन के बाद अभियान को राजस्थान के कोने कोने में, गाँव, गाँव, शहर, शहर तक पहुँचाने का लक्ष्य वर्ष 2017 का है. राजस्थान में असली लोकतंत्र और असली विकास के लिए हमारे अनुभव, अध्ययन, भ्रमण और चर्चाओं के आधार पर बनी योजनाओं पर एक लाख लोगों का जनसमर्थन जुटाना है. इसके बाद आगे की कार्यनीति बनेगी. हमारा स्पष्ट लक्ष्य वर्ष 2020 में राजस्थान के आमजन को अभिनव राजस्थान के दर्शन करवाने का है.

अभिनव समाज

अभिनव समाज से बनेगा अभिनव राजस्थान, समाज ही आर्थिक विकास की जमीन है.

अभिनव राजस्थान की कहानी शुरू ही होती है- अभिनव समाज से. अभिनव समाज का निर्माण अभिनव राजस्थान के भवन के लिए नींव का काम करेगा. इसी नींव पर अभिनव राजस्थान बनेगा. इस नींव के बिना हमारा यह नया भवन खड़ा नहीं रह पायेगा. जल्दी ही गिर जायेगा. पर समाज का आर्थिक विकास और शासन से क्या लेना देना है? यह जिक्र तो शासन में बैठे लोग कभी नहीं करते हैं. हाँ, नहीं करते हैं क्योंकि उनके विजन में, दृष्टिकोण में समग्रता नहीं है. क्योंकि वे भारतीय परिप्रेक्ष्य में आर्थिक विकास के बारे में ठीक से सोच ही नहीं पाए. उधार के ज्ञान पर उन्होंने आधुनिक भारत को खड़ा करने की कोशिश की है और इसीलिए यह भवन अब डगमगाता नजर आ रहा है. अभिनव राजस्थान, शुद्ध भारतीय व्यवस्था है, राजस्थान के संदर्भ में और इसलिए इसमें यह विषय पहले पायदान पर है.

दरअसल कई दशकों से शासन-शासन, विकास-विकास करते करते हम यह भूल गए हैं कि इनका समाज से कोई ताल्लुक भी है. लगने लगा है कि समाज, आर्थिक विकास और शासन अलग अलग हैं, उनके बीच में कोई दीवार है. वैसे सदियों से पराये शासन में जीने के कारण मन में बैठा हुआ भी है कि शासन वाले कोई और हैं. कभी ये सुल्तान थे, कभी मुग़ल, अंग्रेज तो कभी उनके सामंत. समाज इस दौर में शासन से अलग ही रहा. वह भाव आज भी ज़िंदा है, वैसा का वैसा. आजकल चुनावों में सामाजिक वर्गों यानि जातियों का उपयोग तो 'राज' में आने को किया जाता है पर सामजिक विषयों से शासन दूरी बनाकर रखता है. सत्ता हस्तांतरण की शुरुआत में जरूर समाज में परिवर्तन के लिए कुछ क़ानून बनाने की हिम्मत की गई थी पर बाद में समाज को नाराज नहीं करने का बहाना करके सामाजिक विषयों से दूरी बना ली गई है. आर्थिक विकास के बारे में भी यही ख्याल है नीति निर्माताओं का. वे सोचते हैं कि समाज का तो एक ही विषय महत्वपूर्ण है, समाज कल्याण. बाकी आर्थिक विकास और समाज के मुद्दों के बीच कोई सम्बन्ध, वे आज तक नहीं देख पाए हैं. दुर्भाग्य है, देश का.

इस बात को ठीक से समझने के लिए थोड़ा और गहरे में चलते हैं, हिम्मत करके. किसी भी मानव सभ्यता का, मूल ढांचा क्या है? वह है, समाज. सामजिक रिश्ते नाते और सामाजिक वर्ग. इनके ऊपर रखे हुए, संस्कृति से आये हुए, सामाजिक मूल्य और परम्पराएं. यानि सामाजिक रिश्ते, वर्ग, मूल्य और परम्पराएं किसी भी मानव समाज को परिभाषित करते हैं. इस समाज में कुछ लोग शासन संभालते हैं, जिनका काम है, समाज की वर्तमान व्यवस्था को सम्भालकर रखना और जरूरत पड़ने पर समाज को परिवर्तन के लिए तैयार करना. कुछ लोग चीजें पैदा करते हैं, चीजें बेचते हैं, सुविधाएँ निर्मित करते हैं- वह समाज का आर्थिक पक्ष है. धर्म क्षेत्र, इन सबसे ऊपर है, जो समाज के हर कार्य को मूल्य देता है.

समाज को इस समग्रता से अलग देखते ही, अलग सोचते ही कोई भी सभ्यता, कोई भी देश धोखा खा जाता है. भारत इस धोखे का बुरी तरह शिकार हुआ है. सदियों तक समाज से बाहर के शासक होना मुख्य कारण रहा है. ये शासक दूसरे समाज और संस्कृति से थे, इनके मूल्य अलग थे. नतीजा यह हुआ कि शासन और आर्थिक विकास का समाज से सम्बन्ध छूट गया. आज हम उसी दुर्दशा में हैं.

अभिनव राजस्थान में हम नए भारत में पहली बार भारतीय समाज को शासन और आर्थिक विकास से सीधे सीधे जोड़ने की हिम्मत कर रहे हैं. यह आवश्यक है क्योंकि हमारे अध्ययन में, हमारे सफल सामाजिक आंदोलन में यह बात स्पष्ट हो गई कि समाज की वर्तमान व्यवस्था, वर्तमान परम्पराएं आर्थिक विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हैं. दुःख तो इस बात का है कि समाज की वर्तमान व्यवस्था और परम्पराएं भारतीय संस्कृति के मूल्यों से हटकर हैं. भारतीय संस्कृति में जिन मूल्यों का जिक्र है, जिन समृद्ध परम्पराओं का उल्लेख है, यहाँ उनसे हटकर एक कुरूप सामाजिक व्यवस्था बनी हुई है. इसी प्रकार यहाँ की परम्पराएँ या रीति-रिवाज भी उन मूल्यों से ठीक उलट हो गए हैं. हमारी मूल वैदिक संस्कृति ने कभी ऊंच-नीच नहीं सिखाया, कभी स्त्री को नीचा दर्जा नहीं दिया, कभी दहेज़ के बारे में नहीं कहा, कभी मृत्युभोज के लिए नहीं कहा, कभी झूठी शान का बखान नहीं किया.

लेकिन 'राज' के चक्कर में उलझे राजनेता इन विषयों से बचते हैं, बल्कि इन आडम्बरों और कुरीतियों का जमकर समर्थन करते हैं. संविधान में समाज में आवश्यक परिवर्तनों का जिक्र है, शुरू शुरू में इनके लिए संसद ने भी कानून बनाये, पर बाद में हाथ खींच लिए. 'राज' और 'वोट' के खेल में.

अभिनव राजस्थान में हम समाज की वर्तमान व्यवस्था को क्यों बदलना चाहते हैं? इसका आर्थिक विकास से क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है. हमारे माने समाज में समृद्धि तभी आएगी जब समाज में पूँजी बचेगी, जब समाज में सभी को समान अवसर मिलेंगे. यह पूँजी तभी बचेगी जब, हमारा औसत परिवार सामाजिक परम्पराओं (कुरीतियों) के नाम पर अपनी फिजूलखर्ची रोकेगा. जब झूठी शान परिवारों की गाढ़ी कमाई नहीं खाएगी, तब इन परिवारों में पूँजी बचनी शुरू होगी. तब राजस्थान में पूँजी बननी शुरू होगी. तब इन परिवारों में विकास करने की ललक पैदा होगी, विजन पैदा होगा. यह विजन, यह ललक और पूँजी ही तो आर्थिक विकास के लिए चाहिए. साथ ही साथ आगे बढ़ने के समान अवसर हमारे मानव संसाधन पक्ष को मजबूत करेंगे. योग्य लोगों के दिमाग और ऊर्जा भी पूँजी होती है. यह है विषय.

अब सवाल यह आता है कि यह परिवर्तन कौन करेगा. जब यह मान लिया जाएगा कि आर्थिक विकास के लिए समाज की व्यवस्था और परम्पराओं में बदलाव जरूरी है तो ये बदलाव कौन करेगा. क्या कानून से या शासन के आदेश से यह हो जायेगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा. इसके लिए समाज और शासन को मिलकर काम करना होगा. कैसे? आगे पढ़ेंगे विस्तार से.

वर्तमान राजस्थानी समाज, आर्थिक विकास का दुश्मन.

हम सभी किसी न किसी गाँव या शहर में रहते हैं और समाज के मूल्यों, रिश्तों और परम्पराओं से हमारा सामना होता रहता है. इसलिए यह बात समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी कि आज के राजस्थानी समाज में कौन कौन से पहलू हैं, जो आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा बनकर खड़े हैं.

सबसे पहले शुरू करते हैं, सामाजिक मूल्यों से. समाज किन किन उपलब्धियों का मूल्य अधिक करता है और किनका कम करता है? किस काम या उपलब्धि को ज्यादा महत्व देता है? जिस काम का समाज अधिक मूल्य मानेगा, महत्व मानेगा, हम सभी उस काम को करना चाहेंगे. समाज में हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, यह हम सभी चाहते हैं. कौन प्रतिष्ठा कम चाहेगा? तो अभी प्रतिष्ठा किस काम से ज्यादा बढ़ती है?

आज समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, पैसे से या पद से. खर्च से या दिखावे से. इनसे आज समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है. अगर आप पैसे वाले हैं और खर्च के साथ दिखावा कर लेते हैं तो राजस्थान में समाज के लोग आपको 'कुछ' मानने लगते हैं. अगर आपके पास कोई 'राजनैतिक' या 'सरकारी' पद है और उसका आप दुरुपयोग कर सकते हैं तो भी आपको 'कुछ खास' माना जाता है. कोई इस बात की फिक्र नहीं करता है कि यह पैसा या पद आपने कैसे पाया. इसका कोई जिक्र नहीं होता है कि आपने चोरी की है, ठगी की है या झूठ से यह पाया है. पैसा है तो सब जायज.

इस स्थिति में आप क्या करेंगे? कोई भी सामान्य या प्रतिभाशाली व्यक्ति क्या करेगा? वही करेगा, जिसका मान-सम्मान समाज के लोग अधिक करते हैं. पैसा कमाएगा, पद हासिल करेगा. कैसे भी. कुछ भी करके. अपना सम्मान या महत्व कम हो, यह कौन चाहेगा? भाड़ में जाएँ, शास्त्र, नीति. उसे क्या लेना देना इनसे. जब समाज के अधिकतर लोग नई नीतियां बना चुके हैं, नए मूल्य तय कर चुके हैं तो उस पुराने नीति शास्त्र का क्या करना है? क्या करना उन पुराने पड़े मूल्यों से? वह पैसा पायेगा, दिखायेगा. वह पद पायेगा और दिखायेगा. अपने पद के 'रौब' को आपको दिखाना चाहेगा ताकि आप उसे जल्दी से अपने सामाजिक स्तर में ऊंचे गिनने लगो. उसे 'कुछ' मानने लगो.

व्यक्ति के जीवन में सामाजिक मूल्य बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं, यह बात हमें स्वीकार करनी होगी. हमें यह मानना होगा कि कोई व्यक्ति चोरियां करता है, पद का दुरूपयोग करता है, रिश्वतें लेता है, दो नम्बर के, गैरकानूनी काम करता है तो वह यह सब अपना सामाजिक मूल्य बढ़ाने के लिए करता है. हाँ, पांच प्रतिशत लोग अपराधी प्रवृति के किसी भी समाज में होंगे पर समाज के अधिकतर लोग जब किसी काम की तरफ भाग रहे हैं तो फिर उस 'अपराध' के गहरे में हमें झांकना होगा.

पैसे और पद के साथ ही खर्च और दिखावा या झूठी शान भी महत्व रखते हैं. आपके पास पैसा है और खर्च भी किया पर वह दिखा ही नहीं तो क्या फायदा? फिर क्या मूल्य उस खर्च का? इसलिए खर्च को दिखाओ. किसी परिजन की शादी हो, मौत हो या कोई भी सामाजिक समारोह हो, उसमें लगना चाहिए कि आपके पास पैसा है. पैसा नहीं है तो भी 'इज्जत' और झूठी शान के लिए ही सही, खर्च करो. उधार लो, कर्ज करो. बड़ा मकान बनाओ, भले बूते से बाहर जाकर, बनाओ. यानि हर कदम पर समाज के मूल्यों का ध्यान रखो. तभी समाज में आपका और परिवार का मूल्य रह पायेगा.

पैसा, पद, खर्च और झूठी शान के इन सामाजिक मूल्यों पर खरा उतरने के झंझट में ही आज राजस्थान का औसत परिवार उलझा हुआ है. हम सब यह बात अच्छे से जानते हैं. इनके उलट आज का राजस्थानी समाज ज्ञान, कला, बचत और सादगी का मूल्य कम करता है. नहीं के बराबर. आप कितना ज्ञानवान हो, किस कला के पारखी हो, कितनी बचत करते हो या कितनी सादा जिन्दगी जीते हो, इससे समाज के अधिकतर लोगों को कोई वास्ता नहीं होता. यह वास्ता दिनोंदिन और कम ही होता जा रहा है.

पर इन मूल्यों का आर्थिक विकास से क्या ताल्लुक? बहुत ताल्लुक है. इन मूल्यों के अनुसार ही समाज में व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन संचालित होता है. ये मूल्य ही हमारी प्राथमिकताएँ तय करते हैं. इनके अनुसार ही सामाजिक परम्पराएँ बनती हैं, इनके अनुसार ही परम्पराएँ कुरीतियाँ बन जाती हैं. ये मूल्य ही तय करते हैं हमारी कमाई का क्या करें. हम कितना और कहाँ खर्च करें. बचत करें या उड़ायें. अपने परिवार की शिक्षा-स्वास्थ्य और रहन सहन पर ध्यान दें या सामाजिक समारोह में सारी कमाई उंड़ेल दें. हमारे समारोह या हमारे काम सादगी से ओतप्रोत हों या झूठी शान से.

ये मूल्य ही तय करते हैं कि नैतिकता पर रहा जाये या अनीति को अपनाने में कोई बुराई नहीं है. कानूनन कमायें या कानून तोड़कर. व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता, सामाजिक प्राणी है. समाज कहेगा, वैसे ही उसे करना होगा. वैसे ही उसे रहना होगा. उसे कितनी भी शिक्षा दिलाओ, कैसे भी उपदेश दो, समाज के मूल्यों के विपरीत कम से कम राजस्थान में तो नहीं जा सकता. अपवाद होंगे, पर नगण्य.

आज राजस्थान के समाज में अक्सर कमाई से ज्यादा खर्च हो रहा है. पूँजी बच नहीं रही है, कर्जे बढ़ रहे हैं. परिवार में विकास की सोच ही नहीं बन पाती है. इन परिवारों का जोड़ ही तो राजस्थान है. नतीजन राजस्थान में भी पूँजी नहीं बन पाती है. पूँजी के अभाव में आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है. उधार लेकर कितना और क्या विकास होगा? साथ ही साथ इन मूल्यों के लिए बेईमान होने की होड़ में भ्रष्टाचार भी सभी सीमाएं लाँघ चुका है. यानि एक तो कमाई कम, पूँजी कम और ऊपर से बेईमानी. आर्थिक विकास कैसे होगा? अभिनव राजस्थान ही एक समाधान है, स्थाई समाधान. कैसे? पुनः सही सामाजिक मूल्य स्थापित करके. आगे के अध्याय एक एक परत खोलेंगे. प्रेम से.

अभिनव समाज,
राजस्थान के आर्थिक विकास को समर्पित समाज.

अभिनव राजस्थान में आर्थिक विकास की जमीन समाज ही होगा- अभिनव समाज. हमारे विकास की कहानी यहीं से शुरू होगी और यहीं आकार समाप्त होगी. समृद्धि के बीज समाज की जमीन में ही बोये जायेंगे और जमीन में ही इसके फल गिरेंगे. लेकिन पहले समाज की जमीन को जनजागरण से तैयार करना होगा. जनजागरण का हल चलाना होगा, फिर सकारात्मकता की गर्मी देनी होगी. इस गर्मी से ही खरपतवार मिटेगी. निराशा और नकारात्मकता की खरपतवार. जब जनजागरण और सकारात्मकता से समाज की जमीन तैयार होगी, तब इस जमीन में जिम्मेदारी से विकास के उन्नत बीज बोये जायेंगे. इतना करने पर फसल को शानदार होना ही पड़ेगा. वरना अभी तो हम बिना समाज की जमीन को तैयार किये घटिया बीज बो रहे हैं, गैरजिम्मेदाराना तरीके से. ऐसे में विकास की फसल से ज्यादा खरपतवार दिखाई देती है, हर तरफ. यानि जनजागरण, सकारात्मकता और जिम्मेदारी का भाव और विकास के बीज. ये पहलू हैं हमारे अभिनव विकास के. यह कैसे होगा?

अभिनव समाज की रचना के लिए हम आठ काम मुख्य रूप से करेंगे. सही सामाजिक मूल्यों की स्थापना करेंगे, सामाजिक समारोहों का सरलीकरण करेंगे, इनसे हुई बचत से पूँजी निर्माण करेंगे, विकास की सोच का सृजन करेंगे, अवसरों की समानता सुनिश्चित करेंगे , सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, मानव गरिमा का सम्मान करेंगे और अपराधों पर अंकुश लगायेंगे.

सबसे पहले हम वर्तमान में स्थापित हो गए गलत मूल्यों को बदलेंगे. पैसे, पद, खर्च और दिखावे की तुलना में समाज में ज्ञान, कला, बचत और सादगी के मूल्यों को अधिक महत्व देंगे. अब समाज में आपको आपके ज्ञान से तौला जायेगा, केवल पैसे से नहीं. आप लेखक हैं, शिक्षक हैं, कवि हैं तो मोहल्ले और गाँव में आपकी प्रतिष्ठा किसी धनपति से कम नहीं होगी. आप संगीतकार हैं या चित्रकार हैं तो गाँव और शहर में आपका सम्मान होगा. आप समारोहों के मुख्य अतिथि होंगे.

इन सामाजिक मूल्यों को, सोशल वेल्यूज को बदलने से हमारे सामाजिक समारोहों के रंग बदल जायेंगे, ढंग बदल जायेंगे. अब हमारे समारोह शास्त्रों के अनुसार होंगे, वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार होंगे पर दिखावे और अनावश्यक खर्च से दूर होंगे. सादगी हमारा मंत्र होगा. विवाह होगा, तो आनंद से होगा पर उसमें फिजूल के खर्चे नहीं होंगे. किसी परिजन की मौत पर मिठाइयाँ खाते लोग नहीं मिलेंगे. क्रियाकर्म सादगी से होंगे. मेहमान होंगे पर निकट के रिश्तेदार और मित्र होंगे, हर कोई जान पहचान वाला नहीं बुलाया जायेगा. यानि सामाजिक समारोह 'सामाजिक' होंगे, पारिवारिक होंगे, सार्वजनिक नहीं होंगे.

समाज में अनावश्यक खर्च को कम करके ही हम नहीं रुकेंगे. हम इस बचत को खातों में जमा करने का माहौल बनायेंगे. जब यह बचत जमा होने लगेगी तो पूँजी बननी शुरू होगी. पूँजी ही किसी परिवार को आगे बढ़ाती है. इसके बिना उधार और कर्ज की जिन्दगी होती है. उस जिन्दगी में आर्थिक विकास नहीं होता है. अभिनव राजस्थान में हमारे खातों में पूँजी के भंडार होंगे. राजस्थान के बैंकों के पास पैसे छलकेंगे. राजस्थान सरकार के खजाने में बड़ी रकम होगी. देश में सबसे ज्यादा.

जब पूँजी हमारे पास होती है तो विकास करने की सोच बन सकती है. पूँजी होने से ही यह सोच बन जाती है, ऐसा भी नहीं है. पर पूँजी हो तो विकास के लिए सोचने के लिए माहौल बनाया जा सकता है. बिना पूँजी के यह संभव नहीं है. कितनी भी ऊंची ऊंची बातें करो. तब कोई भी विकास की बात 'बड़ी' लगती है, असंभव लगती है, पराई लगती है. चाहे आप स्टार्टअप कहो या आप भारत निर्माण कहो. पूँजी पास हो तो ही विकास की बातें जंचती हैं, उन्हें मानने को मन करता है. अभिनव राजस्थान में हम समाज में पूँजी बचाकर समाज को आर्थिक विकास के लिए मन से तैयार करेंगे.

अब कुछ लोगों के पास बहुत सी पूँजी जमा हो जाये तो भी अभिनव राजस्थान का अभिनव समाज नहीं बनेगा. अभिनव राजस्थान बनेगा, अवसरों की समानता से. पूँजी कम ज्यादा हो सकती है पर पूँजी प्राप्त करने के अवसरों में समानता से ही समाज असल में समृद्ध बनता है. गुजरात में कुछ कुछ ऐसा है, कुछ योरोप के देशों में ऐसा है. तभी तो उन समाजों में शांति है. होनी भी चाहिए, तभी विकास का कोई अर्थ होगा. अभिनव राजस्थान के समाज में सभी परिवारों को, सभी व्यक्तियों को एक हद तक आगे बढ़ने के अवसर समान रूप से मिलेंगे. पढ़ने के, इलाज के, कुछ मूल अवसर सभी को मिलेंगे. स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों और बैंकों के माध्यम से. जिसकी योग्यता ज्यादा होगी, वह ज्यादा आगे बढ़ जायेगा.

अभिनव समाज में सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी का भी पूरा इंतजाम होगा. किसी भी परिवार के साथ कोई अकस्मात दुर्घटना हो जाने पर या कोई गम्भीर बीमारी हो जाने पर उसे अकेला नहीं छोड़ा जायेगा. समाज और शासन मिलकर उस परिवार की पूरी सहायता करेगा. उस पर कोई 'मेहरबानी' नहीं होगी, बल्कि उसे अधिकारपूर्वक उस स्थिति से निपटने का अवसर दिया जायेगा.

मानवमात्र की गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी अभिनव समाज में महत्वपूर्ण होगी. अब राजस्थान का कोई भी परिवार किसी भी धनबल या भुजबल के आगे सिसकियाँ नहीं भरेगा. अब कोई भी महिला, वृद्ध या बच्चा अपनी गरिमा को तार तार होते नहीं देखेगा. कानूनों की सीमा में रहकर प्रत्येक राजस्थानी व्यक्ति शान से घूमेगा, शान से अपनी बात कहेगा. उसे बेइज्जत करने का हक़ किसी को नहीं होगा.

वहीं अभिनव समाज में अपराध भी कम होंगे, बहुत कम. अपराध मानव समाज से ख़त्म तो नहीं हो सकते पर कम किये जा सकते हैं. अभिनव समाज यह काम सलीके से कर लेगा. हमारे पास इसकी पूरी योजना तैयार है. आगे इस पर विस्तार से.

अभिनव समाज बनाने के लिए, हमारी स्पष्ट कार्यनीति.

पीछे जिस अभिनव समाज की हमने बात कही है, जिस नई सामाजिक व्यवस्था की बात कही है, उस समाज का, उस व्यवस्था का निर्माण हम कैसे करेंगे? यह पहला सवाल होगा. क्या हम कोई कठोर शासन लागू करके कानूनों से इस समाज का निर्माण कर देंगे? क्या समाज में कुछ 'उदाहरण' प्रस्तुत करके बाकी समाज को भी उनका अनुसरण करने को कहेंगे? या उपदेश देकर, प्रचार प्रसार से, हम समाज को बदलाव के लिए तैयार कर देंगे? या शिक्षा के प्रसार से समाज बदलेगा?

नहीं जी. ये चारों तरीके अजमाकर देख लिए गए हैं. चारों ही असफल हुए हैं. अंग्रेजों ने कठोर कानून बनाये, हमारे संविधान में भी समाज के बदलाव पर बहुत कुछ लिखा गया पर समाज नहीं बदला. उपदेश भी खूब दिए गए, कई संप्रदाय भी इस काम में लगे, सरकारों ने प्रचार प्रसार पर खूब खर्चे किये पर समाज वैसा नहीं बन पाया जैसी कल्पना सभी ने की थी. शिक्षा भी बेअसर रही. उल्टे समाज की परम्पराएँ भद्दा रूप लेती गईं और समाज में जहर, अश्लीलता, असहयोग, बंटवारे और दिखावे पनप गए.

देखिये न, आज के राजस्थानी समाज में रिश्तों की गरिमा कितनी कम हो गई है. 'सुख में सुमिरन सब करे' ही रह गया है, दुःख पड़ने पर कोई नजदीक नजर नहीं आता है. भाई भाई के बीच जहर है, सामाजिक वर्गों (जातियों) के बीच खाइयां बढ़ रही हैं. 'सामाजिक समारोह' अब 'सार्वजनिक' हो चले हैं, हर पहचान वाला भी जीमने चला आता है. दिखावा चरम पर है और यह झूठी शान आम परिवार की गाढ़ी कमाई चूस जाती है. समाज अश्लीलता से इतना भर गया है कि आँखों की शर्म मरने लगी है.

ऐसे दिग्भ्रमित समाज को बदलना इतना सीधा काम नहीं है, जितना बुद्धिजीवी समझते हैं. लेकिन यह इतना मुश्किल भी नहीं है, जितना कुतर्कशास्त्री या निराशावादी जताते हैं. हकीकत तो यह है कि राजस्थान का समाज बड़ा बदलाव चाहता है. नब्बे प्रतिशत परिवार बदलाव चाहते हैं. वे वर्तमान व्यवस्था से तंग आ चुके हैं. हर छोटे बड़े मंच पर, चौपाल पर यह बात होती है पर बात ही होती है!

असल में समाज का एक व्यक्ति या एक परिवार बदलाव से डरता है. उसे लगता है कि वह अकेला पड़ जाएगा, समाज से अलग थलग हो जायेगा. उसकी हिम्मत नहीं होती है. अगर सब बदलाव करें तो ही वह कर पायेगा. लेकिन समाज की और बाजार की वर्तमान व्यवस्था में मौज कर रहे दस प्रतिशत परिवार इस बदलाव का भारी विरोध करते हैं. वे अपनी झूठी शान दिखाकर वर्तमान व्यवस्था में खुश हैं. उनका यह कुप्रभाव गजब का है, बाध्यकारी है. उनसे पंगा लेने की हिम्मत बाकी नब्बे प्रतिशत की नहीं है. बात यहीं फंसती है. जब भी ऐसा प्रयास होता है तब ऐसा ही हो जाता है और निराशा फैलती है.

इसलिए ऐसा नहीं कि कोई कानून बना दे या प्रवचन दे दे और राजस्थान का समाज बदल जायेगा. इस बदलाव के कई पेंच हैं. हमें समाज के वर्तमान मानसिकता को समझना होगा, साइकोलॉजी को समझना होगा. हमने धरातल पर इस विषय पर खूब काम किया है, विषय का गहन अध्ययन किया है, चर्चाएँ-बैठकें की हैं और वे सूत्र जुटाए हैं जो अभिनव समाज की रचना कर देंगे. अभिनव समाज की रचना अभिनव राजस्थान में कैसे होगी? क्या हमारी कार्यनीति रहेगी? कैसे हम उस पर आगे बढ़ेंगे?

सबसे पहले हम वर्तमान समाज को विश्वास में लेंगे. इसके लिए हम समाज के संगठनों की बैठकें बुलाएंगे. पहले जयपुर में और फिर जिलों में अभिनव राजस्थान के शासन द्वारा सभी सामाजिक वर्गों (जातियों) के संगठनों और प्रमुख लोगों की बैठकें बुलाई जायेंगी. सबसे यह पूछा जायेगा कि अपने अपने समाजों में वे किन परिवर्तनों को आवश्यक समझते हैं. अभिनव शासन के जिम्मेदार लोग इन बैठकों में अभिप्रेरक की भूमिका में रहेंगे. इन बैठकों का व्यापक प्रचार होगा, हर मीडिया के माध्यम से.

इन बैठकों के विषय क्या होंगे? पहला यह कि सामाजिक समारोहों का आयोजन कैसे हो. भोजन कैसा बने, कितने लोगों को बुलाया जाये, किन अनावश्यक खर्चों को कम किया जाये, समारोह की गरिमा कैसे रखी जाये. दूसरा यह कि समाज में महिलाओं की गरिमा कैसे सुरक्षित हो, कैसे उनको सुरक्षित होने का अहसास दिलाया जाये. तीसरा यह कि समाज के किसी परिवार पर आफत आये तो उसे कैसे सहयोग किया जाये. समाज क्या करे और शासन क्या करे. चौथा यह कि साझे निर्णयों की अवहेलना करने वालों के साथ क्या व्यवहार किया जाये. इन चार विषयों को छूने से हमारे लिए आवश्यक बदलाव का मार्ग प्रशस्त हो जायेगा.

इन बैठकों के साथ ही व्यापक स्तर पर यह बात आम जनता को भी बताई जाएगी कि सामाजिक समारोहों में अवांछित खर्च करने से परिवारों को कितना आर्थिक नुकसान होता है. आर्थिक पक्ष समझाना और बताना जरूरी है. केवल कुरीति-कुरीति के गीतों से बात जमेगी नहीं. साथ ही इन परम्पराओं का मूल धार्मिक आधार भी खुलकर बताया जायेगा. महिलाओं के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा पर भी व्यापक चर्चा होगी. लेकिन सभी सामाजिक वर्गों (जातियों) से एक साथ बात होगी तो ही मामला जमेगा. एक वर्ग में किसी परिवर्तन का असर दूसरे वर्ग पर पड़ना आवश्यक नहीं है.

अभिनव राजस्थान में छः महीने में ये चर्चाएँ, ये बैठकें हो जायेंगी. इनसे बदलाव के लिए जनमत बनेगा. वरना बिना जनमत के कोई फैसले ले भी लिए जायेंगे तो उनको लागू नहीं किया जा सकेगा. किसी भी कानून से लागू नहीं किया जा सकेगा. इस सामाजिक जनमत को बनाने में अभिनव शासन बढ़ चढ़कर भाग लेगा. ऐसा नहीं कि यह तो समाज का विषय है. शासन को इससे क्या. समाज के साझे निर्णयों को लागू करने में भी शासन समाज के साथ खड़ा होगा. तभी बात बैठेगी.

जनमत बनने के बाद अभिनव समाज एक वर्ष के भीतर बन जायेगा. पक्का, दौड़ते-दौड़ते, राजी राजी.

अभिनव विवाह,
विवाह आनंद का विषय होगा, परेशानी का नहीं.

कई बार चीजें समय के साथ इतनी उलझ जाती हैं कि अपना मूल अर्थ ही खो देती हैं, मूल भाव खो देती हैं. जैसे धर्म का घृणा से क्या सम्बन्ध! जैसे शिक्षा का अभद्रता से क्या सम्बन्ध! जैसे लोकतंत्र का शोषण से क्या समबन्ध! वैसे ही राजस्थान के समाज में अब औसत परिवार के लिए विवाह परेशानी का संकेत बन गया है. विवाह से परेशानी का क्या सम्बन्ध? बेटे या बेटी का विवाह करना है तो आज आम राजस्थानी परिवार इस समारोह से जुड़े आर्थिक पहलुओं पर पहले सोचता है. कई बरसों पहले सोचना शुरू हो जाता है कि विवाह के खर्च का इंतजाम कैसे करना है. विशेषकर बेटी के विवाह का तो ध्यान आते ही माथे पर शिकन शुरू हो जाती है. कहाँ से कहाँ आ गया है समाज?

जो विवाह समारोह कभी परिवार में आनंद का विषय होता था, वह अब परिवार के लिए परेशानी का विषय कैसे हो गया? ऐसा कब से हुआ है? जनाब, विवाह परेशानी का सबब अभी कुछ दशकों से ही बना है. ज्यादा पुरानी बात नहीं है. अभी अभी चालीस-पचास साल में ही यह हुआ है. इससे पहले तो विवाह का कार्यक्रम एक सप्ताह में भी बन जाता था. अब इसके इंतजाम के लिए कई साल पहले सोचा जाने लगा है. क्योंकि अब इसका आर्थिक पक्ष औसत परिवार पर भारी पड़ने लगा है. अब परिवारों की कमाई और विवाह के खर्च में गैप, दूरी बढ़ चली है. इसलिए परेशानी है.

विवाह को परेशानी बनाने में समाज के 'कुछ' पैसे वालों का सबसे बड़ा हाथ है, खासकर अभी अभी 'पैसे वाले' बने लोगों का. उन लोगों ने अपना पैसा दिखाने को, अपनी शान दिखाने को विवाह और अन्य समारोहों को अनावश्यक रूप से बड़ा बनाना शुरू कर दिया. नए नए विषय विवाह में जोड़ दिए. वे विषय जो पहले नहीं थे. बड़े बड़े टेन्ट, स्टेज, बड़ी बारातें, खूब सारा सोना, नकद लेन देन. जो मन में आया. धनी लोगों के ये चोचले समाज में 'परम्परा' का रूप ले लेते हैं. कुरीतियाँ ऐसे ही तो बनती हैं.

बाकी के अधिकतर लोग क्योंकि इसी समाज में रहते हैं तो उनको भी इन्हें फॉलो करना पड़ता है. मजबूरी में ही सही पर 'गलत' रास्ते पर भी चलना पड़ता है. छोटे स्तर पर ही सही. पर उनको यह छोटा स्तर भी बहुत भारी पड़ जाता है. बिल्ली का मजाक चूहे पर भारी पड़ता है, ठीक वैसे ही समाज का कम पैसे वाला तबका मजबूरियों में सिसकते हुए भी इन कुरीतियों को निभाता है. कर्ज लेकर भी, जमीन बेचकर भी, जमीर बेचकर भी. इतने बुरे फंस गए हैं वे इस जाल में कि इससे बाहर आना चाहकर भी नहीं आ पा रहे हैं. हिम्मत नहीं हो रही है. शिक्षा वीक्षा कुछ काम नहीं आ रही है. न कोई कानून काम आ रहा है. समाज नाम की अजीब सी शक्ति के डर से. अब अभिनव राजस्थान ही उन्हें मुक्त करेगा.

अभिनव राजस्थान में हम विवाह को उसके मूल सांस्कृतिक रूप की तरफ ले जायेंगे और इस महत्वपूर्ण संस्कार को गरिमा के साथ पूरा करवाएंगे. हम विवाह को पुनः सादा, सुन्दर और आनंददायक बनायेंगे. अभिनव समाज में विवाह आम परिवारों के लिए परेशानी का विषय न होकर पुनः आनंद का विषय हो जायेगा. सादगी से विवाह करना एक फैशन बन जायेगा. गर्व का विषय हो जायेगा.

लेकिन यह केवल शिक्षा से, प्रचार-प्रसार से या उपदेश देने से नहीं होगा. अकेला परिवार कभी भी हिम्मत नहीं कर पायेगा. यह सामाजिक, मानसिक हकीकत हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए. समाज की लीक को छोड़कर चल सके, यह एक औसत परिवार के लिए संभव नहीं होगा. वह ऐसा करके अपनी 'इज्जत' कम नहीं करना चाहेगा. उसे 'लोग क्या कहेंगे' का डर है तो है. इसलिए हमें उसे हिम्मत दिलाने के लिए बड़े स्तर पर माहौल बनाना होगा. ताकि उसे सादा विवाह करने की सामाजिक स्वीकृति मिल जाये.

इसके लिए हम क्या करेंगे अभिनव राजस्थान में? जैसा कि हमने पिछले अध्याय में हमारी कार्यनीति में बताया कि हम राजस्थान में बड़े स्तर पर एक साथ सभी सामाजिक वर्गों को तैयार करेंगे कि वे विवाह को पुनः सादा, सुसंस्कृत और गरिमामय बनाएं. हमारा फोकस तीन बातों पर होगा.

सबसे पहली बात यह कि हम विवाह संस्कार के उस भाग को ज्यादा महत्व का बनायेंगे जो सबसे अधिक महत्व का है. वह है- अग्नि के समक्ष फेरे या निकाह. असल विवाह यही तो है, जिसके गवाह आजकल विवाह समारोहों के मेहमान नहीं बनते हैं. हम विवाह की इस इवेंट को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बनायेंगे. तभी इस संस्कार की धार्मिक प्रतिष्ठा पुनः स्थापित होगी. अभी मुख्य इवेंट या घटना विवाह में क्या है? भोजन ! प्रीतिभोज ! जैसे विवाह का मतलब है - सामूहिक भोज.

दूसरे, हम विवाह में भाग लेने वाले मेहमानों की संख्या कम करेंगे. अब विवाह में हमारे घर परिवार के लोग, हमारे निकट रिश्तेदार, अभिन्न मित्र और मोहल्ले वाले लोग ही भाग लेंगे. यह संख्या कम होते ही आधा झंझट ख़त्म हो जायेगा. यानि हम विवाह को पुनः पारिवारिक या सामाजिक बनायेंगे. अब यह सार्वजनिक समारोह नहीं होंगे. हर पहचान वाला व्यक्ति अब मेहमान नहीं होगा. यहाँ बता दें कि हम सामूहिक विवाहों के बिल्कुल पक्ष में नहीं हैं. सामूहिक विवाह समाधान नहीं है, गरीब परिवारों की मजबूरी का माखौल है. असली समाधान विवाह को सादा बनाना है.

तीसरे, हम अभिनव विवाह में अनावश्यक आइटम्स पर खर्च को कम करेंगे. भोजन में कोई एक ही मिठाई होगी तो लेन देन में भी बहुत ही सीमित संख्या में वस्तुएं होंगी. इस फिजूल खर्च की बजाय हम लड़के-लड़की के खाते में पैसे जमा करवाने पर ज्यादा जोर देंगे ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो. लेकिन आख़िरी फैसला हमारे विभिन्न सामाजिक वर्गों के संगठन ही लेंगे ताकि उसे लागू करना आसान हो. शर्त एक ही होगी कि खर्च परिवार के बूते से बाहर न हो. विवाह आनंद का विषय तभी बनेगा.

मौत का जश्न (मृत्युभोज), नहीं होगा अभिनव समाज में.

कभी कभी हमारे आसपास कई अजीब चीजें घटती हैं, पर अजीब नहीं लगती हैं. वक्त के साथ हम इनके इतने आदी हो जाते हैं कि इन्हें बुरा मानना ही भूल जाते हैं और उल्टे उस बुराई में भाग लेने लगते हैं, उसका महिमामंडन भी करने लगते हैं. ऐसी ही एक बुराई है- मृत्युभोज. किसी परिजन की मृत्यु हो जाने के उपलक्ष्य में किया जाने वाला सामूहिक भोज. मौत का भी जश्न? सभ्य समाज में?

जी हाँ, राजस्थान के अधिकतर भागों में मौत का यह जश्न जारी है. उत्तरी राजस्थान के एक दो जिलों को छोड़कर. कहीं पर मौत के बारह दिन के बाद, कहीं पर कई दिन तक और कहीं तो मृत्यु हो जाने के दिन से ही सामूहिक भोज शुरू हो जाता है. असभ्यता की चरम सीमा पर लोग मृत व्यक्ति की याद में मिठाइयाँ खाते हैं, कई जगह अफीम खाते हैं. असभ्यता तो हम कह रहे हैं, पर उनके माने अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप असभ्य हैं, असामाजिक हैं! इतने वर्षों की शिक्षा दीक्षा के बाद भी राजस्थान का समाज ऐसे फूहड़ आयोजनों में तल्लीनता से व्यस्त है. अचरज होना चाहिए.

पर आखिर किसी की मौत पर भी यह सामूहिक भोज क्यों होता है? कोई धार्मिक आधार है इसका? नहीं जी, इस सामूहिक भोज का कोई धार्मिक आधार नहीं है. मूल संस्कार तो यह था कि मृत व्यक्ति की आत्मिक शान्ति के लिए कुछ क्रियाकर्म करने होते हैं. हिन्दू धर्म और सभी सम्प्रदायों में एक जैसे ही विधान हैं. बारह दिनों तक शोक संतप्त परिवार के घर पर खाना नहीं बनता है और मृत व्यक्ति के घर पर भोजन करना भी हराम माना गया है. ऐसे में पड़ोसी अपना धर्म, कर्तव्य निभाते हुए बारह दिन तक उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं. अगले दिन इस घर में यज्ञ होता है और सगे संबंधी और मोहल्ले वाले लोग इस घर की रसोई शुरू करवाते हैं. इस सीमित भोजन में यज्ञ करने वाले पुरोहित, घर वाले और कुछ बाहर से आये निकटतम रिश्तेदार शामिल होते हैं.

मूल परम्परा तो यही है और इधर राजस्थान में चालीस-पचास वर्ष पहले ऐसा ही रंग ढंग था. हाँ, कुछ पैसे वाले लोग अपनी शान दिखाने को तमाशे जरूर करते थे, पर आमजन के घर पर यह संस्कार अत्यंत सादगी से होता था. परन्तु वक्त के साथ दिखावे की बीमारी ने इस संस्कार को भी अपने लपेटे में ले लिया. शोक के अवसर पर भी कुछ पैसे वालों के दिखावे ने नई गंदी परम्परा का रूप ले लिया है. अब जब यह चलन आम हो गया है तो कोई भी अकेला परिवार इससे बचने की हिम्मत कैसे करे? नतीजतन इतने बरसों की शिक्षा के बाद भी राजस्थान में मौत का यह जश्न असभ्यता की सभी सीमाएं पार करता जा रहा है. बेशर्मी से लोग मरे हुए व्यक्ति के घर पर मिठाइयाँ खाते हैं.

जब तब मृत्युभोज को रोकने की कोशिशें भी होती हैं पर बाजार की ताकतों और ब्याज व भूमाफियाओं के आगे ये कोशिशें बौनी पड़ जाती हैं. इन अदृश्य माफियाओं के साथ में कई कुतर्कशास्त्री भी मृत्युभोज को सही, जायज ठहराने का काम रात-दिन करते हैं. वे अपने कुतर्कों का प्रचार इतनी तेजी से करते हैं कि उनके सामने दबी आवाज में मूल धार्मिक आधार की बात का असर ही नहीं होता है. पूरे राजस्थान में उनके कुतर्क समान होते हैं. कुतर्कों के मामले में उनमें गजब की एकता है!

पहला कुतर्क तो यह कि बेचारा मृत व्यक्ति उम्र भर परिवार के लिए कमाकर गया है तो उसके मरने के बाद 'कुछ' न किया जाये तो उसके साथ कितना अन्याय है. इस 'कुछ' करने में वे केवल मृत्युभोज को ही शामिल करते हैं. स्कूल में या समाज या गाँव के किसी भवन में कमरा बनवाना, पेड़ लगवाना, बेटियों-पोतियों-नातियों के खातों में कोई राशि जमा करवाना या उनकी याद में प्रतिभाओं के लिए कोई पुरस्कार या रक्तदान जैसे काम उस 'कुछ' करने में शामिल नहीं होते हैं.

दूसरा कुतर्क उनका यह होता है कि घर पर कोई 'मेहमान' आता है तो उसे भूखा कैसे भिजवायें. यह राजस्थान की मशहूर अतिथि परम्परा के विरुद्ध है. इस कुतर्क में वे काफी भारी पड़ जाते हैं! अपने कुतर्कों से वे महिलाओं और बुजुर्गों को ज्यादा प्रभावित करते हैं. ऐसे में घर का कोई सदस्य सुधार के लिए विद्रोह करना भी चाहता है तो उसका स्वर दबाया दिया जाता है.

मृत्युभोज की इस कुरीति का आर्थिक नुकसान औसत परिवारों को बहुत अधिक होता है. साधारण से संस्कार को उलझाकर उसे इतना महंगा बना दिया गया है कि इस 'जिम्मेदारी' से आम परिवार की कमर टूट जाती है. इस झूठी 'इज्जत' को बचाने के लिए कई बरसों में खेती, पशुपालन, व्यापार या मजदूरी से जुटाया गया पैसा लुट जाता है और 'मानव' भी मूक प्राणियों की तरह अपना 'शोषण' होते देखते हैं. कर्जे लेते हैं, जमीन-जमीर बेचना पड़ता है. एक तो विवाह और दूसरा यह मृत्युभोज, राजस्थान के औसत परिवारों के रहन-सहन, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है. यानि बच्चों की शिक्षा और रोजगार को पहली प्राथमिकता न देकर समाज में झूठी 'इज्जत' को बचाना उनका लक्ष्य होता है. ऐसे में होनहार बच्चों के सपने समाज की कुरीतियों के बोझ के नीचे दब जाते हैं. हम यह 'अन्याय' रोकेंगे.

अभिनव राजस्थान में हम मृत्युभोज को कैसे रोकेंगे? कानून से तो यह रुकेगा नहीं. जब समाज के अधिकतर लोग इसमें भाग ले रहे हैं तो कानून निरर्थक हो जाता है. इसलिए हम सभी सामाजिक वर्गों (जातियों) की बैठकों से ही हल निकालेंगे. जैसा हमने पीछे बताया है, अभिनव राजस्थान में हम मृत्युभोज के खिलाफ एक सामाजिक सहमति बनायेंगे. प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर बैठकों और चर्चाओं के बाद इन संगठनों से ही फैसले करवाएंगे. समाधान निकल जायेगा. माहौल बनने की देर है. सभी परिवार तैयार हैं. आम सहमति की दरकार है. वह हम बना देंगे.

अभिनव सामाजिक मूल्य, जो देंगे विकास को नए आयाम.

किसी भी मानव समाज में औसत लोग जिन बातों को, जिन कामों को, जिन चीजों को महत्व देते हैं, मूल्य देते हैं, वेल्यु करते हैं, वे होते हैं सामाजिक मूल्य. समाज की तरफ से आँका गया महत्व या मूल्य है सामाजिक मूल्य. ये मूल्य ही किसी समाज के स्वरुप को तय करते हैं. इन मूल्यों से ही समाज की दिशा तय होती है, इनसे ही समृद्धि का मार्ग बनता है. और अगर कुछ गलत चीजों का सामाजिक मूल्य बढ़ जाये या प्राथमिकता उल्टी सीधी हो जाये तो परिणाम उल्टे भी आ सकते हैं!

ये मूल्य हमारी संस्कृति से आते हैं. हमारी संस्कृति इन्हें तय करती है, समाज के लिए. भारतीय संस्कृति में सत्य, अहिंसा, परमार्थ, सेवा, ज्ञान, कला, सादगी आदि मूल्य सदियों से बताए गए हैं. समय के साथ जब भी इन मूल्यों में बदलाव आ जाता है तो समाज में महापुरुष बार बार इन मूल्यों को दुरुस्त करने आते रहे हैं. महावीर, बुद्ध, दयानन्द और अनेक महापुरुषों और उनके सम्प्रदायों ने सामाजिक मूल्यों को बदलने का प्रयास किया है. उनके प्रयास सफल भी हुए हैं. पर फिर बदलाव आ जाते हैं. यह चलता रहा है और चलता रहेगा. जब तब हिंसा, धन, वैभव (शानोशौकत) या छलकपट (राजनीति!) का सामाजिक मूल्य बढ़ाने के लिए कई निजी स्वार्थ सक्रिय हो जाते हैं. इनके महिमा गाने के लिए बुद्धिजीवी भी मिल जाते हैं जो शब्दों के जाल से, कुतर्क से इन मूल्यों को समाज में स्थापित करने में लग जाते हैं. वे फिर किसी न किसी 'वाद' को स्थापित करके सफल हो जाते हैं.

हमारे लिए अभिनव राजस्थान के निर्माण में यह विषय इसलिए आता है क्योंकि हम समाज को आर्थिक विकास का मूल आधार मानते हैं. समाज को विकास की जमीन मानते हैं. और समाज के आधार में सामाजिक मूल्य हुआ करते हैं. जैसे ये मूल्य होंगे, वैसा ही समाज होगा. इसलिए हमें यह पता करना जरूरी है कि बदले हुए सामाजिक मूल्य हमारी विकास यात्रा में कितने और कैसे बाधक बने हुए हैं. इनकी जगह मूल और शाश्वत मूल्यों को हमें पुनर्स्थापित करना होगा. तभी हम सफल यात्रा की तरफ बढ़ेंगे.

यहाँ राजस्थान में भी इतिहास की करवटों ने इन सामाजिक मूल्यों में बड़े बदलाव किये हैं. कभी पीछे के समय में कला और ज्ञान की तूती बोलती थी. ओसियां का मंदिर हो या माउन्ट आबू या रणकपुर के जैन मंदिर. वैसी कृतियां अब बन नहीं पा रही हैं. कपिल मुनि जैसे दार्शनिक हमारे यहाँ हुए हैं तो कवि माघ और महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त भी यहाँ हुए हैं. तब समाज में समृद्धि भी थी. समृद्धि सुन्दर भी थी. बात गहरी है. यानि कला और ज्ञान का जब सम्मान राजस्थान में था तो राजस्थान समृद्ध था.यह समृद्धि कुरूप नहीं थी, सुन्दर थी. जब यह सम्मान कम हुआ तो पासा पलट गया!

यह पासा तब पलटा जब बाहर से लोग यहाँ शासन करने चले आए. उनकी अपनी संस्कृति थी और उनके अपने सामाजिक मूल्य थे. वे तुर्क थे, मुग़ल थे, अंग्रेज थे. शासक वर्ग हमेशा यही चाहेगा कि वह जो सोचे, जनता वैसा सोचे, वह जिसे माने, जनता उसे माने. राजस्थान में यह सब एक हजार वर्ष तक चला. कम नहीं होता है यह समय. इस लम्बे समय में हमारे मन में गहरा बैठ गया कि हमारे सामाजिक मूल्यों में दम नहीं है, बैठ गया कि कला और ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है. महत्वपूर्ण है तो पैसा, महत्वपूर्ण है तो 'राज' में हिस्सा. अब यह पैसा और राज में हिस्सा किसी भी तरह मिले तो समाज बुरा नहीं मानेगा ! इस नई मानसिकता में हम एक हजार साल जीए हैं तो आज भी जी रहे हैं. असर कायम है.

आज भी हम एक चुने हुए 'राजतंत्र' में ही तो जी रहे हैं. इस तंत्र में आज भी वही मूल्य समाज में बने हुए हैं जो राजतंत्र में थे. पैसे का, पद का सामाजिक मूल्य आज भी कला और ज्ञान से ज्यादा है. आपको धन इकट्ठा करना चाहिए, कैसे भी करें, पद पाना ही चाहिए, कुछ भी करके. तभी तो यह इतनी मारामारी है पैसे की, पद की. सभी प्रतिभाएं समाज की उधर भागी जा रही हैं. भागेंगी भी. जब समाज धन और पद का मूल्य ज्यादा दे रहा है तो हर कोई इन मूल्यों पर, इन वेल्यूज पर खरा उतरना चाहेगा !

फिर क्या समाज में पैसा और पद नहीं होने चाहियें? सब फ़कीर होंगे तो अच्छा रहेगा? नहीं जी. हमारा मतलब यह नहीं है. अभिनव राजस्थान में तो खूब सारा धन चाहिए हमें, हर परिवार के पास भी और राजस्थान के पास भी. अभिनव राजस्थान में पद भी होंगे, उनका सम्मान भी खूब होगा. लेकिन धन और पद का सम्मान ज्ञान और कला से अधिक नहीं होगा. धन होगा पर वह छलकपट से, चोरी से अर्जित नहीं होगा. समाज ऐसे धन को प्रतिष्ठित नहीं करेगा. पद होंगे, उनका सम्मान होगा पर वे 'जिम्मेदारी' होंगे, उनका दुरूपयोग नहीं हो पायेगा. न 'रौब' मारने के लिए और न पैसा कमाने के लिए.

वहीं अभिनव राजस्थान में ज्ञान और कला का अप्रतिम सम्मान होगा. लेखकों का, कवियों का, पत्रकारों का, शिक्षकों का, चिकित्सकों का, अभियंताओं का, अधिवक्ताओं का, संगीतकारों का, मूर्तिकारों का, चित्रकारों का सम्मान होगा. आपको अभिनव राजस्थान के मंचों पर ये लोग गाँव से लेकर जयपुर तक मुख्य अतिथि और अध्यक्ष बने हुए मिलेंगे. इन मंचों से इनके ज्ञान और कला का सामाजिक मूल्य स्थापित होगा. समाज के लिए किसी भी मायने में इनका मूल्य किसी आई.ए.एस. या आर.ए.एस. अधिकारी या किसी तहसीलदार-थानेदार या किसी धनी व्यक्ति या किसी विधायक-सांसद से कम नहीं होगा. तब कोई भी शिक्षक थानेदार या तहसीलदार नहीं बनेगा, तब कोई थानेदार या तहसीलदार धन से 'इज्जत' प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेगा. समाज ऐसे धन की इज्जत नहीं करेगा. तभी समाज सुन्दर होगा, तभी समाज असल मायने में समृद्ध होगा. तभी समाज भ्रष्ट आचरण से मुक्त होगा.

सामाजिक मूल्य बदलने से ही समाज भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, तभी आर्थिक विकास होगा.

मानव गरिमा, महिला सुरक्षा, अभिनव समाज में सुनिश्चित होंगे.

हम महिला सुरक्षा के विषय को थोड़ा विस्तार देकर इसे मानव गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी तक ले जाते हैं. तब समाज में असमानता, अन्याय, अत्याचार के पहलू भी शामिल हो जायेंगे. मूल बात मानव गरिमा की है. किसी भी सभ्य समाज में यह अपेक्षा की जाती है कि इसके सभी सदस्य एक दूसरे का सम्मान करें, उसकी गरिमा को कम न करें. तभी समाज में आनंद होता है, शांति होती है, समृद्धि होती है.

लेकिन अजीब लगता है कि आज भी राजस्थान में महिलाओं को, बालिकाओं को लगता है कि वे असुरक्षित हैं. महिलाएं घर की चारदीवारी से बाहर निकलते ही असहज हो जाती हैं. बाजार में, बस में, कॉलेज में, किसी समारोह में उनको यह डर लगा रहता है कि 'कुछ' हो न जाये. जबकि ऐसा नहीं है कि राजस्थान में रोज हर तरफ छेड़छाड़ हो रही है या बलात्कार हो रहे हैं. यदा कदा ऐसी घटनाएँ घटती हैं पर उन घटनाओं का सदमा इतना गहरा बैठा हुआ है कि निकलता ही नहीं. मां-बाप बेटी होने से इसी वजह से दुखी रहते हैं और जिनको बेटी नहीं होती है तो बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि चलो जीवन में झंझट नहीं है. यह हमारे सभ्य समाज होने के दावे पर बड़ा तमाचा है.

महिला असुरक्षा के कारण समाज को कई नुकसान उठाने पड़ रहे हैं. सबसे बड़ा नुकसान तो महिलाओं की कम होती संख्या है. यह असंतुलन बढ़ता जा रहा है. अब राजस्थान में शिशु लिंगानुपात या प्रति एक हजार बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या नौ सौ से नीचे है. इस कम संख्या का सबसे बड़ा कारण बेटी को पालने में असुरक्षा का बोध ही तो है. दहेज दूसरा कारण है. मूल कारण यह असुरक्षा है.

दूसरे, इस असुरक्षा के कारण बच्चियों की पढ़ाई रुक रही है. विशेषकर ग्रामीण अंचल में बालिकाएं कक्षा दस से आगे सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ पाती हैं कि 'दूर' स्कूल में आना जाना असुरक्षित है. होनहार बच्चियों के सपने इस असुरक्षा के नीचे दब जाते हैं. वे सिसकती रह जाती हैं पर मां-बाप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं. उनके लिए बच्ची की सुरक्षा और 'इज्जत' पहले है. होनी भी चाहिए. जबरदस्ती उनको बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का 'ज्ञान' देने वालों को इस गहरे पहलू की समझ नहीं है. जब तक यह असुरक्षा है, न बेटी बचेगी और न बेटी पढ़ेगी. कितना भी प्रचार करो, कितना भी ज्ञान दो.

इसी असुरक्षा के चलते अधिकतर शिक्षित महिलाएं योग्यता होते हुए भी कोई जॉब नहीं करती हैं और न उनके घरवाले उन्हें यह करने देते हैं. जो भी महिलाएं हमें दिखाई देती हैं, यह संख्या महिलाओं की कुल संख्या के अनुपात में कुछ भी नहीं है. फिर भी जो महिलाऐं या परिवार इस माहौल में भी हिम्मत करके आगे आए हैं, उनको अभिनव राजस्थान का सलाम. पर इस समस्या का पूरा समाधान करना है हमें.

महिलाओं के साथ साथ समाज में कई वर्गों और व्यक्तियों की गरिमा को भी राजस्थान में चोट पहुँचती रहती है. कम संख्या होना, कम ताकतवर होना, कम पैसा होना, पद के कद में कम होना या तथाकथित शरीफ होना भी कई बार 'बेइज्जत' किये जाने के कारण बन जाते हैं. 'सामंतवादी' मानसिकता जब तब अलग अलग रूपों में उभर आती है और मानव गरिमा को कम करने का मौका ऐसे लोग नहीं चूकते. राजस्थान में धन के दम पर, पद के दम पर या संख्या के दम पर सदियों से लोगों ने अत्याचार और अन्याय किये हैं और ऐसा छद्मरूप में आज भी जारी है. जिसकी गरिमा को चोट पहुँचती है, वही जानता है. जाने कितने लोगों ने 'आजाद' और 'लोकतांत्रिक' राजस्थान में शरीफ होकर भी पुलिस से अपनी इज्जत तार तार करवाई है या मार खाई है. कितने लोगों ने परिवार के लोगों की या लाठियों की कम संख्या के चलते अपनी मां-बहनों की इज्जत पर हमले सहे हैं.

अभिनव राजस्थान मानव गरिमा को समाज का गहना समझेगा, समाज की समृद्धि को मानव मात्र की गरिमा से सजाएगा. महिलाओं को, कमजोर लोगों को, बुजुर्गों को एक गरिमामय जीवन जीने का अवसर देगा. तभी तो समाज में आनंद होगा, शांति होगी. तभी समाज समृद्ध होगा. सुन्दर तभी होगा.

इसके लिए हम क्या करेंगे? क्या कानून बनायेंगे या पुलिस से यह काम करवा लेंगे? या प्रचार प्रसार से काम चलाएंगे? जैसा अभी सोचा जा रहा है? नहीं जी. इत्ते से नहीं होगा. हम कई बिन्दुओं पर एक साथ काम करेंगे क्योंकि हमें स्थाई और सरल समाधान निकालना है. खानापूर्ति नहीं करनी है.

सबसे पहले हम महिला सुरक्षा और मानव गरिमा के लिए समाज को तैयार करेंगे. समाज को अपने हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता है. शासन और समाज को मिलकर काम करना होता है. समाज अलग और शासन अलग की परिपाटी ने हमें बहुत नुकसान किया है. इसलिए हमने पहले के अध्याय में संकेत दिया था कि हम जयपुर से जिलों तक सामाजिक संगठनों की बैठकें बुलाएँगे. मंथन करेंगे कि समाज महिला सुरक्षा और मानव गरिमा के लिए क्या कर सकता है. सामाजिक समारोहों में सुधार के बाद यह हमारा दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, इश्यु है. मानव गरिमा के लिए समाज की मानसिकता हम बदलेंगे. तभी महिला सुरक्षा का अहसास मोहल्ले-गाँव-शहर से होता हुआ जयपुर तक पहुंचेगा.

दूसरे, हम हमारी शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करेंगे. शिक्षा व्यवस्था में महिलाओं के सम्मान और मानव गरिमा को विशेष महत्व होगा. तीसरे, हम अभिनव शासन में भी मानव गरिमा को मुख्य मानेंगे. अब अधिकारियों को अपने कार्यालय में आने वालों से नमस्ते करनी होगी. महिलाओं का विशेष सम्मान करना होगा. शराब तो अभिनव राजस्थान में होगी ही नहीं. बदतमीजी का एक बड़ा कारण यह भी है. साथ ही हम हमारे मूल संस्कारों की स्थापना अभिनव संस्कृति में करेंगे. समाज को अश्लीलता से भी मुक्त करेंगे. तब जाकर महिला और मानव की गरिमा स्थापित होगी. स्थाई समाधान तभी होगा.

अवसरों की समानता होगी, अभिनव समाज में.

मानव गरिमा के साथ साथ अभिनव समाज में हम अवसरों की समानता भी पैदा कर देंगे. भारत के संविधान में यह लिखा हुआ तो है पर उसे मूर्त रूप नहीं दिया जा सका है. अभी भी हमारा समाज अवसरों के मामले में बहुत पक्षपाती है. योग्य लोगों को अवसर नहीं है और अयोग्य लोगों को अवसर है. परिणाम कौन भुगतता है? इस असामनता का परिणाम अवसर से वंचित व्यक्ति ही नहीं भुगतता है, समाज और देश भी इसका बड़ा खामियाजा भुगतता है. लेकिन ध्यान रहे कि आप इस विषय को 'आरक्षण' से दूर रहकर समझें. नहीं तो मूल भाव और अर्थ ही ख़त्म हो जायेगा.

अभी के समाज में क्या हाल है राजस्थान में? जिसके पास पैसा है, जरूरी नहीं कि उसके पास उतना दिमाग है कि वे इस पैसे से कोई बड़ा व्यवसाय खड़ा कर ले. जिसके पास जमीन है, जरूरी नहीं है कि वह इससे वांछित उत्पादन ले ले. जिसके पास मशीन है, वह इसका उपयोग पूरा कर ले, यह भी जरूरी नहीं है. जिसके पास डिग्री है, वह उस डिग्री का समाज के लिए उपयोग करे, यह भी जरूरी नहीं है. पर किसी के पास पैसा है, जमीन है, मशीन है या डिग्री है, तो है. उसे आप छीनकर किसी और को दे नहीं सकते. देना भी नहीं चाहिए. हमें कोई भी समाजवाद, साम्यवाद नहीं स्थापित करना है भले हम पूंजीवाद के समर्थक न हों. ये सब 'वाद' अपने आप में मानवता के लिए 'विवाद' ही बने हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं. इनके चक्कर में व्यवस्थाएं सरल न होकर ज्यादा उलझ गई हैं, जबकि अभिनव राजस्थान तो व्यवस्थाओं को सरलतम और सार्थक करने का उपाय है. हमें कोई 'वाद' नहीं पकड़ना है.

अभिनव राजस्थान में हम अलग अलग क्षेत्रों में अवसरों की समानता का प्रयास अभिनव ढंग से करेंगे. खेती में हम अभिनव कृषि के माध्यम से हर छोटे बड़े किसान को आगे बढ़ने के अवसर देंगे. हम सभी किसानों को अभिनव कृषि की अपनी योजनाओं में बीज, खाद, पैसा, तकनीक. उद्योग, मार्केटिंग आदि के मामलों में बराबर अवसर देंगे.हमारे लिए पांच बीघे वाला किसान और सौ बीघे वाला किसान बराबर होंगे. यह जो अभी सरकारी योजनाओं में चलता है न कि बीज या मुआवजे या सब्सिडी केवल कम जमीन वालों को मिलेंगे, यह भेदभाव नहीं होगा. अभी की सरकारें ऐसे भेदभाव से कम जमीन वालों का केवल मन बहलाती हैं.

जिनके पास जमीन नहीं है, उन लोगों के लिए अभिनव उद्योग में कुटीर उद्योगों की व्यावहारिक योजनाएं होंगी. ऐसे लोगों को ठोस प्रबंध के साथ आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. अभी की तरह सब्सिडी और सस्ते ब्याज के लोन के झांसे न देकर उनके काम को अंजाम तक पहुँचाने की व्यवस्था की जायेगी. उनके प्रशिक्षण, कच्चे माल, बाजार और सामाजिक सुरक्षा की भी व्यवस्था होगी.

जो पढ़ना चाहेंगे, उनको अपने घर पर रहते हुए सभी सामान्य विषयों में ग्रेजुएशन करने की व्यवस्था अभिनव शिक्षा में होगी. लेकिन शिक्षा फ्री नहीं होगी. शिक्षा क्वालिटी से भरपूर, गुणवत्ता से भरपूर होगी पर फ्री नहीं होगी, मुफ्त नहीं होगी. कुछ मिनीमम फीस ली जाएगी. पर हमारी अभिनव शिक्षा व्यवस्था में कोई भी बालक या बालिका अपनी योग्यता से अपने सपनों का पीछा कर सकेगा. उसे किसी भी स्तर पर अपना मन मारकर बैठने की जरूरत नहीं होगी. अभिनव शिक्षा में उसे उपलब्ध ज्ञान ही ऐसा होगा कि वह आत्मविश्वास से लबरेज रहेगा और कुछ न कुछ करने ही लगेगा. उसे नहीं लगेगा कि अगर वह पैसे वाले घर से होता तो यह करता. क्योंकि अभिनव राजस्थान में उसकी योग्यता का उपयोग उसके लिए ही नहीं, राजस्थान और भारत के लिए आवश्यक है. अब हमारा 'अपना' शासन जो होगा.

पढ़ने के बाद जो युवा काम करना चाहेंगे, उनके लिए समाज में अनेक काम होंगे. अभिनव कृषि और अभिनव उद्योग के कारण समाज में काम के बहुत ज्यादा अवसर राजस्थान में होंगे. हमारे युवाओं को काम के लिए अन्य प्रान्तों की ओर मजबूरी में नहीं जाना पड़ेगा. उनके पास किसी काम यानि व्यवसाय के लिए जो भी आइडिया और प्लान होंगे, उन पर वे, अभिनव उद्योग अधिकारी और बैंक मिलकर बहुत गम्भीरता से मंत्रणा करेंगे और उस मंत्रणा को अंजाम तक पहुंचाएंगे. पैसा किसी भी रूप में समस्या नहीं होगा. जब समाज और शासन समर्पण भाव से मिलकर काम करने लगते हैं तो पैसा समस्या रह भी नहीं पाता है. अभी समाज और शासन में बहुत अधिक दूरी ही तो हमारे आर्थिक विकास में बड़ी बाधा है. अभी बैंक अधिकारी जैसे अहसान करते हैं, जब लोन देते हैं.

अभिनव राजस्थान में अभिनव समाज, अभिनव शिक्षा, अभिनव शासन, अभिनव कृषि और अभिनव उद्योग मिलकर एक लय में काम करेंगे तो अवसरों की बाढ़ आ जाएगी. इसी धरती पर कई देशों ने यह कर भी लिया है और वहां कोई भी युवा इस बात से परेशान नहीं है कि उसे अवसर नहीं मिला. बेरोजगार लोग होंगे वहाँ भी, कुंठित और निराश भी होंगे पर अवसर न मिलने का रोना वह नहीं रोते. अभिनव राजस्थान यही सब राजस्थान में कर देगा और जन्म से लेकर मरण तक समानता के अवसर उपलब्ध करवा देगा. बड़े ही आराम से. निराशावादियों को यह स्वर्ग जैसी या यूटोपियन धारणा लग सकती है पर हम बड़े विश्वास से यह कह रहे हैं. क्योंकि हमारा होमवर्क तगड़ा है और हमारी नीयत साफ है.

परन्तु अवसरों की इस समानता में यह नहीं होगा कि अयोग्य लोगों को हम जबरदस्ती सहायता उपलब्ध करवाएंगे. योग्यता पहली शर्त होगी. अगर कमजोर-गरीब आदि कहकर 'अहसान' करने पर उतर आए तो फिर वही वर्तमान स्थिति हो जाएगी. यहाँ यह भी ध्यान रहे कि सरकारी सेवाओं में आरक्षण पर हमारे कोई विचार नहीं हैं और न ही हम उस विवाद में पड़ना चाहते हैं. भारत के संविधान में जो है, वह अभिनव राजस्थान में भी होगा. पर हमारा लक्ष्य आरक्षण की उस बैसाखी की व्यवस्था से बहुत आगे समाज को ले जाने का है. संविधान की मूल भावना के अनुरूप.

गरीबी,
क्यों कर होगी अभिनव राजस्थान में?

भारत एक गरीब देश है या भारत में गरीबों की संख्या ज्यादा है, यह बात भारत में और विश्व में हर अर्थशास्त्री या समाजशास्त्री की जुबान पर है. अनगिनत किताबें इस विषय पर लिख दी गई हैं और अनगिनत ही पैसा गरीबी को ख़त्म करने पर बहाया जा चुका है. हर चुनाव में राजनेता भी गरीबी को जड़ से उखाड़ने का वादा करते हैं. वे तो जैसे गरीबी को ख़त्म करने के लिए ही राजनीति में आये हैं! गरीब उनके झांसे में कई बार आ चुके हैं पर गरीबी है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है. कोई एक भी परिवार हमें अभी तक नजर नहीं आया है, जिसकी गरीबी भारत या राजस्थान के शासन की किसी योजना से ख़त्म हुई हो या कम हुई हो. फिर भी गरीबी गरीबी सभी खेल रहे हैं. बेशर्मी से.

पर गरीब असल में है कौन और गरीबी की क्या परिभाषा है? पिछले सत्तर वर्षों से इस पर अभी सहमति नहीं हो पाई है. हो भी नहीं पायेगी. गरीबी की कोई सीधी रेखा खींचना संभव नहीं है. आंकड़ों की इस बाजीगरी का कोई अर्थ नहीं है. गरीबी अभाव की एक मानसिक अवस्था है और इसके मायने बदलते रहते हैं. समय और स्थान के अनुसार. इसलिए अभिनव राजस्थान में हमारे लिए गरीब परिवार वह होगा, जिसको यथोचित मेहनत के बाद भी एक गरिमामय जीवन जीने के लिए आवश्यक मूलभूत वस्तुएं और सुविधाएँ नहीं मिल पा रही हैं. समाज के किसी भी वर्ग का यह परिवार हो सकता है. पर हमारे लिए गरीब वह नहीं होगा जो निठल्ला बैठा रहता है, कोई काम नहीं करना चाहता है.

हमारा मानना है कि भारत और राजस्थान में आज भी सत्तर प्रतिशत से अधिक वे लोग हैं, जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से दूर हैं. महंगाई के अनुपात में उनकी आमदनी बहुत कम है, शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएँ उनको कम लागत पर उपलब्ध नहीं हैं, रोजगार के अवसरों में असमानता है. अगर एक बालक या बालिका प्रतिभावान है, डॉक्टर बनने की इच्छा है पर पढ़ाई की उचित सुविधाओं के अभाव में यह संभव नहीं हो पा रहा है तो वह गरीब है. अगर एक परिवार लोहे के औजार बनाना जानता है पर कच्चे माल को खरीदने और तैयार माल को बाजार में बेचने में असमर्थ है तो वह भी गरीब है. अवसरों की असमानता गरीबी ही है. अवसर मिल जाये और कोई उसका उपयोग न कर सके तो फिर उसकी किस्मत, पर अवसर ही न मिले तो गरीबी का आन पड़ना हमारी चिंता का विषय है.

अभिनव राजस्थान, भारत और राजस्थान में वर्तमान तय गरीबी की परिभाषा और रेखा को पूरी तरह से नकारता है. अब कोई कह दे कि शहर में तीन हजार और गाँव में दो हजार रुपये से कम एक महीने में कमाने वाला परिवार ही गरीब है, तो यह गरीबी का मजाक ही तो है. हम इस मजाक को नहीं होने देंगे.

अभिनव राजस्थान में उचित रोजगार, उचित आमदनी, उचित शिक्षा. उचित स्वास्थ्य और उचित सामाजिक सुरक्षा से वंचित सभी परिवार गरीब माने जायेंगे. गरीबी की यह परिभाषा ही हमें गरीबी की समस्या के स्थाई समाधान की ओर ले जाएगी. वरना फ्री फ्री के झांसे में गरीबों की भावनाओं का शोषण ही होता रहेगा, जो वर्ष 1969 में 'गरीबी हटाओ' के नारे से शुरू हुआ था. उसके बाद से आज तक यही नारा अलग अलग लोग अलग अलग नाम से दे रहे हैं और गरीबों को ठग रहे हैं.

अभिनव राजस्थान में हम पांच काम ऐसे करेंगे, जिनसे गरीबी का भाव कम हो जायेगा और आम परिवारों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. यह आत्मविश्वास ही गरीबी की जड़ पर वार करेगा. सबसे पहले हम खेती, पशुपालन और छोटे उद्योग का उत्पादन तेजी से बढ़ाएंगे. हमारे लिए प्रत्येक खेत, प्रत्येक पशु और प्रत्येक हाथ एक महत्वपूर्ण संसाधन होगा. हम अपनी अभिनव योजनाओं से इनका उत्पादन बढ़ाएंगे. उत्पादन बढ़ेगा तो ही आमदनी बढ़ेगी. हमारी योजना में किसी भी गाँव या कस्बे के प्रत्येक परिवार के पास रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे. जिनके पास जमीन है और जिनके पास जमीन नहीं है, दोनों तरह के परिवारों के लिए समाज में खूब सारा काम होगा. आगे अभिनव कृषि और अभिनव उद्योग के अध्यायों में इसका विस्तार से वर्णन है.. हमारे अभिनव कृषि और अभिनव उद्योग विकास केंद्र ये काम इतनी संजीदगी से करेंगे कि कोई भी परिवार सम्मानजनक काम से वंचित नहीं रहेगा.

दूसरे, हम किसानों और छोटे उद्यमियों को उनके उत्पादों का बाजार में उचित मूल्य दिलवाएंगे. तभी वे अपने काम में रुचि लेते हुए आगे बढ़ेंगे. वरना उनकी गाड़ी फिर से पीछे की तरफ जाने लगेगी. तीसरे, हम गाँव से लेकर जयपुर तक शिक्षा के अवसरों की समानता सुनिश्चित करेंगे. तभी अगली पीढ़ी समानता की ओर बढ़ेगी. अभिनव शिक्षा में इसका वर्णन है. चौथे, हम स्वास्थ्य सुविधाओं का ऐसा मजबूत नेटवर्क बनायेंगे कि किसी भी परिवार की गाढ़ी कमाई बीमारी के इलाज में नष्ट न हो जाये.

और पांचवां काम हम समाज की व्यवस्था में दो परिवर्तनों के माध्यम से करेंगे. पहला परिवर्तन हम समाज में समारोहों के खर्च को कम करने का करेंगे. अगर यह नहीं हो पाया तो हम आमदनी को कितना भी बढ़ाएंगे, वह खर्च हो जाएगी और गरीबी फिर पैर पसार लेगी. यह धोखा अब नहीं खाना है. विवाह, मृत्यु या अन्य सामाजिक अवसरों को हम अभिनव समाज में सादा और सरल बनायेंगे.

इसके साथ ही हम समाज में सामाजिक सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था करेंगे. किसी परिवार के साथ कोई असामयिक घटना या दुर्घटना घटने पर हम उस परिवार को टूटने नहीं देंगे. अक्सर ऐसे समय में भी कई परिवार गरीब बन जाते हैं. हम गरीबी को कम करने के साथ उसे रोकने का काम भी तो करेंगे.

अभिनव राजस्थान में गरीबी मिटाने या कम करने की वर्तमान योजनाएं यथावत चलती रहेंगी और साथ साथ में अभिनव योजनाएं भी. तब गरीबी ख़त्म या कम ही नहीं होगी, महसूस भी नहीं होगी.

बेरोजगारी,
बीते दिनों की बात होगी.

आपको ताज्जुब होगा कि भारतीय भाषाओं में 'बेरोजगारी' शब्द ही नहीं है. यह पश्चिमी शासकों की मूल भाषा से आयातित शब्द है. अंग्रेजी में इसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं पर हिंदी में इसका कोई समानार्थक शब्द ही नहीं है! क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में कोई व्यक्ति बिना काम के होता ही नहीं था. यहाँ समाज में सभी के पास उनकी योग्यता के अनुसार कोई न कोई काम होता था. अभिनव राजस्थान, हमारे समाज को उसी वैदिक अवस्था की तरफ पुनः ले जाना चाहता है. ले जायेगा.

कोई व्यक्ति बेरोजगार क्यों होता है? मूल कारण क्या है? पांच बातें हो सकती हैं. उसकी काम करने की इच्छा ही नहीं होती है, वह किसी शारीरिक कमी से ग्रस्त होता है, उसको कोई भी काम मिल नहीं पाता है, उसको उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता है या उसके पास अपने रोजगार के लिए संसाधन नहीं होते हैं. समस्या सरल है पर इसे समझने, इसकी व्याख्या करने और इसके लिए योजनाएं बनाने में अभी भारतीय समाज और शासन की कोई रुचि नहीं है और न उनमें समन्वय है.

हर चुनाव में नए पुराने राजनेता, युवा बेरोजगारों को उनकी बेरोजगारी की समस्या से भावुक करते हैं, ठगते हैं. वे वादा करते हैं कि इतने लाख और इतने करोड़ युवाओं को रोजगार दे देंगे. युवा भी वर्तमान व्यवस्था में बेरोजगारी से झुंझलाए हुए उनकी बातों में आ जाते हैं और शासन बदलने में सबसे आगे हो जाते हैं. और हर बार शासन में आते ही राजनेता अपने वादों से पलट जाते हैं! बड़ी बेशर्मी से. युवा ठगा सा रह जाता है. अबके देख लेंगे, कहता है. देखता भी है पर फिर ढाक के तीन पात!

अभी राजस्थान में बेरोजगारी का क्या हाल है? हमारे माने जितने गरीब उतने ही बेरोजगार. ये दोनों समस्याएँ एक दूसरे से गुंथी हुई हैं. अलग अलग नहीं है, जैसा भ्रम फैलाया जाता है. एक समस्या के दो पहलू हैं, गरीबी और बेरोजगारी. दोनों के समाधान एक साथ ही होंगे. एक ही नीति से. एक ही समाधान से दो समस्याओं का प्रभाव कम हो जाएगा. इसके लिए हम अभिनव समाज, अभिनव शिक्षा, अभिनव शासन, अभिनव कृषि और अभिनव उद्योग के क्षेत्रों में एक साथ काम करेंगे.

अभिनव राजस्थान में हम बेरोजगारी की समस्या के स्थाई समाधान की ओर बढ़ेंगे. हम बेरोजगारी का प्रभाव या अहसास कम करने की दिशा में धरातल पर पक्का काम करेंगे. हम बेरोजगारी मिटाने का वादा नहीं करेंगे पर रोजगार के अवसर बढ़ाने की व्यवस्था करने की बात कहेंगे. हम विस्तार से अपनी नीति या पॉलिसी को आमजन के सामने पहले रखेंगे ताकि वे जान लें कि इस नीति से बेरोजगारी कम होगी या नहीं. ताकि वे भरोसे से आगे बढ़ें और धोखा खाने का उनका डर कम हो जाये.

सबसे पहले हम समाज को मानसिक रूप से रोजगार का सृजन करने के लिए तैयार करेंगे. यह तभी होगा, जब राजस्थान का समाज अपनी पूँजी बनाना शुरू करे. यह तभी होगा, जब समाज अपनी आमदनी को बेवजह सामाजिक समारोहों में दिखावों के नाम पर खर्च न करे. कहानी यहीं से शुरू होगी. हम विवाह, मृत्यु या अन्य सामाजिक समारोहों पर होने वाले फिजूल खर्च को रोकेंगे तो ही काम बनेगा. तब वे लाखों या हजारों रुपये अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए हमारे पास बचेंगे. अगर हम समाज की पूँजी को बर्बाद करने की जिद नहीं छोड़ेंगे तो बेरोजगारी हमारे परिवार को नहीं छोड़ेगी. समाज को तैयार करने के तरीके पर हमने विस्तार से अभिनव समाज के अध्याय में लिखा है.

फिर हम शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे. शिक्षा में हम ऐसे ज्ञान और हुनर से युवाओं को लेस करेंगे, जो उनको अपने दम पर समाज में खड़ा कर सके, जिससे वह अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक जीवन का निर्वाह कर सके. रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं कर सकने वाली वर्तमान शिक्षा बहुत बड़ा छलावा है और हम हमारे युवाओं को इस छलावे से हमेशा के लिए मुक्त करेंगे. हम स्कूल और कॉलेज में ऐसे ज्ञान का सृजन करने वाले विषयों की अधिकता रखेंगे, जो सीधे सीधे समाज में उपयोगी हो और जिसकी भारी मांग हो. अभी राजस्थान में तीन चौथाई विद्यार्थी इतिहास, राजनीति शास्त्र और हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं. आप समझ सकते हैं कि इस ज्ञान से लबरेज युवा को समाज क्या काम दे सकता है. ऐसे में वह किसी सरकारी या निजी नौकरी में अटकने के उद्देश्य से आगे नहीं बढ़ता है.

इसीलिये हर वर्ष बेरोजगारों की एक नई फौज समाज में आ खड़ी होती है. हम इस नई फौज को समाज की शक्ति बना देंगे, अभी की तरह यह फौज समाज पर बोझ बनकर या निराश होकर नहीं रहेगी.

तीसरे, शिक्षा व्यवस्था के ज्ञान को हम शासन के विषयों से भी सीधे जोड़ेंगे. अभिनव शासन में किसी विभाग में प्रवेश के लिए संबंधित विषय का ज्ञान अनिवार्य होगा. इससे उस विषय की उपयोगिता स्थापित हो जाएगी. फिर वह युवा इस ज्ञान से निजी क्षेत्र में भी अपने आपको स्थापित कर लेगा.

अभिनव कृषि और अभिनव उद्योग में हम समाज के उत्पादन को इतना अधिक बढ़ाएंगे कि समाज में काम के अवसर कई गुना बढ़ जायेंगे. शिक्षा, कृषि, पशुपालन और उद्योग आपस मे जुड़ जायेंगे और एक दूसरे के क्षेत्र को संबल देंगे, पोषित भी करेंगे. तब अमेरिका, योरोप या अरब देशों की तरह रोजगार देने वाला समाज बनेंगे. अभी हम रोजगार की तलाश में भटकता समाज और देश हैं, प्रदेश हैं.

यह ध्यान रहे कि बेरोजगारी का स्थाई समाधान सरकारी तंत्र में अधिक लोगों को स्थापित कर देने में नहीं है. यह एक सफेद और खतरनाक झूठ है, जो अभिनव राजस्थान में नहीं दोहराया जायेगा. हम शासन में भी भरपूर और नियमित अवसर सृजित करेंगे, अभी से दो-तीन गुना, पर यह नहीं कहेंगे कि सभी बेरोजगारों को शासन में समायोजित कर लिया जायेगा.

भ्रष्टाचार,
जड़ से कम हो जायेगा अभिनव राजस्थान में.

भ्रष्टाचार पर आज आपकी धारणा को बदल देते हैं, सही कर देते हैं. धारणाएँ बदलने से ही समस्याओं का समाधान होगा, वरना समस्याएँ ज्यादा बढ़ेंगी. भ्रष्टाचार पर भी जितनी बातें हुई हैं, वे धुंधली हुई हैं जो हमें समाधान से भटकाकर कहीं और भेज देती हैं. हम लौटते हैं तो फिर वही भ्रष्टाचार.

असल में भ्रष्टाचार एक व्यापक शब्द है. जिसका हमने भारत में एक सीमित अर्थ अपनी सुविधा से कर लिया है. हम शासन में बैठे अफसर या राजनेता की रिश्वतखोरी को ही मोटे तौर पर भ्रष्ट आचरण कहते हैं. लोकप्रिय अर्थ रिश्वत लेने देने का ही निकलता है. जबकि भ्रष्ट आचरण, समाज के मूल्यों के तहत स्थापित व्यवस्था या नियमों के विपरीत आचरण होता है. यह भ्रष्ट आचरण किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है. इसे समझना जरूरी है, तभी हम समाधान के नजदीक पहुंचेंगे.

जैसे आप एक अध्यापक हैं पर अपनी पूरी ऊर्जा या मन से नहीं पढ़ाते हैं. आज की परिभाषा में यह आचरण भ्रष्टाचार नहीं कहलाता है. जितना पैसा आप पर शासन ने खर्च किया, उसके अनुपात में आपने अपना काम नहीं किया, फिर भी आप भ्रष्ट नहीं हैं, कामचोर कहलाते हैं! या कि आपके पास जमीन है और आप मन लगाकर खेती नहीं करते हैं. देश का एक महत्वपूर्ण संसाधन आप दबाकर बैठे हैं पर उसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है. एक कामचोर शिक्षक या एक कामचोर किसान भी देश की तिजोरी को नुकसान पंहुचा रहा है पर वह भ्रष्ट नहीं है, उसके आचरण पर हम गम्भीर सवाल नहीं उठाते हैं. कोई व्यापारी ग्राहकों से लिया गया टैक्स, शासन को नहीं देता है पर वह भ्रष्ट नहीं है. वह चोर नहीं है. नहीं जी, ये सब भी भ्रष्ट है.

यानि भ्रष्टाचार की हमारी परिभाषा अपनी सुविधानुसार है. शासन व्यवस्था में बैठे लोगों पर ही हमारा गुस्सा है और उस गुस्से के कई कारण हैं. हमें उनसे डर लगता है, हमें शासन अपना नहीं लगता है. हकीकत यह भी है कि हर कोई शासन में जाकर 'भ्रष्ट' होने को मरता है! जब शासन में नहीं जा पाए तो गुस्सा करता है!

इसलिए मात्र रिश्वतखोरी को ही हम जब तक भ्रष्टाचार मानते रहेंगे तब तक समस्या के बारे में केवल बातें होंगी, समाधान नहीं हो पायेगा. समाधान के लिए समस्या की गहराई में झांकना होगा.

असल में भ्रष्टाचार शासन की समस्या कम है और समाज की समस्या ज्यादा है. भ्रष्ट आचरण समाज से ही पैदा होता है. समाज ही भ्रष्ट आचरण के लिए परिस्थितियां पैदा करता है और वही इस आचरण को प्रेरित और पोषित करता है. इस आधार पर आज हम पक्के से कह सकते हैं कि समस्त भारत का समाज ही भ्रष्ट हो चुका है. गाँव से लेकर दिल्ली तक भ्रष्ट आचरण रगों में बहता है.

पर हम मात्र भ्रष्टाचार की निंदा करने के लिए नहीं बैठे हैं. अभिनव राजस्थान तो समाधानों की व्यवस्था है, समस्याओं का रोना रोने की नहीं. हम क्या करेंगे? पांच काम होंगे अभिनव राजस्थान में, जो किसी भी व्यक्ति को भ्रष्ट होने से रोकेंगे, भ्रष्ट होने के भाव को कम करेंगे. हम जड़ पर काम करेंगे.

हमारा सबसे पहला काम होगा, समाज में मूल्यों का परिवर्तन. हम अभिनव राजस्थान में पद,धन, खर्च, के जरूरत से अधिक महत्व को कम करेंगे. अभी का समाज किसी पद या धन को इतना अधिक महत्व देता है कि कोई भी साधारण व्यक्ति इन मूल्यों पर खरा उतरने के चक्कर में अक्सर भटक ही जाता है. उसका मन डोल जाता है और वह न चाहते हुए भी भ्रष्ट आचरण कर बैठता है. साथ ही दिखावे के झंझट में भी वह पड़ता है तो कामचोरी या कम श्रम से अधिक परिणाम की भी उम्मीद कर लेता है. इस दिखावे और कामचोरी की भी अभी का समाज महिमा कर देता है. आराम से बैठकर खाने वालों को रईस कहता है और यह मूल्य काम के प्रति अरुचि पैदा करता है. ऐसे में मन तो भ्रष्ट होता है तन भी अस्वस्थ होता है !

इसलिए हम इन विकृत सामाजिक मूल्यों की जगह ज्ञान, कला, सादगी, बचत और मेहनत के मूल्य स्थापित करेंगे. ऐसे रास्ते पर चलने वालों का सम्मान करेंगे, उनकी जोरदार मार्केटिंग करेंगे. तब मूल्य बदलने शुरू होंगे. भ्रष्ट होने का भाव कम होने लगेगा. यह भाव कम होना असली सफलता होगी. तब कोई व्यक्ति ईमानदार होने पर गर्व करेगा, क्योंकि कोई सरकारी कर्मचारी अपने ज्ञान और समर्पण के दम पर समाज में प्रतिष्ठित होगा, न कि पैसे के दम पर. ऐसे में वह भ्रष्ट क्यों होगा?

दूसरे, अभिनव राजस्थान का शासन बहुत ही सरल और प्रभावी होगा. वर्तमान शासन की जटिलता और नीरसता जनता को डराती है और इस डर का फायदा उठाने को कर्मचारी भ्रष्ट हो लेते हैं.

तीसरे, हम अभिनव राजस्थान के शासन को एकदम से पारदर्शी कर देंगे. जब जानकारी का प्रकाश होगा, तो चोरी नहीं हो पायेगी, क्योंकि चोरियां अक्सर अँधेरे में ही होती हैं. अभी भारत में ऐसा हो नहीं पाया है. सूचना का अधिकार अधिनियम आने के ग्यारह वर्ष बाद भी उसकी धारा 4 को किसी शासन ने अक्षरशः लागू नहीं किया है. इस धारा के मुताबिक शासन को अपने हर काम और निर्णय को जनता के अवलोकन के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध करवाना है ताकि जनता 'अपने' शासन पर नजर रख सके.

चौथे, एक वर्ष तक हम समाज में मूल्यों के बदलाव का काम करेंगे और कर्मचारियों को नए मूल्यों को अपनाने को कहेंगे. फिर भी भ्रष्ट रास्ते नहीं छोड़ने वालों को क़ानून के मार्फत तुरंत शासन से अलग कर देंगे. पांच प्रतिशत मानव किसी भी व्यवस्था को नहीं मानेंगे, ऐसा मानव विज्ञान में बताया गया है.

और पांचवां काम हम जनता में शासन के प्रति अपनत्व का भाव जगाकर करेंगे ताकि वह पूरा टैक्स दे, मन लगाकर अपना काम करे और 'अपने' शासन के काम और खर्च पर अधिकार भाव से, जिम्मेदारी से निगाह रखे.

आरक्षण,
और अभिनव राजस्थान.

असली विकास की कमी से जब कोई समाज या देश जूझता है तो राजनेता अक्सर ऐसे मुद्दों पर ध्यान अटका देते हैं, जो विकास के मुद्दे को भुला दे. आरक्षण ऐसा ही एक संवेदनशील मुद्दा है, जो अक्सर इसके पक्षधर और विरोधी लोगों को जब तब अटका लेता है. विकास की भारी कमी के चलते समाज में अक्सर यह सन्देश जाता है कि जिन वर्गों को शासन के पदों में आरक्षण मिल गया है, वे धन्य हो गए हैं और जिनको नहीं मिल पाया है, वे बहुत पीछे रह गए हैं. ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आर्थिक जगत में आगे बढ़ने के आज बहुत ही कम अवसर हैं, भारत में. जीवन में तुरंत आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए तो शासन में प्रवेश ही सीधा आधार रह गया है. इसीलिये सारी बहस इस विषय पर है.

देश में जब देशी लोग शासन में आये तो यह विषय पहले से ही था कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए अवसरों की समानता कैसे सुनिश्चित की जाए. ऐतिहासिक कारणों से कुछ वर्ग अन्य वर्गों से पिछड़े हुए थे, इसमें कोई शक नहीं था. तब सोचा गया था कि कुछ समय के लिए कुछ वर्गों को शासन और शिक्षा की व्यवस्था में प्रवेश के विशेष अवसर दिए जाएँ ताकि समाज में अवसरों की समानता महसूस हो सके. लेकिन इसके साथ ही आर्थिक विकास को तेजी से होना था ताकि शासन के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर बनते और उनका बराबर बंटवारा होता दिखाई देता. पर यह काम हो न सका और आर्थिक विकास की गति कई कारणों से बहुत ही कम रही. आज भी यही हाल है.

कमजोर आर्थिक विकास के कारण समाज में अगर कहीं सुरक्षा दिखाई दे रही है तो वह सरकारी पद है. पूरा भारतीय समाज और शिक्षा व्यवस्था शासन में पद को सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानकर बैठ गए हैं. कहीं पर भी आप विद्वानों को सुनें, एक ही बात है कि बहुत पढ़ाई करो ताकि 'राज' में 'नौकरी' मिल जाये. और अगर यह पद बड़ा है और अधिक ऊपर की कमाई वाला है, रौब वाला है तो फिर क्या कहने. इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो कर लीजिये. सीधे जीते जी स्वर्ग का रास्ता है.

इस स्थिति के कारण आज समाज में शासन में आरक्षण का भारी चस्का है. इस चस्के के कारण ही आरक्षण के पक्ष में या विपक्ष में लोग हैं. जीवन में आगे बढने के अन्य विकल्प इतने कम हैं कि दिखाई नहीं पड़ रहे हैं. और अगर ऐसे विकल्प दिखाई दे रहे हैं तो वहां अधिक काम में कम दाम मिलता है, जबकि शासन में कम काम में अधिक दाम की गारंटी है! इसलिए लोग निजी क्षेत्र का ज्यादा वेतन ठुकराकर भी कम वेतन के सरकारी काम में जाना पसंद करते हैं. जब सरकारी जॉब इतना आकर्षक है तो कौन इसे पाना नहीं चाहेगा? आरक्षण से या उल्टा सीधा करके या नकल शकल करके.

लेकिन एक मजेदार बात यह है कि आरक्षण से किसी भी सामाजिक वर्ग के मात्र एक प्रतिशत लोगों को फायदा होता है. बाकी निन्यानवे प्रतिशत तो अन्य क्षेत्रों में ही काम करते हैं. कुछ कामयाब होते हैं तो अधिकतर नाकामयाब ही रहते हैं, क्योंकि अभी भारत और राजस्थान में आर्थिक विकास बहुत कम गति से हो रहा है. किसी भी वर्ग में आज भी अधिकतर लोग अभाव का जीवन जीते हैं. पर यह गिनती करने कौन बैठे? एक प्रतिशत सफल व्यक्तियों और परिवारों की समृद्धि की चकाचौंध में तथ्य नहीं टिकते हैं. यह एक प्रतिशत अपील करता है, भावुक करता है. पक्ष और विपक्ष दोनों को.

अभिनव राजस्थान में क्या होगा या अभिनव राजस्थान अभियान के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? हम मानते हैं कि आरक्षण आज की संवैधानिक हकीकत है. इसे आज कोई हटा नहीं सकता. राजनीति वोटों की गणित से चलती है और राजनीति वोटों से. माना कि आरक्षण के कई फायदे भी हुए हैं तो कई नुकसान भी हुए हैं पर आरक्षण के मुद्दे पर कोई बड़ा परिवर्तन निकट भविष्य में संभव नहीं है. हमारे लिए यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण हैं. एक तो हम अभिनव राजस्थान की रचना भारत के वर्तमान संवैधानिक ढाँचे के भीतर करना चाहते हैं. हमें किसी भी मुद्दे पर इससे बाहर जाकर हवाई बातें नहीं करनी हैं.

दूसरे, हम लोकनीति पर चलने वाले हैं. हमारे लिए वैसे भी सरकारी पदों का महत्व वर्तमान से कम होगा. हम शासन के बाहर अवसरों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी करना चाहते हैं. यह होगा, खेती, पशुपालन और छोटे उद्योग का उत्पादन बढ़ने से. तभी औसत परिवारों की आमदनी बढ़ेगी. तभी अवसरों की वह समानता सृजित होगी, जो संविधान में सोची गई थी. यह समानता हर उस परिवार के लिए होगी, जो अवसर की तलाश में होगा. यानि हमारी व्यवस्था आरक्षण से बाहर रह रहे निन्यानवे प्रतिशत परिवारों के विकास के लिए होगी. जब हर तरफ रोजगार के अवसर होंगे, जब शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएँ आम परिवार को बेहतर ढंग से मिलेंगी, तब समाज के लोगों का ध्यान शासन के पदों से हटेगा. आरक्षण तब भी होगा पर जो शासन में नहीं जा पायेंगे, उनको आरक्षण चुभेगा नहीं और समाज में समरसता का माहौल बनेगा. तब शायद यह बहस का मुद्दा भी नहीं होगा. शायद.

अभी तक भारत में और राजस्थान में केवल और केवल 'राज' हो रहे हैं, राज की नीति है, विकास की बात ठीक से शुरू ही नहीं हुई है. बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना ढंग से समाज और बाजार को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है. इस कारण से समाज और शासन के बीच में दूरियां बनी रहती हैं. ये दूरियां विकास को धरातल पर उतरने ही नहीं देती हैं. हम इन दूरियों को मिटाकर एक ऐसे समाज और शासन की रचना करेंगे, जो एक परिवार की तरह रहता हो, जो एक दूसरे के सहयोग पर निर्भर हो और जिसमें अवसरों की वास्तविक समानता हो. वही अंतिम समाधान है. तब तक यह मात्र वोट या हार-जीत का खेल है, जिसे हम गलती से लोकतंत्र कहकर महिमामंडित करते आये हैं. अभिनव राजस्थान बहुत जिम्मेदारी से समाज और शासन को सँभालने वाला है. प्रेम से, सहयोग से और भाईचारे से.

अपराध और नशे से दूर, अभिनव समाज.

कई बातें समाज शास्त्र में बहुत ही सरल तरीके से समझाई हुई हैं पर भारत में अभी कॉलेज के ज्ञान को समाज और शासन तक व्यवहार में नहीं पहुँचाया जा सका है. छोटे छोटी सी तकनीकी बातें भी अभी किताबों से सरकारी फाइलों तक नहीं पहुंची हैं. ऐसे में अंग्रेजी या कहिये पराये शासन के ढर्रे के कारण समाज और शासन एक दूसरे को अविश्वास से देखते हैं और दूरियां ढ़ोते हैं. इन दूरियों के बीच ही कई समस्याएँ पनपती हैं, जो होती सामाजिक हैं पर उन्हें हम गलती से पूर्णतया प्रशासनिक समस्याएं कहकर उनके समाधान का स्थाई रास्ता रोक देते हैं. जब समस्या का कारण ही गलत जगह बताया जाएगा तो समाधान सही कैसे निकलेगा? अभी तक तो भारत और राजस्थान ऐसी कई समस्याओं के समाधानों से कोसों दूर हैं. या कहिये कि समाधान की बात ही शुरू नहीं हो पाई है.

ऐसी दो सामाजिक समस्याओं अपराध और नशे पर बात करने से पहले समाज शास्त्र के तकनीकी शब्द को समझते हैं. यह है- सामाजिक नियंत्रण या सोशल कंट्रोल. समाज अपनी व्यवस्था को बनाये रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण का सहारा लेता है. यह कई तरीकों से होता है. समाज में उपेक्षा, प्रतिष्ठा में कमी या सहयोग में कमी करके समाज अपने सदस्यों को समाज के विरुद्ध कोई कार्य करने से रोकता है. आदिकाल से यह चलता आया है. कुछ गलत काम गम्भीर किस्म के होते हैं तो उनको रोकने के लिए पुलिस या बल की व्यवस्था भी समाज करता है. पर यह मानकर चलिए कि पुलिस या शासन के हस्तक्षेप की कम से कम जरूरत पड़ती है. आज भी ऐसा है. आप भी जानते हैं इसे.

लेकिन जब समाज में कोई समस्या बहुत गम्भीर हो जाये या समय के अनुसार कोई परिवर्तन करना हो तो यह काम शासन का होता है. शासन का जिम्मा लेने वाले लोग समाज में हिम्मत दिखाते हैं और समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं. भारत के कई शासकों ने यह काम किया भी है. पर एक हजार साल पहले भारत में ऐसा शासन आया जो यहाँ के समाज से अलग था, संस्कृति से अलग था. समाज ने इस शासन को अपना नहीं माना. इस शासन ने भारतीय समाज और संस्कृति में बड़े बदलाव करने की कोशिश भी की पर शासन का 'बाहरी' होना आड़े आता रहा. समाज में खास बड़े बदलाव नहीं हो पाए. न सुल्तान यह कर सके, न मुग़ल और न अंग्रेज यह कर सके.

देश जब 'स्वदेशी' हाथों में आया तो बहुत सी दबी उम्मीदें फिर उभरीं, पर शासन में आये लोग 'राज' के फेर में पड़ गए और बाहरी शासन की तरह ही व्यवहार करने लगे. समाज के मुद्दों से वे इसलिए बचने लगे कि कहीं यह नाराजगी, कम वोटों में न बदल जाये क्योंकि अब 'राज' वोटों से मिलना था.

अभिनव राजस्थान यहीं से कहानी को आगे बढ़ाएगा. समाज और शासन को पुनः नजदीक लाएगा ताकि सामाजिक नियंत्रण को शासन का सहारा मिल सके. बहुत गहरी बात है यह, बहुत गहरी. अभिनव राजस्थान में समाज को सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए शासन अभिप्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा. अपराध और नशे की प्रवृति, ऐसे में दो मोटी समस्याएँ होंगी, जिनका समाधान किया जायेगा.

अपराध के बारे में जब भी बात होती है तो हम पुलिस से आगे कभी सोचते ही नहीं है. आपने कभी भी राजस्थान के किसी मुख्यमंत्री या गृहमंत्री को अपराध की रोकथाम या इसमें समाज के नियंत्रण की भूमिका पर बोलते हुए नहीं सुना होगा? नहीं सुना न? वे एक ही बात कहते हैं- कानून, कानून. कहते हैं कि कानून और पुलिस से अपराध कम कर देंगे. जबकि यह एक बचकाना और अपरिपक्व बात है. कानून तभी काम करता है, जब समाज इसमें सक्रिय भूमिका निभाता है. जब समाज का नियंत्रण मजबूत होता है, प्रभावी होता है. तभी अपराध रुकने शुरू होते हैं. आप एक एक अपराधी के पीछे पुलिस नहीं लगा सकते हैं और न ही केवल कुछ लोगों को जेल में ठूंसकर अपराध कम कर सकते हैं.

अभिनव राजस्थान में हम अपराध की जांच तो प्रभावी तरीके से करेंगे ही पर अपराध की रोकथाम को प्राथमिकता देंगे. अभी इसका उल्टा है. हम समाज और शासन को बहुत ही सक्रियता से आपस में जोड़ेंगे ताकि अपराध की प्रवृति ही कम हो जाये. पुलिस अधिनियम 2007 में इसका वर्णन है पर शासन की उदासीनता और अरुचि से यह काम रुका हुआ पड़ा है. हम इस अधिनयम का पूरा सम्मान करके इसे धरातल पर नए रूप में उतारेंगे. शासन सहयोग करेगा तो समाज के लोग भी नियंत्रण को प्रभावी कर देंगे. साथ ही हम अभिनव शिक्षा और अभिनव संस्कृति से भी अपराध की प्रवृति पर अंकुश लगायेंगे. अभिनव कृषि और उद्योग से हम बेरोजगारी का प्रभाव भी कम करेंगे. यह भी अक्सर अपराध की जननी होती है. फिर हम शराब और अन्य नशों को भी राजस्थान से दूर करेंगे. अपराध के ये भी कारण हैं.

नशे की समस्या भी वैसी ही है, जैसी अपराध की. समाधान भी वैसा ही है. लगभग वैसा ही. हम सबसे पहले नशे के व्यक्तिगत और सामाजिक कारणों को कम करने की कोशिश करेंगे. अभिनव समाज, अभिनव शिक्षा और अभिनव संस्कृति के माध्यम से. व्यक्ति और समाज को आनंद और संस्कार से भरकर उसकी आतंरिक शांति की व्यवस्था करेंगे. उसकी बैचेनी कम करेंगे. फिर अभिनव कृषि और उद्योग से उत्पादन बढ़ाएंगे ताकि आर्थिक निराशाओं में कमी हो. साथ ही शासन के द्वारा नशे की सामग्री की उपलब्धता को कम कर देंगे. शराब और अन्य नशे की सामग्री को.

हमें मान लेना है कि अपराध हो या नशा, समस्या सामाजिक है और समस्या के कई कारण हैं. समाज को विश्वास में लेकर और उन कारणों का निवारण करने से ही स्थाई समाधान होगा. लीपापोती नहीं. और अभिनव राजस्थान तो है ही स्थाई और सरल समाधानों की व्यवस्था.

शिक्षा से समाज में सुधार, अभी तो नहीं हो रहा.

आप हर मंच से, हर प्रोग्राम में यह सुनते होंगे कि समाज में शिक्षा का प्रसार करो, इससे समाज में सुधार होगा. क्या सुधार होगा, इस पर वक्ता कुछ स्पष्ट नहीं होते पर उनका मंतव्य यह होता है कि इससे व्यक्ति शालीन होगा, गुणवान होगा, संयमित होगा और कुरीतियों से दूर रहेगा, आडम्बर से बचेगा. यही मानते होंगे न? उनका अर्थ यही रहता होगा न? और यह बात इतनी फैशनेबल भी हो गई है कि मंच से बोलने में और मीडिया में छपने में जंचती भी है. विद्वता झलकती है बात में.

लेकिन अब चलते हैं धरातल पर. इधर राजस्थान में ही झांकते हैं. सत्तर वर्षों से हम शिक्षा के प्रसार में लगे हैं तो समाज को अब तक सुन्दर और समृद्ध बन जाना चाहिए था. समाज जैसा पहले था, उसे बेहतर बन जाना चाहिए था. पर ऐसा हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? कहाँ चूक हुई?

चूक हुई हमारी शिक्षा व्यवस्था की रचना में. जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था हमने चुनी है, वह हमारे समाज के अनुरूप ही नहीं बनी हुई है. इसमें जो जानकारियां दी जा रही हैं, वे जानकारियां 'ज्ञान' में नहीं बदल पा रही है. साथ ही ये जानकारियाँ समाज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रही हैं. शिक्षा का अर्थ अभी मात्र कुछ अंक प्राप्त करना, कोई डिग्री लेना या किसी सरकारी या निजी सेवा में प्रवेश करना ही है. विद्यार्थी किताबें इन कामों के लिए ही पढ़ते हैं, ज्ञान के लिए कदापि नहीं पढ़ते हैं.

इसलिए इन हल्की फुल्की जानकारियों में 'साक्षर' हुआ व्यक्ति समाज में न इधर का रहता है और न उधर का. उसको प्राप्त अधिकतर जानकारियां उसके या उसके परिवार के जीवन में कोई बड़ा उपयोगी बदलाव करने वाली साबित नहीं होती हैं. वह समाज में एक मिसफिट होकर उभरता है. वह दिखता तो थोड़ा 'आगे बढ़ा हुआ' है पर असल में वह एक भ्रमित व्यक्ति होता है. वह खुद तो भ्रमित होता ही है, समाज को भी भ्रमित करता है, क्योंकि समाज को पढ़े लिखे व्यक्ति की जानकारियों में विश्वास होता है, भले वे आधी अधूरी ही क्यों न हों. फिर किसी जुगाड़ से वह सरकारी या निजी क्षेत्र में 'नौकरी' पा लेता है तो भी वह समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन कारक या सोशल चेंज एजेंट नहीं बन पाता है. वह जो भी परिवर्तन करता है, वे समाज को महंगे साबित होते हैं! कैसे ?

आज राजस्थान का औसत पढ़ा लिखा व्यक्ति 'आधुनिक' होने का ढोंग करता है. वह अधिक खर्च, दिखावे और मूल सांस्कृतिक परम्पराओं के उल्लंघन को आधुनिकता कहता है! उसे लगता है कि वह जो भी 'नया' कर रहा है, वह आधुनिक है. इस चक्कर में वह समाज को आर्थिक नुकसान तो करता ही है, समाज की सांस्कृतिक जड़ों को काटने में भी भूमिका निभाता है. जबकि इसका उल्टा होना चाहिए था.

समाज में आज एक सर्वे करेंगे तो पायेंगे कि अधिकतर नशा पढ़ा लिखा व्यक्ति कर रहा है. जो स्कूल या कॉलेज नहीं गया, वह कम नशा करता है. शराब की बिक्री आपको उन जिलों में ज्यादा मिलेगी, जहाँ तथाकथित शिक्षा का अधिक प्रसार हुआ है! समाज में गुंडागर्दी या आवारागर्दी या अपराध के मामले में भी आपको पढ़े लिखे लोग आगे मिलेंगे. महिलाओं को असुरक्षा देने में भी हमारे पढ़े लिखे वर्ग ने बाजी मारी है. पहले महिलाऐं घर से बाहर निकलने से डरती नहीं थीं पर अब तो छोटी छोटी बच्चियों को लेकर भी समाज डरा हुआ है. है न? किनके कारण? अनपढ़ों के कारण? नहीं ना? जब अनपढ़ अधिक थे तब समाज में इतनी नैतिक गिरावट नहीं थी. न इतना कृत्रिम तनाव और घृणा थी. आप इस बात से सहमत होंगे?

यही नहीं, पढ़े लिखे वर्ग ने विवाह जैसे आनंद के अवसर को भी दिखावे और दहेज के कारण तनाव के अवसर में बदल दिया है. आप आंकड़े देखेंगे तो पता चलेगा कि इस तनाव में ही लड़कियों की संख्या कम हो गई है. जिन-जिन जिलों में शिक्षा अधिक हुई, वहां-वहां बेटियों की संख्या कम हुई है! जहाँ पढ़ाई कम हुई, वहां अभी भी लड़के लड़की में भेद नहीं है. कमाल तो यह है कि अधिकतर शिक्षित महिलाऐं दहेज और दिखावे की पक्की समर्थक हैं, उनको भी बिना दहेज बहू नहीं चहिये! बेचारी अनपढ़ सास की यह मांग तो कतई नहीं थी! और मंच से विद्वान कहते हैं कि एक बालिका पढ़ती है तो वह दो घर सुधारती है. हकीकत में तो दोनों घरों का खर्च बढ़ जाता है!

एक और बात कि आज का औसत पढ़ा लिखा व्यक्ति अखबार या सोशल मीडिया से ज्यादा सामान्य जीवन में कुछ नहीं पढ़ता है. महापुरुषों के जीवन चरित्र या प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें अब उसकी रुचि के विषय नहीं हैं. न ही वह अपने हस्ताक्षर से अधिक कुछ लिखता है! चाहे वह आई.ए.एस. है या आर.ए.एस. है. या कि वह शिक्षक है या कि पढ़ा-लिखा बेरोजगार है. वह आसपास की या देश-प्रदेश की छिछ्ली बातों या राजनीति के तमाशों में रुचि लेता है. ऐसे में वह समाज को कैसे बदलेगा?

तो क्या अभिनव राजस्थान में शिक्षा का प्रसार कम किया जायेगा? ऊपर की बातों से तो ऐसा ही आभास होता होगा? नहीं जी. अभिनव राजस्थान में शिक्षा का प्रसार होगा, लेकिन 'नई शिक्षा' का. ऐसी शिक्षा का जो समाज के लिए उपयोगी हो, परिवारों के लिए उपयोगी हो और व्यक्ति के लिए उपयोगी हो. ऐसी शिक्षा जो जानकारियों से आगे बढ़े और ज्ञान का सृजन करे. ऐसा ज्ञान जो व्यक्ति को समाज और देश के लिए जिम्मेदारी से काम करने के लिए तैयार करे. ऐसी शिक्षा जो उसे आनंद से भरे.

अभिनव शिक्षा में हम प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा में एक ऐसा सतत समन्वय बनायेंगे कि इस व्यवस्था में शिक्षित होता विद्यार्थी एक-एक कदम आत्मविश्वास से आगे बढ़ेगा. उसे हर कदम पर लगेगा कि वह समाज के लिए कौन सा काम कर सकता है. वह सादा और सुन्दर समाज बनाएगा, कला की साधना करेगा, महिलाओं का सम्मान करेगा. वह शिक्षा समाज में सुधार करेगी.

अभिनव परिवार, अभिनव नागरिक.

अभिनव राजस्थान, दरअसल डेढ़ करोड़ परिवारों का योग होगा. हमारे लिए विकास की मूल कड़ी एक परिवार ही होगी. यह परिवार किसी अरबपति का भी होगा तो किसी घुमन्तु वर्ग का भी. हम अमीरों और गरीबों में भेद करने का नाटक नहीं करेंगे और न ही किसान-व्यापारी या गाँव-शहर या समाज के अलग अलग वर्गों को बांटने में कोई दिलचस्पी रखेंगे. यह काम राजनेताओं ने खूब कर लिया है और कर भी रहे हैं, उनको यही काम समझ आता है 'राज' पाने के लिए. पर हम क्योंकि लोकनीति से काम करेंगे, इसलिए अपने सभी परिवारों का एक साथ ख्याल करेंगे. एक भाव से, एक नजर से.

अभिनव राजस्थान में परिवारों की आमदनी अलग अलग होंगी, योग्यता के अनुसार कोई अरबपति होगा तो कोई लखपति परिवार होगा, एक समान आमदनी मानव समाज में सम्भव नहीं है, लेकिन इन परिवारों को मिलने वाले मूल अवसरों में अंतर नहीं होगा. न शिक्षा में, न स्वास्थ्य में और न ही अन्य मूलभूत सुविधाओं में. किसी दूर दराज की ढाणी से लेकर जयपुर तक मूलभूत सुविधाओं में कोई अंतर नहीं होगा. ऐसा प्लान, ऐसी योजना हमने बना ली है और वह सरलता से लागू हो जाएगी, गारंटी से. गाँव में रहने वाले बच्चे और बड़े शहर में पढ़ने वाले बच्चे की शिक्षा में कोई भेद नहीं होगा. सबके लिए एक पाठ्यक्रम, एक ही परीक्षा और विशेषज्ञों की पूरी व्यवस्था होगी. कम आमदनी वाले परिवार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के कम होने के दुःख में नहीं सिसकेंगे. भारत के संविधान की इस भावना को हम लागू करेंगे. अभी तक ऐसा भारत के किसी शासन ने नहीं किया है. हम इसे लागू करेंगे.

राजस्थान के सभी परिवार अब अपना वर्षभर का बजट बनाया करेंगे. हम युवाओं को इसके लिए प्रशिक्षित करेंगे. अभी यह भी एक बड़ी समस्या है कि लोग 'घाटा-घाटा' रोते हैं पर अपने बजट या हिसाब में उनकी रुचि नहीं है. बजट बनने से आधी बीमारी ख़त्म हो जाएगी. विशेषकर गाँवों के परिवारों को. तब उनको लगेगा कि कौन कौन से खर्च फिजूल के हैं और उनको कैसे रोका जाये. तभी वे सामाजिक परम्पराओं को सादा, सुसंस्कृत और आनंददायक बनायेंगे. कुरीतियाँ तभी विदा होंगी. उपदेश से नहीं.

कला और खेल के पुनः लोकप्रिय होने से परिवार स्वस्थ होंगे और आनंद से भरेंगे. वे अब समाज के ढाँचे में भी बेहतर ढंग से फिट होंगे क्योंकि हम स्कूल-कॉलेज में सामाजिक संबंधों के महत्व और उनको ठीक से निभाने की शिक्षा को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनायेंगे. पुरुष स्त्रियों को और स्त्रियाँ पुरुषों को बेहतर ढंग से समझेंगी. सामाजिक मनोविज्ञान की व्यवहारिक शिक्षा से यह संभव होगा. तभी समाज में बच्चों की उचित देखभाल करने वाले मां-बाप होंगे, जो बच्चों को अभिनव नागरिक बनायेंगे.

अभिनव नागरिक, अभिनव राजस्थान का आधार होंगे. ये वे नागरिक होंगे, जिनकी आवश्यकता हमको वर्ष 1947 में थी, जिनके दम पर हम अपने देश को एक विकसित और लोकतान्त्रिक देश बनाने का सपना देखते थे. अंग्रेजों ने हमको चेताया भी था कि ऐसे नागरिक तैयार कर लेना, वरना आप शासन को ठीक से नहीं संभल पाओगे, एक विकसित देश नहीं बन पाओगे. तब हमने कहा था कि एक बार शासन हमारे हाथों में आ जायेगा तो हम ऐसे नागरिकों का निर्माण शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से कर लेंगे.

पर जल्दी ही हम उस बात को भूल गए और सत्ता पर कुछ देशी लोगों ने कब्जा कर लिया और तेरा राज-मेरा राज का खेल शुरू हो गया. नागरिकों का निर्माण नहीं हो पाया और उनकी जगह वही गुलाम मानसिकता की भीड़ रह गई, जो पहले थी. लोकतंत्र के नाम पर भीड़तंत्र रह गया. व्यवस्था से डरे हुए, व्यवस्था को अपना नहीं मानने वाले और जिम्मेदारी से बचने वाले लोग 'नागरिक' नहीं होते हैं. नागरिक होने के लिए जागरूक होना पड़ता है और अपने शासन में जिम्मेदारी लेनी पड़ती है.

हम नागरिक निर्माण का वह रुका हुआ काम भारत में पहली बार शुरू करेंगे. राजस्थान से यह काम शुरू होगा. इसके लिए सबसे पहले हम अपने लोगों का शासन से रिश्ता सुधारेंगे. उनमें शासन के प्रति अपनापन पैदा करेंगे. तभी वे नजदीक आयेंगे और शासन को जानने का प्रयास करेंगे. अभी तो उनको लगता है कि यह 'राज' इसका या उसका है, मेरा नहीं है. इसलिए इसकी गहराइयों में वे जाने से बचते हैं और मुझे क्या या क्या हो जायेगा के भाव से भरे हुए हैं. तभी तो सूचना का अधिकार देने के बाद भी अधिकांश लोगों को शासन व्यवस्था को जानने में रुचि नहीं है. जो अपने आपको 'बुद्धिजीवी' समझते हैं, उनको भी नहीं ! वे भी किसी चुने हुए 'राजा' या 'रानी' की स्तुति या निंदा में व्यस्त हैं !

अभिनव राजस्थान में लोगों को शासन से अपनापन होने पर जानकारी का स्वाद जागेगा और जागरूकता आएगी. जागरूकता से उनमें आत्मविश्वास पैदा होगा और उनका व्यवस्था से डर कम होगा. तब वे शासन में कोई जिम्मेदारी निभाने को तैयार होंगे. जागरूकता और जिम्मेदारी का यह संगम ही राजस्थान में नागरिकों का निर्माण करेगा. हम इस काम को अभी से शुरू कर चुके हैं और अभिनव राजस्थान का शासन आने पर यह काम अधिक गति से बढ़ेगा. सजग-जिम्मेदार नागरिक ही किसी समाज या देश को मजबूत बनाते हैं. कोई एक छद्म अवतार या राजनेता कभी भी किसी देश को महान नहीं बना पाया है. भारत जब महान देश था, तब यह औसत नागरिकों की सजगता और विद्वता के कारण ही था. आज दुनिया के कई देश जो विकसित हुए हैं तो इन सजग-जिम्मेदार नागरिकों के दम पर ही हुए हैं. उनके नेता बदलते रहते हैं, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता. न जापान में, न स्वीडन में, न न्यूजीलैंड में.

अभिनव नागरिक जागरूक और जिम्मेदार होने के साथ साथ किसी न किसी विशेष ज्ञान, कला और खेल में निपुण होंगे. आनंदित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे. अभिनव शिक्षा में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे.

अभिनव शिक्षा

अभिनव शिक्षा,
ज्ञान वही जो काम आये.

अभिनव राजस्थान में हम शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करेंगे. ऐसा बदलाव जो शिक्षा को सार्थक कर दे, ऐसा बदलाव जो सार्थक ज्ञान की रचना में सहायक हो. ऐसा बदलाव जो वर्तमान संविधान की मर्यादा में हो, वर्तमान संसाधनों के भीतर हो, जो शिक्षकों, अभिभावकों और स्टूडेंट्स सभी के मन को भाये. इस बदलाव के बारे में हमने गम्भीर अध्ययन किया है, खूब चर्चाएँ की हैं. ऐसा नहीं कि जो मन में आया, उसे परोस दिया. जैसा अभी तक किया जा रहा है. तभी तो वे बदलाव भारत में सार्थक शिक्षा नहीं ला पाए और उल्टे उनके कारण शिक्षा का स्तर गिरता चला गया. बदलाव जिम्मेदारी से होने चाहियें.

शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के हमारे पांच मुख्य उद्देश्य हैं. पहला उद्देश्य ऐसे ज्ञान की रचना करना है, जो समाज की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप हो. जिस ज्ञान की आज के राजस्थानी समाज को जरूरत हो. अभी जो ज्ञान पैदा हो रहा है, उसमें से अधिकतर समाज के काम आने लायक नहीं है. तभी तो बेरोजगारी है. ज्ञान काम का नहीं होगा तो ऐसा ही होगा. इसलिए हम शिक्षा व्यवस्था में वर्तमान समाज की आवश्यकताओं के अनुसार नए पाठ्यक्रम और नई शिक्षण पद्धतियों को स्थान देंगे. हम ऐसे ज्ञान की रचना का लक्ष्य रखकर कक्षा एक से अध्यापन करवाएंगे ताकि कक्षा दस पास करके या कॉलेज से निकलते हुए विद्यार्थी अपने ज्ञान के दम पर खड़ा हो सके. उसे वही पढ़ाया जायेगा, वैसे ही पढ़ाया जायेगा जो उसके जीवन को सहयोग करे. वह निराश न हो. असहाय महसूस न करे.

हमारा दूसरा उद्देश्य शिक्षा को आनंद का विषय बनाना है. अभी शिक्षा बोझ बन गई है - शिक्षक के लिए भी, अभिभावक के लिए भी और विद्यार्थी के लिए भी. यह इसलिए हुआ है क्योंकि समय के साथ साथ यह व्यवस्था उलझती गई है. इसमें इतने गलत गलत प्रयोग हुए हैं कि अब पूरी व्यवस्था ही बोझिल हो गई है. इसका पाठ्यक्रम, इसकी शिक्षण विधियाँ, इसकी परीक्षाएं सब जैसे आनंद की दुश्मन हैं ! हम केम्पस को उसका आनंद फिर से लौटायेंगे. अभिनव शिक्षा में नया पाठ्यक्रम होगा, बहुत छोटा, पर बहुत सार्थक, नई शिक्षण विधियाँ होंगी, बहुत रोचक, नई परीक्षा पद्धति होगी, एकदम सरल. लेकिन इस व्यवस्था में पढ़ा हमारा विद्यार्थी विश्व का श्रेष्ठ विद्यार्थी होगा.

हमारा तीसरा उद्देश्य शिक्षक के सम्मान को पुनः शिखर पर ले जाने का है. तभी वह अपना पूर्ण योगदान, पूरे उत्साह से, पूरी ऊर्जा से दे पायेगा. हमारा चौथा उद्देश्य विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास का होगा. उसे ज्ञान, विज्ञान के साथ साथ कला और खेल में भी निपुण किया जायेगा. पांचवां उद्देश्य शिक्षा के समान अवसर राजस्थान के प्रत्येक बालक-बालिका को देना होगा.

हमारे इन पांच उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम पांच बड़े बदलाव करेंगे, अभिनव राजस्थान में. इन उद्देश्यों और बदलावों के बारे में आप आगे के अध्यायों में विस्तार से जान सकेंगे.

पहला बदलाव हम शिक्षा के प्रशासन में करेंगे. जयपुर से लेकर गाँव तक की स्कूलों और कॉलेजों के प्रशासन को हम बदलेंगे. यह पूर्णतया विकेन्द्रित प्रशासन होगा. सरल होगा पर प्रभावी होगा. इस प्रशासन में तारतम्यता होगी तो पारदर्शिता भी चरम पर होगी. मनमानी नहीं होगी तो स्पष्ट नीतियां होंगी. साथ ही शिक्षा के प्रशासन को खेती, पशुपालन, उद्योग और स्वास्थ्य के प्रशासन के साथ प्रमुखता दी जायेगी. अभिनव शासन में हमारे लिए ये पांच क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे.

दूसरा बदलाव हम स्कूल-कॉलेज की संरचना में, ढांचे में करेंगे. गाँव से लेकर विश्वविद्यालय तक यह ढांचा समन्वय से काम करेगा. कहीं भी कोई भ्रम नहीं होगा. नए ज्ञान की रचना इस ढाँचे से मेल खाएगी. हर स्तर पर विद्यार्थी और अभिभावक को प्रगति का नया अनुभव होगा. हमारे इस सिस्टम में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय होंगे. मिडल स्कूल या उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं होंगे. सभी विषयों के कॉलेज एकरूप होंगे, उनकी डिग्रियां समान अवधि में पूरी होंगी.

तीसरा बदलाव हम शिक्षा संस्थानों की कार्यप्रणाली में करेंगे. इनका पाठ्यक्रम नया होगा. इस पाठ्यक्रम में समाज की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार विषय और विषय सामग्री होंगी. विज्ञान और वाणिज्य को प्राथमिकता होगी. व्यावहारिक ज्ञान पर अधिक जोर होगा. शिक्षण विधियाँ भी नई और अत्यंत रोचक होंगी. परीक्षाएं सरल होंगी और अधिकतर परीक्षाएं स्थानीय होंगी. पर जो नहीं पढ़ेंगे, वे विद्यार्थी फेल भी होंगे. साथ ही हम स्कूल-कॉलेज के समय और छुट्टियों में भी बड़ा बदलाव करेंगे.

चौथा बदलाव हम शिक्षक के सम्मान को लेकर करेंगे. अभिनव राजस्थान में शिक्षक का सामाजिक मूल्य पुनर्स्थापित होगा. अब शिक्षक को सरकारी 'नौकर' नहीं समझा जायेगा. शिक्षक के व्यवस्था में प्रवेश से लेकर निर्गम तक उसे अपने कार्य पर गर्व होगा. शिक्षक के मूल्यांकन पर भरोसा किया जायेगा. स्थानीय मूल्यांकन का महत्व पुनः अधिक होगा. शिक्षकों के प्रोमोशन उतने ही जल्दी होंगे, जितने सामान्य प्रशासनिक अधिकारियों के होते हैं. शिक्षकों के तबादले की भी स्पष्ट नीति होगी.

और पांचवां बदलाव हम, शिक्षा में अवसरों की समानता के लिए करेंगे. अभिनव राजस्थान में सभी बालक-बालिकाएं अपने घर पर रहकर सामान्य ग्रेजुएशन तक की शिक्षा पूरी कर सकेंगे. बालिकाएं और उनके अभिभावक हर स्तर पर अवसरों की समानता सुरक्षा के अहसास के साथ महसूस करेंगे. गाँव के विद्यार्थी, गरीब विद्यार्थी और सभी जिलों के विद्यार्थी सम्पूर्ण राजस्थान में एक जैसे अवसर प्राप्त करेंगे. किसी को यह नहीं लगेगा कि उनके अवसर समाज के किसी अन्य वर्ग से या राजस्थान के किसी अन्य भाग से कम हैं. अभिनव शिक्षा, सार्थकता के साथ समानता से भरी होगी.

वर्तमान शिक्षा, निरर्थक शिक्षा.

यह शीर्षक ही काफी है विषय की भूमिका बनाने में. इन दो वाक्यों से ही भारत और राजस्थान की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को समझा जा सकता है. समझा जा सकता है कि सत्तर वर्षों की माथापच्ची से आखिर शिक्षा ने क्या निकाला. शिक्षा ने हमें क्या दिया? और इससे हम यह भी समझ सकते हैं कि हमने अपनी उदासीनता से शिक्षा को कहाँ पहुंचा दिया. वैसे क्या है शिक्षा का अर्थ?

शिक्षा का अर्थ उस ज्ञान के सृजन से है, उस ज्ञान के प्रदान करने से है जो किसी व्यक्ति को समाज में उसकी योग्यता के अनुसार स्थापित कर दे. उसे इतना और ऐसा ज्ञान या कौशल प्राप्त हो जिससे उसकी आजीविका चल जाये और समाज भी ऐसे शिक्षित लोगों के कारण विकसित हो. इतना ही तो सीधा अर्थ है न? भूल जाइये कि अभी क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या सिलेबस में है. शब्दों और लच्छेदार वाक्यों के भ्रमजाल को भूल जाइए. इन्होने ही तो शिक्षा का अनर्थ कर दिया है भारत में.

थोड़ा इतिहास में झांक लें. भारत में शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था की यात्रा में हम तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों से शुरू हुए थे. तब पूरी दुनिया के लोग भारत में शिक्षित होने आते थे. शास्त्र और शस्त्र के अलावा कई विषयों का ज्ञान ये संस्थान देते थे. दर्शन और विज्ञान में इनको महारत थी. फिर एक हजार वर्ष पहले भारत में सल्तनत आई. उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को बकवास कहा, नालंदा को उजाड़ दिया. अन्य संस्थान भी समेट दिए. मुगलों के समय भी यही हाल रहा. मदरसों और गुरुकुलों में 'कुछ' लोग पढ़ते रहे. धन्यवाद मध्यकाल के सम्प्रदायों का कि वे धर्म जागरण के नाम पर विचारों को हिलाते डुलाते रहे. जबकि समाज हार मान चुका था और शासन को कोई रुचि नहीं थी.

तब अंग्रेज आये और उन्होंने अपने शासन की जरूरतों के हिसाब से शिक्षा की नई व्यवस्था भारत में रची और उसे चलाया भी. उनको अपने शासन को चलाने के लिए सस्ते और वफादार बाबू चाहिए थे. इस व्यवस्था में ऐसे छोटे-बड़े बाबू मिलने लगे थे. साथ ही साथ वे इन 'पढ़े-लिखे' लोगों को बताते जा रहे थे कि आपकी संस्कृति निहायत बकवास है और आपका इतिहास भी घटिया है. उनके माने हमारी सब सुनी सुनाई बातें झूठी थीं. वेद भी, पुराण भी, दर्शन भी. 'नौकरी' की चाह में इन पढ़े लिखे लोगों ने यह मान भी लिया और लगभग सौ साल इस व्यवस्था में पढ़ने से बात गहरी बैठ भी गई. बीच बीच में दयानंद, विवेकानंद और अरविन्द कहते रहे कि यह सब आपको गलत बहका रहे हैं. स्वामी दयानंद ने तो वैकल्पिक स्वदेशी शिक्षा की नींव भी रख दी. पर कमोबेश अंग्रेजी व्यवस्था ही देश में चलती रही. स्कूल-कॉलेज अंग्रेजियत में डूबे हुए रहे. शिक्षा शासन के नजदीक रही पर समाज से दूर हो गई.

अंग्रेजों से सत्ता देशी लोगों के पास आई तो लगा था कि अब शिक्षा अपने पसंद की होगी. तब लगा कि शिक्षा को हम अब वह स्वरुप देंगे, जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता सेनानी करते थे. लगा कि अब शिक्षा को भारतीय समाज, संस्कृति, प्रकृति और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार ढालेंगे.

पचास और साठ के दशक में हमारे देशी सत्ताधीश जुनून में थे. देश को विकसित करेंगे, गरीबी से उबारेंगे, 'नई शिक्षा' के लिए व्यवस्था करेंगे, खूब अनुसंधान करेंगे. खेती और उद्योग को शिक्षा और तकनीक से नई ऊँचाइयाँ देंगे. इस जुनून में प्रयास हुए भी पर उसी सांचे में हुए. अंग्रेजी सांचे में. सफलताएँ भी मिलने लगीं. पढ़े लिखे लोग समाज और देश के लिए कुछ करने के जज्बे से भी भरने लगे थे. स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में शिक्षक भी समर्पण से पढ़ा रहे थे.

पर इस समय शासन का एक तबका अपने आपको अंग्रेजों का वारिस समझने लगा था. इनमें कुछ अफसर थे तो कुछ चुने हुए या थोपे हुए राजनेता थे. इन लोगों को अपने 'राज' के लिए सबसे अधिक खतरा नए पढ़े लिखे लोगों से था, युवाओं से था, जो क्रांतियों को पढ़ पढ़कर आंदोलित हो रहे थे. समाज में फ़ैली असमानता कम नहीं हो रही थी और गरीबी-बेरोजगारी नए चरम छूने लगी थी. इन 'राज' के लोगों को अब नई शिक्षा व्यवस्था चुभने लगी थी. इसका चरम तब आया जब सत्तर के दशक में जयप्रकाश नारायण (जे.पी.) के नेतृत्व में इस 'राज' के खिलाफ बड़ा आन्दोलन हो गया. इंदिरा गाँधी और उनके सहयोगी कुछ अफसर और राजनेता इस 'राज' के प्रतीक थे.

बस, इसके बाद भारतीय शिक्षा की गाड़ी पीछे की ओर चलने लगी. शिक्षा में राजनीति प्रवेश कर गई. अस्सी का दशक पूरा होते होते शिक्षा व्यवस्था चरमराने लगी. नब्बे के दशक में जब देश की अर्थव्यवस्था के कुछ भाग को निजी और विदेशी निवेश के नाम पर बेचा गया तो उस करतूत को छुपाने के लिए स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान का ढोंग किया गया. कॉलेजों को भुला दिया गया. सरकारी कॉलेज नामांकन और चुनाव तक सीमित हो गये तो यूनिवर्सिटी मात्र डिग्री वितरण केंद्र बन गईं. निजी क्षेत्र को शिक्षा के व्यवसायीकरण की खुली और भद्दी छूट दी गई. यहाँ तक कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी दुकानों में तब्दील कर दिया गया. अभी यही हाल हैं.

आज शिक्षा निरर्थक हो गई है. पहली क्लास से आखिरी क्लास तक जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके दम पर कोई युवा अपना और अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता है. कुछ व्यावसायिक कोर्स को छोड़कर. शिक्षा व्यवस्था में सुधार के कई प्रयास होते रहे हैं पर वे मात्र लीपापोती से आगे नहीं बढ़ते हैं. कभी यह विषय जोड़ दो, कभी यह हटा दो, कभी यह परीक्षा रखो, कभी वह हटा दो! मेकाले जितनी मेहनत कोई नहीं कर पा रहा है, और न ही शासन में मेकाले के आकाओं जितनी इच्छाशक्ति है, न नीयत साफ़ है. शासन में बैठे लोग 'राज' में मस्त हैं. फिर कौन बदलेगा इस व्यवस्था को? अभिनव राजस्थान.

अभिनव शिक्षा की कार्यनीति, कैसे राजी करेंगे समाज को?

जब भी समाज में कोई बड़ा परिवर्तन या सोशल चेंज करना होता है तो उसके कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं. उन कायदों की उपेक्षा करके आप बड़े परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे तो ये परिवर्तन अच्छी नीयत का और लाभदायी होते हुए भी समाज स्वीकार नहीं करता है. समाज को परिवर्तन के लिए तैयार करना होता है. यह तैयारी ही स्थाई परिवर्तन और सफलता की पहली सीढ़ी होती है.

शिक्षा समाज की आत्मा होती है. समाज कैसा होगा, यही तय करती है. ऐसे में शिक्षा में कोई परिवर्तन करने से पहले व्यापक स्तर पर मंथन होना चहिये. समाज के हर वर्ग को इस मंथन में शामिल किये बिना हम किसी सार्थक निर्णय पर नहीं पहुँच सकते हैं. ऐसा नहीं कि जिनको शासन की जिम्मेदारी है, उनके दिमाग में कोई 'फितूर' आ गया और वे इसे समाज पर थोप दें तो कोई सार्थक परिणाम निकलेगा. अभी तक के भारत में ऐसा ही हुआ है. शासन में बैठे गैर-जिम्मेदार लोगों और अव्यावहारिक बुद्धिजीवियों ने मिलकर ऐसे ही अफलातूनी निर्णय किये हैं. इन निर्णयों के कारण ही वर्तमान शिक्षा अपना मूल अर्थ ही खो चुकी है. शिक्षा में इतने उलजुलूल प्रयोग हुए हैं कि शिक्षा की कोई स्पष्ट दिशा ही नहीं रह गई है.

कहने को तो जब भी कोई नई शिक्षा नीति बनती है तो 'जागरूक' लोगों से विचार विमर्श होता है पर यह विमर्श जनमानस की गहराई तक नहीं पहुँचता है. फिर परिवर्तन के विषय भी इतने सतही होते हैं कि उनसे किसी सार्थक परिणाम की उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती है. कि यह पाठ जोड़ दें क्या, उसे हटा दें क्या या यह परीक्षा लें क्या और उस परीक्षा को हटा दें क्या. अभिभावकों और शिक्षकों को यह तब भी समझ में आता है जब इन परिवर्तनों के सुझाव आते हैं. उनको मालूम होता है कि इन परिवर्तनों से कोई बड़ा बदलाव शिक्षा व्यवस्था में नहीं होना है. वे इसे किसी विशेष वर्ग की जिद मानकर चुप ही रहते हैं और 'आदेशों' को स्वीकार कर लेते हैं. शासन को अपना न मानने की प्रवृति के कारण वे मूक दर्शक बनकर तमाशे को देखते हैं. जैसे हर मामले में देखते हैं.

अभी तक जितने भी परिवर्तन शिक्षा नीति के नाम पर भारत में हुए हैं, उनका क्या परिणाम हुआ ? आप भी जानते हैं कि इन्होने शिक्षा को बर्बाद कर दिया है. शिक्षा की गुणवत्ता ख़त्म हो गई है, अनुसंधान बंद हो गया है, कॉलेज बंद हो गए हैं, शिक्षक और समाज का नाता टूट गया है, शिक्षा डिग्रियों में सिमट गई है. यही हुआ न? ऊपर से शिक्षा ने व्यवसाय का रूप और ले लिया है. शिक्षा जैसा पावन कार्य भी जब व्यवसाय बन जाता है तो समाज में क्या बचता है?

अभिनव राजस्थान में हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करेंगे.

सबसे पहले हम उन बिन्दुओं को सरल भाषा में तय करेंगे, जिनसे शिक्षा व्यवस्था और समाज को सार्थक रूप से जोड़ना है. इसके लिए हम भूल जायेंगे कि अभी क्या चल रहा है या पीछे क्या चल रहा था. एक कोरी स्लेट की तरह अपने दिमाग को रखेंगे. ये बिंदु इतने सरल तरीके से समाज के सामने रखे जायेंगे कि कोई भी साधारण व्यक्ति भी इन बिन्दुओं का अर्थ समझ सकता है और इन बिन्दुओं पर कार्य करने से होने वाले संभावित परिणामों का अनुमान लगा सकता है. तभी यह मंथन सारगर्भित होगा और अभिनव राजस्थान के निर्माण में सहायक होगा. वरना हवाई, साहित्यिक शब्दावली ज्यादा भ्रमित करेगी. अभी तक की शिक्षा नीतियों के साथ यही समस्या हुई है.

सबसे पहले हम अभिभावकों के साथ अलग अलग सम्भागों में हमारी शिक्षा नीति पर खुलकर चर्चा करेंगे. समाज को अपनी आवश्यकताओं का पता होना चाहिए. हम समाज से यह जानना चाहेंगे कि शिक्षा से जिन अपेक्षाओं के पूरे होने की बात हम कर रहे हैं, उनमें कितना दम है. क्या ये परिवर्तन समाज की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने में कामयाब होंगे. क्या, जो विषय और ज्ञान अभिनव शिक्षा में दिया जायेगा, उसका प्रत्यक्ष लाभ समाज को होगा. समाज की पक्की हाँ जरूरी है. समाज की अनावश्यक चिंताओं को भी इन मंथनों में दूर किया जायेगा.

इसके बाद हम शिक्षकों से सभी संभागों में जाकर नई शिक्षा नीति पर चर्चा करेंगे. उनके विचार जाने बिना अचानक किसी सरकारी आदेश से कोई नीति लागू हो भी गई तो उस भाव से लागू नहीं हो पायेगी, जैसा अभी हाल है. शिक्षकों की शंकाओं को भी इन चर्चाओं में दूर किया जाना जरूरी होगा. नई शिक्षा नीति में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं और उनके निपटारे के लिए भी शिक्षकों के सुझावों को गंभीरता से लिया जायेगा. शिक्षकों की सहमति के बिना शिक्षा नीति को लागू करना मात्र औपचारिकता होगी, धरातल पर यह नीति नहीं उतर पायेगी.

अभिभावकों और शिक्षकों से चर्चा के साथ साथ हम उच्च शिक्षा संस्थानों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों से बात करेंगे. उनसे पूछेंगे कि वर्तमान शिक्षा के उनके अनुभव कैसे रहे और उन्होंने अपने सपनों के साथ कितने समझौते किये. उनको पूछेंगे कि नई शिक्षा नीति में पढ़ना किसी विद्यार्थी के लिए कैसा अनुभव होगा. विद्यार्थियों से ये चर्चाएँ हमें फर्स्टहैंड जानकारी देंगी.

इन चर्चाओं के लिए हम लोगों का चुनाव कैसे करेंगे? हम यह सब रेंडम या लॉटरी पद्धति से तय करेंगे. हर संभाग में कुछ गांवों और शहरों का चुनाव इस पद्धति से होगा, ताकि जनता की राय संतुलित हो.

अभिनव शिक्षा की व्यवस्था को लागू करने में हमें दो वर्ष लगेंगे. पहले वर्ष में हम वर्तमान व्यवस्था को ही चलाएंगे. इसके साथ साथ ही नई शिक्षा नीति के लिए विचार विमर्श चलेगा और नए कोर्स तैयार होंगे. दूसरे वर्ष में काम शुरू होगा, जो तीसरे वर्ष में स्थापित हो जायेगा.

अभिनव शिक्षा की संरचना एवं प्रशासन, सरल परन्तु प्रभावी ढांचा.

जब हम हम जानते हैं कि शिक्षा का विषय समाज में सबसे महत्वपूर्ण है तो इसके प्रबंध को भी उतना ही शानदार होना चाहिए. अभी शिक्षा के प्रबंध को, प्रशासन को इतना उलझा दिया गया है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है, यही समझ नहीं आता. अंग्रेजी-सामन्ती ढाँचे को ही खींचा जा रहा है. उसमें कोई सार्थक बदलाव हो ही नहीं पाया, बल्कि जो भी बदलाव हुए, उन्होंने उल्टे पुराने सिस्टम को भी खराब कर दिया है. स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक बुरा हाल हो रखा है. एक उच्च शिक्षा मंत्री, एक तकनीकी शिक्षा मंत्री, एक प्रारम्भिक शिक्षा मंत्री और एक टांग पंचायत राज मंत्री की ! मुख्यमंत्री का भी हस्तक्षेप. फिर कई विभाग, बोर्ड, निदेशालय और परिषदें. एक मकड़जाल सा है. अभिनव राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था का ढांचा, संरचना बहुत ही सरल होगी, सार्थक होगी, प्रभावी होगी.

अभिनव शिक्षा में तीन प्रकार के स्कूल होंगे- प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक. उसके बाद कॉलेज होंगे, विश्वविद्यालय होंगे. यह स्पष्ट क्रम होगा. और ये सब एक दूसरे से समन्वय से, कोर्डिनेशन से काम करेंगे. प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालय तक का सफर स्मूद होगा, लयबद्ध होगा.

अभिनव शिक्षा की सबसे मूल इकाई प्राथमिक स्कूल होगी. कक्षा एक से पांच तक यह व्यवस्था होगी. फिर दूसरी इकाई माध्यमिक स्कूल होगी. यह कक्षा छः से दस तक की व्यवस्था होगी. उसके बाद उच्च माध्यमिक स्कूल होगा जो कक्षा ग्यारह और बारह के लिए ही होगा. माध्यमिक शिक्षा तक सभी विद्यार्थी सभी विषय पढ़ेंगे, अनिवार्य, अभी की तरह. उच्च माध्यमिक विद्यालय में तीन वैकल्पिक विषय होंगे. अभी की ही तरह. पांच वर्ष तक विषय इसी प्रकार होंगे, आगे के पांच वर्षों में वैकल्पिक विषयों की संख्या दो कर दी जाएगी. परिवर्तन क्रम से होगा, ताकि झटके न लगें.

अभिनव शिक्षा में कोई उच्च प्राथमिक या मिडल स्कूल नहीं होगा और न ही उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा ग्यारह से नीचे के बच्चे पढ़ेंगे. हम यह मानते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान भी यही कहती है कि एक निश्चित उम्र तक एक निश्चित शिक्षण विधि होनी चाहिए. कक्षा एक के बच्चे और कक्षा आठ के बच्चे की मानसिकता और शारीरिक विकास में भारी अंतर होता है, उनको एक ही माहौल में पढ़ाना तर्कसंगत नहीं है. इसलिए मिडल स्कूल नहीं होगा. वैसे ही उच्च माध्यमिक स्कूलों में कक्षा नौ और दस के बच्चे मिसफिट होते हैं क्योंकि उनके विषय अनिवार्य होते हैं जबकि कक्षा ग्यारह-बारह में वैकल्पिक विषय होते हैं. कोई मैच नहीं है, दोनों की शिक्षण विधियों का और न मानसिकता का. इसलिए यह प्रायोगिक मिक्सिंग बंद होगी. पुनः सरलता की ओर, स्पष्टता की ओर बढ़ेंगे.

स्कूलों की तरह ही कॉलेजों की एक समरूप व्यवस्था होगी. कक्षा बारह के बाद किसी भी एक विषय में चार वर्षों का स्नातकीय पाठ्यक्रम होगा. इतिहास हो, भूगोल हो, लेखाशास्त्र हो, भौतिक हो, रसायन हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, स्पोर्ट्स हो, संगीत हो. एक विषय में विद्यार्थी स्नातक होगा, ग्रेजुएट होगा. हर विषय में चौथा वर्ष पूर्णतया समाज के भीतर अपने अर्जित ज्ञान के सक्रिय प्रयोग के लिए होगा. इंटर्नशिप होगी, सभी विषयों में. चाहे इतिहास का विद्यार्थी हो या हिंदी साहित्य या मेडिकल का, अपने ज्ञान को समाज से जोड़कर देखेगा. तभी तो उसे अपने ज्ञान की उपयोगिता और सार्थकता का पता चलेगा. आगे के चेप्टर्स में विस्तार से इसका विवेचन है.

अब आइये, इस ढाँचे के प्रबंध पर. ऊपर से नीचे तक. कौन क्या प्रबंध करेगा और कैसे प्रबंध करेगा. अभिनव राजस्थान में एक ही शिक्षा मंत्री होंगे, अलग अलग शिक्षा मंत्री नहीं होंगे. अभिनव राजस्थान में वैसे भी मंत्रीगण तबादले नहीं करेंगे, इसलिए इनका ज्यादा काम नीति बनाने और समाज से शिक्षण व्यवस्था को जोड़े रखने का ही होगा. ऐसे में इन पर ज्यादा 'बोझ' नहीं होगा ! पर हमारे शिक्षा मंत्री का शिक्षक होना या शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवी होना या लेखक, कवि, पत्रकार तो होना आवश्यक होगा. 'कोई भी' अभिनव राजस्थान में शिक्षा मंत्री नहीं हो जायेगा.

प्राथमिक शिक्षा के लिये वर्तमान प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ही नीति निर्माण का काम करेगा. शिक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में यह काम होगा. प्राथमिक शिक्षा के महानिदेशक इस निदेशालय के प्रभारी होंगे और वे कोई शिक्षाविद् ही होंगे. आई.ए.एस. या आर.ए.एस. अधिकारी अब शिक्षा व्यवस्था में नहीं होंगे. सचिवालय या शासन के किसी अन्य अंग का हस्तक्षेप इस निदेशालय के काम में नहीं होगा. एक जिले से दूसरे जिले में स्पष्ट और पारदर्शी तबादला नीति के तहत यह निदेशालय ट्रांसफर करेगा. शिक्षा मंत्री कभी-कभार हस्तक्षेप कर सकेंगे पर पारदर्शिता से. सब कुछ आमजन की नजर में होगा.

संभागों में अतिरिक्त महानिदेशक और जिलों में प्राथमिक शिक्षा के निदेशक होंगे और उनको भी स्पष्ट नीति से अपने क्षेत्राधिकार के भीतर तबादले के अधिकार होंगे. ये निदेशक पंचायत व्यवस्था में काम करेंगे पर जिला प्रमुखों का हस्तक्षेप मनमाने ढंग से नीति-विरुद्ध नहीं होगा. विकास उपखंडों में सहायक निदेशक भी अपने क्षेत्राधिकार के भीतर तबादले कर सकेंगे. उनकी भी जिम्मेदारियों के साथ स्पष्ट शक्तियाँ होंगी.

माध्यमिक शिक्षा का पूर्ण नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के पास होगा. यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा के महानिदेशक होंगे. माध्यमिक शिक्षा के अधिकारियों की व्यवस्था भी प्राथमिक शिक्षा की तरह ही होगी. उच्च माध्यमिक शिक्षा और कॉलेज शिक्षा का नियंत्रण राजस्थान के प्रत्येक संभाग के विश्वविद्यालय के पास होगा. जिलों में उच्च माध्यमिक शिक्षा के अधिकारी वैसे ही काम करेंगे, जैसे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के होंगे. आगे इन सभी पर विस्तार से आप पढ़ेंगे.

अभिनव प्राथमिक शिक्षा, खेल खेल में, आनंद से.

अभिनव राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा कक्षा एक से ही प्रारंभ होगी. छः वर्ष की उम्र से. इससे पहले कोई औपचारिक पढ़ाई नहीं होगी. गैर-जिम्मेदार समाज के गैर-जिम्मेदार माता पिता ने बच्चों के साथ अन्याय जितना कर लिया है, वह बहुत है. अब आगे यह अन्याय जारी नहीं रहेगा. कोई नर्सरी नहीं, कोई के जी, से जी, नहीं चाहिए. शिक्षा मनोविज्ञान इसके लिए मना करती है. बच्चे के शारीरिक विकास से ज्यादा स्तर का मानसिक बोझ डालना अनुचित है, मानवाधिकार का हनन है. बच्चों के भी मानवाधिकारों की रक्षा अभिनव राजस्थान का ध्येय होगा. शाला प्रवेश, छः वर्ष की उम्र में ही होगा.

फिर पीछे हम कह ही चुके हैं कि अभिनव शिक्षा में कोई मिडल स्कूल नहीं होगा. पहली कक्षा के बच्चे सातवीं-आठवीं के बच्चों के साथ नहीं बैठेंगे. प्राथमिक विद्यालय में कक्षा एक से पांच तक के बच्चे पढ़ेंगे. छः से बारह वर्ष की उम्र के बच्चे. इन विद्यालयों का और माध्यमिक विद्यालयों का कोई कनेक्शन नहीं होगा. न इनके अध्यापकों का, न इनकी टाइमिंग का, न छुट्टियों का.

हम समाज में बड़े स्तर पर बच्चों के माता पिता को उनकी जिम्मेदारी निभाने का प्रशिक्षण देंगे. उनको अपने घर को बच्चों की प्री-प्राइमरी स्कूल बनाना ही होगा. उन्हें अब जिम्मेदार माता पिता बनना ही होगा. आंगनबाड़ी के भरोसे देश का बचपन नहीं संवर सकता है. यह जो उम्र है, छः वर्ष तक की, यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है. इतना महत्वपूर्ण दूसरा कोई समय नहीं होता है. जब हम अपने बच्चों के इस महत्वपूर्ण काल में उनको नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? दुनिया के सभी विकसित समाजों और देशों ने यह समझ लिया है और हमें भी यह समझना होगा. संवरे हुए बचपन के बच्चे ही देश का भविष्य संवारेंगे. हमें बच्चों के साथ समय बिताना होगा, उनसे बहुत सी बातें करनी होंगी, उनके सपने जगाने होंगे, उनकी शंकाएँ मिटानी होंगी. उनके साथ खेलना होगा. दादा-दादी, माता-पिता, चाचा-चाची, भैया-दीदी सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी. जिम्मेदार समाज ही होगा- अभिनव समाज.

ये प्राथमिक विद्यालय मौसम के अनुसार अलग-अलग समय पर खुलेंगे. लेकिन इनमें मात्र चार घंटे तक पढ़ाई होगी. इनके शिक्षकों की भी पांच घंटे की ही ड्यूटी होगी. अब इन शिक्षकों को दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह आठ घंटे काम नहीं करवाना है. उनसे बराबरी के चक्कर में बच्चों को आठ घंटे की पढ़ाई की सजा अभिनव राजस्थान में नहीं होगी. यह कोई बात हुई? फाइलें देखने वाले कर्मचारी और शिक्षक को एक जैसा सरकारी वेतनभोगी मान लेना उचित नहीं है. प्राथमिक शिक्षकों को तो समाज में सबसे अधिक मान सम्मान और सुविधा अभिनव राजस्थान में मिलेंगी. नींव तैयार करते हैं ये.

फिर इन प्राइमरी स्कूलों में एक क्लास, एक शिक्षक की व्यवस्था लागू होगी. अभी जो व्यवस्था है, वह मजाक है. कि बीस बच्चों पर एक शिक्षक, कि चालीस बच्चों पर एक शिक्षक. अरे भाई, ये मानव के बच्चे हैं, भेड़-बकरियां नहीं हैं. हमें इनको चराना नहीं है, पढ़ाना है. यह क्या तरीका हुआ कि एक शिक्षक दो या तीन कक्षाएं एक साथ लेकर पढ़ा रहा है. यह औपचारिकता हम किस खुशी में, कैसे समाज और कैसे देश के निर्माण के लिए कर रहे हैं? अभिनव राजस्थान में यह लीला बंद होगी. शिक्षकों की या पर्याप्त छात्र संख्या की समस्या हमें नहीं होगी. हमारे पास इसके भी उपाय हैं. हम स्कूलों के समानीकरण और एकीकरण को नए अंदाज में करेंगे. सभी की खुशी से.

इन प्राथमिक विद्यालयों में सम्पूर्ण राजस्थान में एक ही पाठ्यक्रम होगा. बहुत ही कम शिक्षण सामग्री के साथ छः विषय होंगे- हिंदी, अंग्रेजी, राजस्थानी, गणित, व्यवहारिक ज्ञान और कला. राजस्थानी भाषा को अभी तक केंद्र सरकार ने मान्यता नहीं दी है पर अभिनव राजस्थान इसे अपने स्तर पर मान्यता देगा और बच्चों को इस भाषा के माध्यम से स्कूलों से बेहतर ढ़ंग से जोड़ेगा. शिक्षा मनोविज्ञान के माने बालक की प्रारम्भिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए ताकि उसकी समझ जल्दी विकसित हो. पर राजस्थान में गुलामी की मानसिकता के चलते अभी तक अपनी भाषा को लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया है. हम यह निर्णय लेकर राजस्थान की मातृभाषा को स्थापित करने का काम धीरे धीरे शुरू करेंगे.

व्यवहारिक ज्ञान में हम बच्चों को उनके आसपास के जीवन की प्रमुख घटनाओं के बारे में बताएँगे ताकि वे अपने वातावरण के साथ समन्वय से बड़े हो सकें. हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा के विषय और शब्द भी बच्चों के आसपास के जीवन से जुड़े होंगे ताकि वे अपनेपन से इन विषयों को सीख सकें. बच्चों की गणित के उदाहरण भी राजस्थान के समाज और संस्कृति का आभास करायेंगे.

एक न एक कला में बच्चों की रुचि पैदा करने का लक्ष्य होगा. इसके लिए बड़ी संख्या में कला शिक्षकों को आंशिक मानदेय पर रखा जाएगा. कला से जीवन और समाज समृद्ध होता है, सुन्दर होता है. हम राजस्थानी कला और संस्कृति को प्राथमिक स्कूलों से उभारेंगे. जब हमारे बच्चे फिर से गायन, वादन, नृत्य, नाट्य, चित्रकारी में रुचि लेने लगेंगे तो ही हम समाज की कुरूपता को कम करने की ओर बढ़ेंगे.

खेल स्कूल समय में नहीं होंगे. यह बड़ा ही इल्लॉजिकल, अतार्किक तरीका है कि स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे खेलें. यूनिफॉर्म रेत से, पसीने से खराब हो जाएगी. साथ ही स्कूल समय में खेलना भी अजीब लगता है, पढ़ाई और खेल साथ साथ नहीं हो सकते हैं. इसलिए अभिनव शिक्षा में शारीरिक शिक्षक स्कूल समय के बाद पूरे गाँव या शहर के बच्चों को समूहों में बांटकर खेलने का प्रबंध करेंगे. वे इस काम में गाँव या शहर के खिलाड़ी युवाओं का सहयोग लेंगे. खेल के प्रबंध के लिए स्कूल के या अन्य खेल मैदान काम आयेंगे.

और मिड डे मील? नहीं होगा. मुफ्त शिक्षा? नहीं होगी. क्यों? आगे के अध्याय में

अभिनव माध्यमिक शिक्षा, रीढ़ की हड्डी.

कक्षा छः से दस तक के विद्यार्थियों के लिए माध्यमिक शिक्षा विद्यालय होंगे. ये विद्यालय अभिनव शिक्षा की रीढ़ की हड्डी होंगे क्योंकि आगे की शिक्षा व्यवस्था के लिए ये आधार तैयार करेंगे. मनोविज्ञान के अनुसार बच्चों की यह उम्र या किशोरावस्था उनके जीवन का संक्रमण काल होती है और ऊर्जा से भरपूर होती है. इसी समय बच्चे अपने जीवन के सपनों का पीछा करने का मन बनाते हैं. इस वजह से हम अभिनव शिक्षा में समाज, अभिभावकों और शिक्षकों को शिक्षा मनोविज्ञान की मूलभूत बातों से अवगत करवाएंगे. पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के दौरान बच्चे कैसे बदलते हैं, इसके बारे में समाज में बड़े स्तर पर चर्चाएँ और चिंतन होंगे. तभी समाज और शिक्षा में समन्वय हो पायेगा. अभी इसकी भारी कमी है. समाज अलग चल रहा है और शिक्षा व्यवस्था अलग चल रही है.

माध्यमिक विद्यालय में हम जो विषय पढ़ाएंगे, वे होंगे - विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, चार भाषाएँ- हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और राजस्थानी, कृषि, वाणिज्य और कला. खेल भी अनिवार्य होगा पर यह सुबह और शाम को होगा, स्कूल समय में नहीं होगा. इस पर आगे अलग अध्याय है. सम्पूर्ण राजस्थान में प्रत्येक विद्यालय में एक समान पाठ्यक्रम होगा. माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होंगे. सभी विषय अनिवार्य होंगे. लेकिन इन विषयों की सामग्री बोझिल न होकर कम होगी और रोचक होगी. इसमें स्थानीयता का समावेश होगा. चाहे गणित हो या अंग्रेजी या कला, शब्द आसपास के वातावरण को जोड़ने वाले होंगे. वहीं भाषाओं को बोलने पर अधिक जोर होगा ताकि वे विद्यार्थियों की जुबान और दिमाग से जुड़ जाएँ.

कृषि और वाणिज्य को फिर से माध्यमिक शिक्षा का अंग बनाया जाएगा. जिस प्रदेश में तीन चौथाई लोग कृषि और पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हों, उस प्रदेश में इस विषय की उपेक्षा समाज और बाजार, दोनों के लिए अवांछित है, नुकसानदायक है. हमें राजस्थान को कृषि और पशुपालन के लिए विश्व में प्रमुख स्थान दिलाना है और इसके लिए इनसे जुड़े मुद्दों को माध्यमिक स्तर से ही व्यवस्था का अंग बनाना जरूरी है. तभी बच्चों की रुचि और रूझान इन क्षेत्रों के लिए बनना शुरू होगा.

दूसरी तरफ वाणिज्य विषय की भी इस युग में बहुत अधिक उपयोगिता है. हम माध्यमिक स्तर पर समाज के लिए उपयोगी मूलभूत वाणिज्य की जानकारियां देंगे. इसे माध्यमिक स्तर से ही समझने से बच्चों में व्यवसाय करने का रूझान जगेगा. अभी कृषि और वाणिज्य की इस स्तर पर उपेक्षा हो रही है.

माध्यमिक शिक्षा का हमारा लक्ष्य बालक-बालिका की उनकी रुचि के अनुसार आगे की पढ़ाई के लिए आधार तैयार करना है. उनका एप्टीट्युड जगाने और जानने के लिए यही उम्र उचित होती है.

माध्यमिक शिक्षा के प्रशासन के बारे में हम पहले ही कुछ कुछ बता चुके हैं. अभिनव राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर माध्यमिक शिक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा. इस बोर्ड के प्रभारी माध्यमिक शिक्षा महानिदेशक होंगे, जो कोई शिक्षाविद् होंगे. आई.ए.एस. या आर.ए.एस. अधिकारी अब शिक्षा व्यवस्था में किसी भी स्तर पर नहीं होंगे. यह सब मजाक बहुत हो लिया अब तक. जिसने कभी कोई क्लास नहीं ली हो जीवन में, वह कैसे शिक्षा व्यवस्था को समझ सकता है और चला सकता है. 'राज' नहीं चलाना है अब, अब 'विकास' करना है. अब 'शिक्षा' से 'ज्ञान' का सृजन करना है.

वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केवल दसवीं-बारहवीं की परीक्षाएं आयोजित करवाता है. जबकि स्कूलों का संचालन माध्यमिक निदेशालय करता है. यह दोहरा प्रबंध केवल औपचारिकता पूरी करता है. बोर्ड के अधिकारियों को नहीं पता होता है कि वर्ष भर स्कूलों में क्या और कैसे पढ़ाया गया. फिर बोर्ड कैसे परीक्षा ले सकता है? इसलिए अभिनव शिक्षा में बोर्ड कक्षा छः से दस तक की शिक्षा व्यवस्था के हर पहलू के लिए जिम्मेदार होगा. शिक्षकों के शिक्षा प्रबंध में प्रवेश (भर्ती) से लेकर उनके एक जिले से दूसरे जिले में तबादले के लिए बोर्ड ही जिम्मेदार होगा. तबादले पारदर्शी तरीके से होंगे और शिक्षा मंत्री केवल अत्यंत आवश्यक स्थिति में ही हस्तक्षेप करेंगे. पर उस हस्तक्षेप का कारण भी आमजन अपने कम्प्यूटर या मोबाइल पर देख सकेगा. तभी नीयत को लेकर संदेह कम होगा. लोक का तंत्र तो तभी होगा.

संभागों में अतिरिक्त महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा होंगे. उनके पास भी महानिदेशक की तरह जिम्मेदारी और शक्तियां होंगी. जिलों या विकास खंडों में माध्यमिक शिक्षा के निदेशक होंगे जो जिला प्रमुख के मागदर्शन में काम करेंगे. लेकिन जिला प्रमुख तबादलों या अन्य मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेंगे. तबादलों के अधिकार निदेशक के पास होंगे और ये पारदर्शिता से, स्पष्ट नीति से होंगे. विकास उपखंडों या पंचायत समितियों के अधिकारी (सहायक निदेशक) भी जिला निदेशक की ही तरह जिम्मेदार होंगे और उनके पास भी अपने उपखंड के भीतर तबादलों की शक्तियां होंगी. अभिनव शासन लोकतंत्र की मूल भावना के अनुसार हर विभाग में और हर स्तर पर विकेंद्रीकृत होगा. 'विश्वास' हमारे अभिनव शासन के मूल में होगा. अभी हम 'अविश्वास' से भरा शासन चला रहे हैं. कोई किसी का विश्वास नहीं करता है.

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड केवल दसवीं की परीक्षा लेगा, अब वह बारहवीं कक्षा की परीक्षा नहीं लेगा. बारहवीं की परीक्षा अब प्रत्येक संभाग का विश्वविद्यालय लेगा. परीक्षाओं पर आगे विस्तार से.

माध्यमिक शिक्षा अभिनव राजस्थान में एक सरल लेकिन प्रभावी व्यवस्था के तहत काम करेगी. कोई भ्रम नहीं, कोई उलझन नहीं. साथ ही कक्षा दस को पास किया हुआ अभिनव विद्यार्थी अपने जीवन की आगे की सीढ़ी अपनी रुचि से चुनेगा. उसे भी कोई भ्रम, कोई उलझन नहीं होगी. वह अपने सपनों को एक सुन्दर रूप अब तक दे चुका होगा और उनको पूरा करने की व्यवस्था अभिनव राजस्थान में होगी.

अभिनव उच्च माध्यमिक शिक्षा, अपने मन की, रुचि की शिक्षा.

माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश दसवीं बोर्ड में उनके प्रतिशत और उनकी रुचि-रूझान के अनुसार होगा. अभिनव शिक्षा में वैसे भी सभी विषय बराबर का महत्व रखेंगे, इसलिए अब अधिक प्रतिशत का मतलब विज्ञान विषय लेना ही नहीं होगा. अब हो सकता है कि अधिक प्रतिशत वाले बालक किसी कला में अध्ययन करने के बारे में निर्णय करें. कोई संगीत के बारे में सोचे तो कोई खेल के बारे में भी सोचे. अपने सपने को पूरा करे, न कि मजबूरी में आगे बढ़े. आगे के अध्यायों में आप जान लेंगे कि अभिनव समाज में सभी तरह के ज्ञान का महत्व होगा, मूल्य होगा और एक जैसे अवसर भी उपलब्ध होंगे. तभी वह जकड़न टूटेगी, जिसने अभी समाज को बांध रखा है और जिसके कारण ही हमारी आगे बढ़ने की गति कम है.

इन विद्यालयों में केवल ग्याहरवीं और बारहवीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे. अभी कई जगह तो कक्षा एक से तो कई जगह कक्षा छः से विद्यार्थियों को इन विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है. कक्षा नौ और दस को सम्पूर्ण राजस्थान में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जोड़ा ही गया है. यह शिक्षा मनोविज्ञान का मजाक है. विद्यार्थी के शारीरिक विकास को, उसकी उम्र को देखकर शिक्षण प्रक्रिया बनती है. आप यूं ही अपनी सुविधा से या संसाधनों के बहाने से शिक्षा व्यवस्था से नहीं खेल सकते. उच्च शिक्षा का मतलब उच्च शिक्षा हो. वैकल्पिक विषय हैं यहाँ, जिनको पढ़ने के, पढ़ाने के तरीके अलग होंगे.

अभिनव उच्च माध्यमिक विद्यालय में केवल वैकल्पिक विषय होंगे. तीन वैकल्पिक विषय होंगे, वर्तमान की तरह. लेकिन हिंदी-अंग्रेजी के अनिवार्य विषय नहीं होंगे. हम यह मानते हैं कि विद्यार्थी को इन भाषाओं का जितना बेसिक या मूल ज्ञान जीवन में आवश्यक होता है, वह दसवीं तक की किताबों में होता है. इससे उसका काम चल जाता है. आगे इन भाषाओं को केवल उन्हीं विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, जिनको इन भाषाओं के साहित्य में रुचि है. हिंदी में, अंग्रेजी, संस्कृत या राजस्थानी में रुचि है तो उच्च माध्यमिक में इन भाषाओं को वैकल्पिक भाषाओं के रूप में ले लें.

उच्च माध्यमिक शिक्षा में हम कला-विज्ञान-वाणिज्य के विषयों को बराबर बराबर प्रतिशत में पढ़ाएंगे. अभी कला के विषयों को तीन चौथाई विद्यार्थी पढ़ते हैं और यह बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है. अभी अधिकतर विद्यार्थियों के विषय इतिहास-हिंदी-राजनीति विज्ञान हैं. इस ज्ञान का आज के समाज में कम उपयोग है. ऐसे में अधिकतर विद्यार्थी मजबूरी में ये विषय पढ़कर शिक्षा की औपचारिकता पूरी करते हैं. इस ज्ञान से उनके जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते इस युग में बहुत कम होते हैं.

विज्ञान और वाणिज्य के विषयों को प्रमुखता नहीं दे पाने का मुख्य कारण अभी एक ही बताया जाता है- शिक्षकों की कमी. हमारे माने यह अत्यंत बचकाना कारण है. आप जनता से टैक्स किस बात के लिए वसूलते हो. कुछ तो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि समाज में वांछित ज्ञान का सृजन हो. समाज और देश के साथ, बच्चों के सपनों के साथ धोखा मत कीजिये.

अभिनव राजस्थान में हम सभी विषयों के लिए पर्याप्त विशेषज्ञ शिक्षकों की व्यवस्था करेंगे. इसके लिए धन की समस्या अभिनव राजस्थान में बिल्कुल नहीं होगी. वहीं हम विज्ञान में कृषि और पशुपालन को भी प्रमुखता देंगे. सभी शिक्षकों को पूरा सम्मान और आर्थिक सुरक्षा का अहसास दिलाएंगे. क्योंकि हमारी नीयत साफ होगी, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका सरल होगा.

कला और खेल में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक विकास उपखंड पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा. इन विषयों को भी अन्य विषयों की ही तरह महत्व दिया जायेगा. इनके ज्ञान से भी अभिनव समाज में किसी विद्यार्थी का स्थापन वैसे ही होगा, जैसे विज्ञान की पढ़ाई से. तभी तो हम ओलम्पिक की तैयारी कर पाएंगे. तभी तो हम समाज को सुन्दर संगीत और चित्र से सराबोर कर पाएंगे. तभी तो हम समाज को सुन्दर और आनंद से भरा बना पाएंगे. तभी समाज से अश्लीलता विदा होगी.

उच्च माध्यमिक विद्यालयों का नियंत्रण प्रत्येक संभाग के विश्वविद्यालय के पास होगा. क्यों? क्योंकि हम यह मानते हैं कि उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के शिक्षण और मूल्यांकन में स्पष्ट अंतर होना चाहिए. माध्यमिक शिक्षा तक विषय अनिवार्य होते हैं और उसके बाद उच्च शिक्षा में वैकल्पिक विषय होते हैं. इन वैकल्पिक विषयों के ज्ञान के आधार पर हमें अभिनव राजस्थान में विद्यार्थी को समाज से सीधे जोड़ना है. ऐसे में इस उच्च शिक्षा की व्यवस्था का प्रबंध भी सलीके से करना होगा. उच्च शिक्षा का नियंत्रण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास होने से घालमेल हो जाता है. अनिवार्य, बेसिक विषयों और वैकल्पिक, विशेष विषयों में. एक ही एजेंसी दो तरह के काम विशेषज्ञता से नहीं कर सकती है.

हमारे प्रत्येक संभाग के उच्च शिक्षा के एक अतिरिक्त महानिदेशक होंगे, जो संभागीय विश्वविद्यालय के उपकुलपति का काम भी करेंगे. ये कोई जाने माने शिक्षाविद् होंगे. जिलों में एक उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशक होंगे. दोनों को अपने क्षेत्राधिकार के अनुसार जिम्मेदारियां और शक्तियां होंगी. शिक्षकों के शिक्षा प्रबंध में प्रवेश से लेकर तबादलों तक. अब उच्च शिक्षा पूरे शबाब पर होगी, विशेषज्ञता से लैस होकर.

उच्च माध्यमिक विद्यालयों की परीक्षाएं सम्बंधित संभागीय विश्वविद्यालय ही आयोजित करेगा. राजस्थान में ऐसे ग्यारह संभाग होंगे. एक संभाग में एक विश्वविद्यालय होगा. यह अपने संभाग में सभी प्रकार की उच्च और तकनीकी शिक्षा के लिए जिम्मेदार होगा. सभी तकनीकी और गैर-तकनीकी उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश भी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में उपलब्धि के आधार पर होंगे. मेडिकल में, स्पोर्ट्स में, विधि में, कला में, कृषि में, सभी में इन परीक्षाओं के अंकों और एप्टीट्यूड से ही प्रवेश होगा.

अभिनव शिक्षण विधियाँ, न बस्ते का बोझ, न होमवर्क का झंझट.

शिक्षक बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वे कैसे पढ़ाते हैं. शिक्षा मनोविज्ञान में इस विषय पर बहुत कुछ लिखा जा चुका है पर भारत में अभी भी धरातल पर काम नहीं हो पाया है. नई नई शिक्षा नीतियों में इस विषय पर कहा तो बहुत कुछ जाता है पर शासन और शिक्षकों में समन्वय की कमी से औपचारिकताएं ही हो पाती हैं. तब तक कोई नई शिक्षा नीति आ जाती है. अब देखिये न, 1986 में बनी भारत की शिक्षा नीति का पांच प्रतिशत भी तीस वर्षों में लागू नहीं हुआ कि नई शिक्षा नीति आ गई है. लेकिन इन नीतियों में शिक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है. अंग्रेजी पद्धति में ही कुछ कुछ लीपापोती की जा रही है. कभी एक पाठ जोड़ दो, कभी हटा दो, कभी यह परीक्षा रखो, कभी वह मत रखो. और कुछ नहीं होता है. बस नई शिक्षा नीति लागू करने की उपलब्धि हो जाती है.

अभिनव शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा तक एक क्रांतिकारी काम यह किया जायेगा कि बस्ते का बोझ वाकई में कम कर दिया जाएगा. इसके लिए हम एक अभिनव प्रयास करेंगे. हम अलग अलग विषयों की पुस्तकों की बजाय एक महीने की एक पुस्तक रखेंगे. जैसे नवम्बर महीने की पुस्तक, मार्च की पुस्तक. इस एक पुस्तक में अलग अलग विषयों के अध्याय या लेसन होंगे. जैसे कक्षा छः की मार्च महीने की पुस्तक में तीन लेसन गणित के, तीन हिंदी के, तीन विज्ञान के. ऐसे सभी विषयों के कुछ अध्याय इस पुस्तक में होंगे. यानि कक्षा छः का विद्यार्थी अभिनव शिक्षा में मात्र एक पुस्तक लेकर ही विद्यालय जाएगा. महीने के अनुसार. कोर्स भी ऐसे ही पूरा होगा.

दूसरा बदलाव हम शिक्षण कालांश की व्यवस्था में करेंगे. अभिनव शिक्षा में हम किसी भी कक्षा को एक विषय पढ़ाएंगे और उसके अगले कालांश में उस विषय का होमवर्क करवाएंगे. शिक्षक अपनी उपस्थिति में यह होमवर्क या लिखित कार्य विद्यार्थी की नोटबुक में करवाएंगे. एक दिन में इस प्रकार तीन या चार विषय पढ़ाये जायेंगे. अगले दिन अन्य विषय पढ़ाये जायेंगे. इस विधि के कारण बच्चों को घर पर जाकर स्कूल का कोई काम नहीं करना होगा. घर पर वे एकदम फ्री रहेंगे. होना भी यही चाहिए. हमने भारतीय बच्चों को किताबों के बोझ तले इतना दबा दिया है कि उसका शारीरिक विकास ही रुक सा गया है. लेकिन यह परिवर्तन करने के लिए हमें समाज को, अभिभावकों और शिक्षकों को भी मानसिक रूप से तैयार करना होगा. तभी हमें वांछित परिणाम मिलेंगे.

यानि एक तो बस्ते का और दूसरे होमवर्क का बोझ जब बच्चे के सिर से कम हो जायेगा तो उसका शारीरिक विकास उम्र के अनुसार होना शुरू होगा और वह शिक्षा को सकारात्मक भाव से लेगा.

वहीं, शिक्षण कार्य को प्राथमिक शिक्षा में अत्यंत रुचिकर बनाया जाएगा. यह समय विद्यार्थी के शिक्षा से जुड़ने की शुरुआत होता है और अगर इस समय विद्यार्थी को शिक्षा में रुचि पैदा हो जाती है तो उसके आगे की शिक्षा आसान हो जाती है. प्राथमिक शिक्षकों को इसके लिए बहुत अधिक प्रेरित किया जायेगा. उनको यह अहसास दिलाया जायेगा कि वे इस व्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक हैं. अभी की तरह उनको सबसे कम महत्व का शिक्षक मानकर नहीं रखा जायेगा. समाज और शासन, दोनों इस बात का ख़ास ध्यान रखेंगे. अगर हमें इस भारत को, इस राजस्थान को दुनिया का सिरमौर बनाना है तो यह कहानी प्राथमिक विद्यालय से ही शुरू होगी. यह बात हमें स्वीकार कर लेनी चाहिए. हम अभिनव राजस्थान में इसी वजह से प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों को नया रंग देंगे.

माध्यमिक शिक्षा में हमारा सबसे अधिक जोर इस बात पर रहेगा कि विद्यार्थी जो होने को पैदा हुआ है, उस तरफ बढ़ सके. विभिन्न विषयों के अध्ययन से उसकी रुचि और रुझान स्पष्ट होते जायेंगे. अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी का मूल्यांकन इसी आधार पर करते रहेंगे. अध्यापकों के इस मूल्यांकन को उच्च माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के समय विशेष महत्व दिया जायेगा.

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सभी विषयों को आसपास के वातावरण से जोड़कर पढ़ाया जायेगा. समय निकालकर बच्चों को आसपास की जगहों पर भी एक हफ्ते में एक दिन का भ्रमण करवाया जायेगा. अभिनव शिक्षा में प्रत्येक स्कूल को छात्र संख्या के अनुरूप बसें भी उपलब्ध करवाई जाएँगी. ये बसें दूर दराज के विद्यार्थियों को लाने ले जाने का काम करेंगी तो विद्यालय भ्रमण के लिए भी काम आएँगी. अभिनव शासन परिवहन में इस पर हम विस्तार से बात करेंगे.

उच्च माध्यमिक शिक्षा में हम वैकल्पिक विषयों को पढ़ाएंगे. यहाँ पर महीने की पुस्तक की बजाय विषय की पुस्तक चलेगी. अब बच्चे बड़े हो गए होंगे, किशोर हो गए होंगे तो बस्ते का बोझ समस्या नहीं होगा. लेकिन होमवर्क को उच्च माध्यमिक शिक्षा में भी स्कूल में ही करवाया जायेगा. एक बार विद्यार्थी जो समझा, उसे अपने हाथों से लिख लेता है तो विषय से उसका जुड़ाव ठीक हो जाता है. साथ ही इन वैकल्पिक विषयों के अध्यापन में विषय के व्यवहारिक पक्ष को अधिक महत्व दिया जायेगा.

अभिनव प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण केवल चार घंटे का होगा तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा में शिक्षण छः घंटे का होगा. लेकिन अध्यापकों को इस समय के अलावा एक एक घंटे अतिरिक्त देने होंगे ताकि वे अध्यापन की व्यवस्थाओं की तैयारी कर सकें.

शिक्षा की यह व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें, इसकी जिम्मेदारी स्वयं शिक्षकों की होगी. शिक्षा विभाग के अधिकारी उनको समय समय पर मार्गदर्शन देंगे पर अन्य विभागों के अधिकारियों यानि कलक्टर, एस.डी.एम. को इनके काम के निरीक्षण का कोई अधिकार नहीं होगा. यह हस्तक्षेप बंद होगा.

अभिनव परीक्षाएं, तनाव से मुक्त.

अभिनव राजस्थान को एक आनंद से भरा समाज होना है तो उस समाज में जीवन की सामान्य बातों से भी तनाव कैसा? अब यह कोई बात हुई कि स्कूल जाना तनाव का विषय, पढ़ना तनाव का विषय, पढ़ाना तनाव का विषय और परीक्षा तनाव का विषय. यह क्या झमेला पैदा कर लिया हमने शिक्षा के नाम पर? अभिनव शिक्षा में हम शिक्षा व्यवस्था का अन्य व्यवस्थाओं की तरह ही सरलीकरण करेंगे. शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षा देना, दोनों कार्य अब मजे में, उत्साह से, बिना तनाव के होंगे.

परीक्षा आखिर होती क्या है? यह व्यवस्था विद्यार्थी के किसी विषय की समझ और ज्ञान को जानने के लिए होती है. कि अमुक विषय के बारे में उसकी समझ कितनी बढ़ी. यह समझ तभी बढ़ेगी जब वह रुचि से उस विषय को पढ़ेगा और शिक्षक भी पूरे उत्साह से, रुचि से उसे पढ़ायेगा. समझ बढ़ गई तो याद करने का वैसे भी झंझट नहीं होता है. ऐसे में परीक्षा का माहौल भी उल्लास से भरा होता है. जैसे कोई गीत या नृत्य हमें ठीक से समझ आ जाये और हमें उसे गाने को कहा जाये तो हम कितने आनंद में उस गीत को गाते हैं या कितने आनंद से नृत्य में झूमते हैं. अगर हमारी शिक्षण विधियाँ ऐसी ही रुचिकर हों और ऐसे ही रुचिकर विषय हों तो परीक्षाएं भी आनंद से सराबोर होंगी.

लेकिन यह जो कृत्रिम तनाव परीक्षा के नाम पर पैदा किया हुआ है, वह विद्यार्थी को बहुत भारी पड़ता है. एक तो अरुचि का पाठ्यक्रम, दूसरे पढ़ाने के गलत तरीके और तीसरे अंकों के आधार पर समाज में प्लेसमेंट की व्यवस्था. आपको कौनसा काम पसंद है, यह महत्वपूर्ण न होकर, किसी परीक्षा में आपको मिले अंकों के आधार पर उच्च शिक्षा का कोई कोर्स या काम तय होता है. यहीं सब गड़बड़ होती है. ऊपर से आज के युग में कुछ कार्यों का सामाजिक या आर्थिक मूल्य ज्यादा होने से भी कृत्रिम प्रतिस्पर्द्धा या कम्पटीशन पैदा होता है. परीक्षाओं के तनाव इसी वजह से हैं. इसी वजह से हमने अभिनव समाज में कुछ सामाजिक मूल्यों को बदलने की बात कही है. जब समाज में किसी चित्रकार और किसी डॉक्टर का सामाजिक मूल्य एक जैसा हो जायेगा तो यह परीक्षाओं के अंकों का खेल ख़त्म हो जायेगा.

हमारी अभी चल रही शिक्षा नीति में परीक्षाओं का तनाव, बस्ते का बोझ कम करने को लेकर खूब लिखा गया है पर धरातल पर यह सब लागू नहीं हो पा रहा है क्योंकि समाज और शासन के बीच समन्वय की भारी कमी है. आपस में विश्वास नहीं है. अभिभावक और शिक्षक सहमत नहीं होते हैं. उनके सामने खड़ा बाजार, समाज दिखाई देता है, जहाँ कुछ कार्यों की, कुछ तरह के ज्ञान की कीमत ज्यादा है. अभिनव राजस्थान में हम इसी मानसिकता को बदलने के लिए समाज और शासन के दुराव को कम करेंगे.

अभिनव शिक्षा में उपरोक्त कारणों से परीक्षाएं समझ आधारित होंगी और बहुत ही सरल होंगी. हमें विद्यार्थी को बहुत अधिक परेशान करके उसकी 'परीक्षा' नहीं लेनी है. हमारे लिए उसके द्वारा अर्जित 'ज्ञान' का महत्व ज्यादा होगा, न कि रटी हुई 'जानकारी' का. बरसों से विद्यार्थियों को परीक्षाओं के तनाव में उलझाये रखने के इस गैर-जिम्मेदार युग का अभिनव राजस्थान में अंत होगा.

अभिनव राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा की स्थानीय परीक्षाओं की व्यवस्था वैसे ही रहेंगी, जैसी अभी हैं. लेकिन मूल्यांकन की पद्धति में सतर्कता रहेगी. हमारे मूल्यांकन में बालक के किसी विशेष ज्ञान में रुचि का ध्यान रखा जायेगा. कि बालक का रुझान किस तरफ ज्यादा है. पांचवीं की बोर्ड परीक्षा विकास खंड यानि जिले के स्तर पर होगी. इस परीक्षा के आधे अंक स्थानीय स्तर पर हुए मूल्यांकनों के आधार पर तय होंगे और जिला परीक्षा में बाकी आधे अंक तय कर मेरिट बनेगी. बालक के प्रोग्रेस कार्ड में उसके पांच विशेष रुझानों और खासियतों के बारे में लिखा जायेगा. कमियां नहीं लिखेंगे.

दसवीं की समान परीक्षा वर्तमान की ही तरह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा ली जाएगी. इस परीक्षा में भी आधे अंक स्थानीय स्तर पर तय होंगे और आधे बोर्ड परीक्षा से. लेकिन बोर्ड का जो प्रमाण पत्र या अंक तालिका जारी होगी, उसमें स्पष्ट रूप से उस विद्यार्थी के बारे में पांच अच्छी बातें भी लिखी हुई होंगी. उसके गुणों के बारे में, उसकी रूचियों के बारे में. यह एंट्री उस विद्यार्थी की स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर होगी. यह रिपोर्ट प्रधानाध्यापक जी और विषयों के अध्यापक (पी.टी.आई. सहित) लिखकर भेजेंगे. बोर्ड की अंकतालिका में विद्यार्थी के बारे में. ये बातें उसे और उसके अभिभावकों को आगे की पढ़ाई के बारे में निर्णय लेने में मदद करेंगे.

ग्यारहवीं और बारहवीं की परीक्षाएं सम्बंधित विश्वविद्यालय द्वारा ली जाएँगी. इन परीक्षाओं में भी व्यावहारिक या प्रेक्टिकल ज्ञान और समझ पर अधिक जोर होगा. लेकिन ये परीक्षाएं भी बहुत सरल होंगी. इन परीक्षाओं में भी आधे अंक स्थानीय स्तर से और आधे अंक संभाग स्तर पर तय होंगे. इन परीक्षाओं की अंक तालिकाओं में भी विद्यार्थी के पांच गुणों और रूचियों का स्पष्ट संकेत होगा. कॉलेज या अभिनव महाविद्यालय में प्रवेश इन परीक्षाओं के आधार पर ही होगा. विद्यार्थी को उसी संभाग के कॉलेज में प्रवेश मिलेगा, जिस संभाग से उसने बारहवीं की परीक्षा पास की है. मेडिकल, इंजीनियरिंग, सामाजिक विज्ञान, कला, खेल, वाणिज्य, शिक्षण, कृषि, पशुपालन आदि सभी से जुड़े महाविद्यालयों में एडमिशन इन्हीं परीक्षाओं के अंकों और एप्टीट्यूड के आधार पर होंगे. इनके लिए अलग से कोई परीक्षा आयोजित नहीं होगी.

इन परीक्षाओं की एक ख़ास बात यह होगी कि इनमें शिक्षकों के मूल्यांकन को आधा भार दिया जायेगा. शिक्षक के मूल्यांकन का महत्व कम करके हमने भारत की शिक्षा व्यवस्था की कमर तोड़ दी है, उसे फिर से सीधा करना होगा. पक्षपात का रोना बंद करना होगा. शिक्षक को समाज में सम्मान के शिखर पर पुनः होना होगा.

अभिनव महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ज्ञान सृजन के केंद्र होंगे.

अभिनव शिक्षा में हमारी उच्च शिक्षा वैसे तो कक्षा ग्यारह से शुरू हो जाएगी पर किसी एक विषय में विशेषज्ञता के लिए विद्यार्थियों का प्रवेश कक्षा तेरह में होगा. प्रत्येक विद्यार्थी को किसी एक ज्ञान में पारंगत किये बिना शिक्षा ज्ञान सृजन और अर्जन के स्तर तक नहीं पहुंचेगी. कोई बालक दसवीं या बारहवीं परीक्षा पास करके भी अभिनव राजस्थान में अपनी आजीविका की व्यवस्था कर लेगा, यह व्यवस्था तो हम कर देंगे पर समाज और देश को विकास के लिए जिस 'विशेष ज्ञान' की आवश्यकता होगी, उसके लिए तो महाविद्यालयों को ही जिम्मेदारी लेनी होगी.

अभिनव राजस्थान में प्रत्येक विकास उपखंड (पंचायत समिति) में एक कॉलेज होगा, सामान्य शिक्षा के लिए. सामाजिक ज्ञान, विज्ञान और वाणिज्य के लिए चार वर्ष की अवधि की कॉलेज शिक्षा व्यवस्था होगी. इनका नियंत्रण संभागीय विश्वविद्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक के पास होगा.

विद्यार्थी किसी एक विषय में डिग्री कोर्स करेगा. चाहे हिंदी साहित्य में, चाहे गणित में, चाहे लेखा शास्त्र में या इतिहास में. किसी एक विषय में उसे ग्रेजुएशन करना है. तीन तीन विषय और साथ में हिंदी या अंग्रेजी विषय में ग्रेजुएशन करने की वर्तमान अव्यावहारिक व्यवस्था समाप्त होगी. डिग्री पूरी होने पर विद्यार्थी को पता चलना चाहिए, समाज को पता चलना चाहिए कि वह किस ज्ञान का ज्ञाता है. हिंदी साहित्य का, गणित का, रसायन का, जंतु विज्ञान का या भूगोल का. तभी तो उसमें आत्मविश्वास भरेगा. तभी तो वह विश्वास से भरकर समाज में कदम रखेगा.

इस डिग्री कोर्स में तीन वर्ष तक कॉलेज में ही शिक्षा होगी. पर यह ध्यान रखा जायेगा कि यह शिक्षा समझ आधारित हो, रूचिकर हो, व्यावहारिक हो. पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को इसके लिए नए ढंग से तैयार किया जायेगा. चौथे वर्ष में प्रत्येक विद्यार्थी को फील्ड में काम करके अपने विषय से जुड़े किसी न किसी क्षेत्र में काम सीखना और करना होगा. इतिहास के विद्यार्थी किसी पर्यटक ग्रुप को ऐतिहासिक धरोहरों और कला-संस्कृति के बारे में जानकारियां देंगे. भूगोल के विद्यार्थी खनन विभाग तो लेखाशास्त्र के विद्यार्थी भी किसी विभाग या कंपनी में यह काम सीखेंगे. वहीं भौतिकी और रसायन के विद्यार्थी उद्योग जगत से जुड़ेंगे. वनस्पति शास्त्र के विद्यार्थी वन विभाग में काम करेंगे. यानि चौथा वर्ष फील्ड में, धरातल पर काम सीखने का होगा. तभी उस विषय की उपयोगिता समझ आएगी, तभी अपने ज्ञान पर आत्मविश्वास बढ़ेगा. इस दौरान इन विद्यार्थियों को स्टाइपेंड दिया जायेगा, जैसे अभी मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को दिया जाता है. अब सभी विभागों में यह दिया जायेगा.

कॉलेज की शिक्षा के दौरान हम विद्यार्थियों को एक निश्चित रकम उनके किये गए काम के लिए देंगे. अर्निंग व्हाइल लर्निंग, सीखने के साथ कमाने की व्यवस्था होगी. चौथे वर्ष में तो फिक्स स्टाइपेंड होगा पर पहले से तीसरे वर्ष में भी हम उन्हें समाज के लिए किसी न किसी काम को करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे. अब हमारे कॉलेज ही एन.जी.ओ. बन जायेंगे. कई काम शासन के पास ऐसे होते हैं जो पार्ट टाइम के होते हैं. हम राजस्थान के कॉलेजों के लगभग सात लाख विद्यार्थियों को सीधे सीधे इन कामों से जोड़ देंगे ताकि वे अध्ययन के साथ साथ अपना खर्च निकालने की भी व्यवस्था कर सकें. इससे भी उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा. एक नया अहसास होगा जब वे अपने पैसों से पढ़ेंगे. अपनी खुद की कमाई का अहसास आप जानते हैं न, कि कितना ख़ास होता है? माता पिता को भी राहत होगी. इतना पैसा कहाँ से आएगा? अभी हमारे शासन एन.जी.ओ. को हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा पैसा ऐसे कामों के लिए देते हैं. वही पैसा अब कॉलेज के माध्यम से हमारे युवाओं की जेब में जाएगा.

मेडिकल, इंजीनियरिंग, कृषि, पशुपालन, शिक्षण प्रशिक्षण, नर्सिंग, खेल और कला के विशिष्ट महाविद्यालय अभिनव राजस्थान के प्रत्येक संभाग में होंगे. ये सभी संभागीय विश्वविद्यालयों के नियंत्रण में काम करेंगे. अभिनव राजस्थान में ऐसे ग्यारह संभाग होंगे. इन सभी संस्थाओं को अन्तरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा. अभी इनकी भारी उपेक्षा चल रही है. हमारे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज किसी भी आई.आई.टी. या एम्स से बेहतर होंगे. इन सभी महाविद्यालयों में एक समान कोर्स चार सालाना होगा, मेडिकल में भी. सभी में तीन साल कॉलेज में और एक साल फील्ड में रहना होगा. राष्ट्रीय स्तर पर नियमों में कोई परेशानी हुई तो उसका हल निकाल लेंगे.

इन विशेष महाविद्यालयों में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा ली गई बारहवीं की परीक्षा और एप्टीट्यूड के आधार पर होगा. अलग से कोई प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा या एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा. विश्वविद्यालय के मूल्यांकन को हम पूरा सम्मान देंगे. एक ख़ास बात और. इन महाविद्यालयों में केवल उस संभाग में बारहवीं पास किये हुए विद्यार्थी ही प्रवेश पा सकेंगे. जैसे मरुधर संभाग के विशेष महाविद्यालयों में केवल जोधपुर-जैसलमेर और बाड़मेर के, तो वागड़ संभाग में केवल बाँसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के विद्यार्थी. इस व्यवस्था से राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश में उच्च शिक्षा में समान अवसर पैसा होंगे. साथ ही इन जिलों के विशेषज्ञ बने युवा इन जिलों में काम करने से नहीं हिचकेंगे, बल्कि वहाँ काम करके खुश होंगे.

अभिनव विश्वविद्यालयों में अब केवल अनुसंधान ही होगा. अब वे डिग्री वितरण केन्द्रों से आगे बढ़कर राजस्थान में ज्ञान सृजन के केंद्र बनेंगे. ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन अब कॉलेजों में ही होगा. इसके लिए भी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को आधार माना जायेगा, कोई प्रवेश परीक्षा नहीं होगी.

अभिनव राजस्थान में सभी कॉलेजों में नियमित अध्ययन होगा, पूरी रुचि से, पूरे जोश से.

अभिनव खेल,
ओलम्पिक के लिए, स्वस्थ समाज के लिए.

हर बार ओलम्पिक के खेलों का आयोजन होता है तो हम भारत के लोग एक, दो या तीन मेडल्स के लिए ताकते रहते हैं. सवा अरब लोगों के देश की यह स्थिति शर्मनाक है. सत्तर वर्षों में हम देश के लिए कोई स्पष्ट और व्यावहारिक खेल नीति नहीं बना पाए हैं और जो भी नीति बनी है, उसे भी धरातल पर लागू नहीं कर पाए हैं. खेल के नाम पर टाइम पास के तमाशे क्रिकेट को हर तरफ फैला रखा है और उसका प्रचार इतना ज्यादा कि असली खेल इस प्रचार के नीचे दब गए हैं. उनमें कुछ बचता भी तो उस पर भी राजनेता आकर बैठ गए हैं. सभी खेल संघों में राजनेता हावी हो गए हैं.

अब धीरे धीरे हमारी सभी राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ भी निरर्थक हो गई हैं. पता ही नहीं चलता कि कब हमारे राष्ट्रीय खेल होते हैं और कब प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिताएँ होती हैं. देश का सबसे तेज धावक कौन है, उसका भी हमें नहीं पता तो श्रेष्ठ वॉलीबॉल खिलाड़ियों को भी हम नहीं जानते हैं. हम क्रिकेट के अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं. किसी अन्य खेल वाले खिलाड़ी को हम तभी जानेंगे जब मीडिया की उस पर मेहरबानी हो जाये, जब क्रिकेट से फुर्सत हो तो. बहुत बुरा हाल है.

राजस्थान में भी यही हाल है. होना तो यह चाहिए था कि समय के साथ खेल सुविधाएं बेहतर होतीं पर यहाँ तो खेल सुविधाएँ बदतर होती जा रही हैं. राजस्थान में भी प्रतियोगिताओं में शासन और समाज की रुचि कम होने लगी है. किसी स्थान पर प्रतियोगिता का पता तभी चलता है जब इसका उद्घाटन किसी राजनेता के द्वारा होता है. अखबार तभी कुछ छापते हैं. इन प्रतियोगिताओं के आयोजक ढूँढने में भी दिक्कत आती है. इस वजह से अब भाग लेने वाली टीमों की संख्या भी कम हो चली है.

समाज में भी अब खेल और खिलाड़ी में कम रुचि है. पहले अपने गाँव-शहर के नामी खिलाड़ियों पर सभी इतराते थे पर अब खिलाड़ी का सामाजिक मूल्य कम रह गया है. खेल अब जीवन का भी अंग नहीं रह गया है. क्यों? क्योंकि समाज में जिसे ज्यादा प्रचारित करो, उसका मूल्य ज्यादा हो जाता है. जिसका बाजार में भाव ज्यादा है, उसका भी सामाजिक मूल्य बढ़ जाता है. राजस्थान में खेल और खिलाड़ी का अब प्रचार कम है और खेलने वालों को उनके हुनर और उनकी सेवाओं का दाम भी कम मिलता है. इसका पहला नतीजा, खेल में रुचि कम. दूसरा नतीजा, समाज के औसत स्वास्थ्य पर उल्टा असर.

जब समाज और शासन खेल को उपेक्षित कर बैठे हैं तो स्कूल-कॉलेज में भी यही हाल होने हैं. वहां भी अब पढ़ाई और पढ़ाई. खेल कम से कम, उतना ही खेल होता है, जितना औपचारिकता के लिए जरूरी है. नियमित खेल भी नहीं होता है तो खेल प्रतियोगिताएँ भी अब लगभग बंद सी हैं.

अभिनव राजस्थान में हम खेल को फिर से जीवन का अंग बनायेंगे. गाँव-गाँव, मोहल्ले-मोहल्ले, स्कूल-स्कूल, कॉलेज-कॉलेज में आपको सुबह और शाम खेलते हुए लोग मिलेंगे. पूरे जोश से. समाज और शासन के साथ साथ मीडिया भी खेल को भरपूर प्रचार देगा. समाज के हर वर्ग का व्यक्ति, हर उम्र का व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े, महिलाऐं सभी, किसी न किसी रूचिकर खेल में डूबने लगेंगे. यह जमीन तैयार होते ही हम ओलम्पिक मेडल्स की झड़ी लगा देंगे. भारत को अगर राजस्थान बहुत सारे मेडल्स लाकर नहीं देगा तो और कौन देगा? अभिनव राजस्थान ही तो भारत का हर क्षेत्र में सबसे अधिक चमकता सितारा होगा.

खेल को पुनः लोकप्रिय बनाने के लिए हम समाज, शिक्षा और शासन को एक निश्चित क्रम में, एक कड़ी में जोड़ेंगे. शासन में प्रवेश के लिए कुछ सेवाओं को खेल के लिए सुरक्षित रखा जायेगा. जैसे पुलिस, रोडवेज, परिवहन विभाग, वन विभाग, खनन विभाग, जैसे ड्राइविंग. जहाँ भी फील्ड में स्फूर्ति की, फिटनेस की ज्यादा जरूरत होगी, वहाँ पर प्रवेश में खिलाड़ियों को ही लिया जायेगा. उनको, जिन्होंने दसवीं के बाद केवल खेल में ही भाग लिया है. जिन्होंने खेल को अपना करियर चुना है. इसके अलावा उनको खेल प्रशिक्षकों के तौर पर तो अवसर उपलब्ध होंगे ही. अलग अलग स्तरों पर. जब यह तय होगा तो खेल को एक अच्छे करियर के रूप में युवा और उनके अभिभावक चुनेंगे. तब जिसकी खेल में रुचि है, वह अपना मन मारकर दूसरा काम नहीं करेगा. तब समाज में खेल जीवन का अंग बन जायेगा.

अभिनव राजस्थान में हम खेल सुविधाओं को स्कूलों और सामुदायिक स्थानों में सृजित करेंगे. लेकिन खेल का प्रशिक्षण और अभ्यास स्कूल या कॉलेज के समय में न होकर, सुबह और शाम को होगा. हम यह मानते हैं कि पढ़ाई और खेल साथ साथ नहीं हो सकते हैं. संभव ही नहीं है. एक तो स्कूल-कॉलेज के कपड़े गंदे होंगे, अगले दिन पहनना मुश्किल होगा और दूसरे खेल से थकान होती है. थके हुए बालक या युवा से पढ़ाई की अपेक्षा करना बेकार है. वह क्लास में नहीं बैठ पायेगा. इसलिए हम खेलने का प्रबंध करेंगे पर स्कूल-कॉलेज से बाहर. हर गाँव में, हर शहर में स्कूल-कॉलेज के लिए खेल सुविधाएं होंगी और वे सभी के लिए होंगी. निजी संस्थानों और सरकारी संस्थानों, सभी के लिए साझा सुविधाएँ होंगी. यहाँ पर हमारे खेल प्रशिक्षक (पी.टी.आई. और कोच) सुबह और शाम को खेल में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों और अन्य युवाओं को प्रशिक्षण देंगे.

अभिनव राजस्थान में हम पांच व्यक्तिगत और पांच सामूहिक खेलों को चुनकर उनपर फोकस करेंगे. व्यक्तिगत खेलों में दौड़, कूद, फेंक (भाला या गोला), कुश्ती और बॉक्सिंग रखेंगे तो सामूहिक खेलों में फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, हॉकी, बेडमिन्टन-टेनिस को रखेंगे. पहले हम इन खेलों में राजस्थान के युवाओं को महारत हासिल करवाएंगे ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इन खेलों के लिए तैयार हो सकें. हमारा लक्ष्य ओलम्पिक और अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स जीतना ही रहेगा.

अभिनव राजस्थान खेलों के माध्यम से एक स्वस्थ समाज की रचना को प्रतिबद्ध होगा.

अभिनव कला,
समाज के आनंद के लिए.

कला का मानव जीवन से क्या सम्बन्ध है? क्या इसके बिना जीवन संभव नहीं है? है, जीवन संभव है, कला के बिना भी संभव है. लेकिन जीवन कला के बिना समृद्ध नहीं होता है, खोखला होता है. अन्दर से खाली होता है. बस चल रहा होता है. कला के बिना जीवन में आनंद भी नहीं होता है, जबकि आनंद मानव का स्वभाव है. जब वह आनंदित नहीं होता है तो वह अपने स्वभाव के विरुद्ध जीता है. अभी यही हाल है. यह कला के अभाव के कारण ही है. तीसरे, कला के बिना, जीवन में आत्मविश्वास कम हो जाता है. परेशानियां जब जीवन को घेर लेती हैं तो वे जीवन ऊर्जा को खाने लगती हैं. इस ऊर्जा को कला से ही फिर भरा जा सकता है. अगर ऐसा नहीं होता है तो विश्वास डगमगा जाता है. यानि कला से जीवन की समृद्धि, आनंद और आत्मविश्वास आता है. हम इसकी कमी में अभी जी रहे हैं.

कला से समाज को क्या? समाज, मनुष्यों का गठजोड़ ही तो है. समाज भी कला के बिना कुरूप लगने लगता है, उसकी सुन्दरता कम हो जाती है. समाज की शांति भी कम हो जाती है, क्योंकि कला के अभाव में मानव कुंठित और निराश रहते हैं. वे आपस में प्रेम से नहीं रह पाते हैं.

कला और भारत का, राजस्थान का रिश्ता क्या रहा है? गजब का, अलौकिक. भारत के प्राचीन समाज में कला जीवन का अभिन्न अंग रही है. वैदिक काल से ही, भारतीय कलात्मक रहे हैं. गुप्त काल में भारतीय कला अपने शिखर पर थी. यह स्वर्णकाल था, कला के हर क्षेत्र में. भवन निर्माण में, संगीत में, चित्रकारी में. कला को समर्पित अद्भुत साहित्य भी प्राचीन भारत में रचा गया. लेकिन मध्यकाल और आधुनिक काल में कला का समाज और शासन से सम्बन्ध पराया सा होने लगा. एक हजार साल में हम गुलामी के बोझ तले रहे और कला जीवन से रुखसत हो गई. हमारा आत्मविश्वास भी गया. जाना ही था. कला के बिना कैसा आत्मविश्वास, कैसा आनंद, कैसी समृद्धि?

राजस्थान में भी प्राचीन काल कला की श्रेष्ठता से भरा पड़ा था. आज भी उस काल के मंदिर इस बात के गवाह हैं. लेकिन यहाँ भी मध्यकाल और आधुनिक काल में कला की उपेक्षा हो गई और आज हम ऐसे युग में प्रवेश कर गए हैं, जब कला पराई सी हो गई है. जीवन खोखला हो गया है.

आज के राजस्थान में कला और कलाकारों का सामाजिक मूल्य कितना है, यह आप जानते हैं. हमारे मोहल्ले में रहने वाले किसी चित्रकार को हम कितना सम्मान देते हैं? हम अन्जाने में ही सही, एक ऐसे युग में जी रहे हैं, जिसमें कला के अभाव में खोखलापन, अशांति, तनाव और अश्लीलता पसरी हुई है. केवल शोर है, संगीत नहीं है, कुछ लोगों के पास पैसा है, पर मानसिक शांति नहीं है.

प्रश्न यह आता है कि कला की उपेक्षा कर समाज को इस अँधेरे में किसने धकेला? हमारा एक ही जवाब रहता है- सामाजिक मूल्यों के बदलाव ने. समाज इन्हीं मूल्यों के पीछे भागता है. जिसका मूल्य ज्यादा होगा, समाज उधर जायेगा, यह स्वभाव है उसका. फिर भले इसके चक्कर में समाज को कष्ट उठाने पड़ें, भले व्यक्तिगत जीवन नर्क बन जाये. कला के कम हुए सामाजिक मूल्य ने भारत और राजस्थान को अन्दर ही अन्दर खोखला कर दिया है. अभिनव राजस्थान में हम इसी कारण कला को जीवन का अभिन्न अंग पुनः बनायेंगे और यह काम अभिनव शिक्षा से होगा.

अभिनव शिक्षा में बालकों और अभिभावकों की कला में रुचि कैसे बढ़ेगी? कैसे उनको तैयार करेंगे कि बच्चे की अगर रुचि चित्रकारी में है तो उसे आगे यही काम करने दो? आसान नहीं है यह कि कोई उपदेश दो या प्रचार करो और ये मान जायेंगे. इसके लिए हमें समाज, शिक्षा और शासन को आपस में सक्रियता से इस मुद्दे पर जोड़ना होगा. शासन के संस्कृति विभाग में बड़े पैमाने पर कला के पारखियों को प्रवेश देना होगा. हम मानते हैं कि सभी कलाकार शासन का अंग नहीं बन पाएंगे, उसकी अपनी सीमा है पर समाज को दिशा देने में इस शासकीय प्रवेश की बड़ी भूमिका होती है. अभिनव शासन के पंचायती विभाग और संस्कृति विभाग में बड़े स्तर पर कलाकारों का प्रवेश होगा. साथ ही शिक्षा विभाग में कला प्रशिक्षकों को प्रवेश दिया जायेगा. हमारे लिए गणित जितना ही या उससे ज्यादा इस विषय का ज्ञान महत्वपूर्ण होगा. अभिनव राजस्थान तभी बनेगा. लीपापोती से नहीं बनेगा.

जैसा कि हम पहले ही इस व्यवस्था के बारे में बता चुके हैं, अभिनव प्राथमिक शिक्षा से ही कला में रुचि की पहचान शुरू हो जाएगी. कक्षा पांच तक हमें पता चल जायेगा कि किस बालक की रुचि किस कला में है. फिर माध्यमिक शिक्षा में भी कला एक अनिवार्य विषय के रूप में रहेगी. यहाँ आकर बालक का कुछ औपचारिक प्रशिक्षण भी किसी न किसी कला में होने लगेगा. माध्यमिक शिक्षा में कला के प्रशिक्षण के लिए पूर्णकालिक दक्ष प्रशिक्षक होंगे. प्रत्येक बालक किसी न किसी कला में हाथ जरूर आजमाएगा, अपनी रुचि के अनुसार. क्या पता किसमें क्या छुपा हुआ हो. जब किसी विद्यार्थी के बारे में किसी कला में निपुणता का पता चलेगा तो यह उसकी दसवीं की अंक तालिका या प्रमाण पत्र में लिखा होगा.

उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक जिले में एक विद्यालय शास्त्रीय कला को समर्पित होगा. यहाँ पर जिन पांच कलाओं में प्रशिक्षण होगा, वे होंगी - संगीत, चित्रकारी, नाट्यकला, डिजाइनिंग और मूर्तिकला. दो साल में यहाँ अध्ययन और फिर संभागीय परीक्षा के बाद विद्यार्थी संभाग स्तर पर स्थित कला महाविद्यालय में प्रवेश ले सकेगा. वहाँ पर केवल एक कला में वह चार वर्ष का ग्रेजुएशन कोर्स करेगा. तीन वर्ष तक कॉलेज में और एक वर्ष फील्ड में. उसे इस दौरान कई माध्यमों से, कई कार्यों के लिए अन्य कॉलेजों की तरह पैसा भी मिलेगा. पूर्ण प्रशिक्षण के बाद उसकी समाज और शासन में स्थापना होगी. अपने ज्ञान के दम पर. अपने आत्मविश्वास के दम पर.

सर्वशिक्षा का सपना पूरा होगा, असल में, अभिनव राजस्थान में.

भारत के संविधान में भाग चार में नीति निदेशक तत्व लिखे हुए हैं. उनमें कहा गया है कि जैसे जैसे भारत में संसाधन बढ़ें, उनमें लिखे काम देश की जनता के लिए किये जाएँ. पर ये काम तभी हो पाएंगे जब शासन की जिम्मेदारी सँभालने वाले लोग समर्पित हों. जब उनमें देश के लिए कुछ ख़ास करने का जज्बा हो. केवल 'राज' के लिए झूठ-छल-कपट करने वालों या कहिये कि राजनीति करने वालों के बस के ये काम हैं नहीं. अभी तक तो यही होता आया है. अब देखिये न, इन कामों में से एक काम है- भारत के प्रत्येक बालक-बालिका को प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाना.

इस काम को बड़े स्तर पर और जल्दी से करने की जिद देश की सत्ता हस्तांतरण के कई दशकों तक दिखाई नहीं दी. प्रदेश सरकारें अपने मन से कुछ कुछ करती रहीं. फिर अचानक इन सरकारों ने पैसा न होने का बहाना करके काम को धीमा कर दिया. शिक्षकों की भर्तियाँ रोक दीं. शिक्षा को प्रत्येक गाँव तक पहुँचाने का काम रुक सा गया. जो है, उसी से काम चलाओ, कह दिया गया.

ऐसे में जब नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने नब्बे के दशक में देश के दरवाजे बाहरी लोगों के लिए और निजी लोगों के लिए खोल दिए तो उन पर आरोप लगे कि वे देश बेच रहे हैं. इन आरोपों के जवाब में उन्होंने देशव्यापी सामुदायिक विकास के कार्यक्रम चलाये. पहला प्रोग्राम दूरस्थ प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम था जो वर्ष 1992 में चला. फिर एक अभियान चला, वर्ष 2000 में - सर्व शिक्षा अभियान. कहा गया था कि भारत में रहने वाले सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा दे दी जाएगी. फिर शिक्षा का अधिकार भी दे दिया गया था, वर्ष 2009 में. अब शिक्षा एक मूल अधिकार हो गई है.

पर धरातल पर क्या हुआ? यह शोध का विषय है. धरातल पर यह हुआ कि मनमाने तरीके से स्कूल खोले गए, जहाँ जरूरत थी, वहाँ पर भी और जहां नहीं थी, वहां पर भी. कुछ कमीशन के चक्कर में भवन निर्माण का अंतहीन सिलसिला शुरू हुआ जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था. साथ ही जल्दी से जल्दी शिक्षक उपलब्ध करवाने के नाम पर पिछले दरवाजे से शिक्षकों की भर्ती की गई. सर्व शिक्षा अभियान का जो भाव था, उसको चूर चूर कर दिया गया. शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी ऐसे में इतनी तेजी से गिरी कि आज तक नहीं संभली है. सरकारी स्कूल कमजोर हुए तो निजी संस्थानों की बाढ़ आ गई. इनमें कई अच्छे भी निकले तो कइयों ने क्वालिटी को गिराने में सरकारी संस्थानों का साथ दिया.

इस सब में कोढ़ में खाज का काम किया राजनीति ने. कहीं पर छात्र संख्या हो न हो, शिक्षक थे, कहीं पर छात्र संख्या ज्यादा थी तो शिक्षक नहीं. सर्वशिक्षा के नाम पर शिक्षा का सवा सत्यानाश हो गया.

आज राजस्थान में सरकारी शिक्षण संस्थानों की स्थिति ठीक नहीं है. कक्षा एक से बारह तक की सरकारी शिक्षा पर अभिभावकों का भरोसा नहीं है. दुखद स्थिति तो यह है कि अभिभावकों का ही नहीं, खुद सरकारी शिक्षकों का भी अपने संस्थानों पर भरोसा नहीं है. वे भी अपने बच्चों को इन स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे हैं! इससे बुरा हाल क्या होगा, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा, राजस्थान की शिक्षण व्यवस्था का? जबकि यह हकीकत है कि सरकारी शिक्षकों का ज्ञान, उनका समर्पण किसी भी तरह कम नहीं है, पर वे आत्मविश्वास खो चुके हैं. उनको यह आत्मविश्वास कौन लौटाएगा? जिम्मेदार शासन. और वैसा शासन अभी है नहीं, अभी तो केवल 'राज' है. अभिनव राजस्थान शिक्षण संस्थानों का भरोसा लौटाएगा- शिक्षकों में भी और अभिभावकों में भी, विद्यार्थियों में भी.

पहले के अध्यायों में हमने कई बातें शिक्षा व्यवस्था के ढांचे और उसकी कार्यप्रणाली सुधारने के बारे में कही हैं. इस नई व्यवस्था में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श रूप ले लेंगे. किसी भी तरह से शिक्षकों की कमी कहीं नहीं रहेगी, एक भी विशेषज्ञ कम नहीं होगा तो उनके सम्मान में भी कोई कमी नहीं होगी. लेकिन तब भी सर्वशिक्षा का हमारा सपना अधूरा रहेगा. क्यों? क्योंकि आज भी राजस्थान में मानव आबादियाँ ऐसे फैली हुई हैं कि सभी बच्चे चाहकर भी सरकारी स्कूल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं. विशेषकर लड़कियां आठवीं-दसवीं के बाद ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई छोड़ देती हैं.

अब तक की सरकारें इस विषय में लीपापोती ही करती आई हैं. कभी बालिका शिक्षा मुफ्त की बात तो कभी उनको साइकिल देने की बात. उनको नहीं मालूम कि समस्या साइकिल की नहीं है, शिक्षा के लिए फीस देने की नहीं है, समस्या बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता की है. यह तभी समझ आता है जब आप अपने आपको ग्रामीण परिवेश के मां बाप की जगह रखकर दुनिया देखते हैं.

अभिनव राजस्थान में एक अभिनव शिक्षा परिवहन व्यवस्था होगी, जिसकी जिम्मेदारी पंचायत विभाग की होगी. प्रत्येक पंचायत अपने गाँव में पढ़ने वाले सभी छोटे बालकों और बालिकाओं को स्कूल तक पहुँचाने के लिए यह व्यवस्था संभालेगी. पंचायतों को असल में इसी तरह के काम करने चाहियें. इस व्यवस्था में प्रत्येक बालिका को विकास उपखंड पर स्थित कॉलेज तक पहुँचाने की भी व्यवस्था होगी. यानि प्रत्येक बालिका अपने घर पर रहते हुए कॉलेज तक की पढ़ाई सुरक्षित माहौल में कर पायेगी. तभी तो असल में सर्वशिक्षा होगी. आप बच्चों को साक्षर बनाकर छोड़ने को 'सर्वशिक्षा' कहकर उसका मजाक मत उड़ाओ. इस व्यवस्था का खर्च कहाँ से आएगा? कितना खर्च आता है एक बस को एक महीने के लिए किराए पर लेने में? एक शिक्षक के वेतन से कम! आप समझिये कि एक नया शिक्षक लगा दिया. लेकिन इसका फायदा कितना बड़ा होगा? सोचिये कि हमारी हर बालिका घर रहते कॉलेज तक की पढ़ाई पूरी करती है, उसके सपनों की कीमत क्या होगी? और अभी उसके टूटे हुए सपने कितने महंगे पड़ते हैं, उसे, समाज को और देश को? इसलिए अभिनव शिक्षा यानि असल में सर्वशिक्षा होगी.

मुफ्त शिक्षा नहीं होगी, न मिड डे मील होगा, अभिनव शिक्षा में.

आपने कभी सुना कि शिक्षा को मुफ्त करने के लिए इस देश में कोई आन्दोलन हुआ? कभी बच्चों के अभिभावकों ने किसी से आग्रह किया कि हम बच्चों की फीस देने में असमर्थ हैं? कभी नहीं न? वे क्या कहते रहे? कि हमें बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए. आज भी यही कहते हैं न? एक ही बात कि हमारे बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था अच्छे से कर दो. पर कुछ स्वयंभू कल्याणकारी चुने हुए 'राजाओं' ने सोचा कि ऐसा करने से जनता खुश होगी और उनको वोट करेगी. आज भी राजनेताओं को उनके चाटुकार ऐसी सस्ती लोकप्रियता वाली सलाह ही देते रहते हैं. जबकि कभी ऐसा नहीं हो रहा था कि सरकारी स्कूलों की नाममात्र के फीस न दे पाने के कारण किसी बच्चे की स्कूल छूटी हो. स्कूल छूटने के और कारण रहे होंगे, पर सरकारी स्कूल फीस देने में तो किसी भिखारी को भी जोर नहीं आता था. पर नीति निर्माताओं ने मुफ्त शिक्षा का निर्णय कर ही दिया.

अब जब शिक्षा मुफ्त हुई तो भाई लोग कहने लगे कि शिक्षकों को देने के लिए पर्याप्त वेतन नहीं है तो शिक्षक कैसे भर्ती करें! स्कूल भवन को कैसे सुधारें, खेल सुविधाएँ कहां से जुटाएं. राजस्थान की प्रदेश सरकार में भी यही रोना खूब रोया. केंद्र से कहा कि पैसे दो, हमारे पास शिक्षकों को वेतन देने के पैसे नहीं हैं. मुफ्त शिक्षा का वादा पूरा करना है तो पैसे दो. केंद्र ने कहा कि कुछ हम दे देते हैं, कुछ आप व्यवस्था करो. केंद्र-प्रदेश की इस नूरा कुश्ती में सरकारी स्कूल पिट गया. क्वालिटी गिरी, पर्याप्त शिक्षक नहीं दिखे तो अभिभावक और छात्र धीरे धीरे खिसक लिए. अब जब एक बार फिर केंद्र से पैसा आया है तो कुछ नए शिक्षक आ रहे हैं और कुछ भवन भी ठीक हुए हैं पर अब पछताए होत क्या जब.....

दूसरी तरफ निजी विद्यालयों में फीस ली जाती है, वे मुफ्त में नहीं पढ़ाते हैं. पर ठेले वाला भी, मजदूर भी, भूमिहीन भी फक्र महसूस करता है, जब वह अपने बच्चे को निजी स्कूल में भेजता है. कमाल तो यह है, दर्दनाक तथ्य तो यह है कि सरकारी अध्यापक भी अपने बच्चों को मोटी फीस देकर निजी विद्यालय में भेजकर ही संतुष्ट होता है! तो फिर इस मुफ्त शिक्षा के फॉर्मूले से हम अब भी चिपके रहेंगे या देशहित में, समाजहित में इस निर्णय को बदलेंगे? वर्तमान राजनेता तो यह कर नहीं पायेगा पर लोकनीति को समर्पित अभिनव राजस्थान में यह होगा. फीस ली जायेगी पर शिक्षा भी उच्च गुणवत्ता की होगी. एक एक क्लास, एक एक स्कूल में आपको तब विशेषज्ञ मिलेंगे.

अभिनव राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा के लिए सौ रुपये प्रति माह, माध्यमिक के लिए दो सौ, उच्च माध्यमिक के लिए तीन सौ और कॉलेज के लिए पांच सौ रुपये प्रति माह फीस ली जायेगी.

मुफ्त शिक्षा के साथ ही एक नया शगूफा छोड़ा, भारत के कुछ स्वयंभू चिंतकों ने. ऐसे लोगों ने जिनके बच्चों को कभी सरकारी स्कूल जाने का वास्ता नहीं पड़ा. ऐसे लोगों ने जो गांव-गरीब की मानसिकता को नहीं समझते हैं. उन्होंने कहा कि गरीब लोगों के घर में पर्याप्त खाना नहीं है और इसका बुरा असर उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है. देश की नई पीढ़ी कमजोर हो रही है! साथ ही उन्होंने यह भी दलील दी कि अगर स्कूल में खाना दिया जायेगा तो बच्चे उस 'चक्कर' में स्कूल आ जायेंगे और स्कूलों का नामांकन बढ़ जायेगा. वाह! भारत के गरीब बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए कितना क्रांतिकारी कदम! इन लोगों ने अपनी दलीलों से न्यायालय को भावुक कर दिया और न्यायालय ने स्कूलों में छोटे बच्चों को खाना खिलाने का आदेश दे दिया. अब प्राथमिक और मिडल स्कूलों में पढ़ाई से जयादा महत्वपूर्ण काम हो गया- बच्चों को खाना खिलाना. शिक्षा हो गई किनारे.

मिड डे मील का यह खेल कई वर्षों से चल रहा है. सभी मानते हैं कि यह अवांछित है. शिक्षक भी और अभिभावक भी. अधिकतर बच्चे भी इसे खाना पसंद नहीं करते हैं. ऊपर से इसके लिए इतना कम पैसा मिलता है कि शिक्षक को उल्टे सीधे आंकड़ें भरकर पाप का भागी भी बनना पड़ता है. 'नौकरी' जो बजानी है. स्कूलों के निरीक्षक भी अब विद्यालय में आते हैं तो पढ़ाई के बारे में नहीं पूछते हैं, मिड डे मील के बारे में पूछते हैं! पाठशाला अब पाकशाला बन गई है.

कमाल यह देखिये कि दोपहर भोजन की इस योजना के दो उद्देश्य भी पूरे नहीं हुए- न तो बच्चों का स्वास्थ्य सुधरा और न नामांकन बढ़ा. कभी बच्चों का स्वास्थ्य नहीं जांचा जाता है कि अब वे कितने कुपोषित हैं. जांचेंगे तो पोल खुलेगी! नामांकन भी नहीं बढ़ा, उल्टे कम हुआ है. यह जरूर हुआ कि इस योजना को स्कूल में चलाने के लिए शिक्षकों को नामांकन के फर्जी आंकड़े दिखाकर काम चलाना पड़ता है. शिक्षक भी क्या करे. एक तो सर्व शिक्षा अभियान और दूसरे इस मिड डे मील ने शिक्षक समुदाय को भी भ्रष्ट होने पर मजबूर कर दिया है. वर्ना यह व्यवस्था अभी तक कुछ आंख की शर्म लिए हुए थी.

दूसरी ओर निजी संस्थाओं में मिड डे मील नहीं है, मुफ्त शिक्षा भी नहीं है पर वहां नामांकन बढ़ रहा है. यह स्पष्ट संकेत है कि नीति निर्माताओं का सोचना सही दिशा में नहीं था.

अभिनव राजस्थान में स्कूलों से मिड डे मील को पूर्णतया हटा दिया जायेगा. इसके लिए न्यायालय में शासन की तरफ से परिवाद दायर करके तथ्यों से अवगत करवाया जायेगा. हम हमारे पक्ष में लाखों लोगों के द्वारा प्राप्त जनमत का हवाला देंगे, ताकि हमारी बात में वजन हो.

अभिनव राजस्थान में हम प्रत्येक उस परिवार को संबल बनायेंगे, जिसके पास मूल संसाधनों का अभाव होगा. अगर हम बच्चों को स्कूल में या आंगनबाड़ी में खाना खिला देंगे तो घर के बाकी सदस्यों के पोषण का कौन ध्यान करेगा? क्या वे हमारे नागरिक नहीं हैं? हम पूरे परिवार की व्यवस्था करेंगे.

अभिनव शिक्षा में छुट्टियाँ, प्रकृति के अनुसार होंगी.

आप शिक्षा मनोविज्ञान की कोई भी पुस्तक उठा लीजिये. आपको एक बात सभी में मिलेगी कि छुट्टियाँ बच्चों को आराम देने के लिए की जाती हैं. उनको नई ऊर्जा से भरने के लिए होती हैं. यह मूल भाव है, छुट्टियों के पीछे, अवकाश के पीछे. बालक इन छुट्टियों में खूब मजे करे ताकि अगले सेशन के लिए वह मानसिक रूप से तैयार हो जाये. रोज रोज के रूटीन में स्कूल या कॉलेज जाना एक अवधि के बाद बोर करने लगता है, मानव स्वभाव ही ऐसा है. वह परिवर्तन चाहता है.

शिक्षा मनोविज्ञान यह भी कहती है कि ये छुट्टियाँ उस मौसम में हों, जो अधिक सुहावना हो. जिस मौसम में बच्चे प्रकृति का आनंद ले सकते हों. ऐसा मौसम न हो कि बच्चे घर से बाहर ही न निकल सकें. विश्व के सभी विकसित देशों में छुट्टियाँ ऐसे ही मौसम में होती हैं. जहाँ ठण्ड ज्यादा होती है, वे गर्मी में छुट्टियाँ करते हैं तो जहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, वहां सर्दी में छुट्टियाँ करने का रिवाज है. योरोप के देशों में सर्दी अधिक पड़ती है तो वे सर्दियों में लम्बी छुट्टियाँ नहीं करते हैं, बल्कि वे गर्मियों में लम्बी छुट्टियाँ करते हैं. 'समर ब्रेक' उन्हीं का दिया हुआ शब्द है. अब चूंकि, लगभग दुनिया में उन्होंने ही 'राज' किया है तो उनके द्वारा डिजाइन की गई सभी शिक्षा व्यवस्थाओं में समर ब्रेक या गर्मी की छुट्टियाँ ठूंस दी गईं और वह परम्परा आज भी जारी है- प्रकृति के विरुद्ध, संस्कृति के विरुद्ध.

आपको मालूम हो कि मेकाले ने जब भारत में औपचारिक अंग्रेजी शिक्षा पद्धति की रचना का पहला प्रयास किया था तो छुट्टियों का विषय भी आया था. तब नई शिक्षा पद्धति में अध्यापन या शिक्षण का प्रारंभ अंग्रेज शिक्षकों के माध्यम से ही करना था. ये लोग भारत की गर्मी में यहाँ नहीं रहते थे और छुट्टियों के लिए इंग्लैंड चले जाते थे. वहां समर ब्रेक होने से पूरा अंग्रेजी समाज एक साथ छुट्टियाँ मना लेता था. आज भी योरोप के लोग सर्दी से राहत के लिए बड़े स्तर पर परिवार सहित 'समर होली डे' पर निकल जाते हैं. हम भरी गर्मी में परिवार के साथ घूमने कैसे निकलें?

जो भी हो, मेकाले और अंग्रेज शासन ने उन अंग्रेज शिक्षकों की भावनाओं और सुविधाओं का सम्मान करते हुए भारत में भी छुट्टियाँ गर्मी में रखने का फैसला कर दिया. उनके भारतीय गुलामों के पास न तो उस समय इन बातों पर कुछ कहने का मादा था और न ही उनका ध्यान इस विषय पर गया.

आज भी राजस्थान में स्कूल-कॉलेज की लम्बी छुट्टियाँ गर्मी के मौसम में होती हैं. ऐसे मौसम में जब बच्चा घर से बाहर नहीं निकल सकता है! ऐसे समय में जो शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार प्रतिकूल होता है. पर गुलामी का असर अभी हमारी रगों में है, हमारी सोच में है. उस सोच को अब विदा करते हैं.

शिक्षा मनोविज्ञान कहती है कि छुट्टियाँ मस्त मौसम में होनी चाहिये तो राजस्थान में वह मौसम कौनसा है? ऐसा मौसम राजस्थान में कौनसा होता है? यह होता है, बारिश का मौसम या सर्दियाँ शुरू होने से पहले का मौसम. राजस्थान की जलवायु सम्पूर्ण भारत में विचित्र है. यहाँ की भौगोलिक स्थिति और धरातल के कारण. सभी मौसम यहाँ अलग अलग रूप ले लेते हैं. सर्दियाँ बहुत अधिक ठंडी नहीं होती हैं तो गर्मी भारत में सबसे अधिक पड़ती है जबकि बारिश भारत में सबसे कम होती है. ऐसे में बारिश का मौसम और सर्दी शुरू होने से पहले का मौसम सबसे अधिक सुहावना होता है.

इस वजह से अभिनव राजस्थान में इस सुहावने मौसम में लम्बी छुट्टियाँ होंगी ताकि विद्यार्थी इनका आनंद ले सकें, पूरा परिवार आनंद ले सके. तीन महीने की छुट्टियाँ अभिनव राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में होंगी. एक महीने की छुट्टी गर्मी में होगी, क्योंकि लू चलते समय गर्मी असहनीय हो जाती है. हालाँकि राजस्थान के लोगों को गर्मी में रहने की आदत रही है पर इन दशकों में समाज प्रकृति और संस्कृति से काफी दूर जा चुका है. ऐसे में एकदम से ज्यादा परिवर्तन की अपेक्षा ठीक नहीं होगी.

पंद्रह दिन की छुट्टी सर्दी में होगी. लेकिन डेढ़ महीने की लम्बी छुट्टियाँ बारिश के दिनों के अंत में शुरू होकर दीपावली तक होगी. यानि सितम्बर और अक्टूबर में. दीपावली के बाद शिक्षण संस्थान पुनः काम करना शुरू कर देंगे. नए उत्साह से, नई उमंग से.

राजस्थान में इस परिवर्तन का एक दूसरा बड़ा लाभ होगा. यहाँ पर तीन चौथाई से अधिक परिवार आज भी गाँव में निवास करते हैं और उनकी आजीविका बारिश पर निर्भर करती है. बारिश यहाँ अधिकतर मानसून से ही होती है. इन परिवारों को अपने जीवनयापन के लिए खेती और पशुपालन करना होता है और इनके लिए यह चरम समय होता है. इस मौसम में इन परिवारों को श्रम शक्ति की बहुत आवश्यकता रहती है. घर का एक एक सदस्य, बच्चों सहित खेती और पशुपालन में उपयोगी होता है. दस वर्ष की बच्ची छोटे भाई को संभाल सकती है तो आठ वर्ष का बालक दो-तीन बकरियां चरा सकता है. ऐसे समय में हम इन परिवारों को उनके बच्चों को स्कूल या कॉलेज भेजने को कहते हैं क्योंकि स्कूल-कॉलेज अभी भी अंग्रेजी समाज की आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किये हुए हैं.

क्या हमें अब अपनी शिक्षण व्यवस्था को अपने समाज और अपनी प्रकृति के अनुसार डिजाइन नहीं करना चाहिए? क्या अभी भी गुलामी की मानसकिता को ढोते हुए चलना चाहिए? क्या केवल मेकाले को कोसने से काम चल जायेगा या हमें अपनी नई शिक्षण व्यवस्था की रचना करनी चाहिए?

अभिनव राजस्थान कोई सत्ता परिवर्तन का नाम नहीं है और न ही यह वर्तमान सड़ी गली व्यवस्था में सुधार का कोई प्रयास है. अभिनव राजस्थान तो राजस्थान के समाज, संस्कृति और प्रकृति के अनुसार नई, मौलिक, 'अपनी' व्यवस्था का नाम है. यह हर वक्त ध्यान रहे.

अभिनव कॉलेज,
अब डिग्रियां ही नहीं, नॉलेज भी बांटेंगे.

किसी भी विकसित समाज में उच्च शिक्षा का बहुत महत्व होता है. उच्च शिक्षा में ही विषयों के ज्ञान की प्राप्ति होती है, स्कूल में तो केवल जानकारियां मिलती हैं. अंग्रेजी में कहते भी हैं- नो नॉलेज, विदाउट कॉलेज. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए ज्ञान का सृजन भी होता है. विद्यार्थियों और शिक्षकों के प्रश्नों और उत्तरों में से नया ज्ञान निकलता है. नए ज्ञान का यह सृजन ही किसी समाज या देश को विकास की यात्रा में आगे रखता है. आज जो भी देश विकिसत हैं, उनके विकास में ज्ञान के इस सृजन की अहम भूमिका रही है. भारत भी जब विश्व में आगे था तो अपने ज्ञान सृजन के कारण ही था. तब भारत ज्ञान के सृजन का प्रमुख केंद्र था और हमारे विश्वविद्यालय वाकई में विश्व के विद्यालय थे. दुनियाभर से विद्यार्थी यहाँ आते थे, जैसे आज भारत के विद्यार्थी अमेरिका, योरोप या ऑस्ट्रेलिया जाते हैं. क्यों? क्योंकि भारत के शासन से शिक्षा का क्षेत्र संभाला नहीं गया. नहीं संभाला गया तो मेकाले को बुरा भला कहकर काम चला रहे हैं. डेढ़ सौ साल पहले की बात को आज के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं.

हुआ यूं, कि भारत में देशी सत्ता आ जाने के बाद उम्मीद बंधी थी कि अब हम अपने मन की करेंगे, जो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान नहीं कर पाए थे. बड़े सपने थे हमारे उच्च शिक्षा को लेकर और हम अंग्रेजों को उन्हें पूरा करने के रास्ते में बड़ी बाधा मान रहे थे. शुरू में जोश था तो कई नए विश्वविद्यालय खुले, कॉलेज खुले. शिक्षक भी जोश में थे और मन लगाकर पढ़ा रहे थे और शोध भी करवा रहे थे. पर 1970 आते आते देश के शासन में बड़ा बदलाव आया. देश में तानाशाही जैसा छाने लगा और इस तानाशाही के विरोध में छात्र 1975 में खुले मैदान में आ गए. फिर आपातकाल आया और उस काल के अंत में लोकतंत्र के नाम पर नए लोग शासन में आए. पर देशी राजनेताओं को यह समझ आ गया कि उनके सत्ता को कोई चुनौती आएगी तो वह कैम्पस से आयेगी. यह कैम्पस अंग्रेजों के खिलाफ था तब तक तो ठीक था पर अब तो खतरा देशी राजनेताओं को था. कैम्पस से डर बैठ गया.

बस, उसके बाद से आजतक धीरे धीरे उच्च शिक्षा की उपेक्षा हो रही है. आपको ताज्जुब नहीं होता कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लगभग बंद हो जाने के बाद भी मीडिया, एक्टिविस्ट, संसद, विधानसभा में इसको लेकर कोई चिंता या चिंतन नहीं होता? जबकि यह हकीकत है कि बिना उच्च शिक्षा के हम विकास नहीं कर पाएंगे, यह तथ्य है, सच्चाई है. पर विकास करना किसको है भारत में? यहाँ तो 'राज' करने हैं और इसके लिए कैम्पस का बंद पड़े रहना ठीक है! वरना युवा बगावत करेंगे और प्रोफेसर उनको भड़कायेंगे! राजनेता, कॉलेज-यूनिवर्सिटी के चुनावों में ही रुचि लेते हैं ताकि उनके जैसे लोग पैदा होते रहें पर ये लोग बेरोजगार घूमेंगे, इसकी इन गैरजिम्मेदार लोगों को उनको चिंता नहीं होती है.

आज हालात यह हैं कि राजस्थान के कॉलेजों में नियमित कक्षाएं नहीं लगती हैं, कॉलेज वीरान रहते हैं. विद्यार्थियों को यह पता है कि इन परीक्षाओं में आए अंकों से सरकार में या निजी क्षेत्र में कोई पद नहीं मिलने वाला. इस ज्ञान का सीधे सीधे उपयोग उन्हें समझ नहीं आ रहा है. विश्वविद्यालय भी अब नकल से शोध करने और डिग्री वितरण करने के केंद्र बन गए हैं. अब तो मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के भी ये हाल हो गए हैं. सांस्कृतिक और खेल गतिविधियाँ भी अब बंद हो चली हैं. व्यक्तित्व निर्माण के केंद्र अब बेरोजगारी निर्माण के केंद्र बन गए हैं. पर हर साल शिक्षित बेरोजगारों की एक नई फौज जरूर इस प्रक्रिया में तैयार हो जाती है, जो समाज के लिए सहयोगी बनने की बजाय समाज और परिवार पर बोझ बनकर बैठ जाती है. दिशाहीनता में. शिक्षकों-कर्मचारियों का वेतन जरूर समय पर मिल रहा है.

अभिनव राजस्थान में हम कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज को फिर से पढ़ाई के माहौल से गुलजार करेंगे. अब कक्षाएं फिर से नियमित लगेंगी और अनुपस्थिति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी. युवाओं के भविष्य और परिवारों की दशा से खिलवाड़ अब नहीं सहा जायेगा. विश्वविद्यालय में शोध गंभीरता से शुरू हो जायेगा. ज्ञान का सृजन शुरू हो जायेगा.

इसके साथ ही अब कॉलेजों में खेल, साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ फिर से शुरू होंगी ताकि युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण का काम हो सके. इंटर कॉलेज प्रतियोगिताएँ अब फिर से आकर्षक बन जाएँगी और इन प्रतियोगिताओं में अर्जित सफलताओं को आगे के जीवन में पूरा महत्व दिया जायेगा. तभी तो हम ओलम्पिक में मेडल जीतेंगे. उस सफलता की जमीन यहीं बनेगी. केवल दिल्ली या जयपुर से डींगें हांकने और अफसरों के भरोसे ओलम्पिक में मेडल नहीं मिलेंगे. गंभीरता से काम करना होगा.

इसके साथ ही हम राजस्थान की उच्च शिक्षा में विषयों और उनके पाठ्यक्रम में भी बड़ा बदलाव करेंगे. अब विज्ञान और वाणिज्य के विषयों को भी मानव विज्ञानों के बराबर महत्व दिया जायेगा. अब चार वर्ष के डिग्री का एकरूप, एक सामान कोर्स सभी विषयों में होगा और विद्यार्थी किसी एक विषय के ज्ञान में पारंगत होगा. चाहे गणित में, मेडिसिन में या खेल में या संगीत में. सबका महत्व एक जैसा होगा. अभिनव उच्च शिक्षा के अध्याय में हम इन बातों का विस्तार से वर्णन कर चुके हैं.

अब राजस्थान समाज को आत्मविश्वास से भरे युवाओं की आवश्यकता होगी और यह आत्मविश्वास कॉलेज में मिले ज्ञान और आनंद से ही आएगा. ये युवा ही राजस्थान में विकास की मशाल लेकर बढ़ेंगे. ये युवा ही अभिनव राजस्थान के निर्माण के केंद्र में होंगे.

लेकिन विद्यार्थी द्वारा जो ज्ञान कॉलेज में प्राप्त किया जायेगा या जिस ज्ञान का सृजन कॉलेज में होगा, उसको उपयोगी बनाये बगैर कॉलेज का यह आकर्षण स्थाई नहीं रहेगा. इसके लिए समाज में रोजगार के बेहतर और बहुत अधिक अवसर उपलब्ध करवाने होंगे. हम इसके लिए खेती, पशुपालन और उद्योग का उत्पादन तेज गति से बढ़ाएंगे और इस उत्पादन में युवाओं को सीधे जोड़ेंगे. तब बेरोजगारी का कुचक्र टूटेगा. तब उच्च शिक्षा और समाज का संबंध फिर से सार्थक होगा.

अभिनव शासन

अभिनव शासन, अपना शासन.

शासन की आवश्यकता समाज में क्यों होती है? शासन क्या करता है समाज के लिए? यह मूल विषय सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए. यह समझे बिना हमारी कहानी का मर्म पकड़ में नहीं आयेगा. तब हम वही बातें दोहराते रहेंगे जो अभी तक शासन परिवर्तनों के नाम से कहा गया है. जिन्हें किसी न किसी वाद के नाम से पुकारा गया है. साम्यवाद, समाजवाद या पूंजीवाद. हमें उस सब में नहीं पड़ना है. उसमें पड़े तो फिर हमारे उद्देश्य से भटक जायेंगे. इसलिए सरलता से हम कुछ मूल बातों को जान लें.

किसी भी मानव संगठन के कुछ मूलभूत अंग होते हैं. पहला आधारभूत अंग होता है समाज. रिश्ते-नातों का जाल, जो मानव की मूल आवश्यकता है. इसके बिना मानव रह नहीं सकता है. मानव को सामाजिक प्राणी कहा गया है. फिर दूसरा अंग बाजार होता है, जिसमें अलग अलग समाज या एक ही समाज के अलग अलग वर्ग कुछ चीजें पैदा करते हैं और उन चीजों को बदलते हैं. जो समाज ज्यादा चीजें बना लेता है, बेच लेता है, वह अधिक समृद्ध हो जाता है. समाज और बाजार के साथ ही मानव व्यवस्था का एक अंग होता है- शासन. यह शासन समाज की वर्तमान व्यवस्था को बनाये रखता है और समय के साथ साथ जरूरत पड़ने पर समाज को परिवर्तन के लिए तैयार भी करता है.

यानि शासन के दो मूल काम होते हैं, समाज में, समाज के लिए. पहला काम होता है, समाज की वर्तमान व्यवस्था को बनाये रखना. जैसा समाज ने तय कर रखा है, वैसे वर्तमान व्यवस्था को चलाना. यह व्यवस्था समाज अपने सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार तय करता है. इस तय की हुई व्यवस्था के संचालन के लिए समाज में समय समय पर कई प्रयोग हुए हैं. कहीं पर शासन के लिए परिषदें बनीं, कहीं पर मुखिया या राजा चुने गए तो कहीं पर बल या चतुराई के आधार पर लोग शासन में आ गए तो कहीं पर लोकतंत्र बन गए. लोकतंत्र में व्यापक स्तर पर चुनाव से शासन बने. पर जैसी भी शासन व्यवस्था बनी हो, उसका काम समाज के ढांचे को बनाये रखना था. इसके लिए समाज और शासन कई कायदे कानून बना लेते हैं. शासन में आये लोग कई बार इस जिम्मेदारी का, शक्ति का उपयोग या दुरूपयोग कर लेते हैं, यह अलग बात है.

दूसरा काम शासन का होता है, समाज को समय के अनुसार, नई आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तनों के लिए तैयार करना. यह काम शासन का ही है कि समाज को बदलने के लिए तैयार करे, समाज अपने आप तैयार नहीं होता है. समाज को अपने हाल पर छोड़कर अगर शासन बैठ जाए तो उसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं. विश्व की अनेक समस्याएँ इस एक वजह से ही पैदा हुई हैं.

अभिनव राजस्थान में हम अभिनव शासन की रचना ऊपर वर्णित भाव के अनुसार ही करेंगे. हम शासन और समाज को पुनः उनके मूल सम्बन्ध के अनुसार जोड़ेंगे. समाज अलग और शासन अलग का खतरनाक खेल या कहिए उदासीन अंदाज अब नहीं चलेगा. फिर से शासन, समाज को संभालेगा, बदलेगा.

अपने इस अभिनव शासन में पाँच मुख्य बातें होंगी. सबसे पहली बात होगी- शासन का अपनापन. नागरिकों को शासन अपना लगना चाहिए. हर स्तर पर, हर कदम पर यह अपनापन झलकना चाहिए, महसूस होना चाहिए. अभी ऐसा नहीं है. अभी सबसे बड़ी समस्या ही शासन के परायेपन की है. जबकि अभिनव शासन की कार्य करने की पद्धति ही ऐसी होगी कि उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को शासन में वैसा ही अपनापन लगेगा जैसा उसे अभी अपने परिवार से, गाँव से, अपनी जाति से लगता है.

दूसरी बात अभिनव शासन की होगी– शासन की सरलता, सार्थकता. शासन इतना सरल होगा कि नागरिकों को अपने टैक्स का हिसाब हर दिन दिखाई देगा. उनके दिये गए टैक्स से शासन में क्या काम होता है, यह समझ आयेगा. शासन से कोई काम करवाना भी बहुत आसान होगा. अभी की तरह पेचीदगियाँ नहीं होंगी. अभी तो पता ही नहीं चलता है कि हम लोग टैक्स किस खुशी में दिये जा रहे हैं.

फिर अभिनव राजस्थान का शासन प्रभावी होगा, सक्षम होगा. शासन का रोज का काम रोज होगा, तय समय पर होगा. शासन की सक्षमता स्पष्ट दिखाई देगी. योजनाएँ समय से धरातल पर उतरेंगी.

चौथे, शासन में पारदर्शिता होगी. एक क्लिक पर अभिनव शासन के किसी भी विभाग की कोई भी गतिविधि देखी जा सकेगी, जानी जा सकेगी. सूचना का अधिकार अधिनयम की धारा 4 का अक्षरशः पालन होगा. यह इस अधिनियम के बनने के बाद भारत में पहली बार होगा. अभी तक केंद्र का शासन यह नहीं कर पाया है और न ही किसी प्रदेश के शासन ने यह हिम्मत दिखाई है. नजदीक भविष्य में इसकी उम्मीद भी दिखाई नहीं दे रही है. अभिनव शासन में ही यह संभव होगा क्योंकि वह शासन लोकतन्त्र और लोकनीति के आधार पर चलेगा. राजनीति उस शासन में होगी नहीं और जब यह नहीं होगी तो जनता को शासन की हर बात बताने में कोई तकलीफ नहीं होगी.

और पाँचवीं विशेषता अभिनव शासन की होगी, असली लोकतन्त्र. अभिनव शासन में तंत्र रोज जनता के लिए, लोक के लिए समर्पित दिखाई देगा. अभिनव शासन में हर प्रक्रिया, हर एक्शन लोक के सहयोग के लिए होता दिखेगा. अभी की तरह लोकतन्त्र की बातें केवल चुनावों तक सीमित नहीं होंगी. न ही अभी की तरह यह तंत्र शासन संभालने वालों के निजी स्वार्थों की पूर्ति करता मिलेगा.

यानि अभिनव शासन अपनेपन से भरा होगा, सरल होगा, प्रभावी और जवाबदेह होगा, पारदर्शी होगा और लोकतान्त्रिक होगा. यह कैसे संभव होगा? आगे के अध्याय एक एक परत खोलेंगे.

राजस्थान का वर्तमान शासन, पता नहीं किसका शासन!

वर्ष 1947 से राजस्थान में लोकतंत्र के नाम से शासन चल रहा है. हर पांच साल में चुनाव भी हो रहे हैं. कई मुख्यमंत्री-मंत्री यहाँ रह लिए. हजारों अफसरों ने भी शासन में जिम्मेदारियां निभाई हैं. इसके बाद भी अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि राजस्थान में शासन असल में है किसका. कागज में लिखा हुआ है कि यहाँ जनता का शासन है. जबकि जनता यह मानने को तैयार नहीं है कि उसका कोई शासन है! आम जनता अभी भी कहती है कि शासन मंत्री का है, अफसर का है. आम जनता ही क्या, जागरूक नागरिक और मीडिया भी यही कहता है कि यहाँ किसी न किसी का 'राज' है. चुनाव के दिनों में कुछ दिन जरूर माहौल बनता है कि जनता ही मालिक है, पर चुनाव खत्म होते ही मीडिया घोषणा करता है कि अब फलां का 'राज' आ चुका है! जनता भी वही मानती है जो बार बार दोहराकर उसे बताया जाता है.

राजस्थान में कभी सुखाड़िया राज, कभी भैरोसिंह राज तो कभी गहलोत राज और कभी वसुंधरा राज चल रहा है, मीडिया की और बुद्धिजीवी वर्ग की मानें तो. वह बड़े मन से, अपनी विद्वता से यह बात कहते नहीं हिचकिचाते हैं. उनको नहीं लगता कि वे कितना अलोकतांत्रिक हो रहे हैं. उनको नहीं लगता है कि वे संविधान की मूल भावना के साथ कितनी चोट कर रहे हैं. जब रात दिन यह प्रबुद्ध वर्ग इस बात को दोहराता है तो आमजन भी यही शब्दावली पकड़ लेता है. वह भी किसी न किसी के 'राज' में हो लेता है!

वैसे आमजन को अभी तक भारत में संविधान समझाया ही नहीं गया है. इसलिए वह अभी मतदाता तो है, पर 'नागरिक' नहीं बन पाया है. इस प्रशिक्षण की जिम्मेदारी हिसाब से राजनैतिक दलों की थी पर वे भला क्यों 'जनता के राज' की बात कहकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते? वे राजनैतिक दल हैं, लोकनैतिक दल कतई नहीं हैं! वे 'राज' के लिए उतावले समूह हैं, 'लोक' के सहयोग का उनका मन कभी नहीं बनता है. इसलिए वे भी कहते हैं कि हमारा 'राज' लाओ, हम अच्छा 'राज' देंगे. पांच वर्ष में एक बार वे जनता को माई बाप कहकर चढ़ाते हैं कि जनता के हाथ में 'राज' की चाबी है. भोली जनता भी मान लेती है कि उसके पास यह चाबी है और वह यह चाबी कभी इसको तो कभी उसको पकड़ाकर बहल लेती है. अपने लिए कोई 'राजा' चुन लेती है! जब राजा चुनती है तो चुना हुआ व्यक्ति भी राजाओं की तरह ही रहेगा. ठाठ से रहेगा, रौब मारेगा, अपना वैभव दिखायेगा.

लेकिन समस्या इस सब में यह हो जाती है कि जनता शासन को अपना नहीं मानती है. वह शासन को चुने हुए 'राजा' के भरोसे छोड़ देती है. जबकि 'राजा' या राजनेता भी अन्दर अन्दर ही शासन को अपना नहीं मानता है! तभी तो वह भी खजाने की रक्षा नहीं करता है! तभी वह विकास से मुंह मोड़ लेता है.

यानि जनता कहती है कि शासन मंत्रियों और साहबों का है और साहब कहते हैं कि हमारा नहीं है शासन, हम तो कुछ समय के लिए हैं यहाँ पर. पहले राजतंत्र में यह तो था कि राजा शासन को अपना मानता था. हम तो उससे भी गए और लोकतंत्र समझ नहीं आया. नतीजा यह हुआ कि शासन अनाथ हो गया ! ऐसा नहीं होता तो जनता और अफसर खजाने को लूटने नहीं देते. ऐसा नहीं होता तो जनता द्वारा दी गई पाई पाई का हिसाब होता और विकास धरातल पर दिखाई देता.

हकीकत आज के राजस्थान की यही है, अन्य प्रदेशों की भी और भारत की भी, कि शासन को जनता ने अपना नहीं माना है. उसे लगता है कि राजस्थान किसी मुख्यमंत्री का है, कोई कार्यालय किसी साहब का है, उसका नहीं है. शासन में चुनाव से या चयन से आने वाले 'राजाओं' ने भी जनता को डराकर, भरमाकर शासन से दूर रखा हुआ है. यानि लोकतंत्र अभी आना बाकी है. वरना जनता मूकदर्शक बनकर 'राज' की इस लूट को देखती थोड़े ही. अगर किसी के घर में ऐसी लूट करे तो कोई चुप बैठेगा क्या? नहीं न? लेकिन यह राजस्थान का शासन और राजस्थान अभी जनता का 'अपना' नहीं बन पाया है, इसलिए जनता चुप है. इस जनता को उसके अपने शासन का अहसास करवाने के लिए बड़े स्तर पर प्रशिक्षण की दरकार है, जो अभिनव राजस्थान अभियान कर रहा है. लोकतंत्र का क, ख, ग, पढ़ाना जारी है. असली लोकतंत्र ही तो अभिनव शासन का मूल उद्देश्य है.

वर्तमान राजस्थान शासन उलझा हुआ भी बहुत है. किसी भी सरल से काम के लिए भी आम नागरिक को ऐसी-ऐसी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है कि वह हिम्मत हार जाता है. जाति प्रमाण पत्र हो, जमीन के कागज़ लेने हों या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, पहला भाव शासन से परेशानी का ही आता है. शासन में इन उलझनों को सुलझाने के लिए दो तीन प्रशासनिक सुधार आयोग भी बने पर स्थिति में कोई ख़ास बदलाव नहीं आया है. एक विभाग भी है सचिवालय में इसके लिए पर वह भी सुस्त पड़ा हुआ है. शासन को सुलझाने में भी अफसरों और राजनेताओं की रुचि क्यों होगी? जनता उलझी रहे तभी तो 'राज' का मजा है ! सब कुछ सुलझ गया तो 'राज' पाने के लिए कोई क्यों इतना लालायित रहेगा?

वर्तमान शासन प्रभावी और सक्षम भी नहीं है. सचिवालय से चले कागज गाँव तक पहुँचने में और उन कागजों के जवाब आते आते एक साल लग जाता है. योजनाएं अपना अर्थ खो देती हैं. यही हाल जनता द्वारा लिखे हुए कागजों का होता है. लोग उदासीन होकर कागज लिखना छोड़ ही चुके हैं. जन सम्पर्क विभाग भी अब किसी काम का नहीं मान लिया गया है. इसे हुजूरी तक सीमित कर दिया गया है.

और पारदर्शिता का तो नाम ही न लो ! सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4 को अभी ग्यारह साल के बाद भी राजस्थान में लागू नहीं किया गया है. इस धारा में 'सब कुछ' साफ़ साफ़ बताने का आदेश भारत की संसद ने दिया था पर आज तक उसका पालन नहीं हुआ है. अँधेरे में चोरियां होनी ही हैं !

अभिनव शासन की नई व्यवस्था, समाज से पूछकर होगी.

अभिनव शासन कैसा होगा, कैसे काम करेगा, इसके बारे में निर्णय कौन करेगा? जाहिर है कि जो लोग अभी 'राज' में डूबे हुए हैं, वे तो अभिनव शासन नहीं चाहेंगे और न ही वे लोग जिनको सत्ता परिवर्तन में अपना 'राज' आने की सम्भावना दिखाई देती है. न ही जिन अफसरों और कर्मचारियों के 'राज' में मजे हैं, वे कोई परिवर्तन चाहेंगे. न ही वे दलाल किस्म के लोग ये परिवर्तन चाहेंगे जो 'राज' से नजदीकियों से अपनी तिजोरियां भरते हैं. जो भी व्यक्ति वर्तमान व्यवस्था में किसी भी रूप में सेट हो रखा है, वह इसे परिवर्तित होते नहीं देखना चाहेगे, सीधे सीधे. तो यह परिवर्तन कैसे होगा?

हम यह भी मानते हैं कि वर्तमान राजस्थान की जनता को एकदम से लोकतंत्र के लिए तैयार करना मुश्किल है. जनता अधिकार तो बहुत चाहती है पर जिम्मेदारी का नाम लेते ही खिसक जाती है! हजार वर्षों तक गुलामी में जीने के कारण जनता जिम्मेदारी से दूर भागती है. उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ गया है. जनता के मन में 'व्यवस्था' का डर भी अभी गहरा है. जनता की इस मानसिकता को समझे बगैर और उसे बदले बगैर कोई भी परिवर्तन सफल नहीं होगा, स्थाई भी नहीं होगा. जबकि हम अभिनव राजस्थान में हर परिवर्तन स्थाई चाहते हैं. हम पक्के, ठोस समाधान चाहते हैं.

दूसरी तरफ समाज में उपलब्ध तथाकथित बुद्धिजीवी भी परिवर्तन के लिए अजीब परेशानी पैदा करते हैं. गुलामी की बौद्धिक परम्परा में पले हुए ये लोग भी परिवर्तन पर दोहरी मार करते हैं. वर्तमान शासन को ये या तो कोसते हैं या फिर बिना तथ्यों के ही इसकी तारीफ में कशीदे पढ़ देते हैं. इनकी अधिकतर जानकारियाँ अखबार-चैनल आधारित होती हैं या अनुमानों पर आधारित होती हैं. अपने अध्ययन या अनुभव पर आधारित बातें कम होती हैं. कभी निंदा तो कभी स्तुति इनकी आदत बन गई है. सलाह भी इनके पास बहुत है पर इनको भी आप परिवर्तन के लिए कोई जिम्मेदारी लेने को कह देंगे तो ये कोई कुतर्क देकर आपसे दूर भाग जायेंगे. इनके पास शब्दों और बहानों की कोई कमी नहीं है पर ये भी हैं तो हैं समाज में, इनको भी तैयार किये बिना समाज बिदक जायेगा!

तीसरा वर्ग इस शासन में काम कर रहे कर्मचारी-अधिकारी हैं. ये भी लाखों की संख्या में हैं और इनकी भी काम करने की एक विशेष आदत बन चुकी है. इनको भी कोई भी परिवर्तन, भले इनको नुकसान न करे, फिर भी अटपटा, असहज लगता है. अभी भी ये डांट या दबाव में काम करने के आदी हैं, स्वप्रेरणा का भाव कम है. अधिकतर को अपने वेतन और छुट्टी की चिंता रहती है. पर ये भी आते समाज से ही हैं तो इनको भी विश्वास में लेना होगा. जोर-जबरदस्ती से ये भी सहयोग नहीं करेंगे.

फिर राजनेता भी अपनी जगह हैं! या कहिये कि सबसे बड़ी चुनौती वे ही होंगे, इस परिवर्तन के लिए. उनका अपना एक प्रभाव है, प्रभावित करने के उनके अपने तरीके हैं. गाँव से लेकर जयपुर तक हर स्तर पर इनका भी जमावड़ा है. इनको भी विश्वास में लेना होगा. हमें इनसे कोई शिकायत नहीं होनी होगी क्योंकि ये जो भी करते हैं, समाज में अपनी प्रतिष्ठा और मूल्य बढ़ाने के लिए ही करते हैं. जब समाज अपने मूल्य बदलकर 'अभिनव मूल्यों' की स्थापना कर देगा तो ये राजनेता भी लोकनेता बनने लगेंगे.

राजस्थान का वर्तमान मीडिया अभी इस हालत में नहीं है कि व्यवस्था बदलने की किसी बड़ी मुहिम में भाग ले. मीडिया में काम कर रहे लोग भी समाज से ही आते हैं और वे भी समाज के वर्तमान मूल्यों और प्राथमिकताओं की चिंता करते हैं. उनको भी लगता है कि जो चल रहा है, वह ही दिखाया या लिखा जाना चाहिए. उनका यह सोचना एक हद तक ठीक भी है. पर हम यह भी मानते हैं कि व्यवस्था के बदलाव की मुहिम जब बड़ा जनमत प्राप्त करने लगेगी तो मीडिया भी सहयोग करने लगेगा. हम मीडिया और हमारे अभियान, दोनों की मर्यादाओं के बीच में चलते रहेंगे.

बात का सार यह है कि अन्य व्यवस्थाओं की तरह नई शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए भी हमें बड़े स्तर पर समाज को मानसिक रूप से तैयार करना होगा.

इसके लिए हम वर्ष 2017 और 2018 में राजस्थान के गाँव गाँव, शहर शहर में 'अभिनव हथाइयाँ' करेंगे और आमजन से यह जानने की कोशिश करेंगे कि वे अपने लिए कैसा शासन चाहते हैं. यह सारी चर्चाएँ सरल शब्दों में होंगी, प्रेम से होंगी. लेकिन हम कुतर्कों से बचेंगे और न ही ऐसी बहस में उलझेंगे जिसका कोई अंत न हो. हम इन चर्चाओं में तथ्यों का भी पूरा समावेश करेंगे, हवाई किले नहीं बनायेंगे और न ही मुंगेरीलाल के सपनों जैसा माहौल बनायेंगे. हमारी बातें धरातल पर टिकी हुई होंगी और उनका आधार मजबूत होगा, लोजिकल होगा. तभी आमजन और हमारे अभियान के बीच विश्वास पैदा होगा.

लेकिन जनता से यह सब क्यों पूछना? इसलिए महाशय कि शासन उसी का है. उसे शासन से क्या चाहिए, यह तो वही बताएगी न? उससे तथाकथित आजादी के बाद से यह पूछा ही नहीं किसी ने! कमाल है न यह भी. कि जिसका शासन है, उसे कोई नहीं पूछ रहा है कि उसका शासन कैसा हो. तथाकथित आजादी से पहले और बाद के राजनेता और अफसर ही यह तय करते रहे हैं कि जनता कैसे शासन से संतुष्ट होगी. कितना बड़ा मजाक है यह? अभिनव राजस्थान अभियान में पहली बार भारत में जनता से यह पूछा जायेगा कि उसे कैसा शासन चाहिए. कैसी पुलिस चाहिए, कैसा अस्पताल चाहिए, कैसे स्कूल चाहियें. किसने कह दिया कि जनता की वही अपेक्षाएं या उम्मीदें हैं, जो नए 'राज' पर कब्जा किये लोगों ने लिख दीं? अब इस 'राज' की जगह लोकतंत्र आएगा.

और हमारे लिए जनता में सभी शामिल होंगे- बुद्धिजीवी, कर्मचारी और राजनेता भी.

अभिनव राजस्थान का ढांचा, सरल और स्पष्ट.

अभिनव राजस्थान में शासन की रचना भारत के संविधान के भीतर ही होगी. यह हम अभिनव राजस्थान की हर व्यवस्था में ध्यान रखेंगे कि कोई भी परिवर्तन संविधान की मूल भावना और उसके प्रावधानों से मेल खाता हो. अभिनव शासन राजस्थान के वर्तमान संसाधनों की सीमा में भी होगा. यानि संविधान और संसाधनों के अनुरूप ही अभिनव शासन की रचना होगी. ये दो बातें हमेशा के लिए स्पष्ट हो. ऐसा नहीं होगा कि हम ऐसी हवाई बातें कर देंगे जो संविधान का उल्लंघन करती हों और जिनके लिए बहुत अधिक पैसा चाहिये हों जो उपलब्ध न हो सके. न ही ये प्रावधान वर्तमान कर्मचारियों की समझ से बाहर होंगे. ऐसा नहीं होगा कि वे नए प्रावधानों को समझ न सकें और उनको नई व्यवस्था में काम करना कठिन हो जाये. हम तो कोशिश यही करेंगे कि नई व्यवस्था में कर्मचारी भी आनंद से सहयोग करें. परिवर्तन तभी स्थाई होगा, सुन्दर होगा. महज हल्ला करने या भ्रमित करने से परिवर्तन उल्टे परिणाम देने लगते हैं.

राजस्थान के अभिनव शासन का सचिवालय अभी की ही तरह जयपुर से काम करता रहेगा. फर्क इतना ही पड़ेगा कि अब सचिवालय में नीतिगत निर्णय हुआ करेंगे. योजनाएं बनाने का काम अब सम्भाग के मुख्यालय करेंगे. जबकि योजनाओं के क्रियान्वयन का काम विकास खण्ड (जिले) के स्तर पर होगा. नीतियों और योजनाओं के निर्माण और उनके क्रियान्वयन का मूल्यांकन सचिवालय करेगा. परन्तु सचिवालय अब शासन के प्रत्यक्ष संचालन से दूर रहेगा. जयपुर से वैसे भी दूर दराज के स्थानों का संचालन हो भी नहीं सकता है. पटवारियों और शिक्षकों के तबादलों या उनको अनुशासन में रखने का काम सचिवालय नहीं कर सकता है. सचिवालय अब इन कामों से ऊपर उठेगा. अब यह 'राज' का नहीं, 'विकास' का सचिवालय होगा. अभिनव राजस्थान का सचिवालय संयुक्तराष्ट्र संघ की तरह काम करेगा ! इसका काम भी सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और यहाँ पर आपको किसी विकसित देश में होने का अहसास होगा. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यालय होगा हमारा अभिनव सचिवालय.

अभिनव शासन के विभाग कम होंगे. कुल अठारह विभाग होंगे. पांच विभाग सबसे महत्वपूर्ण होंगे. कृषि, पशुपालन, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य. ये पाँचों विभाग अभिनव शासन के सबसे चमकते सितारे होंगे. होने भी चाहियें. इनका सीधा संबंध उत्पादन से है, क्रिएशन से है, रचना से है. यहीं से तो अभिनव राजस्थान के असली विकास की कहानी शुरू होनी है. यहीं से भारत के असली विकास की कहानी भी शुरू होगी. मानकर चलिए कि भारत में असली विकास की बात राजस्थान से ही शुरू होगी. इन पाँचों विभागों को राजस्थान में हर मामले में प्राथमिकता रहेगी. नीति निर्माण से लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन तक. आगे इन विभागों के विषयों से जुड़े अध्यायों में बात और स्पष्ट हो जायेगी.

फिर सामाजिक सुरक्षा, सहकारिता, संस्कृति एवं पर्यटन, वन, खनन, परिवहन, स्थानीय शासन (ग्राम एवं शहर), सड़क, पानी, बिजली, क़ानून-व्यवस्था (पुलिस एवं न्याय), वित्त और भू-प्रबंध के विभाग होंगे. यानि कुल अठारह विभाग अभिनव राजस्थान के शासन में होंगे. लेकिन भू-प्रबंध विभाग का पूर्ण नियंत्रण राजस्व बोर्ड (भू-प्रबंध बोर्ड) तो माध्यमिक शिक्षा का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर के पास होगा. प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण बीकानेर से होगा तो खनन विभाग का नियंत्रण वर्तमान की तरह उदयपुर से ही होगा. सचिवालय में इन विभागों से सम्बंधित कोई काम नहीं हुआ करेगा.

ये सभी विभाग स्वतंत्र रूप से एक मंत्री के मार्गदर्शन में काम करेंगे और इनके बीच समन्वय का काम मुख्यमंत्री का होगा. इन विभागों का मुख्य अधिकारी एक महानिदेशक होगा, जो उसी विभाग से होगा. अब विभागों के शीर्ष पर विभागीय विषय के विशेषज्ञ ही होंगे. समान्य प्रशासनिक सेवाओं या राजस्व (भू-प्रबंध) सेवाओं के अधिकारी यथा आई.ए.एस. या आर.ए.एस. अब अन्य विभागों के शीर्ष पर नहीं होंगे.

विभागीय प्रबंधन में तीन बातें खास होंगी अभिनव राजस्थान में. एक तो किसी भी विभाग का दखल दूसरे विभाग में नहीं होगा. किसी भी तरह का दखल नहीं होगा. अब राजस्व अधिकारी स्कूल चेक नहीं करेंगे तो पुलिस परिवहन, खनन और वन विभाग के काम से दूर रहेगी.

दूसरी बात यह कि अब विभाग के भीतर कोई बोर्ड, कोई कॉर्पोरेशन या कोई कम्पनी या कोई परिषद् नहीं होंगी. ये चोंचले केवल राजनेताओं और अफसरों के आरामगाह और चारागाह ही साबित हुए हैं आज तक. इनकी कोई जरूरत ही नहीं है. ये विभाग के काम को उलझाते ही हैं.

तीसरी बात यह कि इन विभागों पर वित्त विभाग का प्रत्यक्ष नियंत्रण ख़त्म हो जायेगा. शासन के वार्षिक बजट में इन विभागों को एक मुश्त राशि आवंटित हो जाएगी और इनको हर महीने वित्त विभाग की ओर झाँकने की कोई जरूरत नहीं होगी. ये विभाग अपने उपलब्ध पैसे से अपने स्तर पर सभी निर्णय लेंगे, अपनी नीति के तहत. हर विभाग अपनी नीति खुद तय करेगा. नीति का लक्ष्य एक ही होगा- असली विकास जो जनता को सीधे सीधे अपने घर और मोहल्ले में दिखाई दे, महसूस हो.

फिर अभिनव राजस्थान में ग्यारह संभाग होंगे. राजस्थान के भूगोल और संस्कृति के अनुसार इन संभागों की रचना होगी. इनका विस्तार से वर्णन आगे के अध्याय में है. ये संभाग अब राजस्थान के शासन की रीढ़ होंगे. यहाँ योजना निर्माण का काम होगा. ये योजनाएं सचिवालय की यानि प्रदेश की नीति और इन संभागों की स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार बनेंगी.

जिलों को अब हम विकास खंड कहेंगे, तो पंचायत समितियों को उप विकास खंड कहेंगे. इनकी कार्यप्रणाली भी वैसी ही होगी, जैसी विभागीय और संभागीय कार्यालयों की होगी. आगे और विस्तार से.

अभिनव संभाग, अभिनव विकास खंड (जिले).

अभिनव राजस्थान में शासन की नई व्यवस्था में संभाग की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी. यह व्यवस्था विकास को समर्पित हमारे शासन को नई ऊर्जा, नई गति और नए अर्थ देने वाली होगी. संभाग को इतना महत्व क्यों होगा? यह भी जान लेना जरूरी है. विषय की स्पष्टता के लिए.

असल में राजस्थान एक बहुत ही बड़ा प्रदेश है. भारत का तो सबसे बड़ा प्रदेश है पर यह कई देशों से भी बड़ा है. क्षेत्रफल में यह जापान के लगभग बराबर है तो इंग्लैंड से दुगुना बड़ा है. यही नहीं, राजस्थान के भूगोल और संस्कृति में विविधता भी बहुत अधिक है. कहीं रेगिस्तान तो कहीं पहाड़ियाँ हैं यहाँ, तो कहीं पठार या मैदान हैं. जलवायु भी अलग अलग क्षेत्रों की समान नहीं है. कहीं एकदम कम बारिश तो कहीं अधिक बारिश, कहीं तेज गर्मी तो कहीं कम गर्मी. साथ ही यहाँ की सांस्कृतिक विविधता भी कम नहीं है. भाषा, पहनावा, उत्सव और परम्पराओं में भी बहुत भिन्नता राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में मिलती हैं. बाँसवाड़ा से गंगानगर या धौलपुर से जैसलमेर जाते जाते राजस्थान का रंग और ढंग एकदम बदल जाता है. धरातल, जलवायु और संस्कृति की इतनी विविधता यहाँ है कि यह एक लघु भारत ही लगता है.

राजस्थान की इस विविधता को नीति और योजना के निर्माण में नकारा नहीं जा सकता है. अभी तक तो यही हो रहा है. तभी तो योजनाओं को लागू होने में दिक्कत आती है.

उपरोक्त कारणों से अभिनव राजस्थान में ग्यारह संभाग होंगे. ये संभाग, उनके मुख्यालय और उनमें शामिल विकास खंड (जिले) इस प्रकार होंगे- 1. **सरस्वती संभाग-** बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ 2. **शेखावाटी संभाग-** सीकर, चुरू, झुंझुनूं 3. **मेरवाड़ा संभाग-** अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा 4. **ढूँढ़ाड़ संभाग-** जयपुर, दौसा, टोंक 5. **मत्स्य संभाग-** भरतपुर, अलवर 6. **डांग संभाग-** सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर 7. **हाड़ौती संभाग-** कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ 8. **वागड़ संभाग-** बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ 9. **मेवाड़ संभाग-** उदयपुर, चित्तौडगढ़, राजसमन्द 10. **गोड़वाड़ संभाग-** पाली, जालोर, सिरोही 11. **मरुधर संभाग-** जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर.

इन सभी संभागों में भी अठारह विभाग होंगे. संभाग में प्रत्येक विभाग के शीर्ष जिम्मेदार अधिकारी होंगे- अतिरिक्त महानिदेशक. इस स्तर पर विभागों के बीच समन्वय का काम संभागीय मंत्री करेंगे. अभिनव शासन में प्रत्येक संभाग पर एक मंत्री होंगे, जो योजनाओं के निर्माण के लिए समर्पित होंगे. ये मंत्री जयपुर में कोई विभाग नहीं देखेंगे, अपने अपने संभाग का काम देखेंगे. लोकनैतिक और लोकतांत्रिक नियंत्रण का यह अनूठा तरीका होगा. तभी जवाबदेही सुनिश्चित होगी और समन्वय पुख्ता होगा.

जिलों को अभिनव राजस्थान में 'विकास खंड' कहा जायेगा. भारत में 'जिले' की व्यवस्था सल्तनत-मुग़ल-अंग्रेजी काल से उपजी हुई शोषण की शासन व्यवस्था है. इन शासनों के लिए जिला बनाने के दो ही मकसद थे- भू-राजस्व की उगाही और 'राज' को बनाये रखना. विकास करना या जनता के लिए सुविधाएँ जुटाना इनकी लिस्ट में प्राथमिकता में नहीं था. राजस्व की उगाही और राज के लिए इन शासनों में हर जिले में एक जिला हाकिम या जिलाधीश या जिला कलक्टर नियुक्त होता था. यह अधिकारी उस जिले में भू-राजस्व की उगाही करता था और नहीं देने वालों को दण्डित भी करता था. जिले की क़ानून व्यवस्था इसी अधिकारी की जिम्मेदारी होती थी. इसलिए इनको जिला मजिस्ट्रेट भी बनाया गया. बिना क़ानून की डिग्री के भी मजिस्ट्रेट! पर उन शासनों में इसकी आवश्यकता 'राज' कायम रखने के लिए थी.

अब जब हम लोकतंत्र को स्वीकार कर चुके हैं तो इस जिला व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है. भू-राजस्व अब लगभग नगण्य हो गया है तो उसके 'कलेक्शन' के लिए अब किसी 'कलेक्टर' की अलग से आवश्यकता नहीं है. अब असल कलेक्शन सेल्स टैक्स का होता है और उसके लिए अलग से अधिकारी होते हैं. क़ानून-व्यवस्था के लिए अब पुलिस का व्यापक ढांचा है और न्याय के लिए हर स्तर पर मजिस्ट्रेट हैं. अब हमें आई.ए.एस. और आर.ए.एस. के आधिकारियों को केवल भू-प्रबंध और सामान्य प्रशासन यथा जनसंपर्क, प्रोटोकॉल, चुनाव आदि कार्यों तक सीमित रखकर उनको राहत देनी है. अभी उन पर समन्वय के नाम पर हर विभाग का काम थोपा जाता है. नतीजा यह है कि भूमि विवादों का राजस्थान में अम्बार लग गया है. लगभग तीन लाख मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं और रोज बढ़ते जा रहे हैं. इनके कारण रोज माथे फूटते हैं या हत्याएं होती हैं. अब यह सहन की सीमा से बाहर हो गया है.

यानि राजस्थान में अब हम जिले को 'विकास खंड' के नाम से जानेंगे क्योंकि अब हमें कोई 'राज' नहीं चलाना है, बल्कि 'विकास' करना है. हमें इसके लिए शासन की मानसिकता, शब्दावली और कार्यप्रणाली को बदलना है. अब हमारे विकास खंड में सभी विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे और कोई भी विभाग दूसरे विभाग के काम में दखल नहीं देगा. विकास खंड में सात अधिकारी (निदेशक) सबसे अधिक महत्वपूर्ण होंगे- कृषि निदेशक, पशुपालन, शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च), स्वास्थ्य और उद्योग निदेशक. ये सात अधिकारी सभी सुविधाओं से लैस होंगे, क्योंकि ये विकास खंड के उत्पादन और मानव संसाधन के लिए जिम्मेदार होंगे. विकास का पहिया यही विभाग घुमाएंगे.

विकास खंड में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का काम, कलक्टर की जगह विकास खंड प्रमुख (जिला प्रमुख) करेंगे. लेकिन यह समन्वय सहकार और सद्भाव के रूप में होगा, अनावश्यक दखल नहीं होगा. सभी विभागों के अधिकारियों का सम्मान एक जैसा होगा. इन समन्वय बैठकों में केवल एक दूसरे विभाग के सहयोग को लेकर ही बात होगी. विभागीय अधिकारी अपनी रिपोर्ट अपने संभागीय उच्च अधिकारी को ही देंगे. जिला प्रमुख, संभागीय मंत्री को समन्वय की समस्याओं से अवगत करवाएंगे.

अभिनव विकास उपखंड, विकास के शासन का आधार.

अभिनव राजस्थान के शासन में सचिवालय विकास के दिमाग का काम करेगा तो संभाग रीढ़ की हड्डी का काम करेंगे. विकास खंड या जिले कमर होंगे तो विकास के पैरों का काम विकास उपखंड करेंगे. विकास उपखंड को गाँवों में अभी हम समझने के लिए पंचायत समिति मान लें और शहरों में दो लाख की आबादी मान लें. इन विकास उपखंडों में जाकर हमारी योजनाओं को लागू होना है. वर्ष 1952 में पहली बार देश के विकास पर मंथन हुआ था तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम से ही विकास शुरू करना सोचा गया था. पर समय के साथ साथ बात उलझती गई और विकास कहीं पीछे चला गया, 'राज' और 'कल्याण' जैसे शब्द हावी हो गए. अभिनव राजस्थान में हम विकास की उस पुरानी यात्रा को फिर से शुरू कर रहे हैं और इसमें विकास उपखंड मुख्य भूमिका निभाएंगे.

राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में लगभग ऐसे 300 विकास उपखंड होंगे. यह हमारी मूल इकाई होगी, जिस पर शासन की सम्पूर्ण रचना टिकी हुई होगी. एक विकास उपखंड में सभी विभागों की हिस्सेदारी होगी, जैसी सचिवालय में होगी. स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कुछ संशोधन भी होंगे पर शासन की एकरूपता रखी जाएगी. एक विकास उपखंड में ग्रामीण विकास की वर्तमान इकाई, पंचायत समिति आ जाएगी. शहर अगर होगा तो नगरपालिका आ जाएगी. एक भू-प्रबंध की इकाई (तहसील) आ जाएगी. लेकिन उसे अब तहसील न कहकर भू-प्रबंध विभाग कहा जायेगा.

एक उपखंड में अब एक ही पुलिस कार्यालय होगा. कोई अन्य स्टेशन या पुलिस चौकी नहीं होगी. एक अस्पताल होगा, गाँवों में कोई अस्पताल नहीं होगा. इन दोनों विषयों पर आगे विस्तार से वर्णन किया है.

उपखंड के सभी विभागों के प्रभारी अब सहायक निदेशक के पदनाम से जाने जायेंगे. चाहे पुलिस का प्रभारी हो, चाहे शिक्षा का या वन विभाग का. सभी के पदनाम एक जैसे होंगे. अभी की तरह शब्दों का भ्रमजाल नहीं होगा. सभी कार्यालय एक ही कॉम्पलेक्स में होंगे. अभी अगर हैं तो ठीक है, वरना दो वर्षों में इनको एडजस्ट कर दिया जायेगा. सभी विभाग स्वतंत्र रहकर काम करेंगे और एक विभाग दूसरे विभाग के काम में दखल नहीं देगा. सभी अधिकारियों का सम्मान बराबर होगा. पर कृषि, पशुपालन, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता रहेगी. इनके काम में सभी अन्य विभाग मदद करेंगे क्योंकि इनके काम से विकास का हमारा संकल्प पूरा होगा. इन विभाग के अधिकारी तभी परिणाम दे पाएंगे, जब उन्हें अन्य विभागों का सक्रिय सहयोग मिलेगा. अब 'राज' नहीं, 'विकास' हमारी प्राथमिकता होगी.

विभागों में समन्वय का काम पंचायत समिति के प्रधान और नगरपालिका के चेयरमैन करेंगे.

पंचायत समितियां और नगरपालिकाएं अभिनव शासन में अलग ही ढंग से काम करेंगी. पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार में सभी विभागों का समन्वय प्रधान करेंगे. यह समन्वय सहकार और सद्भाव आधारित होगा. अनावश्यक दखल नहीं होगा. इस समन्वय बैठक में सभी विभाग एक दूसरे विभाग से उनको आ रही परेशानी के बारे में मासिक बैठक में चर्चा करेंगे पर वे प्रधान को कोई रिपोर्ट नहीं देंगे. वे अपनी रिपोर्ट अपने जिले या विकास खंड के निदेशक को ही देंगे. पंचायत समिति के प्रधान अपनी रिपोर्ट जिला प्रमुख को देंगे. इसमें वे समन्वय में या अन्य काम में आ रही परेशानी का जिक्र करेंगे.

इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में विभिन्न विभागों के काम में समन्वय का काम नगरपालिका या परिषद के अध्यक्ष देखेंगे. यह समन्वय भी सहकार और सद्भाव के आधार पर होगा, अनावश्यक दखल नहीं होगा. विभागों के सहायक निदेशक अपनी रिपोर्ट जिले के निदेशकों को देंगे. नगरपालिका अध्यक्ष समन्वय में आ रही दिक्कतों और विशेष मुद्दों के बारे में जिला प्रमुख को बतायेंगे.

लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होगा कि अधिकारी पंचायत समिति प्रधान या नगरपालिका अध्यक्ष की बातों को अनसुनी कर देंगे. अधिकारियों को उनका पूरा सम्मान करना होगा. अधिकारियों और उनके बीच में स्वस्थ और लिखित संवाद होगा और अधिकारियों को इस संवाद पर प्राथमिकता से कार्रवाई करनी होगी. अधिकारियों की उदासीनता पर जिला निदेशक कार्रवाई कर सकेंगे. संभाग के अधिकारी भी उदासीन और अक्षम जिला निदेशकों पर कार्रवाई में सक्षम होंगे. सामान्य मामलों में जयपुर तक बात ले जाने की जरूरत नहीं होगी. संभाग ही लगभग अंतिम पड़ाव होगा.

शासन की इस व्यवस्था में पंचायत समिति के सदस्य, ग्राम पंचायत सरपंच, ग्राम पंचायत के सदस्य और शहर के पार्षद को अधिक जिम्मेदारी और शक्तियां दी जाएँगी. इनके चुनावी क्षेत्राधिकार में हो रहे काम में इनकी राय को पूरा महत्व दिया जायेगा. कोई भी विभाग होगा, वह इनके लिखित संवाद को प्राथमिकता देगा. चाहे भू-प्रबंध का विषय हो, चाहे पुलिस का या समाजिक सुरक्षा का विषय हो, जनता द्वारा चुने हुए इन प्रतिनिधियों की बात की अवहेलना नहीं की जाएगी. कई बार अधिकारी अपनी खुमारी में इन लोगों की नहीं सुनते हैं. अभिनव राजस्थान में यह मनमानी नहीं होगी पर होगा सब कुछ लिखित में और पारदर्शी तरीके से. आमजन को हर चीज साफ साफ कंप्यूटर या मोबाइल पर दिखाई देगी. इससे ही अभी आ रही समस्याओं का स्थाई समाधान होगा और पक्षपात या मनमानियां रुकेंगी.

जहाँ तक विधायकों और सांसदों का सवाल है, शासन में अभी की तरह उनका सीधा दखल नहीं होगा. उनके द्वारा लिखे जाने पर कोई तबादले नहीं होंगे. पर उनके द्वारा किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई शिकायत को प्राथमिकता दी जायेगी और उनकी संतुष्टि तक जाँच और कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उनके द्वारा सुझाये गए विकास कार्यों पर भी पूरा ध्यान दिया जायेगा. उनका पूरा सम्मान होगा.

अभिनव मुख्यमंत्री, अभिनव मंत्री. ‘विकास’ को समर्पित, ‘राज’ के लिए नहीं.

वैसे हमें मुख्यमंत्री और मंत्री के पदनामों में ही राजतंत्र की बू आती है पर संविधान में ऐसा लिख दिया गया है तो उसका सम्मान करना है. वरना कौन, किस राजा का मुख्य मंत्री और मंत्री? यह अंग्रेजों से उधार ली गई व्यवस्था का असर है, जहाँ अभी भी महारानी है और उसके प्रधान मंत्री भी हैं, मंत्री भी. फिर भी अभी के लिए हम इन पदनामों का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अभिनव राजस्थान को वर्तमान संविधान के ढाँचे में होना है. इस ढाँचे के भीतर ही काम करना है.

अभिनव राजस्थान में मुख्यमंत्री बनने के लिए संविधान की शर्तों के साथ साथ कुछ व्यावहारिक योग्यताओं का होना भी अपेक्षित होगा. हालांकि कानूनन ये शर्तें थोपी नहीं जा सकतीं पर हम माहौल ऐसा बनायेंगे कि जनमानस ऐसे मुख्यमंत्री के लिए मन बनाये जिसमें ये अतिरिक्त योग्यताएं हों. हमारे मुख्यमंत्री को अपने जीवन में पांच या दस वर्ष का कोई न कोई जिम्मेदार कार्य करने का अनुभव होगा. खेती का अनुभव हो, उद्योग का हो, व्यापार का हो या कि पढ़ाने का अनुभव हो, कुछ तो हो. ऐसा अनुभव जिससे उसने अपना और अपने परिवार का पेट पाला हो. अब यह क्या कि पैदा होने से अब तक खुद के लिए या घर परिवार के लिए कोई संघर्ष न किया हो, कोई रोजी रोटी की व्यवस्था न की हो और आप पूरे प्रदेश को सँभालने चल दिए! अनुभवहीनता ऐसे लोगों के हर निर्णय में झलकती है. जबकि जिम्मेदार रहा हुआ व्यक्ति सोच समझकर निर्णय करेगा, यह संभावना बनती है.

फिर हमारा मुख्यमंत्री वैभवशाली तरीके से नहीं रहेगा. उसे तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी पर वह किसी राजा-महाराजा या महारानी का जीवन नहीं जी रहा होगा. उसे मंत्रियों में से ही एक मंत्री माना जायेगा जैसा संविधान में लिखा है. मंत्री परिषद की शक्तियां उसके हाथ में स्वच्छंदता से नहीं होंगी. मंत्री परिषद के निर्णयों के अनुसार ही उसे काम करना होगा. मंत्री परिषद के संवेदनशील निर्णयों के अतिरिक्त सभी निर्णय और उनके कारण सार्वजनिक रूप से आमजन की जानकारी के लिए उपलब्ध होंगे.

अभिनव राजस्थान का मुख्यमंत्री किसी हवाई जहाज या हेलिकॉप्टर का उपयोग नहीं करेगा. ऐसा कोई काम नहीं है, जिसके लिए उसका अलग से हवाई जहाज या हेलिकॉप्टर से आना जाना जरूरी हो. अगर कोई आपातकाल है तो उसके लिए सक्षम अधिकारी होते ही हैं, मुख्यमंत्री उन कामों को नहीं कर सकता है. हवाई दौरों की बजाय मुख्यमंत्री का धरातल पर सफर करना ज्यादा फायदेमंद होगा, हर लिहाज से. योजना से काम किया जाये तो सड़क और रेल मार्ग से भी राजस्थान में जाया जा सकता है. जनता के पैसे का यह बेजा दुरूपयोग अब नहीं होगा. ‘राज’ की मौज बहुत हो गई.

ये सरकारी हवाई जहाज और हेलिकॉप्टर अब जनता के सीधे काम आयेंगे. पुलिस, परिवहन और चिकित्सा विभाग के महानिदेशकों के अधीन ये साधन अब आपातकाल के लिए हर वक्त तैयार रहेंगे. शुरू में जयपुर और जोधपुर के मुख्य अस्पतालों के पास ये हेलिकॉप्टर होंगे, जिनकी संख्या बढ़ाकर धीरे धीरे सभी संभागों पर इनकी व्यवस्था होगी. कहीं भी दुर्घटना या अन्य आपातकाल में ये हेलिकॉप्टर और हवाई जहाज उपलब्ध रहेंगे. तभी तो जनता को अपने शासन का अहसास होगा.

हमारे मुख्यमंत्री का कोई फोटो भी आप किसी सरकारी विज्ञापन में नहीं देख पाएंगे. सरकारी विज्ञापनों में केवल भारत माता का चित्र होगा, जिनकी सेवा में विकास के सभी पुनीत कार्य समर्पित होंगे. साथ ही ये विज्ञापन शासन की उपलब्धियों का बखान करने के लिए नहीं होंगे बल्कि जनता को उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देने और शासन की आवश्यकता बताने के लिए होंगे. अगर शासन अच्छा काम कर रहा है तो उसके विज्ञापन की कोई जरूरत नहीं होती, जनता खुद जान लेती है, महसूस कर लेती है.

मुख्यमंत्री के पास जनसम्पर्क, कार्मिक, सामान्य प्रशासन, प्रशासनिक समन्वय और सुधार का काम होगा. सभी अन्य मंत्री और विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे. लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होगा कि कोई मुख्यमंत्री की नहीं सुनेगा. मुख्यमंत्री के पास किसी भी मामले में आवश्यक होने पर दखल देने के विशेष अधिकार होंगे. पर यह दखल होगा लिखित में, पारदर्शी तरीके से, कुछ संवेदनशील मुद्दों को छोड़कर.

अभिनव शासन में अठारह मंत्री एक एक विभाग का मार्गदर्शन करेंगे. इनको अपने विभागों में निर्णय लेने के पूरे अधिकार होंगे पर इनका अधिकतर काम नीति निर्माण का होगा. साथ ही ये अपने विभाग की योजनाओं के मूल्यांकन पर भी नजर रखेंगे. इनके अलावा ग्यारह मंत्री, ग्यारह संभागों के प्रभारी होंगे, जो उन संभागों में योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन के लिए काम करेंगे. कुल उन्नतीस मंत्री और एक मुख्यमंत्री अभिनव राजस्थान के शासन को संभालेंगे. इन सभी विभागीय और संभागीय मंत्रियों की समन्वय बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे. यह बैठक तीन महीने में एक बार होगी.

इन मंत्रियों के अलावा कोई संसदीय सचिव, बोर्ड अध्यक्ष या निगम अध्यक्ष जैसे पद नहीं होंगे. विभागों के भीतर विभाग की व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी.

मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए एक आवासीय कॉम्पलेक्स होगा, जो सचिवालय के पास होगा. इस कॉम्पलेक्स में ही सभी मंत्री और विधायक निवास करेंगे. जयपुर में अब सिविल लाइंस के बंगले नहीं होंगे. नवसामंतशाही के ये निशान नहीं होंगे. उन बंगलों की जगह जनसुविधा के केंद्र होंगे. मंत्रियों को सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी पर अब वे निजी कार्यों के लिए सरकारी वाहनों या सुविधाओं का प्रयोग नहीं कर सकेंगे. कि कोई विवाह समारोह में पहुँच गए सरकारी गाड़ी लेकर! क्योंकि अब राजस्थान में 'राज' नहीं होगा, बल्कि 'लोक' का जिम्मेदार और पारदर्शी तंत्र होगा, जो विकास को समर्पित होगा.

अभिनव शासन की कार्यप्रणाली, सरल, सक्षम, प्रभावी और अपनेपन की.

अभिनव शासन का मूल मंत्र 'अपने' शासन का अहसास होगा. हमारे लिए इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई बात नहीं होगी. शासन अपना लगता है तो उसका कोई अर्थ है लोकतंत्र में, वरना अखबारों या चैनलों के विज्ञापनों से सक्षम शासन की दुहाई से हमें क्या करना है. अभिनव शासन में पग पग पर. हर मोड़ पर नागरिक यह महसूस करेंगे कि यह शासन वाकई में उनका अपना है, यह वही शासन है जो उन्हें चाहिए था, यह वही शासन है, जिसके लिए उन्होंने वोट किया और नोट (टैक्स) दिया. असली लोकतंत्र.

शासन में अपनेपन के लिए हमें कई परिवर्तन करने हैं. वर्तमान ढांचे में भी और कार्य करने के तरीकों में भी. वर्तमान शासन तो अंग्रेजी-सामंती शासन के परायेपन से भरा हुआ है.

सबसे पहले हम शासन की शब्दावली को बदलेंगे. शब्दों से भाव बनते हैं, यह हम मानते हैं. पदनामों से यह काम शुरू होगा. हम कई पदनामों को बदलेंगे. कुछ उन पदनामों को छोड़कर, जो संविधान के अनुसार हैं. अभिनव शासन में प्रत्येक विभाग के शीर्ष पर उसी विभाग के विषय के जानकार महानिदेशक होंगे. सभी विभागों में यह एक ही पदनाम होगा, अभी की तरह अलग-अलग पदनाम नहीं होंगे. चाहे वित्त विभाग हो या कृषि या पुलिस विभाग हो या भू प्रबंध का विभाग हो. माध्यमिक शिक्षा और राजस्व बोर्ड के अध्यक्षों को भी इन पदनामों से जाना जायेगा. उनके बाद प्रत्येक संभाग में अतिरिक्त महानिदेशक होंगे. जिलों में निदेशक होंगे. अब कमिश्नर या कलक्टर जैसे शब्द नहीं होंगे. अंग्रेज चले गए तो इन शब्दों को भी जाना होगा. इसलिए भी कि इनके साथ जुड़े गुलामी के भाव भी चले जाएँ! विकास उपखंडों में सहायक निदेशक होंगे. अब कोई एस. डी. एम. या तहसीलदार नहीं होगा. सभी अधिकारी अपने अपने विभागों के महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक, निदेशक और सहायक निदेशक होंगे. इनके अलावा अन्य स्तरों पर उप महानिदेशक या उप निदेशक होंगे.

अभिनव शासन के कार्यालय अब 'राजकीय' नहीं होंगे. इस शब्द से ही यह लगता है कि यह 'राज' का है. अब सभी कार्यालय 'अपने' होंगे. अपना कार्यालय, अपना विद्यालय, अपना महाविद्यालय, अपना पुलिस कार्यालय, अपना अस्पताल. इन नामों से ही अपनेपन का भाव बनेगा कि अस्पताल अपना है, कोई कार्यालय अपना है. अभी तो 'राजकीय' शब्द पढ़ते ही राज के किसी 'साहब' का कार्यालय लगता है! साहब भी ऐसा जताते हैं!

फिर हम अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को क्या कहेंगे? वे 'लोक सहयोगी' होंगे. अब वे राज के 'नौकर' नहीं होंगे और न ही नौकरी कर रहे होंगे. न ही वे 'लोक सेवक' होंगे. काहे के नौकर और काहे के सेवक? मानव मानव का नौकर या सेवक? दास प्रथा में ठीक था, राजतंत्र में ठीक था, अब नहीं.

अभिनव शासन में हम कर्मचारियों या कहिये कि लोक सहयोगियों को कोई 'वेतन' या 'तनख्वाह' नहीं देंगे. ये शब्द भी गुलामी के शब्द हैं. अब जब हमने मान लिया है कि ये लोग लोकतंत्र में लोक को सहयोग कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं कर रहे या कोई सेवा नहीं दे रहे हैं तो इनको हम 'मानदेय' देंगे. ऑनरेरियम होगा यह. सम्मान के साथ कुछ राशि, समाज को सहयोग करने के लिए. इसका अर्थ कोई यह न निकाल ले कि वेतन कम हो जायेंगे ! राशि उतनी ही रहेगी पर शब्द बदल जायेगा.

अभिनव शासन में पत्र व्यवहार की गति पर भी विशेष ध्यान होगा. अब किसी भी नागरिक के पत्र का जवाब तुरंत दिया जायेगा. एक हफ्ते से अधिक किसी पत्र का यूं ही पड़े रहना लोकतंत्र का मजाक होता है, यह मजाक अभिनव शासन में नहीं होगा. हमारे पत्र व्यवहार की गति तेज होगी और सामान्य जानकारियों के लिए सूचना का अधिकार अधिनयम का उपयोग करने की भी जरूरत नागरिकों को नहीं होगी. साथ ही इन पत्रों की भाषा भी बदली जाएगी. अब कोई भी नागरिक किसी अधिकारी को 'सेवा में' 'प्रार्थना पत्र' नहीं लिखेगा. एक नागरिक अपने ही शासन में किसी मुनीम या प्रबंधक की सेवा में कैसे हो सकता है? लोक का तंत्र है अब यहाँ, राजा का तंत्र नहीं है. इसलिए हमारे संबोधन 'प्रिय' और 'श्रीमान' होंगे. अब हम पर भगवान या माता-पिता के अलावा अब किसी की भी 'कृपा' या 'मेहरबानी' नहीं होगी. यह कृपा और मेहरबानी शब्द अब हमारे पत्र व्यवहार से गायब हो जायेंगे.

अभिनव शासन में अब कोई 'आदेश' या ऑर्डर 'ऊपर' से नहीं आएंगे, अब केवल 'निर्देश' या डायरेक्शन या 'आग्रह' या इन्सिस्टेंस ही आया करेंगे. आदेश तो राजा के होते थे !

अभिनव शासन में जब आप 'अपने' किसी कार्यालय में जायेंगे तो आपका सम्मान और सत्कार हुआ करेगा. इसके लिए अब आपको कोई 'बड़ा' आदमी, कोई राजनेता या कोई अधिकारी होने की आवश्यकता नहीं होगी. सभी लोक सहयोगी विनम्रता से आपका स्वागत करेंगे और आपके काम के लिए वैसे ही कोशिश करेंगे जैसे अभी कोई दुकानदार अपने ग्राहक की संतुष्टि के लिए करता है. आपका अपने कार्यालयों में जाने का अनुभव ही आपको जता देगा कि आप असली लोकतंत्र में जीने लग गए हो. तभी आपको लगेगा कि भगत सिंह और सुभाष चन्द्र बोस की आत्माएं अपने सपने पूरे होते देखकर दशकों बाद हर्षाई हैं. तभी आजादी के दीवानों के बलिदान सार्थक हो पाएंगे. वरना अभी तो वही अंग्रेजी और सामंती 'राज' चल रहा है जो आपको डराता है, जो आपको कार्यालय 'अपना' नहीं लगने देता है.

लेकिन एक रात में किसी जादू से या किसी सरकारी आदेश या उपदेश से ये कर्मचारी और अधिकारी अचानक लोक के सहयोग और सम्मान के लिए तैयार नहीं हो जायेंगे. पहले वर्ष में हम बड़े स्तर पर इन सभी को नई व्यवस्था को अपनाने के लिए स्नेह और सम्मान से प्रशिक्षित करेंगे. साथ ही समाज में भी 'नागरिक' की जिम्मेदारी और इन लोक सहयोगियों के सम्मान का भाव भरेंगे. तभी यह संभव होगा. अच्छे और स्थायी परिवर्तन जादू या जिद्द से नहीं, जिम्मेदारी से होते हैं.

शासन में लोक सहयोगियों का प्रवेश (भर्ती), विशेषज्ञता के अनुसार.

अभिनव राजस्थान में शासन में लोक सहयोगियों (कर्मचारियों-अधिकारियों) का प्रवेश या भर्ती भी अभिनव तरीके से होगी. अभी ये भर्ती एक उलझे हुए तरीके से होती है और उसी वजह से नए लोक सहयोगी वह काम नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए उनको प्रवेश दिया गया है. दूसरी ओर अभी अधिकतर लोग अपने लिए आर्थिक रूप से एक सुरक्षित जीवन के लिए ही 'सरकारी सेवा' में आते हैं, लोक का सहयोग करने का भाव लेकर कम ही लोग प्रवेश करते हैं. यानि विषय का ज्ञान नहीं और सहयोग का भाव नहीं है तो शासन कैसा होगा, इसको हम रोज देखते ही हैं.

अभिनव शासन में शासन को सक्षम बनाने के लिए हम शासन की प्रक्रिया को बदलेंगे. यह बदलाव वर्तमान जड़ता को तोड़ेगा. अभिनव शासन में प्रवेश (भर्ती) की प्रक्रिया में पांच बातें प्रमुख होंगी, ताकि सही लोगों का चयन हो और शासन में सहयोग का भाव हो, समपर्ण हो.

सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह कि शासन के किसी भी विभाग में प्रवेश के लिए उस विभाग से जुड़े विषय की विशेषज्ञता होनी आवश्यक होगी. कोई भी विभाग हो और उसमें किसी भी स्तर पर प्रवेश होगा, अभ्यर्थी या कैंडिडेट को उस विषय का कक्षा बारह तक या ग्रेजुएशन का ज्ञान अनिवार्य होगा. लेवल चार पर भी और लेवल वन पर भी. लेवल चार पर भी अब 'चपरासी' या पीयोन तो होंगे नहीं, क्योंकि राजतंत्र के इस अवशेष को भी विदा करना है. अभिनव शासन के किसी भी कार्यालय में अब पानी पिलाने वाला या फाइलें उठाने वाला, 'साहब की सेवा' में चपरासी नहीं होगा. जो अभी हैं, उनको भी सम्मानजनक ढंग से किसी अन्य उत्पादक काम में लगाया जायेगा. 'चाकरी' हमेशा के लिए बंद.

जैसे हम पुलिस में केवल उन्हीं लोगों को लेंगे जो कक्षा दस के बाद स्पोर्ट्स में ही पढ़ रहे होंगे. उन्होंने स्पोर्ट्स स्कूल से कक्षा बारह पास की होगी और स्पोर्ट्स कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हुआ होगा. ऐसे फिट लोग ही पुलिस के काम के साथ न्याय कर पायेंगे. वे ज्यादा संतुलित भी होंगे और उनमें वह टीम भावना होगी जो पुलिस के काम में चाहिए. इसी प्रकार सामान्य प्रशासन में हम उन्हीं कैंडिडेट्स को लेंगे जिन्होंने कक्षा दस के बाद पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विषय पढ़े हों. यानि अब आर.ए.एस. में वही लोग प्रवेश पायेंगे जिन्होंने प्रशासन से जुड़े विषयों में ग्रेजुएशन किया हुआ होगा.

अभिनव शासन के खान विभाग में भूगर्भ विज्ञान के ज्ञाता, तो वन विभाग में वनस्पति शास्त्र पढ़े युवा प्रवेश पा सकेंगे. वित्त से जुड़े विषयों में कॉमर्स के विद्यार्थी तो कंप्यूटर का काम इस विषय के जानकार ही करेंगे. विषयों और विभाग का यह कनेक्शन ही शासन को अर्थ देगा, इसे सक्षम बनाएगा.

विषय को विभाग से जोड़ने का फायदा यह भी होगा कि इन विषयों को ठीक से पढ़ने-समझने में विद्यार्थियों की रुचि जगेगी. वहीं उनको अपने विषय के ज्ञान पर विश्वास भी बढ़ेगा. वे शासन में प्रवेश नहीं करेंगे तो भी अन्य क्षेत्रों में उस ज्ञान के आधार सफल हो जायेंगे. शासन की प्रक्रिया से दूसरे क्षेत्रों को अक्सर दिशा मिल जाया करती है और यही शासन का काम होता है.

दूसरी बात यह होगी कि कक्षा बारह से नीचे पढ़े हुए किसी भी व्यक्ति को शासन में किसी भी स्तर पर प्रवेश नहीं होगा. कक्षा बारह पढ़े विद्यार्थियों को लेवल चार में ही प्रवेश मिलेगा. ग्रेजुएट्स को लेवल थ्री, टू और लेवल वन में प्रवेश मिलेगा. अभिनव शासन में ग्रेड या श्रेणी न होकर प्रत्येक विभाग में लेवल या स्तर होंगे. यह ग्रेड शब्द कभी कभी बुरा भी लगता है. थर्ड या फोर्थ ग्रेड खासकर.

तीसरी बात यह होगी कि प्रत्येक विभाग अपनी भर्ती या प्रवेश प्रक्रिया को खुद ही संपन्न करेगा. चाहे शिक्षा विभाग हो या पुलिस विभाग या खान विभाग या भू प्रबंध विभाग. सभी विभाग सभी स्तरों की अपनी परीक्षाओं का आयोजन खुद ही करेंगे. हम अविश्वास के इस नाटक को खत्म करेंगे. कि उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं, इस पर कर सकते हैं. ये देशभक्त होने के प्रमाण पत्र अब या तो सभी विभागों को जारी होंगे या किसी को नहीं. हमें सभी विभाग के अधिकारियों को बराबर सम्मान देना होगा.

फिर इन प्रवेश प्रक्रियाओं में साक्षात्कार और व्यावहारिक ज्ञान (प्रैक्टिकल) की बड़ी भूमिका होगी. बिना साक्षात्कार के, व्यवहारिक ज्ञान की जांच के, कैसे हम योग्य उम्मीदवार चुन सकते हैं? किसी को शिक्षक के रूप में काम करना है तो केवल लिखित परीक्षा से कैसे जान सकते हैं कि उसकी पढ़ाने की विधि कितनी प्रभावी है? कोई वन विभाग या कृषि विभाग में कैसे काम करेगा, जब उसे कोई व्यावहारिक ज्ञान नहीं होगा? यह 'पक्षपात' का बहाना भुलाकर फिर से हमें अपने अधिकारियों पर विश्वास करना होगा. पक्षपात को कम करने के चक्कर में अयोग्य लोगों का चयन कितना भारी पड़ा है हमें? और हमारे पास इस पक्षपात को रोकने की इच्छाशक्ति है तो इसे रोकने के कई रास्ते हैं. पर एक छोटी बीमारी से छुटकारे के लिए कोई दूसरी गम्भीर बीमारी पालने की कहाँ जरूरत है ?

पांचवीं बात यह होगी कि प्रत्येक वर्ष के अंत में जितने लोग रिटायर होंगे, उतने ही नए लोग लेने की तैयारी सुनिश्चित होगी. यह जो मजाक अनिश्चितता के नाम पर अभी चल रहा है, उस पर पूर्ण विराम लगेगा. प्रत्येक विभाग नए लोगों को प्रवेश देने का काम हर वर्ष नियमित रूप से करेगा. पैसे की जो कृत्रिम तंगी वित्त विभाग करता है, वह नहीं रहेगी क्योंकि वित्त विभाग का हस्तक्षेप ही कम हो जायेगा. सभी विभाग अक्टूबर के महीने में ये भर्तियाँ करेंगे जब स्कूलों की छुट्टियाँ चल रही होंगी. अभिनव शिक्षा में सितम्बर-अक्टूबर में छुट्टियाँ डेढ़ महीने की होंगी. इस निश्चितता से युवाओं को आराम होगा और वे अपने करीयर को प्लान कर सकेंगे. अभी तो प्रवेश प्रक्रिया एक बड़ा मजाक मात्र है.

प्रोमोशन, ट्रांसफर और अनुशासन, योग्यता से, पूर्ण पारदर्शिता से, समयबद्ध.

अभिनव राजस्थान एक गतिशील समाज होगा. डायनामिक सोसाइटी. अभी की तरह की जड़ता जीवन के किसी भी क्षेत्र में नहीं होगी. तभी तो हम उसे विकसित होता समाज कहेंगे, आगे बढ़ता समाज कहेंगे. यह तभी होगा जब व्यवस्था ऐसी हो जो जीवन में गति बनाये रखे. शासन में भी गतिशीलता तभी आएगी जब प्रत्येक लोक सहयोगी को, कर्मचारी-अधिकारी को यह अहसास होगा कि एक अंतराल के बाद वह अपनी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ रहा है, मानदेय में भी, स्थान में भी और जिम्मेदारी या शक्ति में भी. तभी वह मानसिक रूप से सम्बल होगा, तभी वह उत्साह से काम करेगा. परिवर्तन जीवन का नियम है और जब भी हम इसे नकारते हैं तो जड़ता आती है, नीरसता आती है. अभिनव शासन की व्यवस्था में हम इस नीरसता को कम करके शासन को सक्षम बनायेंगे.

अभिनव शासन में प्रत्येक पांच वर्ष में प्रत्येक लोक सहयोगी को एक पदोन्नति का अवसर निश्चित रूप से मिलेगा. लेकिन यह पदोन्नति केवल पांच वर्ष पूरे होने पर स्वतः नहीं मिलेगी. उसे अपने आपको इसके लिए सक्षम बनाना होगा. पांच वर्ष तक काम को समर्पण से करना होगा. उसकी प्रत्येक वर्ष की रिपोर्ट का पदोन्नति में महत्व होगा. पदोन्नति में भी जो 'पक्षपात' के नाम पर रोना रोया गया है, वह अब नहीं होगा. जो भी अधिकारी विभाग में पदोन्नति के लिए योग्य लोक सहयोगियों का चयन करेंगे, उन पर विश्वास किया जाएगा. तभी तो विभाग में अनुशासन बन पायेगा.

पदोन्नति के लिए विभागीय लिखित परीक्षा होगी ताकि कर्मचारियों के विभागीय विषय के ज्ञान और नियमों की जानकारी का पता लगे. इससे कर्मचारी अपने आपको हमेशा अपडेट करके रखेंगे और नियमों को लेकर उदासीन नहीं रहेंगे. साथ ही लोक सहयोगी के व्यवहार और कार्य के सम्बन्ध में उसके साथियों और आम जनता की राय का भी महत्व होगा. सभी पक्षों की राय से ही पदोन्नति होगी. केवल अपने से ठीक ऊपर पदासीन अधिकारी की रिपोर्ट ही अंतिम नहीं होगी.

फिर इन पदोन्नतियों में एक ख़ास बात यह होगी कि पांच वर्ष के बाद कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन करके लेवल चार से लेवल तीन में भी जा सकेगा या लेवल तीन से लेवल दो और लेवल दो से एक में जा सकेगा. विभागीय लिखित परीक्षा की मेरिट में से चुनिन्दा व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार यह अवसर भी दिया जायेगा. जैसे कोई पुलिस इंस्पेक्टर विभागीय परीक्षा पास करके सीधे एस.पी. भी बन सकेगा. कार्यकारी जीवन में मूवमेंट होने से राजस्थान का शासन सक्षम बनेगा. वर्तमान व्यवस्था में ऐसा संभव नहीं है. एक बार जिस लेवल में अटक गए, उसमें ही आधी उम्र निकल जाती है. इसके कारण उनके व्यवहार में और जीवन में जड़ता प्रवेश कर जाती है.

प्रोमोशन की ही तरह प्रत्येक पांच वर्ष में प्रत्येक कर्मचारी का तबादला भी होगा. इससे भी व्यक्ति की जड़ता टूटती है. लेकिन अभिनव राजस्थान में तबादलों की एक पूर्ण पारदर्शी नीति होगी. यह नीति व्यावहारिक भी होगी. तभी इसमें पक्षपात की गुंजाईश नहीं रहेगी. पारदर्शिता कई बीमारियों का एक साथ पुख्ता इलाज है. अभी अँधेरे के कारण ही शासन में अविश्वास और असुरक्षा का आलम है.

अभिनव राजस्थान में तबादलों के मामले में पारदर्शिता ऐसी होगी कि कोई भी लोक सहयोगी या अन्य व्यक्ति अपने कंप्यूटर या मोबाइल से यह जान सकेगा कि अमुक तबादला क्यों हुआ है. सब कुछ लिखित में होगा, कोई मौखिक आदेश या छुपा छुपी नहीं होगी. यह खेल सत्तर साल हो लिया, अब इसे बंद होना होगा. कब तक हम इस अँधेरे में अपने कर्मचारियों को भटकाते-लुटाते-डराते रहेंगे?

दूसरी बात यह होगी तबादलों में कि लेवल चार और लेवल तीन के कर्मचारियों का जिले (विकास खंड) से बाहर और लेवल दो के सहयोगी को उसकी मर्जी के बिना संभाग से बाहर नहीं भेजा जा सकेगा. किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के द्वारा भी नहीं. यह तभी होगा जब वह स्वयं यह चाहता हो.

तीसरी बात यह कि अभिनव राजस्थान में सभी विभाग अपने विभाग में तबादलों के लिए स्वतंत्र होंगे. विभागीय महानिदेशक, अतिरिक्त महानिदेशक, निदेशक और सहायक निदेशक अपने क्षेत्राधिकार में किसी भी लोक सहयोगी का तबादला तय नीति से कर सकेंगे. अब मुख्यमंत्री या मंत्री लोग तबादलों में सामान्यतया हस्तक्षेप नहीं करेंगे. अगर हस्तक्षेप की जरूरत भी पड़ी तो यह लिखित में होगा. अभिनव शासन में पुलिस महानिदेशक ही निदेशकों (एस.पी.) के तबादले करेंगे तो अतिरिक्त महानिदेशक अपने संभागों में सहायक निदेशकों (डी.एस.पी.) को बदलेंगे. ऐसे ही भू-प्रबंध मंडल (राजस्व बोर्ड) के महानिदेशक ही जिलों में भू-प्रबंधक निदेशकों (वर्तमान कलक्टरों) को तो अतिरिक्त महानिदेशक, सहायक निदेशक, भू-प्रबंध (एस.डी.एम.) को बदलेंगे.

चौथी बात यह होगी कि अब ट्रांसफर या तबादले अनुशासन के नाम पर नहीं हो पायेंगे. यह तमाशा बहुत हो लिया. अगर अनुशासनहीनता हुई है तो उस कर्मचारी को तुरंत चार्जशीट देकर एक महीने के भीतर कार्रवाई करनी होगी. अनुशासनहीनता के नाम पर उसे सस्पेंड भी नहीं किया जा सकेगा. सस्पेंशन तभी होगा जब कर्मचारी या अधिकारी का कृत्य अब शासन में बने रहने लायक नहीं रह गया. नियम भी यही कहते हैं पर गुलामी की मानसिकता का फायदा उठाकर कई राजनेता और कई अफसर अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करते हैं. सस्पेंड करना कोई मजाक नहीं है कि आपकी हाजरी नहीं बजाई और आपने सस्पेंड कर दिया. अब ये दिन फिर जायेंगे और लोक सहयोगी इस कृत्रिम डर से बाहर निकलेंगे.

पांचवीं और सांकेतिक बात यह कि अब कर्मचारी-अधिकारी दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं होंगे! उनके भी परिवार होते हैं, मानव अधिकार होते हैं. उनका मनचाहे ढंग से तबादला या सस्पेंशन करना हमारे माने उनके पूरे परिवार के मानवाधिकारों का उल्लंघन है. राजनेताओं और अफसरों को उनके अहंकार के पोषण के लिए मनमानी की छूट नहीं होनी चाहिए. अनुशासन जरूरी है पर मानवता भी उतनी ही जरूरी है.

अभिनव नीति और योजना निर्माण, असली विकास की यात्रा.

किसी भी व्यवस्था में विकास करना है तो इसकी पहली आवश्यकता होती है, उस विकास के लिए एक नीति, एक पॉलिसी तय करना और फिर उस नीति के अनुसार योजनाओं का, प्लान्स का निर्माण करना. नीति और योजनाओं से ही विकास का उद्देश्य स्पष्ट होता है. वरना केवल विकास का भ्रम फैलाया जाता है और संसाधनों की बर्बादी होती है, व्यवस्था निराश करती है. अभी ऐसा ही है. विकास का केवल धुआं है, धरातल पर कुछ नहीं है.

अभी किसी भी राजनेता या अफसर को आप पूछें कि भारत और राजस्थान के शासन की नीति क्या है तो कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं बता पायेगा. संविधान में जरूर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के उद्देश्यों के बारे में मूल अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से बताया गया है पर व्यवहार में संविधान के ये प्रावधान दूर दूर तक लागू होते नजर नहीं आते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी सभी नीतियों पर 'राजनीति' हावी हो गई और इसी एक नीति को भारत की प्रमुख नीति मान लिया गया. राजनीति यानि राज में आने की नीति, राज चलाने की नीति, राज में बने रहने की नीति. यह नीति लोक विकास की नीति या लोकनीति को दबाकर, छुपाकर उसके ऊपर बैठ गई है.

राजस्थान में भी यही हाल है. विकास के लिए नीतियां और योजनाएं बनाने के काम में किसी भी राजनेता को कोई रुचि नहीं है. दशकों से यहाँ सस्ती लोकप्रियता के लिए हल्के फुल्के वादे होते हैं और बिना नीति या योजना के उन पर सरकारी संसाधन लुटाये जा रहे हैं. एक ही उद्देश्य होता है इनका- किसी भी तरह राज में बना रहा जाए या फिर राज हासिल किया जाये. हालांकि इन चोचलों पर जनता वोट भी नहीं करती है पर राजनेताओं को और कोई भाषा या तरीका समझ नहीं आया है.

कहने को एक आयोजना विभाग राजस्थान में भी है पर इसके काम में किसी की कोई रुचि नहीं है. कोई इस विभाग का मंत्री भी नहीं बनना चाहता है! इसी से इसके महत्व का पता चलता है. इस विभाग को केवल अफसर ही चलाते हैं, वे अफसर जो कहीं ओर फिट नहीं हो पाए हैं. इससे ही आप अंदाज लगा लें कि नीति और योजना निर्माण के राजस्थान में क्या हाल हो सकते हैं. बुरे हाल हैं.

अभी जितनी भी योजनाएं राजस्थान में चल रही हैं, उनमें से ज्यादातर तो केंद्र के शासन से आती हैं या विदेशी उधार के पैसे से ये चलती हैं. राजस्थान के शासन की योजनाएं अब लगभग नहीं के बराबर रह गई हैं क्योंकि यहाँ बजट का अभाव ही रहता है. बजट के इस कृत्रिम अभाव पर आगे के अध्याय में पढ़ते हैं. जो भी नीति या योजना गलती से कभी बन भी जाती है तो वह अफसरों के दिमाग की उपज होती हैं, जो अक्सर अव्यावहारिक ही होती हैं. इसलिए जनता उनमें कोई रुचि भीं नहीं दिखाती है.

नीति निर्माण और योजना निर्माण में राजस्थान के शासन की कोई रुचि दशकों से नहीं रही है तो योजनाओं के क्रियान्वयन और मूल्यांकन में भी राजनेताओं या अफसरों का मन नहीं लगता है. उनका मन इतना ही लगता है कि किस योजना में उनका क्या स्वार्थ सिद्ध हो सकता है. जब शीर्ष पर बैठे राजनेता और अफसर भी ऐसे भाव से योजनाओं को देखते हैं तो नीचे के कर्मचारी क्या करेंगे, इसको समझने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. ऊपर से कोढ़ में खाज का काम जनता में जागरूकता और जिम्मेदारी लेने की कमी है. सूचना का अधिकार आने के बाद भी राजस्थान की जनता ने इस अधिकार से इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई. जनता भी इस अधिकार से वैसे ही खेलने लगी, जैसे राजनेता शासन से खेलते हैं.

आज चाहे खेती की योजना हो या उद्योग की या सड़क की या शिक्षा की, सभी का मजाक बनकर रह गया है. करोड़ों रुपये इन योजनाओं के नाम से खर्च हो रहे हैं और धरातल पर उनका असर दिखाई नहीं देता है. राजस्थान बनने के बाद से इन योजनाओं के नाम से अरबों रुपया बर्बाद हुआ है, पर अक्षमता और भ्रष्टाचार के कारण, पारदर्शिता की कमी के कारण, जनता की जागरूकता की कमी के कारण उनका लाभ जनता तक नहीं पहुंचा है और असली विकास की हमारी यात्रा रुकी हुई पड़ी है. अभिनव राजस्थान में उसी असली विकास की यात्रा को पुनः शुरू करेंगे, नए सिरे से, गम्भीरता से.

अभिनव राजस्थान की नीति में पांच बातें प्रमुख होंगी- अपने शासन का अहसास, पारदर्शी शासन, राजस्थान का उत्पादन बढ़ाना, राजस्थान में सुविधाओं का विस्तार करना और सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाना. इन पांच बातों से ही हमारे शासन की नीति तय होगी. या कहिये कि हमारी नीति और योजनाओं को इन पांच बातों की कसौटी पर कागज पर भी और व्यवहार में भी खरा उतरना होगा.

अभिनव राजस्थान में नीति निर्माण का काम अब गंभीरता से जयपुर के सचिवालय में होगा. यहाँ अब ट्रांसफर या ठेकों का कारोबार नहीं होगा. सभी विभागों के मंत्री और लोक सहयोगी अब यहाँ नीति निर्माण और योजनाओं के मूल्यांकन में जुटेंगे. असली लोकतंत्र से असली विकास अब प्रमुख उद्देश्य होगा.

सभी विभागों के संभागीय कार्यालय अब अपने अपने विभाग के लिए योजनाएं बनायेंगे. पर ये योजनाएं विभाग द्वारा सचिवालय से तय की गई नीति के अनुसार होगी. तभी नीति और योजना में समन्वय होगा. वहीं, योजनाओं के क्रियान्वयन का काम अब हमारे विकास खंड (जिले) और उपखंड करेंगे. शासन के सभी स्तरों के काम में स्पष्ट विभाजन होगा. जिम्मेदारी और जवाबदेही भी.

नीति और योजना निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल के रूप में हम नए सिरे से आंकड़े भी इकट्ठे करेंगे. अभी तक के आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं. इनको इकट्ठे करने का काम भी अभी एक बोझ के रूप में समझा जाता है और ऐसे में इकट्ठे किये आंकड़े कैसे होंगे, यह भी अनुमान लगाया जा सकता है. चाहे खेती के आंकड़े हों या उद्योग के या पशुपालन के या वनों के, सभी में अविश्वसनीयता झलकती है. जब कच्चा माल ही ठीक नहीं है तो उत्पाद कैसे ठीक हो सकता है?

अभिनव बजट, अपना सरल हिसाब किताब!

अंग्रेजी व्यवस्था हम पर इतनी हावी रही है कि हम अभी तक 'बजट' का कोई हिंदी अनुवाद या कोई वैकल्पिक शब्द ढूँढने में असमर्थ रहे हैं! शब्द ही समस्या नहीं है, हम उस अंग्रेजी व्यवस्था का कोई स्थानीय ढांचा भी नहीं बना पाए हैं. अंग्रेजों का बजट, उनके 'राज' को बनाये रखने और भारतीय जनता का अधिकतम शोषण करने को समर्पित रहता था. आज भी भारत और राजस्थान के बजट में आप ऐसे ही भाव पाएंगे. 'राज' चलाना प्राथमिकता है, विकास के लिए पैसा रखना मजबूरी है. हकीकत यही है. बल्कि अब तो अंग्रेजों की जगह राजनेता, अफसर और कॉर्पोरेट, तीन समूहों ने ले ली है. उनके हित सबसे पहले, बाकी जनता बाद में. ऐसे में आप किसी भी जन हितार्थ बात को सामने लाइए, बजट बनाने वाले अफसर और राजनेता उछलकर कहते हैं कि इसके लिए बजट कहाँ से आएगा. सांसदों या अफसरों का वेतन बढ़ाने के लिए बजट में पैसा किसी न किसी 'चमत्कार' से आ ही जाता है!

अभिनव राजस्थान में हम अपने बजट को 'शासन का हिसाब' कहेंगे ताकि आमजन को इस प्रक्रिया का मतलब पता लगे. वरना अधिकतर पढ़े लिखे लोग भी इसे बहुत 'भारी' ज्ञान समझकर इसमें रुचि नहीं लेते हैं. उनको केवल किसी टैक्स के बढ़ने या घटने में ही रुचि रहती है या फिर सस्ती लोकप्रियता वाले किसी जुमले या वादे में. जनता की अपने शासन के हिसाब में यह अरुचि हम ख़त्म करेंगे ताकि बजट सार्थक बन सके. ताकि बजट व्यावहारिक बन सके और उसके परिणाम सीधे सीधे महसूस हों.

हमारे बजट में, शासन के हिसाब में, सरल भाषा में दो बातों का जुड़ाव दर्शाया जाएगा. एक तो यह कि जनता कितना पैसा शासन के लिए देती है और उसकी एवज में उसे क्या मिलता है. इस जुड़ाव के बिना शासन और जनता के बीच की खाई बनी रहेगी. यह खाई ही शासन से अपनेपन की दूरी पैदा करती है. हमें यह दूरी कम करनी है और इसके लिए बजट का सरल होना एक बड़ा उपाय होगा. हम जनता को इन बजट में सरल शब्दों में बताएँगे कि आप शासन चलाने के लिए कितना 'चंदा' या कर देते हैं और उसको कहाँ कहाँ और कैसे खर्च किया जाता है. शासन की प्राथमिकताएँ स्पष्ट रूप से दर्शाई जाएँगी.

अभिनव शासन के बजट की शब्दावली को सरल के साथ रोचक भी बनाया जायेगा. जैसे टैक्स या कर के रूप में कुल कितना पैसा मिलता है, किसी जिले (विकास खंड) या विकास उपखंड से कितना टैक्स मिलता है. उसी प्रकार से इस टैक्स में से खर्च को दर्शाया जायेगा. तभी जनता की बजट में रुचि बढ़ेगी, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी. तभी विकास जैसा कुछ पहली बार होगा. हमने अभिनव राजस्थान में इसी वजह से योजना निर्माण के लिए संभागों को अधिकृत किया है. स्थानीय शासन तभी होगा.

सामान्यतया हम टैक्स या कर क्यों देते हैं? शासन को चलाने के लिए ही नहीं देते हैं, जैसा अभी हो रहा है. मूल रूप से हम आर्थिक-सामाजिक विकास के लिए टैक्स देते हैं और शासन की आवश्यकता तो उस विकास के लिए है. अगर वह विकास नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यही हुआ कि हम केवल किसी 'राज' को कायम रखने के लिए टैक्स दे रहे हैं. यही हुआ न इसका अर्थ?

हमें अपने टैक्स से अगर वैसा शासन नहीं मिल रहा है जो हमारे उत्पादन को बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाकर उनको संचालित करे तो उसका कोई अर्थ नहीं है. खुद खींचो, खुद ओढ़ो के फॉर्मूले से ही जीवन जीना है तो फिर कैसा वोट और कैसा नोट? कैसा लोक का तंत्र?

वहीं अगर हमें शिक्षा-स्वास्थ्य-सड़क-पानी-बिजली-परिवहन-सुरक्षा-सफाई-मनोरंजन-खेल-शुद्ध हवा नहीं मिल पा रहे हैं तो शासन का क्या अर्थ है? अगर हमें इन सुविधाओं के लिए भी अलग से पैसा खर्च करना पड़े तो हम क्यों टैक्स दे रहे हैं. सड़क टूटी हुई है तो क्यों टैक्स, ऊपर से काहे का टोल टैक्स? स्कूल-कॉलेज बदहाल हैं तो कैसा टैक्स? अस्पताल में विशेषज्ञ नहीं तो कैसा टैक्स? पुलिस सुरक्षा न देकर उल्टे पीड़ित पर गुर्राए तो कैसा टैक्स? अपने ही कार्यालय में कोई 'साहब' घुसने न दे और टैक्स? केवल कोई 'राज' चलाने का टैक्स? कब तक हम इस मूर्खतापूर्ण व्यवस्था में टैक्स देते रहेंगे?

अभिनव शासन के हिसाब में, बजट में, इसी वजह से टैक्स और सुविधाओं को सीधे सीधे जोड़ दिया जायेगा. अभी बजट की जो उलझी हुई प्रक्रिया है, उसको बदलकर अत्यंत सरल कर दिया जायेगा. सभी विभागों को एकमुश्त राशि तुरंत हस्तांतरित कर दी जायेगी ताकि वे वर्ष भर वित्त विभाग का मुंह न ताकते रह जाएँ. उनको कम जिम्मेदार मानना और वित्त विभाग को देशभक्त मानने की अंग्रेजी प्रथा ख़त्म हो जाएगी. सभी विभाग और संभाग मिलकर जिम्मेदारी और पारदर्शिता से काम करेंगे.

विभागों में भी पैसे को सरल तरीके से कम से कम योजनाओं के माध्यम से ऐसे खर्च किया जाएगा ताकि उस खर्च और उससे जुटी सुविधाओं को आमजन अपने घर और मोहल्ले में महसूस कर सके. अख़बारों और चैनलों के माध्यम से आमजन को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि शासन ने उनके लिए क्या किया है! यह राजनैतिक ढकोसला बहुत हो लिया. अब बंद होगा.

आख़िरी महत्वपूर्ण बात यह कि अभिनव राजस्थान में केवल एक ही टैक्स लगेगा- जी.एस.टी. या बिक्री कर. परिवहन, आबकारी और पंजीकरण के शुल्क बिल्कुल नहीं होंगे! खनिज रॉयल्टी भी नहीं होगी. शराब तो होगी ही नहीं, तो शुल्क कैसा. वैसे भी अभी के पचास हजार करोड़ रुपये सालाना के संग्रह में इन करों का योगदान बहुत कम (बीस प्रतिशत) है, हल्ला ज्यादा है, भ्रष्टाचार ज्यादा है, जनता को तकलीफ ज्यादा है, अस्सी प्रतिशत!

अभिनव पुलिस, अपनी पुलिस.

सुल्तानों, मुगलों, सामंतों और अंग्रेजों को भारत में अपने अपने 'राज' कायम रखने थे और जनता का शोषण करना था. इस राज और शोषण के लिए उनके पास सबसे बड़ा हथियार बल या पुलिस ही तो थी. वे इसी बल के माध्यम से आमजन को डराते थे, धमकाते थे. मानव को जानवर की तरह या उससे भी बदतर तरीकों से पीटते मारते थे. स्वतंत्र न्याय व्यवस्था थी नहीं जो इस अत्याचार को रोक सकती थी. नतीजन यह अत्याचार एक हजार साल तक चलता रहा. जो भी भारत के 'राज' में आया, उसने जमकर अत्याचार किया और जनता की आवाज या उसके हित को दबाए रखा. आजादी के आंदोलन में भी पुलिस ने जमकर अपने बल का दुरूपयोग किया ताकि अंग्रेजी राज बचा रह सके. हम कैसे भूल सकते हैं कि सरदार भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों को कितनी यातनाएं दी गईं. पुलिस द्वारा कैसे बेरहमी से इन लोगों को मारा गया.

1947 में जब सत्ता देशी लोगों के हाथ में आई तो उम्मीद जगी थी कि अब 'अपनी' पुलिस होगी, जो न्याय का साथ देगी, और अत्याचार से मुक्ति मिलेगी. उम्मीद जगी कि अब कमजोर को डरने की जरूरत नहीं होगी और अपराधियों की खैर नहीं होगी. सोचा था कि अब नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के नारे वाली 'जय हिन्द' होगी. गुलामी वाली, शोषण वाली 'जय हिन्द' नहीं होगी. हमने सोचा तो ऐसा ही था. पर असल में हुआ क्या?

असल में हुआ यह कि सत्ता में आये देशी, चुने हुए 'राजाओं' में 'राज' के भूत घुस गए. राजनेताओं और अफसरों को लग गया कि वे ही उस 'राज' के असली वारिस हैं. हुआ यूं कि जनता अभी तक गुलामी की नींद में सोई हुई ही थी कि एक रात को अंग्रेजों से आजादी की घोषणा हो गई- फ्रीडम एट मिडनाइट! और जिस 'नेता' के भरोसे जनता अंग्रेजों से आजादी चाहती थी, वे गांधीजी, उस रात दिल्ली में इस घोषणा के समय थे नहीं. गांधी गुमनाम, तो जनता फिर गुलाम! जनता ने दिल्ली में हुए इस सत्ता परिवर्तन को नए 'राज' की घोषणा मानने में ही बेहतरी समझी. इतना जरूर तय हुआ और कहा गया कि अब भारत में जनता 'राजा' को चुनेगी और राजा शासन को जनता के नाम से चलाएगा- लोकतंत्र के नाम से. सदियों की गुलामी में रंगी जनता के लिए तो इतना मान सम्मान ही काफी था! अभी तक है.

ऐसे में इस नए 'राज' की जड़ें दिल्ली से गाँव तक फैल गई और नव सामंतवाद उभर गया. नव सामंतों और उनके दलालों का शासन. राजनेताओं, अफसरों और उनके दलालों का शासन. इस नए 'राज' को अब राज कायम रखने, रौब मारने और शोषण करने के लिए सबसे अधिक जिस ताकत की जरूरत थी, वह थी- पुलिस. तथाकथित आजादी के बाद से आज तक पुलिस का अत्याचार और दुरूपयोग जारी है. 1975-77 का आपातकाल इसकी चरम सीमा थी.

पुलिस में सुधारों के इस दौरान कई प्रयास हुए पर राजनेता पुलिस को मुक्त नहीं करना चाहते थे और पुलिस भी उस छाते से मुक्त होकर जनता के प्रति जिम्मेदार नहीं होना चाहती है ! न ही पुलिस की जनता को न्याय दिलवाने और उसे सुरक्षा का अहसास देने में कोई रुचि रह गई है. पुलिस के अधिकारी भी राजाओं और ठाकुरों की तरह के जीवन के आदी हो गए हैं ! साथ साथ में पद के दुरूपयोग से अर्जित मुद्रा और सुविधाएँ अतिरिक्त आकर्षण का काम करती है. तभी तो युवा शिक्षक न बनकर थानेदार बनना चाहता है, तभी तो कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनने की बजाय आई.पी.एस. बनना चाहता है !

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी 2005 में भारत के सभी प्रदेशों को अपने यहाँ नया पुलिस अधिनियम बनाकर पुलिस को सीधे जनता के प्रति जवाबदेह और राजनेताओं के सीधे हस्तक्षेप से मुक्त बनाने का आदेश दिया है पर पिछले ग्यारह वर्षों से इस आदेश का सभी प्रदेशों और केंद्र के शासन ने मखौल बनाया हुआ है. राजस्थान में भी नया पुलिस अधिनियम, 2007 बना हुआ है, पर उसका एक भी नियम आज तक लागू नहीं हुआ है. पुलिस को कोई राजनेता नहीं छोड़ना चाहता है !

अभिनव राजस्थान में पुलिस में वही प्रशासनिक ढांचा और कार्यप्रणाली होगी, जैसी अन्य विभागों में होगी. सचिवालय से लेकर उपखंड स्तर तक. अंग्रेजी ढांचा ढहा दिया जायेगा. पुलिस के महानिदेशक, विभागीय मंत्री के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे. राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 को पूरे मनोभाव से लागू कर दिया जायेगा. सभी अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में स्वतंत्र कार्य करेंगे. जवाबदेही और पारदर्शिता से. जनता के सहयोग के लिए.

प्रत्येक विकास उपखंड पर पुलिस का एक अभिनव कार्यालय होगा. वर्तमान थानों और चौकियों को इसमें समाहित कर दिया जायेगा. इसे अब स्टेशन या थाना नहीं कहा जायेगा. इस कार्यालय के प्रभारी एक सहायक निदेशक (आर.पी.एस.) होंगे. यहाँ पर पांच टीमें निरीक्षकों और उपनिरीक्षकों के नेतृत्व में काम करेंगी. तीन टीमें कार्यालय को आठ आठ घंटे के लिए संभालेंगी. एक टीम जांच का काम करेगी. एक टीम पेट्रोलिंग करेगी. सभी टीमों और प्रभारी के पास आधुनिक वाहन और सुविधाएँ होंगी. ड्यूटी केवल आठ घंटे होगी. अतिरिक्त ड्यूटी पर अतिरिक्त राशि मिलेगी. अभिनव कार्यालय को खर्च के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध होगी. विभाग को हम अन्य विभागों की तरह वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर बना देंगे.

अभिनव पुलिस किसी भी पीड़ित की रिपोर्ट लिखने के लिए उसके घर जाएगी. अब पीड़ित और उनके परिजन पुलिस के चक्कर नहीं काटेंगे. रिपोर्ट के बाद हर हफ्ते पुलिस पीड़ित पक्ष को कार्रवाई की प्रगति से अवगत करवाएगी, उसकी और न्यायपालिका की संतुष्टि तक. तभी तो 'अपनी' पुलिस होगी !

अभिनव पुलिस, अब परिवहन, वन और आबकारी विभाग के काम बिल्कुल नहीं करेगी. शहरों के भीतर या बाहर, पुलिस कोई गाड़ी नहीं रोकेगी. परिवहन विभाग यह काम करेगा. पर पुलिस में भ्रष्टाचार का क्या होगा? इसका क्या होगा? वही होगा जो अन्य विभागों में होगा. भ्रष्टाचार का स्थायी समाधान 'अभिनव समाज' के एक अध्याय में विस्तार से लिखा है ! वहां पढ़ें. जब समाज में सभी तरफ भ्रष्टाचार कम होगा तो पुलिस में भी हो जाएगा. पुलिस को अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है. पुलिस में भी इसी समाज से आए हुए लोग काम करते हैं.

अभिनव चिकित्सा, अभिनव स्वास्थ्य.

पिछले सत्तर वर्षों में चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं का जितना अधिक हल्ला हुआ है, उसके अनुरूप आमजन को आराम नहीं मिल पाया है. अभी भी राजस्थान के किसी औसत घर में कोई बीमार हो जाये तो सबसे पहले दिमाग में किसी सरकारी अस्पताल की अव्यवस्था का ख्याल आता है. अस्पताल के नाम से ही असुविधा का ख्याल आता है. कोई वहां मिलेगा या नहीं, समय पर इलाज होगा या नहीं, यही मन में आता है. यू विश्वास से कोई नहीं कह पाता कि, कोई बात नहीं, अभी चलते हैं, अस्पताल, सब ठीक हो जाएगा. और जब कोई आपात स्थिति आ जाये तो फिर 'भगवान' का ही भरोसा रहता है !

सरकारी अस्पतालों की इस दुर्दशा का दोषी कौन है? डॉक्टर, जैसा कि सभी के मन में घुसाया गया है? या दर्द कहीं और है? जी हाँ, दर्द कहीं और ही है. उसका पता किये बिना इलाज संभव नहीं है.

चार बातें, सरकारी अस्पतालों की इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं. पहली तो यह कि समाज में धन का सामाजिक मूल्य अब बहुत अधिक हो गया है. बहुत अधिक. इस मूल्य पर समाज की हर प्रतिभा खरा उतरना चाहती है. डॉक्टर भी समाज से ही आते हैं. वे भी इस धन के मूल्य पर खरा उतरने के चक्कर में 'सेवा' और 'समर्पण' को भूलकर 'धन' में उलझ जाते हैं. एक डॉक्टर के रूप में अब समाज में उनकी प्रतिष्ठा कम है, तभी तो आपको वह समाज के कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि या अध्यक्ष के रूप में दिखाई नहीं देते हैं. वहां कोई राजनेता, सामंत जैसा रौब वाला अधिकारी या कोई पैसे वाला ही मिलेगा. ऐसा ही होता है न? जब ऐसा है तो डॉक्टर समाज से दूर होने लगता है, मन से. इसीलिये अब डॉक्टर बनते ही धन कमाने के लिए हैं. लाखों खर्च करके भी डॉक्टर बनते हैं. ऐसे डॉक्टर फिर कम पैसे में सरकारी सेवा में रहकर या दूर दराज के क्षेत्रों में मानव सेवा के लिए नहीं जाते हैं. इसीलिये राजस्थान के सभी जिलों में अस्पताल विशेषज्ञों के बिना चल रहे हैं. डराने धमकाने का कोई असर नहीं होता है.

दूसरे, एक सरकारी डॉक्टर के काम में जब कोई राजनेता या अन्य सेवा का अफसर दखल देता है, उस पर रौब मारता है या उसका अपमान करता है तो उसे सहन करना मुश्किल होता है, दर्दनाक भी. मीडिया भी ऐसे में बिना सोचे समझे डॉक्टर को अपराधी बता देता है. डॉक्टर इससे बचने के लिए सरकारी अस्पताल से बचता है. तीसरे, वेतन वाकई में चिकित्सा सेवा के बाजार मूल्य को देखते हुए कम है. चौथे, गाँव गाँव में डॉक्टर के फलसफे ने भी मजाक किया है, इस व्यवस्था से. इतनी मेहनत से डिग्री लेकर गाँव में जाकर रहना, बिना सुविधाओं के, असंगत लगता है. अभिनव राजस्थान इस स्थिति को बदलेगा. हम समाज और सरकारी डॉक्टर के बीच का मानवीय रिश्ता फिर कायम करेंगे.

अभिनव राजस्थान में सचिवालय से लेकर विकास उपखंड तक चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग में भी वैसी ही व्यवस्था होगी, जैसी अन्य विभागों में. महानिदेशक से लेकर सहायक निदेशक तक विभाग के अधिकारी होंगे. सामान्य प्रशासन के अधिकारी अब कोई दखल नहीं देंगे. ना आई.ए.एस. ना आर.ए.एस. विभाग अपने कार्यक्रमों के संचालन के लिए स्वतंत्र निर्णय करेगा. विशेषज्ञ सेवाओं के लिए विभाग नए मानदेय बाजार मूल्य के अनुसार तय करेगा. लक्ष्य एक ही होगा कि राजस्थान के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को आधुनिक चिकित्सा उपलब्ध हो. वह और उसके परिजन भटकते न फिरें.

अभिनव राजस्थान में संभाग स्तरीय अस्पतालों में आउटडोर नहीं होंगे, यहाँ केवल इनडोर सुविधाएँ होंगी. ऐसी बीमारियों का यहाँ इलाज होगा, जिनके लिए उच्च स्तर की सुविधाएँ चाहियें. ये अस्पताल मेडिकल कॉलेज से जुड़े होंगे. विकास खंड अस्पताल (जिला अस्पताल) में सभी विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे. यहाँ पर आधुनिक सुविधाएँ होंगी और सामान्यतया किसी मरीज को यहाँ से किसी 'बड़े' अस्पताल के लिए भेजने की जरूरत नहीं होगी. इन अस्पतालों की वर्तमान उदासीनता और तन्द्रा को तोड़ा जायेगा. इनको और अधिक प्रोफेशनल बनाया जाएगा.

उपखंड स्तर पर एक अस्पताल (सी.एच.सी.) आधुनिक सुविधाओं और कम से कम आठ विशेषज्ञों के साथ होगा. ये विशेषज्ञ होंगे- सर्जरी (शल्य चिकित्सा), एनास्थेसिया(बेहोशी), गायनेकोलोजी (महिला रोग), पेडियाट्रिक्स (बाल रोग), मेडिसिन, ओफ्थेल्मोलोजी (आंख रोग), इ.एन.टी. (कान, नाक, गला रोग) और ऑर्थोपिडिक्स (हड्डी-जोड़ रोग). इन विशेषज्ञों को अब राजस्थान में मानदेय (सैलेरी) का विशेष पैकेज दिया जायेगा. अगर इनको डेढ़ से दो लाख रुपया महीने का मानदेय भी दिया जाये तो अधिक नहीं होगा. दो करोड़ रुपये सालाना में भी अगर ये आठ विशेषज्ञ काम करते हैं तो सस्ते हैं. दो करोड़ रुपये अभी भाई लोग एक घटिया सड़क के निर्माण में उड़ा देते हैं, जबकि ये आठ डॉक्टर आसपास की दो से तीन लाख आबादी को कितना आराम देंगे, इसका हम हिसाब नहीं लगा सकते हैं. हाँ, ये विशेषज्ञ प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने विभाग के उच्च अधिकारियों के अनुशासन में रहेंगे, यह शर्त रहेगी. पर राजनेता या अन्य विभाग के अफसर उन पर रौब नहीं झाड़ेंगे. ऐसे पैकेज में वे मान भी जायेंगे.

अभिनव राजस्थान में कोई भी डॉक्टर गाँव में (पी.एच.सी. पर) नहीं होगा. यह गाँव में डॉक्टर, गाँव में डॉक्टर कर-करके स्वयंभू बुद्धिमान राजनेताओं और प्रशासकों ने इस पेशे का मजाक बना दिया है. बिना जांच और चिकित्सा की सुविधाओं के, किसी डॉक्टर और नर्स में कोई फर्क नहीं रह जाता है ! सुविधाओं के अभाव में न वह ठीक से डायग्नोसिस कर पायेगा, न रोग का पता लगा पायेगा और न ही चिकित्सा कर पायेगा. केवल 'जुगाड़' से चिकित्सा करने के लिए उसने छः वर्ष तक पढ़ाई थोड़े ही की है?

प्रत्येक पांच वर्ष में डॉक्टर्स का एक प्रोमोशन और एक ट्रांसफर होगा. दस वर्ष बाद वह जिला अपस्ताल में आ जायेगा और अगले दस वर्ष बाद वह योग्यतानुसार संभाग पहुँच जायेगा. तभी उसका जीवन गतिशील रहेगा. तभी उसे सरकारी अस्पताल में काम करने के लिए राजी किया जा सकेगा.

अभिनव सड़क व्यवस्था, अभिनव यात्रा.

जैसा कि हम पीछे के अध्याय में यह बात कर चुके हैं कि जनता टैक्स सुविधाओं के लिए देती है तो ये सुविधाएँ जनता को आसानी से मिलनी चाहिए. यह क्या बात हुई कि टैक्स देने के बाद भी सड़क टूटी हुई, पीने का पानी खारा और महंगी बिजली मिले. वर्तमान शासन में बैठे लोग इसके लिए कितने भी कुतर्क दें, पर हम यह पक्का मानते हैं कि यह सब पैसे के अभाव में नहीं है, बल्कि नीयत, योजना और प्रबंध के अभाव में ऐसा है. नीयत ठीक नहीं है, प्लानिंग ठीक नहीं है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है. हमने इन व्यवस्थाओं का गहराई से अध्ययन किया है और उसी के आधार पर यह कह रहे हैं कि अगर शासन की नीयत, योजना और प्रबंध ठीक हो जाये तो इन तीनों सुविधाओं को ही नहीं, अन्य सुविधाओं को भी वर्तमान संसाधनों के भीतर ही शानदार ढंग से उपलब्ध करवाया जा सकता है. अभिनव राजस्थान में हम यह कर देंगे और जनता को उसके टैक्स का हिसाब महसूस करवा देंगे.

जहाँ तक सड़कों की बात है, वर्तमान राजस्थान में या तो सडकें टूटी हुई हैं और या फिर अच्छी हैं तो उनके लिए टोल अलग से देना पड़ता है. यह लीला अब नए नए रूप ले रही है और शासन में बैठे लोगों ने इस सामान्य काम को उलझाकर रख दिया है. राजनेताओं, अफसरों और ठेकेदारों के गठजोड़ में जनता टैक्स देकर भी धक्के खा रही है. इस भूलभुलैया से हम राजस्थान को हमेशा के लिए बाहर निकालेंगे.

अभिनव राजस्थान में कौनसी सड़कें बननी हैं, इसका निर्णय अब जयपुर में न होकर संभागों में होगा, प्राथमिकताएँ वहीं से तय होंगी. चाहे राजस्थान के शासन की योजना होगी या केन्द्रीय शासन की योजना, सड़क विभाग का संभागीय कार्यालय ही प्राथमिकताएँ तय करेगा. सड़कों के लिए तमाम योजनाओं में पैसा भी सड़क विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.) को बजट बनते ही ट्रांसफर कर दिया जायेगा. नरेगा योजना को भी सड़क निर्माण से जोड़ देंगे. नरेगा का अर्थ ही तभी निकलेगा.

सड़क निर्माण में हमारी छः शर्तें रहेंगी. कोई भी सड़क योजना एक वर्ष के भीतर किसी भी हाल में पूरी करनी होगी. कोई भी सड़क दस वर्ष के लिए ठीक अवस्था में रहे, यह पक्का करना होगा. सड़क निर्माण के साथ बरसाती और अन्य पानी के निकासी की पुख्ता व्यवस्था होगी, पानी सड़क पर ठहरना नहीं चाहिए. सड़क निर्माण में न्यूनतम मजदूरी देनी होगी और मजदूरों का शोषण नहीं होगा. हर सड़क के दोनों ओर पेड़ों की श्रृंखला होगी और छठी बात सड़क निर्माण में स्थानीय मजदूरों को प्राथमिकता देनी होगी. ये छः बातें सुनिश्चित करनी होगी. इनके बिना सड़कों का निर्माण केवल जनता के पैसे की बर्बादी है और अभी यही हो रहा है. तभी तो बनते ही पहले वर्ष में ही सड़कें टूटने लगती हैं. ये मजाक अब कुछ ज्यादा ही हो गए है. इन्हें हम बंद करेंगे.

फिर हमारी सडकें अब बड़े ठेकेदारों के भरोसे नहीं बनेंगी. हम पुनः अपने अभियंताओं और स्थानीय छोटे ठेकेदारों पर विश्वास करेंगे और सारा नियंत्रण पहले की तरह उनके ही हाथ में सौंप देंगे. असल में हुआ यह था कि अभियंताओं द्वारा सड़क निर्माण में पैसे खाने की शिकायतें बढ़ गई थीं. उनका तो समाधान नहीं हो पाया और बन्दों ने एक नई बीमारी पैदा कर दी. बड़े स्तर पर ठेके देने की परम्परा पूरे देश की तरह राजस्थान में भी शुरू हो गई. अब उसमें 'हिस्सेदार' भी बढ़ गए और सड़कों की कीमत कई गुना हो गई. एक जाल सा बन गया, राजनेता-अफसर-अभियंता-ठेकेदार का और इस जाल में सड़कें लटक गईं. अन्दर झांको तो बहुत ही दुर्गन्ध है. बड़े बड़े ठेकेदार केवल टेंडर लेते हैं और काम छोटे ठेकेदार ही करते हैं. काम की लागत बढ़ने के बाद टोल वसूलने का गंदा खेल शुरू होता है. जिस सड़क के निर्माण में एक किमी के एक करोड़ खर्च होने थे, वह निर्माण अब जनता को पांच करोड़ में पड़ता है, टोल देने के बाद. जनता की यह ठगाई पढ़े लिखों के भी समझ से बाहर है. इतनी उलझन है.

अभिनव राजस्थान में कोई टोल टैक्स नहीं होगा. हमारी सड़क और हमसे ही टोल, नहीं जी, अब नहीं. केंद्र की जो सड़कें टोल पर आधारित होंगी, उनको भी धीरे धीरे लागत देकर रफा दफा करेंगे. अभिनव राजस्थान में पहली बार यह होगा कि हम राजस्थान से गुजर रहे राष्ट्रीय मार्गों को पुनः राजस्थान के नियंत्रण में लेंगे और अपने स्तर पर ही उनका निर्माण और रखरखाव करेंगे.

अभिनव राजस्थान में प्रदेश के दो प्रमुख शहरों, जयपुर से जोधपुर के बीच लगभग तीन सौ पचास कि.मी. लम्बा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टोल फ्री सिक्स लेन मार्ग बनेगा. यह एकदम सीधा मार्ग होगा. इसी प्रकार सभी संभागों को आपस में और जयपुर से सीधा अत्याधुनिक मार्गों से जोड़ा जायेगा, बिना टोल के. इन मार्गों का निर्माण सड़क विभाग और राजस्थान के मजदूर और ठेकेदार मिलकर करेंगे, कम से कम लागत पर और पूरी गुणवत्ता के साथ. इन मार्गों के लिए बड़े स्तर के टेंडर की प्रक्रिया न होकर, स्थानीय स्तर पर टुकड़ों में काम होगा. एकरूपता को बरकरार रखते हुए.

इन सभी मार्गों पर प्रत्येक पचास कि.मी. पर यात्रियों के लिए सुविधा केंद्र होंगे, जिनका संचालन स्थानीय पंचायत समिति या नगरपालिका के माध्यम से होगा. यहाँ पर यात्रियों के लिए खाने-पीने,नहाने-धोने, प्राथमिक चिकित्सा के साथ साथ ड्राइवरों के लिए आराम करने के लिए सुविधाएं होंगी. इन मार्गों पर प्रत्येक दस कि.मी. में कैमरे लगे होंगे, जिनसे परिवहन व्यवस्था पर नियंत्रण होगा. इन सभी मार्गों पर यातायात एकतरफा होगा. ये अभिनव मार्ग कहलायेंगे, जो राजस्थान को एक सूत्र में पिरो देंगे.

अभिनव राजस्थान में सड़क निर्माण का कार्य अब केवल सड़क और भवन निर्माण विभाग ही करेगा. अन्य विभागों को सड़क निर्माण की जिम्मेदारी किसी भी स्तर पर नहीं दी जाएगी. बिना तकनीकी ज्ञान और समझ के विकेन्द्रीकरण के नाम से जो जिम्मेदारी अभी दी गई है उसमें अथाह पैसे की बर्बादी हुई है और सड़कें भी अत्यन्त घटिया स्तर की बनी हैं. चाहे पंचायत विभाग हो या शहरी विकास विभाग हो या अन्य कोई विभाग हो, सड़क निर्माण के तकनीकी पहलुओं का ज्ञान इन विभागों के संभालने वालों को नहीं होता है. एक विभाग में दूसरे विभाग का दखल अभिनव राजस्थान में इसी वजह से नहीं होगा.

अभिनव जल प्रबंध, बूँद बूँद का हिसाब.

सबसे पहले हमें यह भ्रान्ति निकालनी है कि राजस्थान में पानी की कमी है. यह रोना बहुत हो गया. राजस्थान की हर छत पर इतना पानी बरसता है कि एक परिवार दो साल तक पानी पी ले, नहा-धो ले. हर बाड़े में इतना पानी बरसता है कि पालतू पशु प्यासे न रहें. राजस्थान के वनों में इतना पानी बरसता है कि वन्यजीव प्यासे न रहें. और खेतों में इतना पानी बरसता है कि पूरे वर्ष खेत में सिंचाई हो सके. राजस्थान में पानी की कमी नहीं है, बल्कि पानी के प्रबंध की भारी कमी है. प्रबंध के नाम पर केवल ढकोसले होते हैं. पानी के प्रबंध में समाज और शासन भागीदार नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग राहों पर सोचते और चलते हैं. नतीजन पानी के लिए पैसा बहता है, पर पानी उड़ जाता है!

राजस्थान निर्माण से लेकर आज तक यही हाल है. हर मंच पर यहाँ के राजनेता और अफसर रोते हैं कि हम विकास तो कर लें पर उसमें सबसे बड़ी बाधा पानी की है. बार बार जोर से रोने दोहराने से जनता के मन में भी बैठ गया है कि पानी की हमारे यहाँ कमी है. लेकिन जैसलमेर जितनी बारिश वाला देश इजरायल नहीं कहता कि उनके यहाँ पानी की कमी है. क्यों? क्योंकि वे पानी का प्रबंध कर लेते हैं. इजरायल जैसा देश यह कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? राजस्थान तो सदियों से पानी को सहेजने में माहिर था, अब क्या हो गया? नीयत नहीं है, योजना नहीं है, प्रबंध नहीं है.

अभिनव राजस्थान में जल प्रबंध के लिए अलग अलग महकमे या विभाग नहीं होंगे. एक ही विभाग होगा, जल संसाधन विभाग. राजस्थान में बरसी हर बूँद के अंतिम उपयोग तक यही विभाग जिम्मेदार होगा. पानी को कैसे सहेजना (हार्वेस्टिंग) है, कैसे सुरक्षित करना है (कंजर्वेशन), कैसे वितरित करना है (डिस्ट्रीब्यूशन), पीने के लिए और खेती के लिए, सभी काम एक ही छत के नीचे होंगे. सभी योजनाओं को हम आपस में गूंथ देंगे. तभी पानी का हिसाब सही बैठेगा और तभी पानी की मारा-मारी रुकेगी. अभी सभी विभाग अलग अलग दिशाओं में काम करते हैं. सिंचाई वाला अलग, पेयजल वितरण वाला अलग और जल संरक्षण वाला अलग. पता ही नहीं चलता है कि एक विकास खंड या उपखंड की जरूरत कितनी है और उपलब्ध पैसा और पानी कितना है. आंकड़ें हैं भी तो सब फर्जी, मनगड़ंत.

जल प्रबंध की यह व्यवस्था भी अब इतनी उलझ गई है कि न राजनेताओं को समझ आती है और न अफसरों को. एक ही बात समझ आती है कि किस योजना में कितना पैसा है! उधार के पैसे चाहे विश्व बैंक से लाये या एशियन विकास बैंक से, हमारे राजनेता और अफसर उनकी पार्टियाँ कर गए पर पानी के दर्शन जनता को नहीं हो पाए. हम इस उलझी व्यवस्था को पुनः सरल और प्रभावी बनायेंगे.

अन्य विभागों की तरह जल संसाधन विभाग भी एक मंत्री के मार्गदर्शन में और एक महानिदेशक के नियंत्रण में काम करेगा. विभाग के शीर्ष पर अब विभाग के विशेषज्ञ अधिकारी ही होंगे, सामान्य जानकारियां रखने वाले आई.ए.एस. नहीं होंगे. पर अब सचिवालय में केवल नीति निर्माण होगा. यहाँ पर अब न तो रूटीन के ट्रांसफर होंगे और न ही यहाँ से कोई ठेके दिए जायेंगे. नीति निर्माण और योजनाओं का मूल्यांकन ही यहाँ होगा. जल प्रबंध के विषय पर अनुसन्धान होंगे, चर्चाएँ होंगी. तभी तो हम किसी विकसित देश की तरह दिखाई देंगे ! वरना अभी तो एक थका हुआ सा, अक्षम सा 'राज' ही चल रहा है.

जल प्रबंध की योजनाएं अब संभागों में बनेंगी. राजस्थान के सभी क्षेत्रों की योजनाएं एक जैसी हो ही नहीं सकती हैं. इसलिए योजनाएं भी अलग अलग होंगी. मरुधर संभाग (जोधपुर) की अलग और हाड़ौती संभाग (कोटा) की अलग. तभी ये योजनाएं सार्थक होंगी. प्रत्येक संभाग अपने गाँवों और शहरों की आवश्यकताओं को पूरा करने की योजनाएं बनाएगा. इन योजनाओं में पीने के पानी से लेकर खेतों और बागों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना आवश्यक होगा. हर घर को पीने का पानी और हर घर और बाग़ को सिंचाई का पानी. विकास खण्ड और उपखण्ड इन योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे. लेकिन किसी भी योजना का एक वर्ष के भीतर पूरा होना आवश्यक होगा. योजनाएं लटकाना नहीं चलेगा. योजनाओं के लिए पैसों का आवंटन भी बजट प्रस्तुत होते ही तुरंत हो जायेगा. वित्त विभाग में अब कोई फाइल नहीं जाएगी. वित्त विभाग की मॉनिटरिंग अब नहीं होगी. केवल ऑडिट का काम होगा और उसे बहुत गम्भीरता से लिया जायेगा. कोई ऑडिट पेरा एक महीने से ज्यादा लंबित नहीं रखा जा सकेगा.

अभिनव राजस्थान में हम सतही पानी पर ही अधिकतम निर्भरता रखेंगे. जमीन के भीतर से पानी कम से कम निकालेंगे और उसकी भी भरपाई करेंगे. हम 'खेत का पानी खेत में', 'गाँव का पानी गाँव में' और 'शहर का पानी शहर में' की नीति से जल प्रबंध करेंगे. पूर्णतया स्थानीय व्यवस्था. फिर हम खेती भी राजस्थान की प्रकृति के अनुसार करेंगे. जैसा, जितना पानी, वैसी फसल बोयेंगे.

हम हर गाँव और शहर में जल प्रबंध के पुख्ता इंतजाम करेंगे. अब गलियों और सड़कों पर पानी व्यर्थ नहीं बहेगा. प्रत्येक बारिश में आप देखते होंगे कि बहुत सारा पानी बहकर चला जाता है. पानी भी व्यर्थ होता है और जगह जगह उसके इकट्ठा होने से असुविधाएं होती हैं, वे अलग. इकट्ठे पानी से बीमारियों के फैलाव का संकट भी राजस्थान के हर गाँव और शहर में बना ही रहता है.

पानी की इस बर्बादी को रोकने के लिए हम राजस्थान के समाज और शासन को सक्रियता से जोड़ेंगे. राजस्थान का हर गांव और शहर अपने लिए जल प्रबंध की योजना में सक्रिय रूप से भागीदार होगा. अभी जो गैप है, अविश्वास है, उसको हम कम करेंगे. पर यह काम उपदेशों या विज्ञापनों या सेमिनारों से नहीं होगा. संभागीय मंत्री इस अभियान का नेतृत्व करेंगे. तभी यह जन अभियान बनेगा. तभी राजस्थान जल संकट से मुक्त होगा, तभी राजस्थान के खेत और बाग़ लहलहाएंगे.

अभिनव विद्युत व्यवस्था, आत्मनिर्भरता से.

सड़क और पानी के प्रबंध की ही तरह राजस्थान में बिजली का प्रबंध भी गड़बड़ाया हुआ है और बुरी तरह से उलझा हुआ भी है. आप इसे इतना ही समझ लीजिये कि तीन से चार रुपये में बनने वाली बिजली के छः रुपये उपभोक्ताओं से वसूलने के बाद भी बिजली विभाग (कम्पनियाँ) घाटे में चल रहा है! ऐसा कोई बिज़नेस आपने देखा है, जिसमें लागत के बदले दुगुनी कीमत मिलने के बाद भी घाटा होता है? नहीं देखा तो राजस्थान में बिजली के धंधे को देख लीजिये. हमने तो इसे बहुत बारीकी से देखा है. बिजली बनने से लेकर उपभोक्ता तक पहुँचने के पूरे जाल को, पूरी प्रक्रिया को समझा है. अव्यवस्थाओं का आलम देखकर माथा चकरा जाता है. इतना कुप्रबंध? और आप इसे शासन व्यवस्था कहते हो? इस अव्यवस्था की शुरुआत बिजली की खरीद से शुरू होती है. सारी गड़बड़ वहीं से शुरू होती है. बिजली खरीदने का काम ही 'महंगा' हो गया है!

बिजली बनाने वाली अब बहुत सी कम्पनियाँ निजी क्षेत्र में आ गई हैं. भारत में निजीकरण को निवेश मानने की हमने बड़ी भूल की है. हम सोचते थे कि निजी लोग पैसा लगायेंगे तो शासन पर जोर कम पड़ेगा. हम तो यह भी सोच बैठे कि निजी लोग देश निर्माण में सहयोग की भावना से काम करेंगे. ऐसा ही हम विदेशी निवेश के बारे में सोचने की जुर्रत कर बैठे. जबकि यहाँ अक्सर निजीकरण का मतलब ही भ्रष्टाचार और लागत का कई गुना बढ़ जाना रहा है. किसी भी तरह का काम हो, निजी क्षेत्र में जाते ही जनता को वह कई गुना महंगा पड़ने लगता है. चाहे सड़क हो या पानी या बिजली या शिक्षा या स्वास्थ्य.

बिजली खरीद मनमानी दरों पर अन्दर ही अन्दर होती रहती है तो इसका प्रसारण (ट्रांसमिशन) भी उसी तर्ज पर होता है. राजस्थान में प्रसारण में निजी कम्पनियां घुसीं तो उन्होंने इसका बंटाधार कर दिया. एक रुपये की जगह पांच रुपये लगे. बड़े ठेके, बड़े लोग, बड़े नेता. काम महंगा होना ही था. वहीं विश्व बैंक से लिया गया पैसा भी दोनों हाथों से लुटाया गया है. व्यवस्था में कम दीमक नहीं हैं. पैसा भी उड़ गया और प्रसारण तंत्र में सुधार भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं हुआ. छीजत कम नहीं हुई.

यही हाल वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन का हुआ है, पिछले दो-तीन दशकों में. यहाँ भी निजी क्षेत्र को घुसाया गया तो व्यवस्था पर बचा खुचा नियंत्रण भी गया. बिजली की छीजत ने नए रिकॉर्ड बना दिए! वितरण की लागत भी कई गुना बढ़ गई. हर साख पर उल्लू बैठा हो, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा?

वर्ष 2000 में जबसे विद्युत विभाग को सुधार के नाम से पांच कंपनियों में बांटा है, तब से विद्युत तंत्र दिनों दिन बिगड़ा ही है. घाटा अब डेढ़ लाख करोड़ पर पहुँच गया है. जो यह सब नहीं जानते हैं, वे हर पांच वर्ष में 'वोट' देते रहें और 'राज' बदलते रहें. अज्ञानता वरदान है! नींद ठीक आती है.

अभिनव राजस्थान में क्या होगा? सबसे पहला काम तो यह होगा कि सचिवालय में नई विद्युत नीति बनेगी. अब फिर से एक ही विभाग होगा, विद्युत विभाग और उसके एक ही महानिदेशक होंगे. सभी शीर्ष अधिकारी विद्युत विषय के जानकार ही होंगे. विभागीय मंत्री मार्गदर्शन करेंगे. सचिवालय में बनी नीति के अनुसार संभागीय कार्यालय योजनाएं बनायेंगे और विकास खंड और उपखंड इनको लागू करेंगे.

सभी सम्भागीय कार्यालय अब वर्तमान कम्पनियों की जगह ले लेंगे और वे अपने संभाग की प्राथमिकताओं के अनुसार नई योजनाएं बनायेंगे. विभाग को विकास के लिए राशि अन्य विभागों की तरह एकमुश्त मिल जाएगी. संभाग इस राशि से योजनाएं बनायेंगे जो उसी वर्ष में पूरी हो जाएँगी.

हमारी विद्युत नीति के मूल में क्या होगा? तीन बातें होंगी. सबसे पहली तो यह कि पूरा तंत्र एकदम पारदर्शी होगा. आमजन को सरल भाषा में मालूम रहेगा कि बिजली कहाँ से आती है, कितने रुपये में पड़ती है और उपभोक्ता से कितना पैसा और क्यों वसूला जाता है. अब बिजली विभाग में 'अँधेरा' नहीं रहेगा. अँधेरा नहीं होगा तो किसी भी प्रकार की चोरी नहीं होगी. बड़े लोगों की चोरी का ठीकरा किसानों के नाम पर नहीं फोड़ा जा सकेगा. अभी की तरह बिजली की खरीद और वितरण में हो रहा अरबों का 'गेम' संभव नहीं हो पायेगा. दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा !

दूसरी बात यह कि हम सौर, पवन और बायोमास से ऊर्जा के उत्पादन पर ज्यादा जोर देंगे. राजस्थान जैसे प्रदेश में इन तीनों तरीकों से बिजली पैदा करने के प्राकृतिक संसाधन भारत में सबसे अधिक हैं. पर हम यह ध्यान रखेंगे कि आधुनिक तकनीक के नाम पर निजी कम्पनियां राजस्थान को मनमाने तरीकों से लूट न सकें. अभी यही हो रहा है और देशी विदेशी कम्पनियों ने मनमाने भाव लगा रखे हैं. शासन भी कार्बन कम करने के नाम पर चल रहे विश्वव्यापी हल्ले का फायदा इन कम्पनियों को देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है. शासन का मतलब यहाँ 'राज' से है जो कुछ राजनेताओं, अफसरों और उनके दलालों के कब्जे में है. कोयले और लिग्नाइट से ऊर्जा के उत्पादन में होने वाले प्रदूषण के कारण हम उनसे कम से कम बिजली का उत्पादन करेंगे.

तीसरी बात यह कि राजस्थान में बिजली की दरें कम से कम रखने पर जोर होगा. अधिक से अधिक 'लाभ' कमाने की कोशिश नहीं होगी. लागत कम करने का फायदा सीधे सीधे उपभोक्ता को जायेगा. ऐसे में हमारी बिजली की दरें भारत में सबसे कम होंगी. पर ये दरें सभी उपभोक्ताओं के लिए एक समान होंगी. इनमें अलग अलग स्लेब नहीं होंगे. उस उलझन में हमें समाज को नहीं उलझाना है. वैसे भी अभिनव राजस्थान में ये दरें इतनी कम होंगी कि अभी के बिलों से दो से तीन गुना कम राशि देनी होगी. सस्ती बिजली समाज और खेती-उद्योग की जरूरत है और अभिनव राजस्थान यह जरूरत पूरी करेगा. छल कपट या झूठ से नहीं बल्कि पक्के काम से, पुख्ता प्रबंध से.

और यह भी जान लें कि राजस्थान का एक भी घर बिना बिजली कनेक्शन के नहीं होगा. एक भी नहीं. और हर घर में चौबीस घंटे निर्बाध बिजली की आपूर्ति होगी. एक घंटे के लिए भी अगर बिजली जाएगी तो आपके मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से पूर्व सूचना दी जाएगी.

अभिनव न्याय,
अब देर नहीं, अंधेर नहीं.

बहुत सदियों तक दूसरों के शासन में गुलाम जीवन जीने के कारण कई मानसिक परेशानियां भी हमारे समाज को हैं. हम आज भी मानने को तैयार नहीं हैं कि शासन की सारी व्यवस्था समाज की ही है और समाज के लिए ही है. हम अभी भी किसी अदृश्य 'राज' और उसके 'साहब' के भूत से डरे हुए हैं! हमें अभी भी यह लगता है कि पुलिस और कचहरी हमारी नहीं है, यह 'राज' की है. जब हम यह मानते हैं तो जिनको इन सेवाओं में प्रवेश मिल जाता है, उनमें भी 'राज' की आत्मा प्रवेश कर जाती है! वे भी राजा और ठाकुर होने में देर नहीं लगाते हैं. बात बात में जैसे कह रहे हों- बंद कर देंगे! फिट कर देंगे, टांग देंगे!

व्यवहार में ऐसा हो भी रहा है. आज हजारों लोग झूठे मुकदमों को झेल रहे हैं, हजारों बिना जुर्म किये हुए भी जेलों में 'सबूतों' और 'गवाहों' के कारण सड़ रहे हैं. जबकि हजारों अपराधी खुले आम घूम रहे हैं. वे क़ानून व्यवस्था का रोज माखौल उड़ाते दिखाई पड़ते हैं. कई बार बड़े बड़े न्यायविद् भी सरेआम संगोष्ठियों में कह चुके हैं कि भारत में गरीब को न्याय मिलना मुश्किल है. लाखों मुकदमे अदालतों में पेंडिंग भी हैं और न्याय में देरी को हमें अपनी किस्मत में मान लिया है. कई बार सुधार की कोशिशें हो रही हैं पर ये कोशिशें समस्या को सुलझाने की बजाय और उलझा देती हैं.

नतीजा यह है कि आज भारत और राजस्थान में एक आमजन 'न्याय' पाने के लिए तरसता है. वह डरा हुआ, सहमा हुआ है, गली के गुंडे से, पुलिस से, राजनेता से. कोई आफत न कर दे, कोई फंसा न दे, का भाव लिए हुए. साफ झूठे मुकदमे से भी वह घबराता है. पुलिस और दलाल कहते हैं कि एक बार तो 'अन्दर' जाना ही होगा, केस जो हो गया है! वहीं, कोई राह चलते गाली देकर अपमान कर दे, पीट दे, छेड़ दे तो भी पुलिस और अदालत उम्मीद नहीं बंधाती है बल्कि पुलिस स्टेशन में सभी पीड़ित को घूर घूर कर देखते हैं. थोड़ा सा अपमान हुआ है, थोड़ी सी पिटाई हुई है, ऐसा वे मानते हैं. 'मानव गरिमा या ह्यूमन डिग्निटी' जैसा कुछ होता है, यह अभी भारत और राजस्थान की क़ानून और न्याय व्यवस्था में अभी गहरे नहीं जमा है. अठारहवीं सदी में ही हैं हम अभी. इस दृष्टि से तो. 'राज' में ही जी रहे हैं.

फिर भी न्याय व्यवस्था आज भी अंतिम उम्मीद नजर आती है, हर आम और ख़ास को. मगर वह व्यवस्था भी क़ानून लागू करने वाली व्यवस्था और शासन से सहयोग के बिना बेबस हो जाती है.

अभिनव राजस्थान में इस मानसिकता और व्यवस्था को बदलने का काम बड़े पैमाने पर होगा. हर व्यवस्था की तरह क़ानून और न्याय व्यवस्था प्रति भी आमजन में अपनापन पैदा किया जायेगा. इस व्यवस्था के ढाँचे, कार्यप्रणाली और इम्प्रेशन में हम बड़े बदलाव करेंगे. स्थाई समाधान कर देंगे.

पुलिस के बारे में हमने पीछे के अध्याय में बताया है. अभिनव पुलिस सीधे जनता के प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह होगी. हमारी व्यवस्था में पुलिस पीड़ित के घर जाकर रिपोर्ट और गवाहों के बयान लिखेगी. फिर हर हफ्ते पीड़ित और न्यायपालिका की संतुष्टि तक पीड़ित के परिवार को रिपोर्ट करेगी. तंत्र समाज का ही है, परिवारों का है और पुलिस को उनके लिए काम करना होगा. 'राज' और 'रौब' बहुत हो लिया, सत्तर वर्ष, अब लोकतंत्र, लोकनीति होंगे. पुलिस को समाज का सहयोगी बनना होगा.

पुलिस को अब किसी केस की जांच में समय सीमा का पालन करना होगा. तीन महीने के बाद तो कोई भी जांच नहीं चलेगी. 'लम्बित' शब्द ही अब नहीं होगा. त्वरित न्याय तभी उपलब्ध होगा.

हम अपराध को घटने से पहले ही रोकने के लिए, प्रीवेंशन के लिए भी बड़े स्तर पर प्रयास करेंगे. पुलिस और न्याय व्यवस्था के इस उपेक्षित पक्ष को हम पुनः उच्च प्राथमिकता देंगे.

दूसरी तरफ राजस्थान उच्च न्यायालय और अभिनव शासन मिलकर आपस में ऐसा समन्वय बनायेंगे ताकि आमजन का पुनः न्याय और क़ानून की व्यवस्था में भरोसा बढ़ सके और अपराधियों में खौफ हो. न्यायालय के निर्देशों का तुरंत पालन होगा.

न्यायपालिका के नियम वैसे तो ठीक से बने हुए हैं पर प्रक्रिया में बहुत कमियाँ हैं. सचिवालय का न्याय विभाग, प्रदेश के न्यायविदों से चर्चा करके इस प्रक्रिया को सरलतम बनाने की नीति बनाएगा. राजस्थान के सभी न्यायालयों को आधुनिक बनाया जाएगा और उन्हें सभी संसाधन उपलब्ध करवाए जायेंगे. समाज को सुगम न्याय की उपलब्धता के लिए पैसा बहुत छोटी चीज है.

प्रत्येक विकास खंड में एक विभाग न्याय व्यवस्था की मदद के लिए होगा. यह सभी विभागों के लिए शासन का पक्ष रखेगा. विभागीय अधिकारियों को अब न्यायालयों के चक्कर नहीं काटने होंगे. डॉक्टर्स और पुलिस अधिकारीयों की गवाही अब वीडियो कॉन्फ्रेंस से ही होगी. उनको जिन्दगी भर अपनी जांच किये हुए केस के लिए राजस्थान भर में घूमने की अब जरूरत नहीं होगी. अगर तकनीक अपडेट नहीं होगी तो उनके बयान स्थानीय मजिस्ट्रेट लेकर सम्बन्धित अदालत को भेज देंगे. यह अदालती पर्यटन बंद होगा.

झूठे मुकदमे दर्ज करने वालों और झूठी गवाही देने वालों से अब सख्ती से निपटा जायेगा. उनको उतनी ही जेल होगी, जितनी जेल उनके कारण कोई निर्दोष काटकर आया है.

भूमि विवादों के समय पर निपटारे नहीं होने के कारण लोग झगड़ पड़ते हैं और मुकदमों की संख्या बेवजह बढ़ती है. हर वर्ष अनेक लोग इन विवादों में मरते हैं और घायल होते हैं. दुश्मनियाँ बरसों बनी रहती हैं. आज राजस्थान में तीन लाख से अधिक ऐसे विवाद राजस्व अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं और हर रोज यह संख्या बढ़ती है. अब हम भू-प्रबंध के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को अन्य विभागों के कामकाज या उनकी मॉनिटरिंग से बिल्कुल अलग कर देंगे. वे अब स्कूलों और अस्पतालों को या अन्य विभागों के कार्यालयों को चेक करने के 'बोझ' से मुक्त होंगे. केवल अपने विभाग का काम करेंगे तो ये विवाद समय पर निपट जायेंगे और न्याय व्यवस्था में जमीनी स्तर पर भरोसा भी बढ़ेगा.

अभिनव भू-प्रबंध, आधुनिक, सरल, प्रभावी.

वैदिक काल से लेकर 1947 तक भारत के विभिन्न शासनों के लिए भू-राजस्व, शासन चलाने का सबसे बड़ा साधन था, जरिया था. इसका संग्रह करना, कलेक्शन करना बहुत महत्वपूर्ण काम था, उतना ही, जितना किसी राज्य की रक्षा का काम था. पहले यह कुल उपज का 1/6 भाग था, जो बाद में अंग्रेज राज आते आते बढ़ता गया. अंग्रेजों के 'राज' में इस भू-राजस्व का संग्रह करने या इसे कलेक्ट करने का काम कलक्टर को सौंपा गया था. वर्ष 1772 में वारेन हेस्टिंग्स के समय अंग्रेजी व्यवस्था में हर जिले में एक कलक्टर बिठा दिया गया था, जो भू-राजस्व की उगाही के लिए जिम्मेदार था. उसे इस महत्वपूर्ण काम को अंजाम देने के लिए बहुत अधिक शक्तिशाली भी बनाया गया. उसे जिला मजिस्ट्रेट भी कहा गया और कुछ कानूनी शक्तियां दी गई. एक तरह से कलक्टर 'राज' के भीतर क़ानून-व्यवस्था और शोषण के लिए सबसे बड़ा प्रशासनिक औजार था. उसके नाम से ही लोग कांपते थे.

फिर इंडियन सिविल सर्विस शुरू हुई और इस सेवा के पदाधिकारी कलक्टर बनाये जाने लगे. इसके लिए परीक्षा भी इंग्लैंड में होती थी, क्योंकि इसका महत्व और आकर्षण बढ़ने लगा था. पर जब 'राज' गया और सत्ता देशी लोगों को सौंपी गई तो 'राज' में पले, बड़े हुए, रंगे हुए सियासतदानों को शासन में घुसने की जल्दी थी. संविधान में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को नए शासन में भी रीढ़ की हड्डी बनाकर पेश कर दिया. उनके माने यह देश की एकता और अखंडता की सबसे बड़ी गारंटी भी थी. जो भी हो, लिख दिया सो लिख दिया, सर आँखों पर. लेकिन असल में, धरातल पर इसका प्रभाव क्या हुआ, यह जानना जरूरी है. भारत की विकास यात्रा की धीमी गति के लिए यह जानना जरूरी है.

हुआ यह कि नई भारतीय व्यवस्था में भी इन भू-राजस्व अधिकारियों को शासन में सबसे महत्वपूर्ण बनाकर पेश कर दिया गया. हालाँकि अब भू-राजस्व का महत्व उतना नहीं रह गया था, जितना 'राज' के दिनों में था क्योंकि देश में लागू हुए अनेक भूमि सुधार क़ानूनों ने किसानों को भूमि पर लगभग स्थाई हक़ दे दिए थे. ऐसे में भू-राजस्व की दरें भी कम होती गईं, जो अब नगण्य सी हैं. अब भू-राजस्व का कलेक्शन, महत्व का काम भी नहीं रह गया. पर अंग्रेजी 'राज' के इन वारिसों को महत्व बनाये रखना था ! सो अब भी कलक्टर साहब हैं, अब भी वे जिला मजिस्ट्रेट हैं. लगभग दो सौ वर्षों तक जिस पद का समाज में प्रभाव रहा है, रौब रहा है, उसे कौन छोड़ना चाहता था.

दूसरी तरफ चुने गए 'राजा' लोग, राजनेता भी नई व्यवस्था का पूरा आनंद लेना चाहते थे और इसके लिए उन्हें भी इन नव सामंतों की जरूरत थी. बस जुगलबन्दी हो गई. 'राज' कायम है, नए रूप में.

आज भारत में आई.ए.एस. का जो इतना आकर्षण बना हुआ है, उसके पीछे कोई सेवा या समर्पण का भाव नहीं है, बल्कि इस काम में, इस सर्विस में होने से मिलने वाला महत्व है, वेल्यु है. यही हाल राजस्थान में आर.ए.एस. का है. क्या महत्व है? क्यों है? दरअसल नई भारतीय व्यवस्था में यह कह दिया गया, अंग्रेजों की तरह कि ये भू-राजस्व अधिकारी सरकार के आँख-कान हैं और इनके भरोसे ही शासन है. इनको धीरे से देश के विकास के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण करार दिया गया. डॉक्टर्स, टीचर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट से भी ज्यादा ! सभी जिलों में इनको शासन का 'मालिक' बना दिया गया और सभी विभागों का इनको मुखिया बना दिया गया. भले वे उस विभाग की एबीसीडी नहीं जानते हैं ! उधर राजनेताओं को 'राज' चलाने के लिए ये औजार मिल गए. नतीजा क्या हुआ? फिर से 'राज' ने 'विकास' को ढक दिया. विकास रुक ही गया. जबकि हमें तो 1947 के बाद 'विकास' की जरूरत थी. विकास के लिए हर विभाग को विशेषज्ञता शीर्ष पर रखनी होती है, सामान्य ज्ञान की नहीं.

यही वजह है कि पूरे देश में युवा आई.ए.एस. बनने को मरा जा रहा है ! डॉक्टर्स भी, आईआईटीयन भी, सी.ए. भी और साइंटिस्ट भी. राजस्थान में आर.ए.एस. बनना जैसे जीवन का अंतिम सपना है ! अभिनव राजस्थान की व्यवस्था में जब अलग अलग कामों का सामाजिक मूल्य बदलेगा, शिक्षक का, चिकित्सक का, कलाकार का और जब शासन की प्राथमिकताएँ बदलेंगी तो इन सामान्य प्रशासनिक सेवाओं का आकर्षण कम हो जायेगा. अभिनव राजस्थान में 'राज' की जगह 'विकास' का शासन होगा.

अभिनव शासन में भू-प्रबंध के लिए राजस्थान में भू-प्रबंध बोर्ड, अजमेर जिम्मेदार होगा. इसके अध्यक्ष विभाग के महानिदेशक होंगे और वे ही विकास खंडों में निदेशक, भू-प्रबंध (कलक्टर) को पदस्थापित करेंगे. अतिरिक्त महानिदेशक संभागों में होंगे और वे उप निदेशक (एस.डी.एम.) और सहायक निदेशक (तहसीलदार) नियुक्त करेंगे. तबादलों के अधिकार इन्हीं अधिकारियों के पास होंगे. एक जिले में अब दो निदेशक होंगे- एक भू-प्रबंध और सामान्य प्रशासन के लिए और एक भूमि विवाद के लिए. ये अधिकारी अब अन्य विभागों के काम के बोझ से मुक्त होंगे और अपने विभाग का काम ही करेंगे.

तहसीलदार (सहायक निदेशक) और पटवारी (भू-प्रबंध सहायक) अब गिरदावरी का काम नहीं करेंगे. किस खेत में कौनसी फसल थी, कितनी हुई, यह काम अब कृषि विभाग करेगा. यह उनका ही काम है. पटवारी को अब गांव में रहना भी अनिवार्य नहीं होगा और उनको जब भी भू-प्रबंध के किसी काम के लिए आवश्यक होगा, विकास उपखंड से बुलवा लिया जाएगा.

पटवारी और तहसीलदार अब लोगों के घर जाकर उनके सामान्य काम, जैसे बंटवारा, भूमि-रूपांतरण, नामांतरण आदि निपटायेंगे. अब शिविरों से काम नहीं चलेगा, अब रोज ही शिविर के भाव से काम करना होगा. शासन जनता का होना होगा. जनता अब चक्कर काटती नहीं फिरेगी.

सभी सरकारी जमीनों के नक्शे बनाकर उन्हें सार्वजनिक किया जायेगा ताकि जानकारी की रोशनी में अतिक्रमण न होने पायें. अगर अतिक्रमण होंगे और उनको हटायेंगे तो साथ में उस क्षेत्र के पटवारी और तहसीलदार भी सेवा मुक्त हो जायेंगे. केवल अतिक्रमण हटाने का तमाशा नहीं होगा.

अभिनव राजस्थान के लिए, धन की व्यवस्था.

जब हम अभिनव राजस्थान के लिए हर क्षेत्र में नई व्यवस्थाओं की बातें कर रहे हैं तो सबसे पहले यह सवाल दिमाग में आना स्वाभाविक है कि इन व्यवस्थाओं के लिए धन की व्यवस्था कहाँ से होगी. यूं लगेगा कि इसमें अरबों रूपये की जरूरत होगी और इतना धन राजस्थान में है नहीं. पर हकीकत यह है कि अभिनव राजस्थान की योजनाएं इतनी सरल, प्रभावी और पारदर्शी हैं कि इनके लिए बहुत ही कम पैसे की जरूरत पड़ेगी. यही तो हमारी योजना की ख़ास बात होगी कि बहुत ही कम पैसे में बहुत सारा विकास हो जायेगा. अभी जो पैसे की किल्लत होती है, वह उलझे हुए, अक्षम और अपारदर्शी शासन के कारण हो रही है. पता ही नहीं चलता है कि पैसा किधर से आता है और किधर जाता है. यह भी पता नहीं चलता है कि किस पैसे से जनता को क्या मिलता है. सब गोलमाल है.

अभिनव राजस्थान में धन की व्यवस्था दो तरह से होगी. एक तो व्यवस्था टैक्स से होगी, जो बहुत ही सरल व्यवस्था से इकट्ठा किया जायेगा. अब राजस्थान में एक ही टैक्स जी.एस.टी. लगेगा. परिवहन शुल्क, पंजीकरण शुल्क, खनन रॉयल्टी और आबकारी शुल्क राजस्थान के शासन में नहीं होंगे. अब कोई अंग्रेज का शासन नहीं कि जहां मौका लगे, एक टैक्स लगा दें. वह मानसिकता बदलनी होगी. साथ ही हम व्यापारियों के खिलाफ खड़े किये गए टैक्स के हौवे को भी बंद करेंगे. अब हर राजस्थानी के लिए 'अपना' शासन होगा. ऐसे अपनेपन के माहौल में हमारा टैक्स का संग्रह स्वतः ही कई गुना बढ़ जायेगा.

अभी कोई व्यापारी, उद्यमी या व्यक्ति टैक्स की चोरी क्यों करता है? क्यों वह शासन के कोष में पूरा पैसा जमा नहीं करवाता है. वही व्यापारी जो मंदिर, मस्जिद, गौशाला या समाज के किसी काम में हाथ खोलकर पैसा देता है, वह शासन के खजाने में पैसा क्यों नहीं देता है? क्योंकि उसे इस पैसे से मिलने वाली सुविधाओं का भरोसा नहीं होता है. उसे लगता है कि इस टैक्स से उसके परिवार को अच्छी शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाएँ नहीं मिलने वाली है. इनके लिए उसे निजी क्षेत्र में अतिरिक्त धन खर्च करना ही पड़ेगा. उसे यह भी लगता है कि यह टैक्स देकर भी उसे महंगी बिजली, खारा पानी और टूटी सड़कें मिलनी हैं. मिनरल वाटर के लिए अलग खर्चा करना होगा और अच्छी सड़क पर जाते ही अलग से टोल देना होगा. यही नहीं उसे यह भी पता है कि कोई उसके साथ मार पीट कर गया तो पुलिस बिना पैसे या बिना सिफारिश के मदद नहीं करने वाली.

उसे यह भी लगता है कि इस पैसे से अफसर और राजनेता मौज करेंगे और विकास के नाम पर कमीशन खायेंगे. ये धारणाएँ एक आम व्यापारी या उद्यमी के मन में घर कर गई हैं. इन्हें झुठलाया नहीं जा सकता है. इन धारणाओं को बदलकर ही उन्हें स्वेच्छा से शासन के हिस्से की राशि जमा करवाने को प्रेरित किया जा सकेगा. वही स्थाई समाधान होगा.

ऐसे में हम अभिनव शासन को सरल, प्रभावी और पारदर्शी बनाकर पहले वर्ष में आमजन का विश्वास जीतेंगे. फिर अपनी योजनाओं का हवाला देकर व्यापारियों और उद्यमियों को शासन के लिए 'चंदा' देने का आह्वान करेंगे तो शासन के खजाने में धन की कोई कमी नहीं रहेगी. अभी के टैक्स से पांच गुना ज्यादा टैक्स तो हँसते हँसते आ जायेगा. तब लोग पूरा टैक्स देने पर गर्व करने लगेंगे. तब उनको टैक्स से दी जाने वाली सुविधाएं अपने घर में, गली में, शहर में, गाँव में स्पष्ट दिखाई देंगी.

दूसरे, हम राजस्थान के सहकारिता विभाग और समाज को फिर से आपस में सक्रियता से जोड़ेंगे. सहकारिता को बीच राह में छोड़कर राजस्थान ने बहुत नुकसान झेला है जबकि पास के ही प्रदेश गुजरात के विकास में सबसे बड़ा योगदान ही सहकारी क्षेत्र का है. राजस्थान में सहकारिता को राजनीति और राजनेता ले डूबे. इन्होंने सहकारिता समितियों और उनके बैंको पर वैसे ही कब्जा कर लिया जैसे राजस्थान के शासन पर. नतीजा यह हुआ कि ये समितियां बपौतियाँ बन गईं और इनके नाम से बड़े बड़े खेल राजस्थान में हुए. आज भी जारी हैं. जिस सहकारिता से आम राजस्थानी को फायदा पहुंचना था और जिसके माध्यम से विकास के लिए पूँजी मिलनी थी, उस सहकारिता से मात्र कुछ लोग पनप गए. सहकारी क्षेत्र की मिलें और कारखाने भ्रष्टाचार और कुप्रबंध की भेंट चढ़ गए. शासन में बैठे लोगों की हिम्मत नहीं थी कि इस प्रक्रिया को ठीक करे. उन्होंने सहकारिता के विषय को ही उपेक्षित कर दिया. नुकसान जनता को हुआ और इतना ज्यादा कि आप कल्पना नहीं कर सकते.

अभिनव राजस्थान में हम सहकारिता विभाग के ढाँचे और कार्यप्रणाली को नई व्यवस्था में ढालेंगे ताकि राजस्थान का एक एक परिवार इसमें अपनी मालकियत का अहसास करे. सरल, प्रभावी और पारदर्शी सहकारी व्यवस्था के माध्यम से हम राजस्थान के डेढ़ करोड़ परिवारों को सक्रियता से जोड़ेंगे. इस साझे पैसे से हम अभिनव कृषि केंद्र, अभिनव उद्योग केंद्र, अभिनव पशुपालन केंद्र और अभिनव व्यापार केन्द्रों का संचालन करेंगे. इन केन्द्रों की सफलता से मिलने वाला लाभ सीधे-सीधे आमजन की जेब में जायेगा. तब उन्हें सहकारिता में जीने का मजा आयेगा. तब राजस्थान में पूँजी निर्माण प्रारंभ होगा. पर यह सब तभी होगा जब शीर्ष पर बैठे लोग गम्भीर होंगे और सहकारिता और समाज के बीच कड़ी बनेंगे, केवल अफसरों के भरोसे या आदेशों से यह नहीं होगा. सक्रिय संवाद और संपर्क से होगा.

इसके साथ ही हम अभिनव राजस्थान में बचत को एक बड़े अभियान के रूप में चलाएंगे. सभी परिवार अपना वर्षभर का बजट बनाने की आदत डालेंगे और इस बचत को अपने सहकारी खातों में जमा करेंगे. अभिनव परिवार अपने सामाजिक समारोहों को भी सरल, सादा करेंगे और उससे बची पूँजी को अपने रहन-सहन, शिक्षा और रोजगार में लगायेंगे. यह बचा हुआ पैसा इनकी पूँजी तो होगा ही यह राजस्थान की पूँजी भी बनेगा. अभिनव विकास की योजनाओं में यह धन काम आएगा. वैसे यह धन कितना हो जायेगा? यह राजस्थान है मित्रों, आप सोच ही नहीं सकते. बस राजस्थान के जगने की देर है.

अभिनव परिवहन, दुर्घटनाओं में भारी कमी.

आपने एक विभाग का नाम सुना होगा राजस्थान में, परिवहन विभाग? इस विभाग का नाम जहन में आते ही क्या तस्वीर उभरती है? यही कि जहां नई गाड़ियों के कागज बनते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं, परिवहन, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फी जमा होते हैं और जिसके ज्यादातर अधिकारी ट्रकों, बसों और टैक्सियों को रोककर उनसे चौथवसूली करते हैं! किसी भी सड़क पर ये लोग दिखाई दे जाते हैं. यही सुना है न? इनका यही काम पता है न? जबकि इनका मुख्य काम होता है, परिवहन को ऐसा सुगम बनाना कि दुर्घटनाएँ कम से कम हों और मानव जीवन की हानि रोकी जा सके.

लेकिन जब भी कहीं कोई दुर्घटना घटती है तो परिवहन विभाग कहाँ होता है? कहीं भी नहीं. इतना बुरा हाल है राजस्थान के शासन का. जबकि यह परिवहन विभाग की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी दुर्घटना घटने पर उसका विश्लेषण करे, उसके कारणों को जाने और भविष्य में दुर्घटनाएँ कम करने के उपाय अन्य विभागों से मिलकर करें. अगर यह दुर्घटना सड़क की किसी कमी से हुई है तो सड़क विभाग से सड़क को दुरस्त करवाएं. अगर किसी वाहन चालक की इसमें गलती रही हो तो उचित कार्रवाई करे. पर आप देखते हैं कि दुर्घटना के वक्त केवल पुलिस ही दिखाई देती है. वही कार्रवाई करती है. परिवहन विभाग नदारद होता है. उनकी मासिक रिपोर्ट में भी दुर्घटना की रिपोर्ट के कॉलम खाली जाते हैं. इतना मजाक किसी विभाग में चलता है? कि वह अपने मूल काम से बेखबर हो.

अब यह क्या बात हुई कि कोई दुर्घटना घटी तो उसकी खबर में मरने और घायल होने वालों की संख्या और नाम लिखकर इतिश्री हो गई. कोई मानव जीवन चला जाना अब भी राजस्थान में एक सामान्य घटना है? इतना ही मोल है मानव का? क्या यह महज एक संख्या है? नहीं. अभिनव राजस्थान में प्रत्येक मानव जीवन का दुर्घटना में खोया जाना गंभीर चिंता का विषय होगा और हम रोज हुई दुर्घटनाओं का विश्लेषण करेंगे. तभी तो लोक का तंत्र होगा, तभी तो 'अपना' शासन होगा.

अभिनव राजस्थान में हम परिवहन विभाग की नई व्यवस्था की रचना करेंगे. विभाग को अब पक्का प्रोफेशनल बनायेंगे, सक्षम बनायेंगे. सचिवालय में विभाग के लिए स्पष्ट नीति का निर्माण होगा. नीति का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं में कमी करना होगा. इसके लिए हम समाज को भी मानसिक रूप से तैयार करेंगे और परिवहन के नियमों को हर हाल में लागू करेंगे. पर यह काम अभी की तरह लचर तरीके से न होकर पुख्ता योजना से होगा. सभी संभाग अपने क्षेत्रों को दुर्घटनामुक्त करने के उद्देश्य के साथ स्पष्ट रोडमैप बनायेंगे. विकास खंडों के निदेशक इन योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे.

अभिनव राजस्थान में परिवहन, रोड और रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क नहीं होगा. अब एक ही टैक्स होगा जो गाड़ी खरीदने पर लगेगा. रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क नहीं होगा. अब किसी भी बस, ट्रक या टैक्सी के लिए राजस्थान में हर महीने कोई शुल्क जमा नहीं करवाना होगा. केवल रजिस्ट्रेशन की शर्तों और परिवहन के नियमों का पालन करना होगा. ऐसे में कोई कहेगा कि फिर 'राज' कैसे चलेगा? तो पहली बात तो यह कि 'राज' किसको चलाना है, हमें लोक का तंत्र चलाना है. और जब लोक का तंत्र चलना है तो इसमें लोक की सहूलियत देखनी होगी. अंग्रेजी स्टाइल में सोचना बंद करना होगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा टैक्स लिए जाएँ. शोषणकारी उस मानसिकता को, अब विराम देना होगा.

अभिनव राजस्थान में जब हम परिवहन, रोड और रजिस्ट्रेशन शुल्क बंद करेंगे तो कुल कितना नुकसान होगा? कुल टैक्स में से मात्र दस प्रतिशत का. जबकि आज परिवहन विभाग में इस कर संग्रह के नाम पर इस कर से चार गुना अधिक तो रिश्वत ही बन जाती है! यह गन्दगी अब नहीं. जनता को परेशानी नहीं. बस वाले, ट्रक वाले और टैक्सी वाले हमारे समाज के ही लोग हैं, उनको परेशानी अब और नहीं. वे समाज को सहयोग कर रहे हैं, यह मानना होगा. उनका सम्मान करना होगा. टैक्स का जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई हमारा बढ़ा हुआ बिक्री कर कर देगा, आराम से.

अभिनव राजस्थान में अब ट्रक, बस या टैक्सी ड्राइवरों को पूरा सम्मान दिया जायेगा. यह नहीं कि कोई भी उन्हें डांट दे, गाली दे दे. पता नहीं क्यों हम भूल गए कि ये लोग भी हमारे समाज के सदस्य हैं. खाकी वर्दी में घूम रहे लोग इनसे दुर्व्यवहार करते हैं तो ऐसा ही लगता है कि जैसे ये चोरियां कर रहे हैं. अब नहीं सहन होगा यह. हम यह मानकर चलेंगे कि ये हमारे आर्थिक क्षेत्र के फौजी हैं. हमारे लिए सड़क पर अपनी जान जोखिम में डालते हैं, परिवारों से दूर रहते हैं. इनको सम्मान की दरकार है. सम्मान ही नहीं इनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा की भी दरकार है. अभिनव राजस्थान में किसी भी ट्रक, बस या टैक्सी ड्राइवर की सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उसके परिवार को फौजियों की तरह ही सुरक्षा राशि देंगे. परिवहन विभाग की तरफ से इन सभी का बीमा करवाया जाएगा.

अभिनव राजस्थान में प्रमुख मार्गों पर प्रत्येक पचास कि.मी. पर आधुनिक सुविधा केंद्र होगा जो बस, ट्रक और टैक्सी ड्राइवरों के आराम और ठहरने के लिए होगा. इसका प्रबंध स्थानीय ग्राम पंचायत या नगरपालिका करेगी. यह सुविधा बहुत ही कम शुल्क में उपलब्ध होगी. लेकिन अभिनव राजस्थान में शराब पूर्ण रूप से बंद होगी. ऐसे में इन सुविधा केन्द्रों का संचालन भी आसान होगा.

दूसरी तरफ अब पुलिस को परिवहन विभाग में हस्तक्षेप नहीं करना होगा. न शहर के भीतर और न शहर के बाहर. धीरे धीरे हम पुलिस को इस साधारण काम से मुक्त कर देंगे ताकि वह अपना ध्यान अपराधों की रोकथाम और जांच में लगा सके. समय के साथ व्यवस्थाओं को अच्छे के लिए बदलना चाहिए.

और अभिनव राजस्थान में आपको गाड़ी के कागज साथ में रखने की कोई जरूरत नहीं होगी. आपकी गाड़ी का नम्बर जब अधिकारी अपने टेबलेट में दर्ज करेगा तो सारी डीटेल निकल जाएगी और प्रमाणित होते ही अधिकारी आपको नमस्कार करते हुए जाने को कहेगा. कष्ट के लिए खेद भी बोला जायेगा!

अभिनव जनसम्पर्क, शासन का प्राण.

किसी भी शासन और समाज के बीच सम्पर्क प्राण का काम करता है. सम्पर्क है तो जीवंत शासन है, वरना शासन मात्र एक औपचारिकता रह जाता है. यह बहुत बुरी स्थिति होती है और ऐसा कभी भी हो जाये तो उसके प्रभाव लम्बे समय तक रहते हैं. कम सम्पर्क से पनपा अविश्वास गहरे बैठ जाता है.

आज राजस्थान के शासन और समाज के बीच सम्पर्क की क्या स्थिति है? हमारा जनसम्पर्क और सूचना विभाग क्या करता है? कितना सक्षम है? बहुत बुरे हाल हैं. जयपुर में जनसम्पर्क और सूचना का अब इतना सा मतलब रह गया है कि जो भी मुख्यमंत्री हो उसकी गाथा गाओ. जिलों में भी इस विभाग के अधिकारी अब कलक्टर के निजी सहायक बन गए हैं. उनको लगता ही नहीं है कि उनका अलग से कोई विभाग है और वे अधिकारी हैं. वे अपना मूल काम ही भूल चुके हैं. मूल काम क्या है इस विभाग का? यह है, गाँव-गाँव, शहर-शहर, जनता तक शासन की योजनाओं को पहुँचाना, महत्वपूर्ण सूचनाओं को पहुँचाना और दूसरी तरफ जनता की भावनाओं को शासन तक पहुंचाना.

जनसम्पर्क का यह काम बहुत सक्रियता से होना होता है. केवल कुछ पत्रिकाएँ छापने और उन्हें उदासीनता से वितरित करने या अखबारों में प्रेस नोट देने मात्र से सम्पर्क नहीं होता है.

अभिनव राजस्थान में जनसम्पर्क और सूचना विभाग को जनअभाव अभियोग विभाग और सूचना तकनीक विभाग में मिलाकर एक विभाग बनाया जायेगा. तभी इन तीनों कामों की सार्थकता सिद्ध होगी और तभी जनता से सम्पर्क में जीवंतता आएगी. इस विभाग के महानिदेशक जनसंपर्क एवं सूचना सेवा के अधिकारी ही होंगे, कोई आई.ए.एस. अधिकारी नहीं होंगे. सचिवालय में अब केवल नीति निर्माण होगा और इसमें सीधे मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त होगा. असल में यही मुख्यमंत्री के पास सबसे महत्वपूर्ण विभाग होगा.

सचिवालय में इस विभाग में एक ही जगह पर सभी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन होगा और यहाँ से सूचनाएं प्रसारित भी होंगी पर शिकायतों के निवारण के लिए संभाग और विकास खंड ही जिम्मेदार होंगे. अब जयपुर में किसी भी नागरिक को शिकायत लेकर आने की आवश्यकता ही नहीं होगी. साथ ही अब जयपुर से प्रचार प्रसार के लिए प्रिंटिंग का काम नहीं होगा.

संभागों में क्षेत्र की प्राथमिकता के अनुसार जनसम्पर्क की योजनाएं बनेंगी. यहीं से वांछित प्रचार सामग्री की प्रिंटिंग होंगी. विकास खंड या जिला मुख्यालय पर स्थित सूचना केंद्र अब अतिआधुनिक होगा और वह सभी विभागों की महत्वपूर्ण जानकारियाँ सार्वजनिक करेगा. यह अब केवल पुस्तकालय नहीं रहेगा !

जिले के सूचना केंद्र को अब सूचना का अधिकार अधिनयम लागू करने का केंद्र भी बनाया जायेगा. सूचना के अधिकार को लेकर किसी भी नागरिक को आ रही समस्या का समाधान यही केंद्र करेगा. सूचना आयोग तक मामला किसी भी हाल में अभिनव राजस्थान में नहीं जायेगा. तभी तो जनता का शासन होगा. तभी तो सूचना के अधिकार का कोई अर्थ निकलेगा. वरना शासन और समाज में यह रस्साकशी कब तक चलेगी? फिर इस अधिकार को देने का क्या मतलब है?

अभिनव राजस्थान में हमारे विकास खंड या जिले के जनसंपर्क निदेशक (पी.आर.ओ.) अब गाँव गाँव, शहर शहर सक्रियता से घूमेंगे और शासन को समाज से जोड़ने में महती भूमिका निभाएंगे. उनको गाड़ी और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएँगी. वे अब स्वतंत्र रूप से अपना काम करेंगे और कलक्टर को रिपोर्ट नहीं करेंगे. वे अपनी रिपोर्ट संभाग स्थित अतिरिक्त महानिदेशक को ही देंगे. जिले की समन्वय बैठक में वे स्वतंत्र रूप से अपने विभाग के काम में आ रही समस्याओं के बारे में बताएँगे.

अब आप जनसम्पर्क निदेशक को खेतों में किसानों से बात करते हुए और शासन की योजनाओं के बारे में पूछते हुए देखेंगे. कभी वे पशुपालकों से चर्चा करते हुए मिलेंगे तो कभी वे कुटीर उद्यमियों से बात करते मिलेंगे. कभी वे पुलिस कार्यालय में होंगे तो कभी किसी विद्यालय में होंगे. पर ध्यान रहे कि वे किसी भी विभाग के काम में दखल नहीं देंगे. वे निरीक्षण या इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, केवल अवलोकन या ऑब्जर्वेशन करेंगे. उनका काम केवल जानकारी लेना और देना ही होगा. कागज चेक करना इनका काम नहीं होगा. एक तरह से ये अधिकारी शासन के लिए आंख-नाक-कान का काम करेंगे. सावधानी यही रखनी होगी कि कलक्टरों की तरह ये अधिकारी अन्य विभाग के अधिकारियों के बॉस न बनने लग जाएँ.

सम्पर्क के इस काम में हम राजस्थान और अन्य प्रान्तों के लोगों को भी आपस में मिलवायेंगे. अखंड भारत के लिए यह राजस्थान का अभिनव प्रयोग होगा. हम राजस्थान के लोगों को शासन की तरफ से मणिपुर भेजेंगे, केरल भेजेंगे, जम्मू कश्मीर भेजेंगे. सभी प्रान्तों में भेजेंगे. हमारे एक जिले या विकास खंड को किसी एक अन्य प्रदेश से जोड़ देंगे. उस प्रदेश के लोगों को भी हम राजस्थान बुलाएँगे और इस देशी सम्पर्क को बहुत ही रुचिकर बनायेंगे. किसानों, उद्यमियों, व्यापारियों, महिलाओं और युवाओं को समूहों में भेजकर उनका दृष्टिकोण और उनके विचारों को परिष्कृत करेंगे, विविधता देंगे.

इसी प्रकार हम एक जिले को दुनिया के किसी एक देश के एक प्रांत से जोड़ देंगे. यहाँ के किसान, उद्यमी, व्यापारी, महिलाऐं और युवा उस देश में जायेंगे और वहाँ के लोग यहाँ आयेंगे. इस काम को हम बहुत ही सलीके से करेंगे ताकि राजस्थान की सोच बदले और हम विकास के नए आयामों को स्थापित करें. अभिनव राजस्थान तभी तो बनेगा. हम जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने की स्थिति में आ जायेंगे तभी तो असली परिवर्तन आयेगा. और सम्पर्क इसका प्रमुख वाहक होगा.

अभिनव ग्राम विकास,
अभिनव शहर विकास.

अभिनव राजस्थान में विकास की हमारी परिभाषा क्या होगी? हमारे माने विकास वह, जो सीधे सीधे आपको अपने घर में, अपनी गली में, अपने गाँव में, अपने शहर में दिखाई पड़े, महसूस हो. आपको लगना चाहिए कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका गाँव, आपका शहर और आपका प्रदेश-देश आगे बढ़ रहा है. लेकिन ऐसा आपको केवल विज्ञापनों से मालूम न हो, जैसा अभी हो रहा है. विज्ञापनों में हर सरकार प्रदेश और देश को चमकाती नजर आती है पर हमारे मोहल्ले की गली वैसी की वैसी टूटी फूटी ! यह तमाशा नहीं तो और क्या है जो हम कई दशकों से विकास के नाम पर झेलते हैं?

अभिनव राजस्थान में हम असली विकास की यात्रा भारत में पहली बार शुरू कर रहे हैं. भारत में पहली बार? जी हाँ. भारत में पहली बार. भारत में अभी विकास हुआ ही कहाँ है? विकास के नाम पर विनाश हुआ है और समाज में असमानताएं बढ़ी हैं. महंगाई के अनुपात में आमदनी नहीं बढ़ रही है और न सुविधाओं की क्वालिटी में कोई सुधार हुआ है. आज भी जब किसी कस्बे में किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाये या किसी की आंख खराब हो जाये तो उसे बड़े शहर की ओर भागना होता है. अगर कस्बे में इलाज होता है तो वह महंगा होता है. एक छोटी सी बीमारी परेशान कर देती है तो बड़ी बीमारी तो घर ही उठा देती है. यह तो एक क्षेत्र का हाल है. हर क्षेत्र में यही नजारा है. बच्चों को अच्छी शिक्षा देना भी एक सामान्य परिवार के लिए चुनौती है. बिना टोल के सड़क की इच्छा करना भी अवांछित है. रोजगार के अवसर बहुत सीमित हैं. ऐसा है तो विकास हुआ कहाँ है? शायद देश के एक छोटे से कोने में, जिसे मीडिया और शासन बार-बार दिखाते हैं और जिसके नाम पर राजनेता हमें भ्रमित करते हैं, बहलाते हैं.

अभिनव राजस्थान में विकास के दो मायने हैं- एक तो परिवार की आमदनी में हर साल महंगाई के अनुपात में बढ़ोतरी हो. यह बढ़ोतरी खेती, पशुपालन, उद्योग, व्यापार या किसी सुविधा (सेवा) के क्षेत्र में काम करते हुए होगी. दूसरे, हर परिवार को उपलब्ध सुविधाओं की पहुँच और उनकी गुणवत्ता (क्वालिटी) में बढ़ोतरी होगी. परिवार को उपलब्ध शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, सफाई, सुरक्षा आदि सुविधाओं का सुधार ही हमारे लिए विकास का दूसरा मायना होगा. अगर यह नहीं होता है तो फिर हम विकास नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं और कुछ लोग हम पर 'राज' कर रहे हैं. हम इन राजाओं को चुनकर वोट वोट खेल रहे हैं और राजनीति के तमाशे का आनंद ले रहे हैं !

आमदनी में इस बढ़ोतरी के लिए हम अपनी खेती, पशुपालन और उद्योग का उत्पादन बढ़ाएंगे. तभी आमदनी बढ़ेगी. इसके लिए शासन, समाज व शासन को जोड़कर व्यवहारिक योजनाएं लागू करेगा.

अभिनव राजस्थान में किसी गाँव या शहर के विकास का क्या अर्थ होगा? इसे कैसे मापा जायेगा? इसके लिए हम राजस्थान के सभी गाँवों और शहरों की वर्तमान आमदनी के पुख्ता आंकड़े जुटाएंगे. परिवारों की खेती, पशुपालन, उद्योग, व्यापार और सेवाओं (सुविधाओं) से होने वाली आमदनी को लिखेंगे. कई परिवार शुरू में टैक्स के डर से अपनी आमदनी छुपायेंगे ! पर हम उनको विश्वास में लेकर आंकड़ों का अनुमान लगायेंगे. उनको बतायेंगे कि यह आपका अपना ही शासन है और इन आंकड़ों को जुटाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और न अमीर वर्सेज गरीब का घटिया राजनैतिक खेल खेलना है. तब समाज विश्वास करेगा और हमारे पास पुख्ता आंकड़े होंगे. अभी तो ये मूल आंकड़े ही नहीं है. जो भी आमदनी देश या प्रदेश की जी.डी.पी. के नाम पर बताई जाती है, वह एक निहायत फर्जी आंकड़ा है. उस आमदनी के नाम पर आम परिवार को धोखे में रखा जाता है. विश्व को यह बताया जाता है कि हम सबसे तेज बढ़ने वाले देश हैं पर देश की यह रौनक हमारी गली या हमारे घर में दिखाई नहीं देती है.

राजस्थान के चालीस हजार गाँवों और सवा दो सौ शहरों की आमदनी के आंकड़े लेने के बाद दूसरा महत्वपूर्ण काम होगा- इन गांवों और शहरों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का खाका खींचना. शिक्षा-स्वास्थ्य-सड़क-पानी-बिजली-सुरक्षा-सफाई की सुविधाओं का और साथ ही पेड़ों, नदियों, तालाबों और मनोरंजन व खेल के बारे में आंकड़े तैयार करेंगे. अब हमारे लिए विकास का कच्चा माल तैयार होगा.

संभाग अपनी अपनी आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और परिस्थितियों के आधार पर समाज के लोगों से पूछकर योजनाएं बनायेंगे. तभी समाज में इनकी लोकप्रियता और स्वीकार्यता होगी.

अब गाँव के विकास का पहला अर्थ, खेती, पशुपालन और कुटीर उद्योग से बढ़ी हुई आमदनी होगी, न कि अभी की तरह घटिया सड़कों का निर्माण. सड़कें अच्छी बनेंगी पर सबसे पहले ध्यान खेती पर होगा. खेती तो रुकी पड़ी है, पशुपालन लाभकारी नहीं है तो काहे का विकास? इसी तरह शहरों में विकास का पहला अर्थ छोटे उद्योग और व्यापार के विस्तार से होगा. केवल सुविधाओं के नाम पर पैसा बहाना ही विकास का अभिप्राय नहीं होगा. सुविधाएँ भी बढ़ेंगी पर आमदनी बढ़ाना पहली प्राथमिकता होगी.

इन आंकड़ों और योजनाओं को हम सार्वजानिक कर देंगे और इनका खूब प्रचार प्रसार करेंगे. साथ ही हम सभी परिवारों के युवाओं को अपने अपने परिवार का सालाना बजट तैयार करने को प्रोत्साहित करेंगे. तभी उनके परिवार और उनको समझ आयेगा कि वे कहाँ थे और एक वर्ष में कितना आगे बढ़े.

एक स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा गाँवों और शहरों में खड़ी हो जाएगी. प्रतिस्पर्द्धा से ही तो आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने का अहसास और आनंद होता है. फिर हर साल राजस्थान में आर्थिक विकास के ये आंकड़े जारी होंगे, जो हर गाँव और शहर के विकास की कहानी, विकास की प्रगति बयान करेंगे. फिर अखबारों में झूठे विज्ञापनों से विकास के बारे में बताने के आवश्यकता नहीं होगी. तब गाँव और शहर के लोगों को शासन की योजनाओं से अपने आसपास परिवर्तन महसूस होगा.

अभिनव कृषि

अभिनव कृषि, उन्नत कृषि.

अभिनव राजस्थान के निर्माण के लिए हमें राजस्थान के खेती के और उद्योग के उत्पादन को कई गुना बढ़ाना होगा. हमारे लिए विकास का पहला अर्थ ही, उत्पादन को बढ़ाकर औसत परिवारों की आमदनी बढ़ाना है. असली आर्थिक विकास यहीं से शुरू होता है. जबकि अभी भारत और राजस्थान में विकास के नाम से जो गंगाएं बहाई जा रही हैं, वे विकास का धोखा मात्र है. उधार के पैसे से भारत और राजस्थान के नागरिकों के लिए सुविधाएं जुटाने को विकास कहकर गाड़ी को घोड़े के आगे रख दिया गया है. विकास यात्रा रुकी हुई है. जापान के पैसे से पीने का पानी, विश्व बैंक के पैसे से सड़क निर्माण को विकास कहकर हमें छला जा रहा है और अगली पीढ़ियों को कर्ज और आर्थिक गुलामी में धकेला जा रहा है. तभी तो भारत और राजस्थान सत्तर सालों के देशी शासन के बाद भी पिछड़े देश और प्रदेश कहलाते हैं.

अभिनव राजस्थान जनता को इस खाई की तरफ बढ़ती यात्रा से रोकेगा और नई व्यवस्था के मार्ग से विकास के शिखर की तरफ ले जाएगा. असली विकास की यात्रा भारत में राजस्थान से ही शुरू होगी.

मित्रों, भारत और राजस्थान के अधिकतर लोग और अधिकतर परिवार क्या काम करते हैं? खेती और पशुपालन. करते हैं न? अगर इन तीन-चौथाई परिवारों का उत्पादन नहीं बढ़ा, इनकी आमदनी नहीं बढ़ी तो भारत और राजस्थान कैसे विकास करेंगे? नहीं करेंगे न? आर्थिक विकास अभी भारत और राजस्थान में हो ही नहीं रहा है. आर्थिक विकास की बढ़ी हुई दरें एक धोखा है, आंकड़ों का खेल है, जबकि हकीकत यह है कि खेती और उद्योग का उत्पादन स्थिर पड़ा है या घट रहा है. हमें आज भी दालें और तेल आयात करना पड़ता है. इतनी आबादी खेती में लगी है और हमें निर्यात की बजाय आयात करना पड़ रहा है. तभी तो हम भारी विदेशी कर्ज में दबते जा रहे हैं. तभी तो हम विदेशियों को भारत को लूटने का खुला आमंत्रण दे रहे हैं. तभी तो हम विश्व के कृषि बाजार में भारतीय किसानों के हितों के लिए नहीं लड़ पा रहे हैं और उनको उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं दिलवा पा रहे हैं.

भारत में देशी 'राज' आने के समय स्वीकारा गया था कि खेती पर अधिकतर जनसंख्या निर्भर है और खेती को प्राथमिकता देकर अनेक योजनाएं खेती के लिए बनाई गई थीं. पर सत्तर का दशक आते आते खेती और उद्योग की जगह 'गरीबी' और फिर 'बेरोजगारी' मिटाने का चुनावी खेल शुरू हो गया. इंदिरा गाँधी से लेकर आज नरेन्द्र मोदी तक गरीबी और बेरोजगारी मिटाने की कसमें खाते रहे हैं पर गरीबी या बेरोजगारी मिटने का नाम नहीं ले रहे! उत्पादन के बिना गरीबी-बेरोजगारी कैसे मिटेंगे? लेकिन राजनेता भी क्या करे, 'खेती', 'गरीबी' या 'बेरोजगारी' जैसा वोट लेने का फेशनेबल औजार दिखाई नहीं पड़ता है!

अभिनव राजस्थान, खेती की बातों और खेती के विषय को फिर से 'फैशनेबल' बनाएगा, मीडिया के लिए, चौपालों के लिए, शिक्षा के लिए, चुनावों के लिए.

अभिनव कृषि में पांच बातें कृषि के क्षेत्र में प्रमुख रूप से होंगी. सबसे पहली बात यह कि हम कृषि को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे. इसके लिए हम हमारे समाज, हमारी शिक्षा, शासन के विभागों और उद्योग को कृषि के चारों ओर, कृषि के साथ साथ खड़ा करेंगे. राजस्थान के तीन चौथाई परिवारों के काम पर हमारा पूरा फोकस होगा.

दूसरी बात यह कि हम खेती को लाभ का काम बनायेंगे. इसके लिए हम खेती की लागत को हर कदम पर कम करेंगे, उपज को विश्व बाजार के अनुसार भाव दिलवाएंगे और खेती को रिस्क फ्री, जोखिम से मुक्त करेंगे. ये तीनों काम किसान अपने दम पर नहीं कर सकता, विश्व में कहीं भी नहीं कर पा रहा है, खेती के काम का स्वभाव ही ऐसा है. शासन को ही ये काम करने होते हैं.

विश्व के सभी विकसित देश अपने किसानों के साथ खड़े हैं, भारत की तरह किसानों को उनके हाल पर किसी ने नहीं छोड़ रखा है. क्यों? क्योंकि यहाँ खालिस राजनीति है, लोकनीति नहीं है. यहाँ किसान या उनके लिए नीति बनाने से वोट नहीं मिलते हैं, वोट जातियों के आधार पर मिलते हैं! ऐसे में राज का भूखा कोई भी राजनेता किसान के लिए क्यों अपनी नींद हराम करेगा. भारत में अभी लोकनेता और लोकनीति नहीं पनपे हैं. इसीलिये खेती, उद्योग, उत्पादन, जनता के प्रति समर्पण दिखाई नहीं देता है. अभिनव राजस्थान, लोकनीति आधारित, असली विकास को समर्पित व्यवस्था होगी. उसे खेती को बढ़ाना ही होगा.

तीसरी बात, हम खेती के उत्पादन को तेज गति से बढ़ाएंगे. पहले से ही हम बहुत पिछड़े पड़े हैं. हम आधुनिक तकनीक और विज्ञान को अब खेतों में धरातल पर उतार देंगे. हमारे लिए एक एक खेत एक फैक्ट्री होगा. एक एक इंच जमीन से हमें अधिक से अधिक उत्पादन लेना होगा.

चौथी बात यह कि हम अपने उत्पादन को राजस्थान, भारत और विश्व के बाजारों के अनुसार बढ़ाएंगे ताकि हमारे उत्पादों की मांग बाजारों में कम न हो और हमारे किसानों को उचित कीमत मिलती रहे. यह प्लानिंग भी किसी भी विकसित व्यवस्था में शासन को करनी होती है. विकसित देश यह कर भी रहे हैं पर भारत में तो अभी चुनाव चुनाव, तेरा राज, मेरा राज, के खेल से फुर्सत नहीं है, इसलिए यहाँ यह हो नहीं पा रहा है. हमारा अभिनव राजस्थान का सचिवालय कृषि नीति के लिए समर्पित हो जायेगा.

हम राजस्थान में खेती को पशुपालन और प्रकृति से भी सीधे जोड़ देंगे. तभी खेती स्थाई होगी, सस्टेनेबल होगी. हम भाग्यशाली हैं कि राजस्थान में करोड़ों की संख्या में पशुधन है और प्रकृति हम पर मेहरबान है. अभिनव जल प्रबंध के माध्यम से यहाँ उन फसलों का उत्पादन अधिक होगा जो हमारी प्रकृति से मेल खाती हैं. वहीं हम पशुधन और खेती के टूटे चक्र को जोड़कर फिर तेजी से घुमा देंगे. पक्का.

अभिनव राजस्थान में खेती करना लाभकारी होगा, गर्व का विषय होगा. खेती मजबूरी नहीं होगी.

वर्तमान राजस्थान में कृषि, एक मजबूरी का नाम.

आज आप राजस्थान के किसी भी गाँव में चले जाइये, किसी भी किसान से मिलिए, किसी भी चौपाल पर हथाई कीजिये, एक बात आपको सुनने को मिलेगी कि खेती अब लाभ का धंधा नहीं रह गया है. और उसके लगते ही दूसरी बात आयेगी कि क्या करें, मजबूरी है, खेती करनी पड़ रही है. दूसरी तरफ अखबार और सरकारी आंकड़े भी जैसे जल्दी से खेती को विदा करना चाहते हैं, भारत के आर्थिक नक्शे से. वे भी यही कहते हैं कि राजस्थान में अब कम लोग खेती में रुचि ले रहे हैं. पर इस कम रुचि के कारणों और उनके समाधान पर एक अजीब सी चुप्पी है, मीडिया में भी और शासन में भी.

इस विषय में पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि खेती की लागत बढ़ी है और उसके अनुपात में उपज का मूल्य नहीं बढ़ा है. कभी तथ्यों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इनका पता नहीं होता तो अच्छा होता. बड़ी भयानक, निराशाजनक तस्वीर राजस्थान के किसान परिवारों की उभरती है, जब इन तथ्यों का विश्लेषण करते हैं तो. ऐसे लगता है कि जैसे कोई चमत्कार है जो किसान को आज भी खेत से दूर नहीं होने दे रहा है. डूबते से व्यवसाय में भी वह कैसे हर मौसम में खेत की ओर चल देता है, समझना मुश्किल है. जो भी हो राजस्थान का किसान विपरीत परिस्थितियों में भी अभी उम्मीद लिए बैठा है कि कभी तो 'राज' मदद करेगा या कि कभी तो 'राम' मदद करेंगे. पर अक्सर दोनों से निराश होता है.

वर्ष 1970 में गेहूं, दाल या अन्य कृषि उपज का भाव लीजिये और उसकी तुलना में उस समय के डीजल, सोना या अन्य उपभोक्ता वस्तु का भाव लीजिये. फिर उसकी तुलना आज के भाव से कीजिये. समझ आ जाएगा कि खेती की लागत और उत्पादन के मूल्य में इतना कम फर्क कैसे रह गया है और खेती घाटे में क्यों है. इसके लिए कोई बड़ा भारी अर्थशास्त्री होने की जरूरत नहीं है.

दूसरे, राजस्थान में आज भी खेती पुराने तरीकों से हो रही है. कृषि विज्ञान और खेत के बीच में बड़ा फासला है. वैज्ञानिकों और किसानों का आपस में मिलना नहीं हो पा रहा है. नतीजा यह होता है कि खेतों की उत्पादकता कम हो रही है, मिट्टी मरी जा रही है. किसान अभी भी मनचाहे तरीके से मनचाही फसल खेत में बो रहा है, मिट्टी की जांच के बगैर और भारी मात्रा में कृत्रिम खाद डाले जा रहा है. किसान, कृषि विभाग और वैज्ञानिकों के बीच सेतु बनाये गए कृषि विज्ञान केंद्र अब वीरान हो चुके हैं. अख़बार और कुछ चैनल आधुनिक खेती का प्रचार भी करते हैं पर जड़ हो चुका उपेक्षित कृषि प्रशासन किसानों को प्रेरित नहीं कर पा रहा है. असल बात यह है कि शासन का सबसे शिथिल अंग कृषि विभाग हो गया है.

कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान इतने उपेक्षित हुए हैं कि पूछिए मत. राजस्थान के स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों में से एक प्रतिशत से भी कम विद्यार्थियों का विषय कृषि या पशुपालन है. जिस व्यवसाय में राजस्थान की अधिकांश जनता लगी हो, उस व्यवसाय से जुड़े ज्ञान-विज्ञान की यह उपेक्षा गंभीर है. यही हाल कृषि अनुसंधान का है. कहने को पांच विश्वविद्यालय राजस्थान में हैं पर अनुसंधान के बारे में वे अब अधिक जागरूक नहीं हैं. जो भी हो रहा है, वह औपचारिक है. अनुसंधान का लाभ भी अब किसानों तक प्रत्यक्ष रूप में पहुंचना भी कम हो गया है. कभी कभार किसी बीज के बारे में तो सुनते हैं पर कृषि के अन्य क्षेत्रों में नई तकनीक या विधाओं के समाचार अब कम ही पढ़ने को मिलते हैं.

वहीं खेती और पशुपालन का सम्बन्ध खत्म होता जा रहा है. पशुधन से होने वाली आय कम होने से पशुपालन का रुझान कम होता जा रहा है और इसका असर खेती पर कृत्रिम खाद की बढ़ती लागत के रूप में पड़ रहा है. कभी पशुपालन खेती के चक्र को घुमाता था पर अब यह काम नहीं होने से कृषि करने वाले परिवार पर दोहरी मार पड़ रही है. दोहरा नुकसान हो रहा है.

जल प्रबंध के नाम पर अरबों रुपये खर्च हुए हैं पर अभी जल प्रबंध का अनुशासन समाज में नहीं बन पाया है. किसान अभी भी एक लीटर की जगह दस लीटर पानी खर्च कर रहा है. ज्यादा पानी से लागत बढ़ती है और मिट्टी भी खराब होती है. अधिक पानी वाली फसलों की तरफ बढ़ता रुझान भी राजस्थान की कृषि पर बोझ बन गया है. यह कुचक्र तोड़ने की इच्छाशक्ति अब किसान में नहीं है और शासन इस पर कुछ सारगर्भित करने के मूड में नहीं है. शासन की दिलचस्पी 'राज' में है, कृषि में नहीं.

हमने सम्पूर्ण राजस्थान में कृषि उपज मंडियां स्थापित की थीं ताकि कृषि उपज का उचित मूल्य किसानों को मिल सके. हमने राजस्थान की कई मंडियों का गहराई से अध्ययन किया तो पाया कि इन मंडियों में बाकी काम तो हो रहे हैं, वेतन, कमीशन मिल रहे हैं, पर किसान को उचित मूल्य वाला काम ही नहीं हो रहा है! आज भी सभी मंडियों में माल की परख अवैज्ञानिक तरीके से होती है, व्यापारी हथेली में लेकर उपज का मोल करते हैं, ग्रेडिंग नहीं होती है. अभी भी अठारहवीं सदी के तरीके से माल बिकता है. साथ ही विश्व और भारत के बाजारों और राजस्थान के किसान के बीच में बहुत अधिक दूरी है. किसान और उपभोक्ता के बीच भी उपज के मूल्यों का भेद गहरा है. दोनों मूल्य को लेकर परेशान हैं.

फसल बीमा पर भी हमने अनुसंधान किया तो पाया कि यह विश्व की सबसे बड़ी ठगी है. यह बीमा असल में शासन ने कंपनियों का किया है, फसल का नहीं. अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक तरीके से पूरे तहसील को इकाई माना गया है और बीमा के लिए उत्पादन का आंकड़ा साठ प्रतिशत से भी कम लिया जाता है. आपके खेत में अगर एक लाख रुपए की फसल होती है तो बीमा कंपनियां मात्र बीस हजार रुपए की फसल का बीमा करती है. अब अगर किसी वजह से आपका नुकसान आधा भी हो गया है, तो ये कंपनियां कह देंगी कि हमने तो मात्र बीस हजार रुपए का बीमा किया था और आपको पचास हजार रुपए की फसल मिल चुकी है, इसलिए कोई क्लेम नहीं मिलेगा. इसलिए अस्सी प्रतिशत तक के नुकसान पर अठन्नी भी क्लेम नहीं मिलता है.

अभिनव कृषि की कार्यनीति, समाज, कृषि, बाजार और शासन का जुड़ाव.

अभिनव कृषि की नीति और योजनाओं का निर्माण करके उसे धरातल पर लागू करना किसी सरकारी आदेश से सम्भव नहीं होगा. कि आपने आदेश जारी कर दिया है और सरकारी अधिकारी उनके पालन में लग जायेंगे और काम हो गया! ऐसे आदेशों से 'राज' चल जाते हैं पर विकास नहीं हुआ करता है. विकास के लिए आपके विचार, संगठन और सम्पर्क की त्रिवेणी बननी होती है. अभिनव कृषि के लिए हम बड़े स्तर पर राजस्थान के समाज से सक्रिय संवाद करेंगे. तभी बात गहरे तक जमेगी.

हमारी शुरुआत विधानसभा से होगी. हम राजस्थान की विधानसभा में हर वर्ष एक विशेष सत्र में राजस्थान में खेती और पशुपालन पर गंभीर मंत्रणा करेंगे. समाज के तीन-चौथाई हिस्से के व्यवसाय पर यूं ही चलते फिरते बात नहीं हो सकती है. हर मुद्दे पर हम राजस्थान विधानसभा के सदस्यों से चर्चा करेंगे कि कैसे खेती और पशुपालन के धंधे को लाभकारी बनाया जा सकता है और कैसे इसे जोखिम से मुक्त किया जा सकता है. जब विधानसभा में इस पर विशेष चर्चा होगी तो मीडिया भी खेती के विषय को प्राथमिकता देगा, तब समाज में भी विश्वास बनेगा कि अब लोक की नीति आई है.

राजस्थान के बजट में हम लोक सहयोगियों (कर्मचारियों) के मानदेय (वेतन) के बाद पहली प्राथमिकता खेती, पशुपालन और ग्राम विकास को देंगे. विधानसभा की चर्चा और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर हम खेती के उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य तय करेंगे और खेती के बीमे की पुख़्ता व्यवस्था करेंगे. इसके लिए कृषि और पशुपालन विभाग को एकमुश्त राशि बजट बनते ही जारी कर दी जाएगी. कृषि विभाग को अब वित्त विभाग की तरफ हर महीने मुंह ताकने की जरूरत नहीं रहेगी. हमारा सचिवालय नई कृषि नीति बनाएगा और हमारे संभाग उस नीति के तहत, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार खेती का उत्पादन बढ़ाने के स्पष्ट लक्ष्य तय करेंगे. सभी योजनाएं एक वर्ष में पूरी होंगी और उनकी प्रगति गाँव-गाँव में दिखाई देनी होगी- धरातल पर. अख़बार या चैनल के विज्ञापन में नहीं.

अभिनव राजस्थान के शासन में कृषि अधिकारी, पशुपालन अधिकारी, उद्योग अधिकारी, शिक्षा और स्वास्थ्य अधिकारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण होंगे. शासन के अन्य विभाग इनका सक्रिय सहयोग करेंगे क्योंकि अब राजस्थान में 'राज' नहीं, उत्पादन बढ़ाकर 'विकास' होगा. इन पांचों अधिकारियों को जिस विभाग से जुड़ी समस्या आएगी, वह विभाग तुरंत उस समस्या का निवारण करेगा. अब सही मायनों में राजस्थान और भारत निर्माण का काम शुरू होगा. अब कृषि मंत्री होना अधिक महत्वपूर्ण होगा, न कि गृहमंत्री! 'राज' में गृह मंत्री का ज्यादा महत्व था, अब जब 'राज' चले गए हैं तो ऐसा क्यों?

फिर हम राजस्थान के समाज को अभिनव कृषि के लिए तैयार करेंगे. ध्यान से पढ़ियेगा इसे. राजस्थान के समाज को तैयार करना यानि विकास की जमीन को तैयार करना, यह हम अभिनव समाज के अध्याय में बता चुके हैं. समाज जब मानसिक रूप से तैयार होगा तो आर्थिक विकास की शुरुआत और इसकी निरंतरता के लिए पूँजी बचेगी, तो आर्थिक विकास की दृष्टि या विजन बनेगा, तो आर्थिक विकास के लिए एप्टीट्यूड या अभिरूचि पैदा होगी. समाज की तैयारी के बिना विकास की यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी और हम एक ही जगह गोल गोल घूमने को विकास कहते रहेंगे, जैसा अभी कहते हैं.

इसके लिए हम समाज सुधार के लिए हर स्तर पर सामाजिक संगठनों से संवाद करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वे अपने अपने सामाजिक वर्गों से कहें कि सामाजिक समारोहों पर फिजूल खर्च कम करें. पैसा बचाएं. जब पैसा बचेगा तो पूँजी बनेगी. बिना पूँजी के खेती और पशुपालन का विकास संभव ही नहीं है. घर में भी और प्रदेश में भी. इस पूँजी से असली विकास की यात्रा शुरू होगी. केवल उधार की पूँजी से विकास नहीं होते हैं, विकास का भ्रम होता है. किसानों ने, भारत और राजस्थान ने अभी तक उधार का खेल ही खेला है और इसने हमारा बहुत नुकसान किया है. हम अब राजस्थान से अपनी पूँजी के निर्माण का काम शुरू करेंगे और यह समाज के दम पर होगा.

समाज को तैयार करना शासन का काम होगा. शासन का यही काम हुआ करता है, समाज को परिवर्तन और विकास के लिए तैयार करना. पर अभी भारत और राजस्थान में शासन केवल 'राज' के लिए है और उसने समाज को अपने हाल पर छोड़ दिया है. शासन पर कब्ज़ा किये लोगों के लिए समाज का मतलब केवल वोट देने वाले लोगों से रह गया है.

इसके साथ ही हम राजस्थान के बाजार और खेती को भी फिर से आपस में जोड़ेंगे. इसके लिए भी हमें समाज को अपनी आवश्यकताएं बदलने को समझाना होगा. समाज को अपने खान-पान में उन चीजों का अधिक समावेश करना होगा, जो राजस्थान में पैदा होती हैं, प्राकृतिक रूप से. हम लोगों को बाजरा-मक्का-ज्वार की रोटी खाने को प्रेरित करेंगे. मोठ-मूंग-उड़द-चने की दाल खाने को कहेंगे तो तिल, मूंगफली और सोयाबीन के तेल के उपभोग पर जोर देंगे. केर-सांगरी की सब्जियों का भी हम प्रचार करेंगे. साथ ही हम स्थानीय दूध और ऊन से बने उत्पादों का बाजार विकसित करेंगे. बड़े पैमाने पर हम इन वस्तुओं की मार्केटिंग करेंगे. हर उपलब्ध मंच का प्रयोग करेंगे.

केवल सरकारी अधिकारियों पर यह काम नहीं छोड़ा जायेगा. हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस काम का नेतृत्व करेंगे. तभी स्थानीय वस्तुओं का उपयोग फैशन बनेगा, तभी प्रदेश आत्मनिर्भर होने लगेगा, तभी प्रकृति सम्मत खेती हो पाएगी, तभी विकास सुन्दर और स्थाई होगा और तभी किसानों और पशुपालकों को उत्पादों की उचित कीमत मिलेगी.

फिर हम हमारे कृषि और पशुपालन क्षेत्र के वैज्ञानिकों, अधिकारियों, छोटे-मंझले उद्योगपतियों और व्यापारियों को सम्मान और सहयोग से जोड़ेंगे. शासन से भी और किसान व पशुपालक से भी. तब अभिनव कृषि और अभिनव पशुपालन का माहौल बनेगा. फिर विकास यात्रा शुरू होगी, आसान होगी.

अभिनव कृषि विकास केंद्र, असली विकास की बयार का सूत्रधार.

अभिनव राजस्थान में हर गाँव में एक आधुनिक कृषि विकास केंद्र होगा. यह केंद्र दो काम करेगा. एक तो यह केंद्र खेती को पूर्णतया वैज्ञानिक आधार देगा. अभी तक आधे अधूरे असफल प्रयास हुए हैं. दूसरे, यह केंद्र खेती को पूर्णतया सुरक्षित कर देगा. तभी किसान निश्चिंत होकर खेती कर पायेगा.

अभिनव कृषि विकास केंद्र, कृषि विभाग के एक अधिकारी के नियंत्रण में काम करेगा. वर्तमान में इन्हें हम कृषि पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर कहते हैं. इस अधिकारी के पास अब अपने केंद्र को चलाने के लिए पर्याप्त शक्तियां और संसाधन होंगे. यह केंद्र सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा. यहाँ मिट्टी और बीज की जांच होगी, तो फसलों के रोगों को जांचने का भी काम होगा. इसके लिए तकनीकी सहायक यहाँ पर होंगे. इस केंद्र में गाँव के सभी खेतों के बार में सभी जानकारियां होंगी, जैसे खेत का नाप चौक, पिछले सालों में हुई उपज का रिकॉर्ड, मिट्टी की जांच रिपोर्ट, खेतों में खड़े पेड़ों की जानकारी और जल संसाधन की स्थिति. हमारे लिए हर खेत अब एक फैक्ट्री की तरह होगा, एक महत्वपूर्ण उत्पादन इकाई के रूप में. हर खेत का एक एक इंच हमारे लिए मायने रखेगा. तब जाकर अभिनव कृषि शुरू होगी.

इस अभिनव कृषि विकास केंद्र को हम क्षेत्रफल के आधार पर शुरुआत में दो से पांच करोड़ रुपये की राशि समर्पित करेंगे. यह राशि गाँव के अभिनव सहकारी केंद्र के माध्यम से दी जाएगी. यह राशि इस केंद्र को उधार के रूप में दी जाएगी और इस पर ब्याज लिया जायेगा. इस राशि का उपयोग केंद्र द्वारा इन कामों के लिए किया जायेगा- मिट्टी की जांच, बीज की खरीद, दवा की खरीद, खाद की खरीद, फसल बीमा और प्रशासनिक खर्च. यह केंद्र हर मामले में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होगा. लेकिन इस केंद्र का स्पष्ट लक्ष्य होगा. लक्ष्य यह होगा कि एक वर्ष के भीतर खेती का उत्पादन कितने गुना बढ़ाना है. कि एक वर्ष के भीतर किसानों की आमदनी को कितना बढ़ाना है. साथ ही इस केंद्र की कार्यप्रणाली एकदम पारदर्शी होगी. गाँव का कोई भी व्यक्ति केंद्र की किसी भी गतिविधि को अपने मोबाइल पर सरलता से देख सकेगा. तभी तो लोगों का विश्वास इस केंद्र पर होगा, तभी वे इससे जुड़ेंगे और सहयोग करेंगे. तभी अधिकारी अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे. यह केंद्र किसी गौशाला या मंदिर की तरह तभी बनेगा.

इस अभिनव केंद्र के माध्यम से केवल और केवल जैविक खेती होगी. कृत्रिम खाद या फर्टिलाइजर और रासायनिक कीटनाशकों की जहरीली खेती को हम अब राजस्थान से विदाई देंगे. साथ ही हम बीजों की स्थानीय किस्मों का ही चयन करेंगे. संभागीय कृषि कॉलेज और विश्वविद्यालय हमें इसके लिए तकनीकी मदद करेंगे. इन कृषि केन्द्रों को ही अब वे अपने असली अनुसंधान और प्रदर्शन केंद्र मान लेंगे. जय किसान और जय विज्ञान तभी होगा.

हम जानते हैं कि जैविक खेती के लिए आज किसानों को तैयार करना मुश्किल है, केवल उपदेशों से वे जोखिम नहीं लेंगे. इसके लिए उनको पूरी सुरक्षा चाहिए. हमारा अभिनव सहकारिता विभाग (कोऑपरेटिव) जैविक उपज को तय मूल्य पर खरीदेगा और कृषि बीमा सही तरीके से उपलब्ध कवायेगा. तब जाकर किसान तैयार होंगे.

अभिनव राजस्थान के पहले वर्ष में हम प्रदेश के चुनिंदा एक हजार गाँवों में ये केंद्र शुरू करेंगे. लगभग हर पंचायत समिति या विकास उपखंड से तीन गाँवों का चयन लॉटरी से होगा. दो गाँव असिंचित और एक गाँव सिंचित. अगले वर्ष दो हजार और फिर पांच हजार, चौथे वर्ष में बाकी बचे सभी गाँव चयनित हो जायेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि योजना को लागू करने और समझने में समाज और शासन को समय देना आवश्यक है. जोश में होश भी रखना है. परन्तु शुरुआत में छोटे गाँवों का चयन किया जायेगा, ताकि व्यवस्था को लागू करना आसान हो. बड़े गाँवों को नई व्यवस्था में सँभालने में शासन को मुश्किल होगी.

अब यह केंद्र व्यवहार में कैसे काम करेगा? मोटे मोटे तौर पर यह समझ लेते हैं. सबसे पहले हम इन चयनित गाँवों में ग्राम सभा की बैठक स्थानीय सरपंच, प्रधान और विधायक की उपस्थिति में करेंगे. इस बैठक में कृषि विभाग के अधिकारी इस योजना के बारे में किसानों को विस्तार से बताएँगे. फिर ग्राम सभा के कम से कम तीन चौथाई लोगों का समर्थन मिलने पर प्रस्ताव पारित होगा. प्रस्ताव पारित होने के बाद सभी किसान किसी धार्मिक स्थान पर शपथ लेंगे कि वे इस योजना में पूरा सहयोग करेंगे और योजना में किसी भी प्रकार की बेईमानी नहीं होने देंगे, जैसे गौशाला या मंदिर प्रबंध में नहीं होने देते हैं.

अब खेती की सीजन शुरू होने से पहले, गाँव के सभी खेतों की मिट्टी की जांच करके हर खेत के रिपोर्ट कार्ड में इसकी एंट्री हो जाएगी. मिट्टी की जांच के आधार पर प्रत्येक किसान को इस मिट्टी के लिए उपयुक्त फसलों की सूची में से किसी एक का चयन किसान कर लेगा. इस चयन के आधार पर किसान को उसके खेत के क्षेत्रफल के आधार पर उन्नत बीज उपलब्ध करवा दिया जायेगा. खेत के कार्ड में इसकी भी एंट्री हो जाएगी. फसल की बुवाई के बाद आवश्यक जैविक खाद और जैविक कीटनाशक भी किसान को यहीं से मिलेगा. साथ ही प्रत्येक खेत का बीमा कर दिया जायेगा. बीमा का प्रीमियम हमारा सहकारिता विभाग भरेगा. यह बीमा वैसे ही होगा जैसे किसी कार या फैक्ट्री का होता है.

इस पूरी प्रक्रिया में किसान को अपनी जेब से एक रुपया भी खर्च नहीं करना होगा. यह योजना छोटे बड़े सभी किसानों के लिए होगी. पर किसान को कृषि अनुशासन का पालन करना होगा, लापरवाही नहीं चलेगी. कि समय पर निराई-गुड़ाई नहीं की या कि फसल की देखभाल नहीं की. यह नहीं चलेगा. ताली दोनों हाथों से बजेगी. किसानों को भी पूरी जिम्मेदारी से उत्पादन बढ़ाने में सहयोग करना होगा और अभिनव कृषि केंद्र को 'राज' का ना समझकर अपना समझना होगा.

बीज और दवा-खाद की खरीद कृषि केंद्र अपने स्तर पर ही करेगा. जयपुर से कोई टेंडर नहीं होगा. फसल आने पर किसान बीज-खाद-दवा का लागत मूल्य ब्याज सहित चुका देगा. नुकसान होने पर बीमा होगा ही. फसल को किसान सहकारिता विभाग को तय मूल्य पर या खुले बाजार में बेचने को स्वतंत्र होगा.

अभिनव बीज व्यवस्था, उन्नत बीज, स्थानीय बीज.

खेती की शुरुआत बीज से होती है, बीज खेती का बेसिक प्वाइंट है. जैसा बीज होगा, वैसा उत्पादन होगा, यह सबसे पहला मंत्र है खेती का. मिट्टी, मौसम, पानी और देखभाल अन्य तत्व हैं जो फसल के उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं. लेकिन कहानी बीज से शुरू होती है.

अच्छे या उन्नत बीज कौनसे होते हैं? वे, जिनसे फसल का उत्पादन अधिक होता है. वे, जो स्थानीय जलवायु के अनुरूप होते हैं. वे, जिनमें बीमारी कम लगती है. ये तीन बातें सही बीज का चयन करते समय हमको तय करनी होती है. एक में चूक हो गई तो उत्पादन कम होगा. अभी राजस्थान में बीज का चुनाव कैसे होता है और यह काम कौन करता है? पीड़ादायक स्थिति है.

अभी राजस्थान का किसान या तो अपने खेत में पैदा हुई फसल में से ही बीज के लिए कुछ मात्रा रख लेते हैं या फिर सीजन शुरू होने पर बाजार से 'उन्नत' या हाइब्रिड बीज खरीदते हैं. घर में रखा हुआ बीज, अंदाज और अनुभव से ही सही माना जाता है, जबकि दुकानों से खरीदे हुए बीज के बारे में 'विश्वास' करने के अलावा कोई चारा नहीं होता है. दोनों ही स्थितियों के लिए हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि राजस्थान का किसान आज भी वह बीज नहीं बो रहा है, जो उसके खेत की मिट्टी, पानी की मात्रा और जलवायु के अनुकूल हो, कृषि विज्ञान की दृष्टि से. शासन, बाजार और समाज के बीच सही बीज के वितरण को लेकर गहरी खाई है, समझ की, सम्पर्क की. परिणाम के रूप में उत्पादन कम होता है और इसका नुकसान किसान को भी होता है और प्रदेश को, देश को भी नुकसान होता है.

आज राजस्थान के बाजारों में उपलब्ध तथाकथित उन्नत बीज का अधिकतर हिस्सा गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्रप्रदेश से आता है. वहाँ की जलवायु और राजस्थान की जलवायु में बहुत अन्तर है. उस 'नम' जलवायु में तैयार किया गया बीज राजस्थान की जलवायु की 'सूखी' हुई दशाओं में वैसा और उतना उत्पादन नहीं देगा, जितना माना या सोचा जाता है. इसके साथ ही बाजार में नकली बीजों की भी भरमार रहती है और किसान ज्यादा पैसा देकर भी ठगा जाता है. पर क्या करें, राजस्थान के बाजार, किसान और शासन में समन्वय की कमी और खेती के विषय की उपेक्षा के चलते ऐसे हालात हैं.

कहने को राजस्थान में बीजों के वितरण के लिए शासन की तरफ से बहुत सारा ड्रामा किया जाता है, एक बीज निगम भी बना हुआ है, पर नतीजा कुछ कमीशन, गरीबों को बीज देने की सस्ती लोकप्रियता या एक लाल बत्ती की गाड़ी के रूप में ही होता है. बीज कम्पनियां शासन से मिलकर अपना लाभ बढ़ाने के धंधे में तो लगी ही हैं पर राजस्थान के उत्पादन का भी इन्होने बंटाधार कर रखा है.

अभिनव राजस्थान में हम बीज के विषय को उसी गम्भीरता से लेंगे, जैसा कृषि विज्ञान अपेक्षा करती है. लेकिन हम बीजों के लिए अलग से कोई निगम या कम्पनी नहीं बनायेंगे. जो भी निगम या कम्पनियाँ अभी इस गोरखधंधे में लगी हैं, उनको तुरंत बंद कर दिया जायेगा. बीज का विषय अब कृषि विभाग में वैसे ही होगा, जैसे अन्य विषय होंगे. सचिवालय स्थित कृषि विभाग में बीज के लिए नीति बनेगी और संभागों में बीज उत्पादन और वितरण की. हमारे विकास खंड और उपखंड इन बीजों को खेतों से सीधा जोड़ने के काम में लग जायेंगे. उन्हें अपने काम के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवाए जायेंगे. साथ ही हम समाज और बाजार को भी इस व्यवस्था से जोड़ेंगे. अब बीज के उत्पादन और वितरण का काम समाज, बाजार और शासन मिलकर करेंगे. पर बीज की उपयुक्तता और गुणवत्ता के मामले में अब कोई समझौता नहीं होगा. एक एक बीज का दाना हमारे लिए असली विकास के बीज का प्रतीक होगा.

अभिनव राजस्थान में हम प्रत्येक विकास उपखंड (वर्तमान पंचायत समिति) में कुछ गांवों का बीज उत्पादन के लिए चयन करेंगे. पूर्णतया जैविक खेती से. इन गाँवों की मिट्टी की गुणवत्ता और पानी की उपलब्धता के आधार पर. इन गाँवों में हम स्थानीय अभिनव कृषि विकास केंद्र के माध्यम से बीज उत्पादन का काम करेंगे. संभागीय कृषि विश्वविद्यालय इस काम में सक्रिय सहयोग करेंगे. इन विश्वविद्यालयों के लिए ये गाँव ही अब उनके 'फील्ड' या 'प्रदर्शन' बन जायेंगे, एकदम किसानों के बीच. किताब, विज्ञान और किसान का तभी संगम होगा.

इन बीज उत्पादक गाँवों से सहकारी विभाग पहले से तय मूल्य पर आवश्यक बीज खरीद लेगा. इस बीज को उसी पंचायत समिति में अन्य गाँवों को सहकारिता विभाग और गांवों के स्थानीय कृषि विकास केन्द्रों के माध्यम से वितरीत किया जायेगा. अगर किसानों को बाजार में इस बीज का मूल्य तय भाव से अधिक मिलता है तो वे इस बीज को बाजार भाव से बेचने को स्वतंत्र होंगे. किसान का लाभ बढ़ता है तो शासन उसमें टांग नहीं अड़ाएगा, अभी की तरह या राजतंत्र की तरह. हमारा उद्देश्य एक ही होगा कि किसान के खेत में जो बीज पहुंचे, वह उसे सस्ता पड़े, मिट्टी और जलवायु के अनुकूल हो और अधिक उत्पादक हो. हम बाजार पर भी किसी तरह के अनावश्यक प्रतिबन्ध नहीं लगायेंगे. हमारी एक ही शर्त होगी- बीज की उपयुक्तता. इसमें कोई समझौता नहीं होगा.

यूं समझिये कि अभिनव राजस्थान का शासन, खेती और प्रदेश की उत्पादकता बढ़ाने, किसान परिवारों की आमदनी बढ़ाने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के लक्ष्यों के लिए काम करेगा. इसके लिए हम सही बीज के उत्पादन और वितरण में अभिप्रेरक के रूप में काम करेंगे. एक बार यह विकास चक्र फिर से घूम जाए और उन्नत खेती होने लगे, गाँवों की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ जायेगा तो शासन की भूमिका कम होती जायेगी. पर एक बार कृषि विकास के रुके हुए चक्र को घुमाना तो होगा. किसान के अकेले के बस का नहीं है. बहुत जाम हो चुका है. बीज के उत्पादन और वितरण की सुव्यवस्था से यह जाम खुलेगा. फिर गति स्वतः बढ़ जाएगी.

कृषि विज्ञान और किसान मिले तो? एक बीघे में एक लाख की पैदावार.

कृषि विज्ञान, राजस्थान में अभी कितनी उतरी है धरातल पर? मात्र पांच प्रतिशत. आप ताज्जुब करेंगे पर हकीकत यही है कि राजस्थान और भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण इस विज्ञान की घोर उपेक्षा हुई है. कई कारण हैं जिनका हम जिक्र नीचे करेंगे पर इन कारणों ने खेती के व्यवसाय को बर्बाद कर दिया है और करोड़ों किसानों के इस काम में लगे होने के बावजूद हम आज भी खाने के लिए दाल और तेल विदेशों से आयात करते हैं. बड़ी बेशर्मी से. जैसे कोई महान काम कर रहे हैं. कृषि और कृषि विज्ञान की यह उपेक्षा भारत पर कितनी भारी पड़ी है, इसका अनुमान आप लगा ही नहीं सकते. अच्छा है कि यह नहीं जानते वरना पिछले सत्तर वर्षों से देश का शासन चलाने वाले सभी लोग आपकी नजरों से उतर जायेंगे. अच्छा है कि अधिकतर लोग नहीं जानते हैं कि भारत में आज भी अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं और खेती भारत का मुख्य व्यवसाय है! वरना उनका 'राजनीति' के तमाशे से मोह भंग हो जायेगा.

पहली बात तो यह जान लें कि क्या एक बीघे में प्रति वर्ष एक लाख रुपये की फसल पैदा हो सकती है क्या. या यह कोई हवाई किला बनाने जैसी बात है? हाँ, एक बीघे में एक लाख की पैदावार हो सकती है और कृषि विज्ञान यह बात कहती है. कृषि विज्ञान में जो तरीका खेती, जल संरक्षण, विपणन(मार्केटिंग) और प्रसंस्करण(प्रोसेसिंग) का बताया गया है, उससे राजस्थान जैसे कम पानी वाले क्षेत्र में भी खेती हो तो इतनी पैदावार आराम से हो सकती है. यानि जिसके पास पांच बीघा जमीन है, वह परिवार साल में सामान्य बारिश के पानी से ही पांच लाख की पैदावार कर सकता है! दस बीघा वाला दस लाख. आपके आसपास कोई कृषि वैज्ञानिक या कृषि अधिकारी हो तो उसे कसम दिलाकर पूछना कि यह संभव है क्या. वह हमारी बात की पुष्टि कर देगा पर वह 'लेकिन' या 'ऐसा हो तो' शब्दों का प्रयोग करेगा. वह इन शब्दों से अभी ऐसा नहीं हो सकने के पीछे के कारण बतायेगा. निराश उत्तर देगा.

तो फिर यह हो क्यों नहीं रहा है? क्या यह राजस्थान का किसान नहीं चाहता? क्या यह राजस्थान के कृषि अधिकारी या वैज्ञानिक नहीं चाहते हैं? क्या यह राजस्थान का शासन नहीं चाहता है? जी हाँ, यह राजस्थान का शासन नहीं चाहता है, यहाँ के शासन पर कब्जा किये बैठा राजनेता नहीं चाहता है. राजनेता केवल राज चाहता है और यह राज उसे जातियों में बंटे हुए किसान देते हैं. किसान या खेती की बात से राज नहीं मिलता है. इसलिए उसे इस विषय में अरूचि है, गहरी अरूचि है. इसलिए संसद और विधानसभा कभी भी किसान और खेती के मुद्दे पर ठप्प नहीं होती है! खेती और पशुपालन ऐसे विषय हैं, जिन पर सबसे कम प्रश्न संसद और विधानसभा में पूछे जाते हैं. जब वे प्रश्न नहीं पूछते तो मीडिया भी चुप रहता है. तब किसान भी अपना दुखड़ा भूलकर मीडिया के बताये दूसरे मुद्दों में रम जाता है.

राजनेताओं के साथ ही बाजार में बैठे लोग भी खेती के मुद्दे से अपने को नहीं जोड़ पाए हैं. राजनेताओं ने किसानों, पशुपालकों और व्यापारियों, उद्यमियों को आपस में बांटकर दो छोर पर खड़ा कर दिया है. दिन में किसानों को कहा कि व्यापारी तुम्हारा शोषण करता है और रात में व्यापारी-उद्यमी से चंदा लेकर चुनाव लड़ लिया. दोनों को अँधेरे में रखकर राजनेता मजे कर रहा है. व्यापारी नहीं समझ पा रहा है कि खेत में पैदावार बढ़ेगी तो ही उसकी दुकान चलेगी! मगर वोट के चक्कर में वह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है और खेती के पक्ष में, किसान के साथ आवाज नहीं उठाता है. राजस्थान में व्यापारी और किसान नहीं मिले तो क्या हुआ? धंधे चौपट हुए और व्यापारियों का बड़े स्तर पर पलायन दक्षिण और पूर्वी भारत की ओर हुआ, जो आजतक जारी है. इस विषय पर गहराई से चर्चा तक नहीं हुई है.

इन हालातों में कृषि और पशुपालन के विषय राजस्थान में बुरी तरह से उपेक्षित हो गए. शासन ने कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, पशु-चिकित्सा विज्ञान और कृषि शिक्षा को दोयम दर्जे का मान लिया. दिल्ली से लेकर गाँव तक कृषि और पशुपालन के नाम पर केवल औपचारिकता है. योजनाओं में कृषि और पशुपालन पर अब मात्र दो-तीन प्रतिशत खर्च होता है. आज कोई भी राजनेता कृषि मंत्री बनने में गर्व नहीं करता है, वह गृह, सड़क या शिक्षा मंत्री बनना चाहता है. जिले में मुख्य कृषि अधिकारी को न मीडिया जानता है और न किसान. सभी कलक्टर और एस.पी. को जानते हैं!

उधर किसान भी उलझ गया है. समाज के महंगे रीति रिवाजों में उसकी कमाई डूब रही है. फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, फसल बीमा उचित नहीं है. कृषि विज्ञान उसके माथे में नहीं घुसी है. वह इस कुचक्र में निराश हो गया है और दूसरों की हाँ में हाँ मिलाकर कहता है- खेती घाटे का धंधा है.

दूसरी ओर कृषि अधिकारी भी कहते हैं कि किसान उनकी बात नहीं मानते हैं. गोष्ठियों में किसान आते ही नहीं हैं. राजनेता भी किसान और शासन को आपस में जोड़ने में कोई रुचि नहीं लेते हैं. वे विवाह समारोह या अन्य तमाशों में किसानों के बीच घूमने को ही अपना काम मानते हैं. वहीं कृषि शिक्षा अब एक प्रतिशत से भी कम विद्यार्थी ग्रहण कर रहे हैं. समस्या के इतने पहलू हैं, एक नहीं है.

अभिनव राजस्थान कृषि और पशुपालन की इस उपेक्षा को रोकेगा. इस उपेक्षा के सभी कारणों का समाधान करेगा. अभिनव राजस्थान व्यापारी, उद्यमी, कृषि वैज्ञानिक और किसान की दोस्ती करवाएगा. कृषि और पशुपालन की शिक्षा को आकर्षक बनाएगा. पशुपालन और खेती को आपस में जोड़ेगा. किसान परिवारों की फिजूलखर्ची को कम करेगा. तब देखिएगा कि नई कृषि और पशुपालन नीति और योजना कैसे समृद्धि के गीत रचती है. दुनिया के कई देशों ने यह कर दिखाया है, राजस्थान भी करके दिखा देगा. बल्कि उनसे ज्यादा अच्छे से करके दिखा देगा.

तब देखिएगा कि उचित विधि से खेती करके, बागवानी करके, जल संरक्षण करके, पशुपालन और खेती को जोड़कर, बाजार को समझकर किसान एक बीघे में एक लाख से ज्यादा दाम लेकर रहेगा. गारंटी है.

अभिनव पशुपालन, गाय-बैल बचेंगे भी, बढ़ेंगे भी.

राजस्थान में दो क्षेत्र ऐसे हैं, जो इस प्रदेश को भारत के आर्थिक क्षेत्र में अलग पहचान देते हैं. एक तो खनिजों की और दूसरे पशुओं की प्रचुर उपलब्धता. यह अलग बात है कि राजस्थान का शासन इन दोनों का प्रबंध ठीक से नहीं कर पाया. पशुओं की संख्या में राजस्थान उत्तरप्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है पर इस शक्ति का उपयोग नहीं हो पाया है. शासन के पास नीयत और योजना, दोनों की कमी रही है. उत्तरप्रदेश के बाद दूध के उत्पादन में भी राजस्थान दूसरे स्थान पर है पर हल्ला गुजरात का ज्यादा है. अभिनव राजस्थान में हम पशुधन के प्रबंध को फिर से प्राथमिकता देंगे और इसके उत्पादों की उचित कीमत दिलवाकर पशुपालकों की आमदनी बढ़ाएंगे. नई पीढ़ी की इस शानदार काम में तभी रुचि बढ़ेगी. तभी खेती को पशुपालन का सहारा मिलेगा और प्राकृतिक खेती का मार्ग आसान होगा.

अभिनव राजस्थान में राजस्थान के छः करोड़ पालतू पशुओं में से हर एक पशु एक उत्पादन इकाई के रूप में गिना जायेगा और उसका वैसे ही एक कार्ड होगा, जैसा अभी जनशक्ति का आधार कार्ड होता है. हम हर पशु को राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण मानकर उसकी देखभाल का पुख्ता प्रबंध करेंगे.

अब राजस्थान सचिवालय में जिन पांच विभागों को सर्वाधिक महत्व या प्राथमिकता होगी, उनमें कृषि, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ पशुपालन विभाग भी होगा. सचिवालय में पशुपालन महानिदेशक के निर्देशन में और एक मंत्री के मार्गदर्शन में पशुपालन की नीति बनेगी. पशुपालन महानिदेशक कोई वरिष्ठ और काबिल पशु चिकित्सक ही होंगे, कोई आई.ए.एस. अधिकारी नहीं. विभाग में अब कोई बोर्ड या निगम अलग से नहीं होगा. योजनाएं संभाग में बनेंगी और संभागीय विश्वविद्यालय उस संभाग में शोध का काम करेंगे. जिले या विकास खंड के निदेशक और उपखंड के सहायक निदेशक योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे. कोई भी पशु चिकित्सक अब गाँव में नहीं रहेगा. सभी विकास उपखंड पर स्थित अस्पताल में ही रहेंगे. यहीं से उनको बांटे गए क्षेत्र में जाना होगा और इसके लिए उनको गाड़ियाँ उपलब्ध करवाई जाएँगी. किसी भी पशु को अस्पताल नहीं लाया जायेगा, पशुपालक के बाड़े या खेत में जाकर ही इलाज होगा. यह जो नीति आउटडोर में पशु लाने की है, वह अव्यावहारिक है.

प्रत्येक गाँव में एक अभिनव पशुपालन केंद्र होगा, जिसका जिम्मा एक पशुधन सहायक या नर्स के पास होगा. यहाँ गाँव के प्रत्येक पशु का एक कार्ड होगा, जिसमें उसकी पूरी हिस्ट्री (इतिहास) दर्ज होगी. प्राथमिक चिकित्सा यही केंद्र करेगा और यह सब संबंधित पशु चिकित्सक के निर्देशन में होगा. गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए एम्बुलेंस से विकास उपखंड के सभी सुविधायुक्त अपस्ताल ले जाया जायेगा.

अभिनव पशुपालन केंद्र और अभिनव कृषि केंद्र मिलकर गाँव की गोचर का विकास करवाएंगे. इसके लिए राजस्थान में बड़े स्तर पर माहौल बनाया जायेगा ताकि गोचर अतिक्रमणों से मुक्त हो सके. एक बार पशुपालकों को इसका महत्व समझ आ जायेगा और पक्षपात नहीं दिखाई देगा तो सभी ग्रामीण मान जायेंगे. इस काम में मेहनत तो होगी पर यह काम गजब के परिणाम देगा. गोचर मुक्त करना ही काफी नहीं होगा बल्कि गोचर में घासें उगानी होगी, पेड़ लगाने होंगे और पानी का संरक्षण करना होगा. वन विभाग और नरेगा को हम इस काम में साथ जोड़ लेंगे.

पर सफलता की मुख्य धुरी गाँव का सहयोग और विश्वास होगी. हम शासन और समाज को एक साथ ले आयेंगे तो काम स्वतः गति पकड़ लेगा. फिर आठ महीने तक किसी भी गाँव में चारे की समस्या नहीं होगी और पशुधन बच जायेगा, बढ़ भी जायेगा. हमारा मानना है कि गौशालाओं से पशुधन जिंदा रह सकता है पर उत्पादक नहीं हो सकता है. पशुओं को इस धरती पर घास और पशुपालक ही बचा सकते हैं. और पशुपालक पशु को तभी बचाने में जुटेगा, जब उसे इससे एक निश्चित, सम्मानजनक आमदनी होगी. उपदेश मात्र या भावुकता से नहीं. वह बूढ़ी गाय को तभी रख पायेगा जब चार पांच दूसरी गायें उसके लिए उत्पादक बनी हुई होंगी.

हम प्रत्येक गाँव में बैलों और पाडों को लेकर भी एक अभिनव प्रयोग करेंगे. अब जब इनकी जरूरत खेती या परिवहन के काम में कम हो गई है तो हम इनसे ऊर्जा उत्पादन का काम लेंगे. हमने ऐसी विधि खोज ली है जिससे एक बैल या पाडा अपनी दिनभर की लागत से, मेंटीनेंस से दुगुनी कीमत की बिजली पैदा कर सकेगा. एक गाँव में पचास जोड़ी इस काम में लगेगी तो गाँव ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो जायेगा और पर्यावरण भी बचेगा. साथ ही बैलों और पाडों की अनुपयोगिता पर भी विराम लग जायेगा.

भेड़ों और बकरियों के उत्पादों को भी हम कुटीर उद्योगों के माध्यम से बाजार से जोड़ेंगे. ऊन से बने उत्पादों पर हमने खूब शोध किए हैं. अब भेड़ें भी एक वर्ष में इतनी कीमत की ऊन देगी कि पशुपालक फिर से उन्हें उनकी ऊन के लिए पालेंगे, न कि मांस के लिए. ऊंटों के पालन को भी हम पुनः लोकप्रिय बनायेंगे और इनसे भी ऊर्जा उत्पादन का काम लेंगे. राजस्थान इन मूक प्राणियों को सृष्टि में समान अधिकार दिलवाने के पूरे जतन करेगा. तभी तो अभिनव राजस्थान होगा.

साथ ही अभिनव पशुपालन में हम राजस्थान में केवल देशी नस्लों का संरक्षण और संवर्धन करेंगे. हम विदेशी नस्लों को यहाँ की प्रकृति के प्रतिकूल मानते हैं. भारत के संविधान में नीति निदेशक तत्वों में भी यह लिखा है पर भारत के शासन ने हर प्रदेश में देशी नस्लों की उपेक्षा की है. हम देशी नस्लों का उत्पादन और उनकी कीमत में बढ़ोतरी करके उन्हें पशुपालकों के लिए आकर्षक बनायेंगे.

राजस्थान के शासन ने इस काम को, कृषि और कुटीर उद्योग की ही तरह आज तक उपेक्षित ही कर रखा है. पर अब अभिनव राजस्थान में पशुपालन फिर से हमारी अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तम्भ बनेगा. हमारे लिए एक एक पशु एक संपूर्ण उत्पादन इकाई होगी.

अभिनव उद्योग

अभिनव उद्योग, स्थानीय उत्पादन से.

कृषि और पशुपालन के बाद उद्योग का उत्पादन बढ़ाना अभिनव राजस्थान की प्राथमिकता है क्योंकि हमें असली विकास करना है. असली विकास तभी होगा जब हमारी आमदनी बढ़ेगी और यह आमदनी उत्पादन बढ़ने से ही बढ़ेगी, उधार के पैसों से नहीं. इस अभिनव उद्योग के लिए हम नए सिरे से नीति निर्माण करेंगे और नई योजनाएं बनायेंगे. पूरी व्यवस्था ही नई होगी, वर्तमान व्यवस्था की लीपापोती नहीं होगी. वैसे वर्तमान में तो कोई व्यवस्था बची ही नहीं है, खंडहर जैसा कुछ ढांचा बचा है, उद्योग विभाग के नाम से.

राजस्थान के योजनागत खर्च में अब उद्योग का हिस्सा एक दो प्रतिशत ही रह गया है! पर जो भी हो हम जो बीत गया उसे भुलाकर आगे बढ़ेंगे और राजस्थान को उत्पादन के नए युग में ले जायेंगे. हम राजस्थान को विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनायेंगे. इतना कि विश्व के बाजारों से चीन को बाहर का रास्ता दिखा देंगे. चीन है क्या राजस्थान के सामने? हुनर में, हिम्मत में?

अभिनव राजस्थान में उद्योग पुनः हमारी जीवनशैली का अंग बन जायेगा. किसी भी हाथ में कोई हुनर होगा और दिमाग में कोई आइडिया या विचार होगा, वह कुछ न कुछ रचना करेगा, जो समाज के लिए उपयोगी होगी, जो समाज को सहज रूप में उपलब्ध होगी. उद्योग की हमारी व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं की तरह बहुत ही सरल, सार्थक और प्रभावी होगी. इसमें उद्योगपति नहीं होंगे, उद्यमी होंगे. उद्योगपति का नाम आते ही बहुत सारी पूँजी और बड़े स्तर पर व्यापार का फैलाव मन में आता है. ऐसे में कोई भी साधारण व्यक्ति पहले से ही संसाधनों के अभाव के बारे में सोचकर उद्योग से दूर हो जाता है. काबिल होते हुए भी साधनों के कृत्रिम अभाव में वह हिम्मत नहीं करता है. हमें उस भाव को, डर को कम करना है. दूसरी ओर उद्योगपति शब्द ही सामंतवाद को बुलावा देता है. अभी तक जीवन के हर क्षेत्र में पसरे सामंतवाद को ये शब्द ही संबल देते हैं. एक व्यक्ति में 'मालिक' होने का भाव किसी भी क्षेत्र में होगा तो वह समाज के लिए घातक होगा. इसलिए हमें उद्यमी तो चाहियें पर उद्योगपति नहीं चाहियें.

अभिनव राजस्थान में कुटीर, छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों को प्राथमिकता होगी. हमें बड़े उद्योग नहीं चाहियें. जब भारत बना था तब भी हमारे नीति निर्माताओं ने यही बात कही थी कि भारत में जनसंख्या अधिक है और ऐसे में बड़े उद्योग हमारे लिए गरीबी और बेरोजगारी के कारण बनेंगे. कुछ दिन तो यह बात हम मानते रहे पर जल्दी ही राजनीति और उद्योग जगत के बड़े खिलाड़ियों का मिलना हो गया और हमने उस नीति को तिलांजलि देना शुरू कर दिया था. फिर वर्ष 1990 की कॉर्पोरेट क्रान्ति ने तो छोटे और मंझले उद्योग की विदाई की घोषणा ही कर दी. हम इस स्थिति को उलट देंगे.

अभिनव उद्योग की हमारी कहानी गाँव से शुरू होकर कस्बों से होती हुई राजस्थान के बड़े शहरों और फिर भारत और विश्व के बाजारों की तरफ बढ़ेगी. लेकिन हमारी पहली शर्त हमारे उद्योग को हमारे स्थानीय बाजार से जोड़ना है. अगर हमारे उत्पाद हमारे ही बाजार की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं तो एक कुचक्र शुरू हो जाता है और इसमें हम फंस जाते हैं. फिर हमारे ही बाजार से हमारे उत्पाद गायब हो जाते हैं और उद्योग की लागत बढ़ने लगती है. ऐसे में ये उद्योग दम तोड़ने लगते हैं. अभी यही हाल राजस्थान का हो रखा है और यही हाल भारत का हो रखा है. इसलिए हम स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने को प्राथमिकता देंगे. उसके बाद राजस्थान से बाहर निकलेंगे. फिर भारत से बाहर.

अभिनव राजस्थान में हम गाँवों और कस्बों में रह रहे कलाकारों के चारों ओर अभिनव उद्योग का ढांचा तैयार करेंगे. सुथार, सुनार, लुहार, जुलाहा, रंगरेज, छीपे, दरजी, कशीदाकार, घोटाकार, चर्मकार, मूर्तिकार, चित्रकार और कुम्हार हमारे इस ढाँचे के केंद्र में होंगे. हमारे इन उद्यमियों को हम अभिनव उद्योग की मशाल थमाएंगे. इन पारम्परिक उद्यमियों की कला, अनुभव और समझ को हम पूँजी के रूप में सहेजेंगे और राजस्थान से लेकर विश्व के बाजारों से इनको सक्रियता से जोड़ देंगे. इसके लिए हमारी योजना व्यावहारिक होगी और इसके निर्माण में इन कलाकारों की प्रमुख भूमिका होगी.

एक तरफ अभिनव उद्योग स्थानीय बाजार से जुड़ा होगा तो दूसरी तरफ यह हमारी प्रकृति और संस्कृति से भी जुड़ा होगा. हमें ऐसे उद्योग विकसित करने हैं जो राजस्थान की प्राकृतिक दशाओं से मेल खाते हो. हमें अपने जल और जंगल को बड़े उद्योगों की भेंट नहीं चढ़ाना है. हमें हमारी कृषि, हमारे खनिज और हमारे वनों-नदियों-पहाड़ों के साथ छोटे उद्योगों का ऐसा समन्वय बनाना है ताकि औद्योगिक विकास का पहिया सतत चलता रहे, स्थाई विकास हो, सुन्दर विकास हो.

हमारे खेतों में जो फसलें होती हैं, उनसे बने उत्पाद हमारे उद्यमी बनायेंगे, हमारे खनिजों से जुड़े उत्पाद वे बनायेंगे. वे ऐसे उत्पाद बनायेंगे जो कम पानी कम बिजली की खपत में तैयार हो सकते हों. साथ ही वे ऐसे उत्पाद बनायेंगे जो हमारी सांस्कृतिक मान्यताओं और रिवाजों के अनुसार हों. तभी वे स्थानीय बाजारों से जुड़ पाएँगे.

अभिनव उद्योग आधुनिकता को भी अपनाएगा. नए जमाने की नई आवश्यकताओं के अनुसार उत्पाद बनेंगे, पर इसका अर्थ फूहड़पन नहीं होगा. आधुनिकता से जो आजकल भारत में अर्थ लगाया जाता है, वह आधुनिकता शब्द का अर्थ नहीं, अनर्थ है. हमारी संस्कृति से उलट हर चीज को आधुनिक कहने का चलन हो गया है ! जबकि आधुनिकता भौतिक और वैचारिक साधनों में सकारात्मक विकास को कहते हैं. अभिनव उद्योग में हमारा बाजार आधुनिक उत्पादों से भरा होगा पर ये उत्पाद राजस्थान और भारत के रंग में रंगे हुए होंगे. कपड़े, जूते, बैग, पेन, खाने पीने के सामान, सजावट का सामान. सभी.

अभिनव उद्योग और अभिनव कृषि, अभिनव राजस्थान के विकास रथ के दो पहिये होंगे !

वर्तमान राजस्थान में उद्योग, धीमी मौत मरता उद्योग.

आपको एक बहुत ही मजेदार बात बताते हैं. अपने घर में नजर दौड़ाइए और यह पता करिए कि आपके घर में कौन कौन सा सामान, कौन कौनसे उत्पाद राजस्थान में बने हुए हैं. आप गिनती करेंगे तो चौंक जायेंगे. सुबह उठते ही आप जब टूथपेस्ट करते हैं तो यह पेस्ट राजस्थान के बाहर से आता है. फिर जिस टूथब्रश को आप काम में लेते हैं, वह साधारण सा 'औजार' भी राजस्थान में नहीं बनता है. आप इस पर चिपके कागज पर लिखे को पढ़ियेगा कि यह कहाँ बना है. आप फिर चाय पीते हैं तो दूध और पानी के अलवा अन्य सारी चीजें राजस्थान से बाहर की मिलेंगी ! यानि आपके दिन की शुरुआत ऐसे उत्पादों से होती हैं, जो राजस्थान में नहीं बनते हैं. फिर तो आपकी सूची लम्बी हो जाएगी.

पेन, कागज, स्कूल बैग, टेबुल, कुर्सी, झाड़ू, परदे, कपड़े, मोबाइल, कम्प्यूटर, मोटरसाइकिल, पेट्रोल आदि की सूची बनायेंगे तो पता चलेगा कि राजस्थान के घरों और बाजारों में नब्बे प्रतिशत से अधिक सामान वह पड़ा है जो राजस्थान के बाहर से बनकर आता है. राजस्थान प्रदेश में वोटों से कई सरकारें अब तक बन गई हैं पर अभी तक हम पेन नहीं बना पा रहे हैं, टूथब्रश नहीं बना पा रहे हैं. हम अभी भी अंग्रेजों के जमाने का बाजार बने हुए हैं और दूसरे प्रदेशों और दूसरे देशों में बने उत्पाद उपयोग में ले रहे हैं.

पर आपको एकदम से लगेगा कि इससे हमें क्या नुकसान है. आपको यह भी लगेगा कि घर में उपयोग में आने वाली चीज कहीं भी बने हमें क्या नुकसान है. और जब कोई चीज भारत में बनकर हमारे घर में आती है, तो हम 'स्वदेशी' विचार वाले हैं ही. बाबा रामदेव के पतंजलि उद्योग के उत्पाद इस्तेमाल करना स्वदेश प्रेम है ही. इसमें नुकसान क्या है? नुकसान इसमें नहीं है कि हम राजस्थान के बाहर से आने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं. नुकसान तब होता है जब यह फ्लो, यह बहाव एकतरफा ही रह जाता है. आज के राजस्थान में यही हो रहा है. भारत के साथ भी यह विश्व स्तर पर होता है.

राजस्थान के बाजार में राजस्थान से बाहर के उत्पादों का नब्बे प्रतिशत हिस्सा होने से राजस्थान की पूँजी राजस्थान से बाहर जाती है. किसी दूसरे प्रदेश में या किसी दूसरे देश में. पूँजी का यह एकतरफा बहाव राजस्थान को हर दिन खाली करता जा रहा है. यहाँ इन बाहरी वस्तुओं के व्यापार में मात्र कुछ कमीशन या टैक्स बचता है, मूल धन तो बाहर चला जाता है. नतीजा यह होता है कि राजस्थान के परिवारों और राजस्थान के शासन के पास यहाँ की जनसंख्या के अनुपात में पूँजी नहीं बच पाती है. यह सीधा सा गणित है. ऐसे में हमको अक्सर उधार लेकर हमारा काम चलाना पड़ता है. घर में पैदावार या आमदनी नहीं होगी तो उधार से कितने दिन काम चलेगा? यही हाल अभी राजस्थान का है.

बाजार में बाहर का माल भरा होने का राजस्थान को नुकसान होता है तो दूसरी तरफ राजस्थान के कच्चे माल का एकतरफा बहाव भी हमारे घाटे को बढ़ाता है. खेती हो, पशुपालन हो या खनिज, हमारा कच्चा माल दूसरे प्रदेशों या देशों के उद्योगों को रोशन कर रहा है. बाड़मेर से निकला खनिज आज इसका सबसे भयावह उदहारण है. रिफाइनरी बाड़मेर में नहीं लगी तो नहीं लगी. राजस्थान अन्य खनिजों में भी भारत में झारखंड के बाद दूसरे स्थान पर है लेकिन उद्योग नहीं लगने के कारण इनका उपयोग पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है. कुछ सीमेंट उद्योग लगे भी तो वे कुछ टैक्स देने और प्रदूषण फैलाने तक ही सीमित रहे. वहीं, मंझले और छोटे उद्योग, शासन के सहारे के बिना बाजार में टिक नहीं पा रहे हैं.

खेती की पैदावार भी आसपास के प्रदेशों में जाकर वहाँ के उद्योगों को रोशन कर रही है. श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों से सारा कच्चा माल पंजाब जाता रहा है तो अन्य जिलों से अभी कपास, दलहन, जीरा और इसबगोल बाहर जा रहा है. ऐसे में राजस्थान में वेल्यु एडिशन या मूल्य संवृद्धि नहीं हो पाती है.

इन सब हालातों के बीच राजस्थान के किसी भी शासन ने उद्योगों को आगे बढ़ाने का काम गंभीरता से नहीं किया है. कृषि विभाग की तरह उद्योग विभाग भी अपनी नीरसता के लिए जाना जाता है. छोटे और मंझले उद्योगों के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का काम एक बार शुरू हुआ पर बाद में उसमें भी शासन की रुचि कम हो गई. आज भी ऐसे अनेक औद्योगिक क्षेत्र आधे अधूरे पड़े हैं. यही हाल कुटीर उद्योगों का हुआ. कारीगरों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसी योजनाएं बनीं, जिनमें न कारीगरों की और न ही बाजार की कोई रूचि जगी. बीच में उद्योग विकास के लिए निगम भी बने पर इन निगमों का भी राजनेताओं और अफसरों ने अपने हितों के लिए दुरुपयोग ही किया. जिलों में खोले गए उद्योग केन्द्रों का तो हाल ही मत पूछो. जिले का आज सबसे उपेक्षित कार्यालय है वह.

कई बार ताज्जुब होता है कि राजस्थान बनने के इतने वर्षों के बाद भी गाँव के लुहार को नहीं पूछा गया कि उसे आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए. न ही कभी किसी चर्मकार-कुम्हार-दरजी-सुथार से कभी शासन ने बात की. किसानों की ही तरह इन कारीगरों की उपेक्षा करके, केवल गरीबी गरीबी, जाति जाति और वोट वोट के नारों में पूरे समाज को अटका दिया गया. शासन में बैठे 'राज' के भूखे लोगों को राजस्थान के इन कारीगरों या छोटे-मंझले उद्यमियों से बात करके उत्पादन को बढ़ाकर करना भी क्या था.

पिछ्ले दो-तीन दशकों से एक नया चस्का पकड़ा है, राजनेताओं और अफसरों ने. वे राजस्थान, भारत और अन्य देशों के बड़े उद्योगपतियों के आगे पीछे घूम रहे हैं और उनको राजस्थान में निवेश करने को राजी करने में लगे हैं. पर दिल्ली के नजदीक के अलवर जिले को छोड़कर वे अन्य जिलों का रुख नहीं कर रहे हैं. हर साल उनका खाना पीना और घूमना जरूर करवाया जाता है.

बहुत अधिक संसाधनों के होते हुए भी आज राजस्थान उद्योगों में पिछड़ा हुआ है. नीयत, नीति, योजना के अभाव में. इस नीयत को हम ठीक करेंगे, हम नीति और योजनाएं बनाएंगे. अभिनव राजस्थान की लोकनीति में ही यह संभव हो पाएगा.

अभिनव कार्यनीति, उद्योगों को रोशन करने के लिए.

अभिनव राजस्थान में हम राजस्थान के पिछड़ेपन का रोना नहीं रोयेंगे. हम तेज गति से और योजना से काम करेंगे. औद्योगिक विकास के रुके हुए चक्र को जोर से घुमाएंगे. इसके लिए सबसे पहले हम राजस्थान में उद्योगों के पक्ष में माहौल बनायेंगे. राजस्थान के कारीगरों, छोटे और मंझले उद्यमियों, राजस्थान के समाज और राजस्थान के शासन को हम मानसिक रूप से तैयार करेंगे. विकास की मानसिकता बने बिना कोई भी जतन फलीभूत नहीं होगा. यह मानसिकता बनाना हमारा पहला उद्देश्य होगा. तभी यहाँ के लोगों में आत्मविश्वास जगेगा, तभी लगेगा कि हाँ, हम भी दुनिया के किसी भी हिस्से की तरह उद्योग लगा सकते हैं, अपना माल बाजार में बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं.

सबसे पहले हम राजस्थान के समाज में विकास की मानसिकता पैदा करेंगे. हम समाज के उन वर्गों से बात करेंगे, जो पारम्परिक रूप से हाथ के हुनर रखते हैं. गाँव से लेकर कस्बों, संभागों और जयपुर तक हम इन वर्गों के प्रतिनिधियों से बात करेंगे. हम कुम्हारों, सुथारों, लुहारों, सुनारों, दर्जियों, जुलाहों, रंगरेजों, छीपों, चर्मकारों आदि वर्गों के प्रतिनिधियों से खुलकर बात करेंगे और उनको अपनी योजनाओं से अवगत करवाएंगे. हम उनसे पूछेंगे कि इन योजनाओं से उनको कोई उम्मीद नजर आती है क्या. उनसे पूछेंगे कि क्या ये योजनाएं व्यावहारिक हैं. इन वर्गों से यह संवाद ही औद्योगिक विकास की कहानी को राजस्थान में शुरू करेगा. इस संवाद और सहमति के बिना अभी की तरह फिजूल योजनाओं के बनाने या क्रियान्वयन से कोई सार्थक परिणाम नहीं आएगा. हमें विकास का ढोंग नहीं करना है, परिणाम लाने हैं.

इसके साथ ही हम इन वर्गों से अपने अपने संगठनों के माध्यम से खर्चीले सामाजिक समारोहों पर अंकुश लगाने की बात भी रखेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि इन समाजों में पूँजी निर्माण करने और अपने लाभ को बचाने की प्रवृति भी तो जरूरी है. वरना हमारा अनुभव यह है कि राजस्थान में कारीगरों और किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ने के बाद भी ये सामाजिक समारोह उस बढ़त पर जल्दी ही पानी फेर सकते हैं.

हम छोटे और मंझले उद्यमियों के साथ भी खुलकर चर्चाएँ करेंगे. ये चर्चाएँ भी विकास उपखंड से लेकर जयपुर के स्तर तक होंगी. इन उद्यमियों को भी हम अपनी योजनाओं के बारे में बतायेंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे. यह सारी कवायद एक परिवार के भीतर चर्चा वाले अंदाज में होगी, न कि किसी रूखे सूखे सरकारी माहौल में. सभी के मन में यह बिठाया जायेगा कि हम सब को मिलकर राजस्थान का उत्पादन बढ़ाना है. जब इन उद्यमियों को शासन की नीयत पर पक्का विश्वास हो जायेगा तो ही वे असली रंग में आयेंगे और राजस्थान को भारत की सबसे आगे की पंक्ति में ले जाने के काम में जुटेंगे.

इसके बाद हम राजस्थान के बाजार की वर्तमान आवश्यकताओं की जानकारियां लेंगे. आम राजस्थानी परिवार को किन किन उत्पादों और सेवाओं की आवश्यकता ज्यादा रहती है, उनकी सूची बनायेंगे. बाजार के व्यापारियों से उसी प्रकार चर्चाएँ की जाएँगी, जैसे उद्यमियों से. हम आम लोगों से भी पूछेंगे कि वे किस स्तर के उत्पाद और सेवाएं चाहते हैं और इनके लिए कितना धन खर्च करने में उनको सुविधा है. आवश्यकता और उत्पाद को जोड़ना सफल उद्योग के लिए जरूरी है.

यहाँ ध्यान दें कि हम यह मानते हैं कि शासन का काम ही समाज को दिशा देना होता है, बाजार को दिशा देना होता है. अभिनव राजस्थान का शासन इसी वजह से समाज, उद्यमी और व्यापार के बीच में एक कड़ी की तरह काम करेगा. तभी समाज समृद्ध हो पायेगा वर्ना अपने हाल पर छोड़ देने से समाज और देश का वही हाल होगा जो अभी भारत और राजस्थान का हो रखा है. अभी का शासन अपनी इस असल जिम्मेदारी से बचता है, क्योंकि अभी राजनीति से शासन चलता है, लोकनीति से नहीं चलता है.

छोटे बड़े उद्यमियों और व्यापारियों से बातचीत के बाद हम शासन में बैठे लोक सहयोगियों (कर्मचारी-अधिकारी) से बात करेंगे. उनको यह समझायेंगे कि अब साहब नहीं बनना है बल्कि 'अपने' ही समाज के लोगों का सहयोग करना है. अपने ही परिवार को आगे बढ़ाना है. उत्पादन बढ़ेगा तो ही हमारी अगली पीढ़ी एक विकसित प्रदेश में रहेगी वरना वह भी हमारी तरह पिछड़े प्रदेश में जिएगी और राजस्थान को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर दूसरे प्रदेशों और देशों में मजबूरी से पलायन करती रहेगी.

फिर हम शासन के अपने उद्योग विभाग के ढांचे को बदलेंगे. अब विभाग के भीतर अलग से कोई निगम नहीं होगा. इन दुकानों को अब बंद कर दिया जायेगा. विभाग अब एकरूपता से और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ काम करेगा. विभाग के मंत्री और महानिदेशक नई औद्योगिक व्यवस्था और नीति के निर्माण में लगेंगे. हमारे संभागीय कार्यालय अपने अपने संभागों के लिए उद्योगों की योजनाएं बनायेंगे. औद्योगिक विकास के लिए वित्त विभाग बजट पारित होते ही तुरंत पैसा जारी कर देगा. फिर उद्योग विभाग को हर महीने वित्त विभाग की ओर नहीं झांकना होगा. अभिनव शासन में कृषि और उद्योग को सबसे पहले, प्राथमिकता से बजट आवंटित होगा. इनके बाद बाकी विभागों को पैसा मिलेगा.

हमारे विकास खंड (जिले) और उप विकास खंड अपनी योजनाओं को लागू करने में जुट जायेंगे. अब जिले में विभाग एक निदेशक के नेतृत्व में काम करेगा. प्रत्येक विकास उपखंड किसी एक विशेष उद्योग को समर्पित होगा. यहां पर किसी न किसी विशेष उत्पाद के लिए अभिनव उद्योग केंद्र का संचालन आधुनिक तकनीक और प्रबंध से होगा. कोई दाल उद्योग को, कोई लोहे के उद्योग को, कोई चमड़े के उद्योग को समर्पित केंद्र होगा. उद्योग विभाग सभी छोटे बड़े उद्यमियों के लिए सस्ती बिजली, वित्त व्यवस्था, बीमा, डिजाइनिंग, मार्केटिंग, तकनीक और बाजार उपलब्ध करवाने में सक्रियता से सहयोग करेगा. इनके उत्पाद राजस्थान के सभी स्थानीय बाजारों में मिलेंगे.

संभाग स्तर पर इन उत्पादों के लिए बड़े मॉल्स या बिक्री केंद्र भी होंगे. ये केंद्र राजस्थान के प्रत्येक गांव और कस्बे को विश्व के किसी भी उपभोक्ता से सीधे जोड़ेंगे. इनका प्रबंध सहकारिता विभाग करेगा. लेकिन माल की कीमत उद्यमी ही तय करेंगे, उसमें शासन का हस्तक्षेप नहीं होगा.

अभिनव उद्योग विकास केंद्र, उत्पादन के स्तम्भ होंगे.

अभिनव राजस्थान में प्रत्येक विकास उपखंड में एक अभिनव उद्योग केंद्र होगा. यह केंद्र प्रारंभ में किसी एक उद्योग को समर्पित होगा. इस उद्योग का चयन परम्परा के अनुसार या उस उपखंड में कृषि, पशुपालन या खनिज से मिलने वाले कच्चे माल पर निर्भर करेगा. जैसे किसी उपखंड में जूतियों का उद्योग केंद्र होगा तो किसी क्षेत्र में तिल्ली के उत्पादों को यह केंद्र समर्पित होगा. कहीं फर्नीचर का केंद्र, कहीं रेडीमेड कपड़ों का केंद्र, कहीं पेन और स्कूल बैग बनाने का केंद्र तो कहीं झाड़ू बनाने का केंद्र होगा. कहीं बर्तन बनेंगे तो कहीं जेवर बनेंगे, तो कहीं अगरबत्तियां और माचिस बनेंगे.

अभिनव राजस्थान के पहले वर्ष में ऐसे 100 केन्द्रों का चयन होगा. प्रत्येक केंद्र का प्रभारी उस केंद्र के उद्योग से जुड़े उद्यमियों में से एक होगा, जिसका बाकायदा चुनाव होगा. एक तरह से यह किसी सहकारी समिति की तरह ही काम करेगा. ऐसे एक केंद्र को शुरुआत के लिए दस से पचास करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी. यह राशि सहकारी बैंक के माध्यम से दी जायेगी और इसका ब्याज उद्योग केंद्र से लिया जायेगा. कोई सब्सिडी या अनुदान नहीं होगा.

फिर सबसे पहले उस क्षेत्र के चयनित उद्योग से जुड़े उद्यमियों की बैठक बुलाई जाएगी. उनसे इस उद्योग की बारीकियों और समस्याओं के बारे में खुलकर बात की जायेगी. उनसे ही इन समस्याओं के समाधान पूछे जायेंगे. साथ ही अभिनव राजस्थान की योजना को उनके समक्ष रखा जायेगा. उनसे पूछा जाएगा कि इस योजना पर चलने से उन्हें अपने व्यवसाय में संतुष्टि और सम्मानजनक लाभ मिल सकेगा क्या. उनसे यह भी पूछा जायेगा कि इस केंद्र के प्रबंध की कौनसी व्यवस्था से और कौनसी आधुनिक तकनीक से यह केंद्र एक निजी व्यवसाय की तरह सक्षम बन सकता है. उनके पास व्यावहारिक सुझाव और समाधान होते हैं. सभी उपखंडों में ये चर्चाएँ तीन महीने के भीतर पूरी हो जाएँगी. साथ साथ ही इन केन्द्रों के लिए जगह और अन्य सुविधाओं को जुटाने का काम भी पूरा हो जायेगा. ये केंद्र स्वावलंबन के सिद्धांत पर खड़े होंगे.

जैसे किसी क्षेत्र में हम जूतियों के उत्पादन के लिए अभिनव उद्योग केंद्र स्थापित करते हैं तो उस क्षेत्र के, गाँव और कस्बे के, इस काम से जुड़े सभी चर्मकारों की बैठक बुलाएँगे और उनसे गम्भीर मंत्रणा करेंगे. ऐसे ही हम लुहारों, दरजियों, सुनारों आदि से मंत्रणा करेंगे. उनको विश्वास में लिए बगैर कोई भी योजना धरातल पर नहीं उतरेगी. अभी यही होता आया है. ऊपर से ऐसी ऐसी योजनाएं मनमर्जी से बनकर आती हैं कि स्थानीय उद्यमी उनमें रुचि नहीं लेते हैं.

इन केन्द्रों के प्रभारी उपखंड स्तर पर होने वाली बैठकों में उपस्थित रहेंगे और उनको भी कृषि अधिकारियों की तरह प्राथमिकता दी जायेगी. विकास उपखंड में अभिनव कृषि केंद्र और अभिनव उद्योग केंद्र सभी की आँखों के तारे होंगे. सभी अन्य विभाग इनको सहयोग करने में कसर नहीं रखेंगे. समिति के प्रधान इस काम में समन्वयक की भूमिका निभाएंगे.

एक बार सभी उद्यमियों द्वारा योजना में भाग लेने के लिए हाँ कह देने के बाद फिर उनकी बैठक होगी और केंद्र प्रभारी का चुनाव होगा. जिले के उद्योग निदेशक इस काम में पूरी सक्रियता दिखायेंगे. एक जिले या विकास खंड में पांच से दस ऐसे केंद्र होंगे.

लेकिन किसी भी उद्यमी (कारीगर या कलाकार) को उसका घर छोड़कर काम करने को नहीं कहा जायेगा. अभिनव उद्योग में ये उद्यमी और उनका परिवार अपने घर से ही इस काम को अंजाम देंगे. उत्पादन से लेकर विक्रय तक का काम इस केंद्र और सहकारिता विभाग द्वारा किया जायेगा.

अभिनव उद्योग केंद्र क्या क्या सुविधाएँ देगा? प्रत्येक उद्यमी का एक कार्ड इस केंद्र द्वारा बनेगा, जिसमें उससे सम्बंधित सभी सूचनाएं संकलित होंगी. फिर सबसे पहली सुविधा यह केंद्र उस उद्योग के उत्पादों की डिजाइन की देगा. संभाग स्तर पर हमारा उद्योग विभाग तकनीकी और शोध संस्थानों से सहयोग लेकर बाजार की आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन उपलब्ध करवाएगा. फिर ये केंद्र उद्यमियों को कच्चा माल उपलब्ध करवाएंगे. इस माल की खरीद केंद्र के प्रभारी और अन्य उद्यमियों की समिति अपने स्तर पर ही करेगी. जयपुर या अन्य जगहों पर टेंडर नहीं होंगे. इस कच्चे माल को उद्यमियों को डिजाइन के साथ उपलब्ध करवा दिया जायेगा. इसकी एंट्री उस उद्यमी के कार्ड में कर दी जायेगी. जरूरत हुई तो कुछ प्रशिक्षण या मार्गदर्शन भी उद्यमियों को विशेषज्ञों द्वारा दिलवाया जाएगा. उत्पाद की गुणवत्ता के स्पष्ट निर्देश होंगे.

अगर कोई विशेष तकनीक या मशीनरी इस उद्योग के लिए आवश्यक हुई तो इसकी खरीद भी यह केंद्र कर लेगा और उद्यमियों को एक तय दर पर तकनीक उपलब्ध होगी. कुछ भी फ्री नहीं होगा. कोई सब्सिडी नहीं होगी. काम पक्का होगा और आत्मविश्वास से होगा.

तैयार माल को स्थानीय बाजार या विभाग के संभागीय बाजार में बेचा जा सकेगा. उत्पाद की कीमत उद्यमी तय करेगा. वह अपने माल को केंद्र को या केंद्र द्वारा दी गई सेवाओं और कच्चे माल की राशि चुकाने के बाद खुले बाजार में बेच सकेगा. लेकिन सारा लाभ उद्यमी का होगा.

इन कुटीर उद्यमियों से कच्चे माल, डिजाइन और तकनीक का कोई मूल्य उत्पादन शुरू करते समय नहीं लिया जाएगा, उत्पाद बिकने के बाद यह मूल लागत उनसे जमा करवा ली जाएगी.

अभिनव प्रकृति

अभिनव प्रकृति,
सृष्टि का वंदन होगा.

प्रकृति क्या है? यह जीव-निर्जीव सभी वस्तुओं का एक साझा रूप है, जो एक संतुलन में रहना होता है. जब भी यह संतुलन बिगड़ता है तो प्रकृति को खतरा हो जाता है और प्रकृति पुनः इस संतुलन के लिए तड़पती है. पृथ्वी पर कई बार यह संतुलन बिगड़ा और फिर बना है. अनंतकाल से. पर मानव की इस संतुलन में क्या भूमिका है, यह समझना बहुत जरूरी है, हमारे विषय के लिए.

मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? मित्रों, मानव जीवन का मूल उद्देश्य ईश्वर द्वारा रचित सृष्टि को सुन्दर और समृद्ध बनाये रखना है, ताकि यहाँ जीवन आनंद से भरा रहे. यह और बात है कि मायाजाल में अधिकतर मानव अपने इस उद्देश्य से कोसों दूर चले जाते हैं पर मूल उद्देश्य यही है. मूल बात एक ही थी- मानव जीवन को सृष्टि के संतुलन और समृद्धि के लिए लगाना. पृथ्वी पर जीवन को आनंद से भरना. स्वयं भी आनंद से रहना और दूसरे जीवों के लिए भी आनंद की व्यवस्था में सहयोग करना. जैसी सृष्टि मिली है, उसे और बेहतर बनाकर जाना. तभी मानव जीवन सार्थक होता है. सभी जीवों में सबसे तेज दिमाग मानव के पास ही है और इसीलिये मानव को यह जिम्मेदारी दी गई है.

पर मानव जब भी यह जिम्मेदारी भूलता है तो महापुरुष याद दिलाने आते रहते हैं. सभी सम्प्रदायों की शिक्षा का सार यही है. कृष्ण, राम, महावीर, बुद्ध, ईसा, मुहम्मद और कन्फ्युशियस की शिक्षाएं मानव जीवन के इसी परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही थीं, अलग अलग तरीकों से. वैदिक धर्म तो प्रकृति को ही समर्पित था.

अभिनव राजस्थान में हम सब मिलकर इसी भावना से राजस्थान की प्रकृति को सजायेंगे, संवारेंगे. पृथ्वी के इस भूभाग में सृष्टि का संतुलन बनायेंगे. जीवन को आनंद से भरेंगे. हमें यह करना इसलिए भी होगा क्योंकि इस धरती पर सृष्टि को बचाने का विश्व का अब तक का सबसे बड़ा बलिदान राजस्थान में ही हुआ है. जाम्भोजी की प्रेरणा से खेजड़ली में जो बलिदान मूक वृक्षों को बचाने के लिए दिया गया, वह हमारी जिम्मेदारी को बढ़ा देता है. हमें ही विश्व को पुनः सृष्टि बचाने का बड़ा सन्देश देना है.

अभिनव प्रकृति में हम पांच काम मुख्य रूप से करेंगे. सबसे पहला काम हमें जो करना है, वह है, समाज और शासन को प्रकृति के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए आपस में सक्रियता से जोड़ना. यह काम हुए बगैर हमारी कोई भी नीति या योजना धरातल पर नहीं उतर पायेगी, जैसा अभी हो रहा है. समाज को प्रकृति का महत्व पता तो है पर उस ज्ञान पर धुंधलापन छा गया है. इस धुंधलेपन को छांटने का काम शासन व्यवस्था को करना है ताकि आमजन पुनः प्रकृति का पूजक बन जाये. समाज की सक्रिय भागीदारी के लिए हम सच्चे भाव और साफ़ नीयत से, गाँव से जयपुर तक व्यापक माहौल बनायेंगे.

दूसरे, हम प्रकृति के संरक्षण से समाज की समृद्धि को जोड़ेंगे. जब प्रकृति के संरक्षण से परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ दिखाई दे जाएगा तो यह प्रेरणा का काम करेगा. हमारी योजनाओं का क्रियान्वयन ऐसे तरीकों से होगा कि गाँव गाँव, शहर शहर में आमजन को इनका आर्थिक लाभ तुरंत मिलना शुरू हो. यह व्यावहारिकता जरूरी है, वरना अभी एकदम से केवल उपदेशों से प्रकृति का महत्व समझ नहीं आएगा. अभी की योजनाओं में समाज की भागीदारी की बात कही जाती है पर असल में समाज इन योजनाओं को अंगीकार नहीं कर पा रहा है. समाज और शासन के बीच भारी अविश्वास है. जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम इस अविश्वास को कम करेंगे. यह अविश्वास हर क्षेत्र में नुकासदायक साबित हो रहा है.

तीसरे, हम खेती और उद्योग को भी राजस्थान की प्रकृति से जोड़ेंगे. हमारी खेती हमारी प्रकृति के अनुरूप होगी. हम ऐसी फसलों का उत्पादन करेंगे, जो राजस्थान की प्रकृति के अनुकूल होंगी. ईश्वर के बनाये उस संतुलन को हम पुनः स्थापित करेंगे. समाज को इसके लिए कई मोर्चों पर तैयार करेंगे. समाज का खान-पान बदलेंगे तो बाजार को भी इन फसलों के अनुरूप तैयार करेंगे. ये सब काम मेहनत और नीयत के सहारे होते हैं. केवल सरकारी आदेशों या विज्ञापनों से नहीं हुआ करते हैं.

वहीं हमारे उद्योग भी अब राजस्थान की प्रकृति की कीमत पर नहीं होंगे. हम बड़े उद्योगों के लिए हमारे पहाड़ों, नदियों और पानी की बलि नहीं देंगे. वह कुरूप विकास हमें नहीं चाहिए. हम अमेरिका या योरोप की तरह गलत दिशा में अंधी दौड़ के बाद पछताना नहीं चाहते हैं. दुर्घटना से सावधानी भली.

अभिनव राजस्थान में हमारी खेती और उद्योग हमारी प्रकृति को समृद्ध करने का काम करेंगे. असली विकास वही होगा. तभी विकास सुन्दर होगा, तभी वह स्थाई होगा. अब विकास के नाम पर प्रकृति से मजाक नहीं होगा. अब सृष्टि का सत्यानाश नहीं होने दिया जायेगा. बिल्कुल नहीं.

चौथे, हमारी शिक्षा व्यवस्था को प्रारंभ से प्रकृति से जोड़ देंगे. बच्चे बच्चे को प्रकृति का महत्व मालूम होगा तो प्रकृति का संरक्षण उसकी आदत बन जायेगा. शिक्षा व्यवस्था के विषयों में भी प्रकृति से जुड़ाव होगा. चाहे हिंदी पढ़ें या गणित पढ़ें, प्रकृति के संदर्भ हर जगह मिलेंगे. सीनियर स्कूल में लिए जाने वाले वैकल्पिक विषयों को भी प्रकृति से सक्रियता से जोड़ देंगे. रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति शास्त्र को व्यवहार में उतार देंगे ताकि शिक्षा जगत और समाज के बीच प्रकृति को लेकर एक विशेष समझ बन जाये. ऐसे में इन विषयों की उपयोगिता भी विद्यार्थी के मानस पर अंकित हो जाएगी.

पांचवें, हम हमारे शासन को नए अंदाज में व्यवस्थित करेंगे. अभी शासन में प्रकृति प्रबंध प्राथमिकता में नहीं है. अभी तो प्रकृति का विनाश शासन की प्राथमिकता दिखाई पड़ता है. कोई भी वन मंत्री अपने आपको खनन मंत्री कहलवाना अधिक पसंद करता है! इतना संकेत ही काफी है. अभिनव राजस्थान में शासन पूरी शक्ति और जिम्मेदारी से राजस्थान की प्रकृति को बचाता और संवारता दिखाई देगा.

प्रकृति का विनाश करके हमने अपने पैरों पर बहुत अधिक कुल्हाड़ियां पहले ही मार ली हैं. पैर लहूलुहान हो चुके हैं. अब अगर और कुल्हाड़ियां मारीं तो पैर ही नहीं बचेंगे. प्रकृति की चेतावनियां कई रूपों में हमारे सामने खड़ी हैं.

वर्तमान राजस्थान में, प्रकृति का सवा सत्यानाश.

राजस्थान पर प्रकृति की जितनी मेहरबानी हुई है, उतनी भारत के किसी अन्य प्रदेश पर नहीं हुई है. यह जो प्रतिकूल परिस्थितियों का रोना है, वह एकदम बनावटी है और उनका है, जो राजस्थान के धरातल से परिचित नहीं हैं. यह रोना कि यहाँ पानी कम है या वन क्षेत्र प्रतिशत कम है, फिजूल है. हकीकत तो यह है कि राजस्थान के पास जैसी प्राकृतिक धरोहर है, वह भारत के किसी अन्य प्रदेश में नहीं है. यहाँ पहाड़ हैं, पठार हैं, मैदान हैं तो रेगिस्तान भी है. एक छोर से दूसरे छोर तक लगभग आठ सौ किमी के सफ़र में धरातल की इतनी विविधता कहीं ओर नहीं मिलेगी. समस्या इस धरोहर के प्रबंध में है.

राजस्थान के जनकवि स्व. कन्हैयालाल सेठिया का अमर गीत इस प्रकृति को सुन्दर शब्दों में अभिव्यक्त करता हैं- आ तो सुरगां ने सरमावे, इण पर देव रमण ने आवे, धरती धोरां, धरती धोरां री.

राजस्थान बनने के बाद आज तक राजस्थान की कोई पुख्ता वन नीति ही नहीं बन पाई है. वन प्रबंध रामभरोसे चल रहा है. जिसको जहाँ मौका मिला, उसने राजस्थान के वनों को नष्ट करने में बेजा रुचि दिखाई है. एक तरफ पिछले सत्तर वर्षों में अरावली और विन्ध्य पर्वतमालाओं के गर्भ को खोद खोदकर खनिज निकाले गए हैं तो दूसरी तरफ इन पहाड़ों पर से पेड़ों की परत ही उखाड़ दी गई है. यूं कहिये कि कहीं पहाड़ों की चीर दिया गया है तो कहीं नोंच लिया गया है. यही हाल नदियों का हुआ है.

पहाड़ों की दुर्गति से जहां अब नदियों का बहना कम हो गया है तो दूसरी ओर नदियों के पेटों को बजरी के लिए बेरहमी से खोद दिया गया है. यही नहीं, नदियों में बहकर आने वाले नालों के भी रास्ते रोक दिए गए हैं और उनको भी खोदने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है. विकास के नाम पर विनाश का यह मंजर राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में आज भी दिखाई देता है. कमाल यह है कि बर्बादी के इस खेल में राजनेताओं ने अफसरों और माफियाओं का नेतृत्व किया है. बाड़ ही खेत को खा रही है !

इस कोढ़ में खाज का काम कर रही है- अप्राकृतिक खेती. प्रगति की अंधी दौड़ में और आर्थिक-लोकनैतिक नेतृत्व के अभाव में किसानों ने 'नए' बाजार की मांग पूरी करने के लिए ऐसी फसलों का चुनाव कर लिया है जो यहाँ की प्रकृति के अनुकूल नहीं हैं. कम पानी की फसलों की जगह अधिक पानी की फसलें चुनने के कारण भूमिगत जल का भारी नुकसान हुआ है तो जमीनें भी खराब हुई हैं. रेतीली भूमि में चावल, गेहूं, कपास या सरसों की खेती ने कुछ समय के लिए समृद्धि का अहसास करवाया पर अब इसकी चुकाई हुई कीमत समझ आ रही है. अब जब भूमिगत पानी कम हो गया है और मिट्टी खराब हो गई है तो प्राकृतिक फसलों के लिए भी जमीन लायक नहीं बची है. प्रकृति से खिलवाड़ महंगा पड़ा है.

प्रकृति के विनाश के लम्बे दौर में राजस्थान का वन विभाग गहरी नींद सोया हुआ रहा है. वन अधिकारियों की लम्बी चौड़ी फौज क्या कर रही है, इसका ठीक से आकलन न मीडिया कर पा रहा है और न जनता. शासन में जो लोग हैं, उनको वन प्रबंध में वैसे भी रुचि नहीं होती है, वे तो खनन 'प्रबंध' में अधिक रुचि लेते हैं. वन विभाग को पिछ्ले कई दशकों में अन्य विभागों की ही तरह कोई नेतृत्व ही नहीं मिला, जो अधिकारियों-कर्मचारियों को अभिप्रेरित करता. जिस विषय पर पूरा विश्व चिंतित है- जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता, उस पर राजस्थान के शासन में सबसे कम चिंता है !

वृक्षारोपण वन विभाग की सबसे बड़ी गतिविधि होती है और इसका भारी मजाक बना हुआ है. हर वर्ष लाखों की संख्या में वृक्ष लगाने का प्रयास होता है पर अधिकतर वृक्ष कागजों में ही उगते-उजड़ते हैं ! बारिश के दिनों में कुछ दिन हल्ला होता है और फिर वर्षभर के लिए आराम होता है. कभी यह प्रमाणीकरण या वेरिफिकेशन नहीं हुआ कि लगाये हुए पौधों का क्या हुआ. अगर वन विभाग के आंकड़े सही होते तो आज राजस्थान में जिधर नजर जाती, उस तरफ कोई पेड़ नजर आता.

वन्य जीवों की रक्षा के मामले में भी यही हुआ है. अनेक जानवर अभी कुछ दशकों में राजस्थान से गायब हो गए हैं. चीते, गिद्ध, गोडावण आदि अनेक जंतु राजस्थान को अलविदा कह गए हैं. वर्ष 1972 में वन्य जीव अधिनियम बनने के बाद जंगली जीवों की हत्या पर शुरू में कुछ विराम लगा था पर थोड़े समय बाद फिर से शिकारी हावी हो गये और वन विभाग सो गया. कभी कभार वन्य जीव हत्या का कोई मुकदमा होता भी है तो वन विभाग के अधिकारी शिकारियों के छूटने की पूरी व्यवस्था कर देते हैं. पहाड़ों से पेड़ों के साथ ही वन्यजीव भी विदाई ले रहे हैं, रोज.

वन प्रबंध में जन सहभागिता की भूमिका को कई परियोजनाओं में महत्वपूर्ण बताया गया है पर वन विभाग के अफसरों ने शासन और समाज के बीच कड़ी का काम नहीं किया. न ही राजनेता ने इसमें कोई दिलचस्पी दिखाई. नतीजे के रूप में सभी योजनाएं या परियोजनाएं धरातल पर पिट गईं और अरबों रुपये खर्च होकर भी राजस्थान में हरियाली नहीं आई.

इतना ही नहीं, विदेशों से मिले उधार के पैसे की भी हमारे शासन ने शर्म नहीं रखी. जापान से अरावली को हरा भरा करने के लिए मिले पैसे को बड़ी तरकीब से हजम कर लिया गया, डकार तक नहीं ली. अरावली की दुर्दशा और बढ़ी. अगली बार जापान ने पैसा दिया तो कहा कि अफसरों को मत देना, सीधे जनता को देना ताकि वृक्षारोपण भी हो जाये और कुछ गाँव वालों के रोजी रोटी की व्यवस्था भी वन प्रबंध से हो जाये. पर हमारे राजनेताओं और अफसरों ने राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का भी सलीके से भट्टा बिठा दिया है.

अभिनव प्रकृति प्रबंध, जयपुर से गाँव तक.

अभिनव राजस्थान में प्रकृति के प्रबंध में हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा, भारत की और विश्व की वन नीति के अनुसार एक तिहाई क्षेत्रफल पर वनक्षेत्र होगा. अभी यह दस प्रतिशत से भी कम है. साथ ही हम प्रकृति के प्रबंध में शासन और समाज को बहुत सक्रियता से जोड़ेंगे. समाज के सहयोग से हम राजस्थान की प्रकृति को फिर से संतुलन की अवस्था में ले आयेंगे. जब समाज सक्रिय हो जायेगा तो यह काम इतना आसान हो जायेगा, जिसकी अभी कल्पना भी नहीं की जा सकती है. हमने वह कल्पना की है. यह कल्पना साकार होगी, हमारी लोकनीति से, सही नीयत से, पारदर्शिता से, शासन के अपनेपन से.

सबसे पहले हमारा वन विभाग, सचिवालय में एक महानिदेशक के नियंत्रण में और एक मंत्री के मार्गदर्शन में नए सिरे से प्रकृति के संरक्षण और संवर्द्धन की नई नीति का निर्माण करेगा. अभी तक की नीतियों और योजनाओं को परे रखकर. तभी कुछ सारगर्भित बात होगी, वरना बनी बनाई लीक पीटने से ज्यादा कुछ नहीं होगा. हम नए सिरे से राजस्थान के वनों, पहाड़ों, नदियों, तालाबों और रेगिस्तान के बारे में गंभीर और व्यावहारिक मंत्रणा करेंगे. कम से कम विवाद और कम से कम संसाधनों में उठाये जा सकने वाले कदमों के बारे में एक पुख्ता नीति बनायेंगे. हवाई और कागजी बातों से बचेंगे.

फिर जैसा कि अन्य विभागों में होगा, वन विभाग में भी संभागीय स्तर पर वहां की प्रकृति के अनुसार योजनाएं बनेंगी. ये योजनाएं बहुत ही सरल और कम संख्या में होंगी. इन योजनाओं का क्रियान्वयन विकास खंड और उपखंड के माध्यम से होगा. प्रकृति के प्रबंध के लिए हम नए सिरे से विभाग के अधिकारियों का स्थापन करेंगे. जयपुर से लेकर गाँव तक अफसरों के काम में समन्वय बिठाया जायेगा. साथ ही विभाग के लिए वित्त व्यवस्था बजट पारित होते ही पूरे वर्ष के लिए एक मुश्त कर दी जायेगी.

प्रकृति प्रबंध के लिए हमारी मूल इकाई एक अभिनव प्रकृति प्रबंध केंद्र होगा. यह केंद्र हर ग्राम पंचायत और हर शहर में होगा. केंद्र के संचालन में स्थानीय समुदाय की महत्ती भूमिका रहेगी.

अभिनव राजस्थान में एक और बात नई होगी. अभी की तरह अधिक वन क्षेत्र और कम वन क्षेत्र के आधार पर अधिकारी-कर्मचारी नहीं लगेंगे. राजस्थान के सभी क्षेत्रों में अधिकारियों-कर्मचारियों की संख्या में एकरूपता होगी. उदयपुर और गंगानगर या करौली और जैसलमेर में कोई भेद इस आधार पर नहीं होगा कि जैसलमेर में कम वन क्षेत्र है. जहाँ कम वन क्षेत्र है, वहीं तो वन विभाग की अधिक उपस्थिति दिखाई देनी चाहिए, ऐसा हम मानते हैं. दूसरा बड़ा परिवर्तन हम यह करेंगे कि खेतों, आबादी क्षेत्र या गैर आबादी क्षेत्र में खड़े पेड़ों को भी वन प्रबंध का अभिन्न हिस्सा बनायेंगे. एक एक पेड़ महत्वपूर्ण होगा. अभी उन्हें वन क्षेत्र में नहीं गिना जाता है.

अभिनव राजस्थान में हम पहाड़ों के लिए अपनी योजना में एक-एक कि.मी. का हिसाब रखेंगे. हर एक कि.मी. पहाड़ पर पेड़ों की संख्या का हिसाब होगा. हर एक कि.मी. पर वृक्षारोपण, वृक्षों की कटाई, खनन और अतिक्रमण के नियंत्रण के काम की स्पष्ट जिम्मेदारी होगी. जैसे अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों के लिए उदयपुर-सिरोही से लेकर झुंझुनूं-अलवर तक पुख्ता व्यवस्था होगी. जैसे अभी सीमा पर सुरक्षा बल होता है, वैसे ही यह व्यवस्था होगी. इस व्यवस्था में स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी होगी.

इसी तर्ज पर हम नदियों की देखभाल करेंगे. नदियों के भी एक एक किमी का हिसाब होगा. पूरी पारदर्शिता से. जैसे बनास नदी के लिए राजसमन्द से सवाईमाधोपुर तक के लगभग पांच सौ कि.मी. रास्ते में हर कि.मी. का हिसाब होगा. नदी की सीमा का, खनन या अतिक्रमण का और पेड़ों का पूरी पारदर्शिता से हिसाब होगा. इस प्रबंध में भी स्थानीय समुदाय की सहभागिता सक्रियता से होगी. ऐसा ही प्रबंध राजस्थान के हर छोटे बड़े तालाब का होगा. जल संसाधन विभाग और वन विभाग समन्वय से यह काम करेंगे. पहाड़ों, नदियों और तालाबों के संरक्षण से जल संसाधन मजबूत होंगे तो पेड़ों और वन्य जीवों के लिए जल की आवश्यकता भी इस समन्वय से पूरी हो जाएगी. दोनों विभागों का रोना धोना रुक जायेगा.

अभिनव राजस्थान में वृक्षारोपण भी नए तरीके से होगा. अब हमारे लक्ष्य बहुत स्पष्ट और पारदर्शी होंगे. जैसे किसी पहाड़ के एक कि.मी. क्षेत्र में वृक्षारोपण होगा. किसी नदी के किनारों पर एक कि.मी. में वृक्षारोपण होगा. किसी तालाब के चारों और या किसी गाँव और शहर के चारों और पेड़ों की एक रिंग बनाई जायेगी. या किसी सड़क के दोनों ओर पेड़ लगेंगे. या किसी शहरी कॉलोनी की गलियों में पेड़ लगेंगे. पूरे प्रदेश में संभागवार इसी पद्धति से हर वर्ष पेड़ लगेंगे और विभाग की वेबसाइट पर आमजन इसे पारदर्शिता से देख सकेंगे. पेड़ों की ताजा स्थिति फोटो के रूप में हर महीने अपडेट होती रहेगी. तभी वृक्षारोपण सफल होगा, तभी समुदाय का सहयोग बढ़ेगा और तभी जवाबदेही बढ़ेगी.

कृषि वानिकी की योजना बहुत अच्छी है पर अभी का शासन इसे लेकर बेरूखा सा है. हम खेतों में, खेतों की मेड़ों पर, खेतों के रास्तों में और गाँव के बाड़ों में वृक्षारोपण के लिए समाज को प्रेरित करके कृषि वानिकी को नया रंग देंगे. इन पेड़ों से किसानों को अतिरिक्त आमदनी के लिए पुख्ता योजना बनेगी.

एक बड़ा परिवर्तन हम अपनी नीति में यह भी करेंगे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने के साथ पेड़ों के व्यापारिक उपयोग को भी बढ़ावा देंगे. शर्त यही होगी कि जितने पेड़ काटे जायेंगे, उससे ज्यादा लगाये जायेंगे. हमारा मानना यह है कि लोहे या प्लास्टिक की जगह लकड़ी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. लोहा एक दिन ख़त्म हो जायेगा और प्लास्टिक प्रदूषण का जनक है, पेड़ प्रकृति का उपहार है. जितने पेड़ काम में लें, उससे ज्यादा लगा देंगे तो संतुलन बना रहेगा. सही नीयत और पारदर्शिता से.

अभिनव राजस्थान, इस धरती पर एक मनोरम, हराभरा क्षेत्र दिखाई देगा, सैटेलाइट से, हवाई जहाज से. कोई भी व्यक्ति राजस्थान के किसी भी हिस्से में विचरण कर रहा होगा तो वह प्रकृति की मनोरम दशाओं के बीच होगा. राजस्थान को रूखा सूखा और हरियाली से रहित माना जाने की आम धारणा समूल से विदा हो जाएगी. एक एक पेड़ राजस्थान में एक एक मनुष्य या वन्य जीव की तरह महत्वपूर्ण हो जाएगा.

अभिनव खनन, खनन कम से कम.

अभिनव राजस्थान में हम प्रकृति के अंधाधुंध दोहन को हर हाल में रोकेंगे. विकास के नाम पर विनाश की कहानी अब नहीं चलेगी. विकास के नाम पर अभी विनाश ही हुआ है भारत और राजस्थान में. हर क्षेत्र में. शासन हो, समाज हो, खेती हो, शिक्षा हो या उद्योग हो, विकास के नाम पर जो कुछ भी हुआ, उसने हमें पीछे ही धकेला है. यह कितना अजीब है न? पर भारत और राजस्थान की हकीकत यही है. खेती हुई बरसों से पर किसान अधिक दुखी हुआ. शासन पर इतना खर्च करके भी शासन अपना न हुआ. शिक्षा पर खर्च भी निरर्थक साबित हुआ है. उद्योग ने केवल प्रदूषण ही दिया है. यही हाल खनन का हुआ है, धरती खोद दी पर आसपास के लोगों की दशा नहीं सुधरी. उनको नुकसान अधिक हुआ है.

इसलिए अभिनव राजस्थान में हम अपनी खनन नीति में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे. अब राजस्थान में खनन उतना ही होगा, जिससे राजस्थान के निवासियों की जरूरत पूरी हो सके. थोड़ा बहुत हम भारत के दूसरे प्रदेशों के लिए त्याग करेंगे, बहुत आवश्यकता होने पर. वैसे अन्य प्रदेशों से कच्चे माल के ट्रक राजस्थान आते भी नहीं है, किसी भी तरह के कच्चे माल के. कोयले को छोड़कर. आपको यह जानकर ताज्जुब होगा. इस एकतरफा बहाव ने ही तो राजस्थान की पूँजी ख़त्म कर दी है.

इसलिए अब यहाँ सबसे अधिक खनन का उपयोग राजस्थान की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होगा. हमें जितनी सीमेंट चाहिए, उतना चूना पत्थर और जिप्सम हम निकालेंगे. हमें अब इस कच्चे माल को लुटाकर पैसे नहीं बनाने हैं. वैसे भी राजस्थान के लोगों के हिस्से में तो दस प्रतिशत भी नहीं आता है, नब्बे प्रतिशत तो यहाँ से बाहर चला जाता है! फिर काहे को प्रदूषण हम झेलें? काहे को अपने खेत खराब करें? झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की एक ही कहानी है. टन माल जाता है और अपने को एक क्विंटल भी नहीं मिलता है. पहले अंग्रेज शोषण करते थे और अब देशी अंग्रेज.

तो पहली बात यह हो गई कि जितनी आवश्यकता, उतना ही खनन होगा. दूसरी बात यह कि जिस व्यक्ति के खेत में खनिज होगा, उसको खनिज की कीमत का अधिकांश भाग मिलेगा. अब किसानों को अपनी ही जमीन पर मजदूर नहीं बनने दिया जायेगा. सभी वर्तमान नियमों को अत्यंत सरल करके किसान के हक़ में नए नियम बना दिए जायेंगे. पूँजी की कमी की भरपाई भी खनन और सहकारिता विभाग मिलकर करेंगे. यह सब काम उसी भाव से होगा, जैसे एक परिवार में होता है. अभिनव राजस्थान में हम एक परिवार की तरह ही सोचेंगे, एक परिवार की तरह ही जीयेंगे. यह 'सरकार' ऊपर से नहीं चलेगी बल्कि 'अपना' खुद का शासन होगा, जो हमारे लिए ही समर्पित होगा.

इसी भाव के चलते हम अपनी खानों के आसपास स्थानीय उद्यमियों को छोटे उद्योग लगाने को प्रेरित करेंगे. इसके लिए पूँजी, तकनीक और बाजार की व्यवस्था में शासन सक्रिय सहयोग करेगा. हम जानते हैं कि सीमेंट बनाना या सेनिटरी के उत्पाद बनाना या कांच की चीजें बनाना तो यहाँ के लोग जानते हैं पर कम पूँजी के चलते बाजार में वे टिक नहीं पाते हैं. वे महंगे विज्ञापन भी नहीं दे पाते हैं और हिम्मत हार जाते हैं. अभिनव उद्योग विभाग इन उद्यमियों के लिए वैसे ही व्यवस्थाएं करेगा, जैसे चीन में हुई हैं. हम इन उद्यमियों के लिए तकनीक और बाजार की व्यवस्था करेंगे और इनके उत्पादों की मार्केटिंग भी करेंगे. पूंजी के अभाव में इनके उत्पादों को बाजार में पिटने नहीं देंगे.

तीसरे, हमारा पूरा खनन प्रदूषण रहित होगा. जैसा भूगर्भ विज्ञान या जियोलॉजी कहती है, उन नियमों और विधियों के अनुरूप होगा. लेकिन यह रोकथाम खनन व्यवसायियों को परेशान करके नहीं होगी बल्कि उनको और समाज को साथ लेकर की जाएगी. वही परिवार के भाव से कि अपने ही लोगों का स्वास्थ्य खराब नहीं होने देना है. तब खनन करने वाले खुद धुंए और धूल को कम करने की तकनीक अपना लेंगे. कानून की जरूरत तो उन पांच प्रतिशत लोगों के लिए होगी, जो किसी भी व्यवस्था में नियम तोड़ने के आदि होते हैं. उनको आप कितना भी समझाएं, वे नियम तोड़ने में फख्र महसूस करते हैं!

फिर हम खनन पर लगने वाली रॉयल्टी ख़त्म करेंगे. अब केवल खनिज बेचने पर एक निश्चित बिक्री कर या जी.एस.टी. लगेगा. अलग अलग करों के बोझ के नीचे अभिनव राजस्थान के उद्यमी और व्यापारी नहीं दबेंगे. कर या टैक्स अब केवल एक ही होगा, किसी माल को बेचने या सेवा प्रदान करने पर. कर संग्रह में अब वित्त विभाग के पास एक ही एंट्री होगी, बिक्री या सेवा से प्राप्त कर. अभिनव शासन के लिए यह टैक्स ही पर्याप्त होगा. रॉयल्टी के संग्रह के लिए निजी लोगों को नहीं लगाया जायेगा. जिनके नाम खनन पट्टा होगा, उनके और शासन के बीच कोई बिचोलिया नहीं होगा. अविश्वास आधारित ऐसी सभी व्यवस्थाएं नहीं होंगी. इनसे समाज और शासन दोनों को नुकसान ही हुआ है, हर क्षेत्र में.

खनन के शासन का प्रबंध अभी की तरह उदयपुर से ही होगा. खनिज महानिदेशक अब भी यहीं से विभाग को निर्देशित करेंगे. खनिज मंत्री भी उदयपुर में रहकर ही मार्गदर्शन करेंगे. जयपुर में विभाग का कोई काम नहीं होगा. विभाग के भीतर कोई निगम या कम्पनी नहीं होगी. यह बंदरबांट और ऐश मौज अब किसी भी विभाग में नहीं होगी. विभाग का नीति निर्माण का काम उदयपुर से होगा. हमारी नीति की प्राथमिकता, कच्चे माल की स्थानीय प्रोसेसिंग होगी. कच्चे माल का प्रदेश से बाहर निर्यात कम होगा.

संभागों में खनिज विभाग अन्य विभागों की ही तरह संभागीय मंत्री के मार्गदर्शन में काम करेगा. योजनाओं का क्रियान्वयन विकास खंड और उपखंड करेंगे. प्रत्येक उपखंड से मिले राजस्व का बड़ा हिस्सा उसी उपखंड को दिया जायेगा ताकि खनन के एवज में विकास को वह उपखंड सीधे सीधे महसूस कर सके. अभी जिस क्षेत्र में खनन होता है उसको ऊँट के मुंह में जीरे की तरह एक प्रतिशत 'बख्शीश' दी जाती है, जो एक तरह से उस क्षेत्र के लोगों का खुला माखौल उड़ाना है. अब नहीं.

खेजड़ली,
बनेगा पर्यावरण का विश्व तीर्थ.

अभिनव राजस्थान में अगर कोई व्यक्ति यह पूछेगा कि राजस्थान के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है तो हम क्या बताएँगे? हम बताएँगे कि यहाँ के पश्चिमी भाग के एक गाँव खेजड़ली में खेजड़ियों को बचाने के लिए 363 लोगों ने बलिदान कर दिया था और ऐसा विश्व में किसी भी जगह किसी भी काल में नहीं हुआ. अपने शासन को बचाने के लिए, अपने अहंकार के लिए या अपनी जाति या संप्रदाय के लिए बलिदान तो दुनिया में हुए हैं, उन बलिदानों को नमन है पर मूक वृक्षों के लिए इतने बड़े बलिदान के बारे में कहीं नहीं सुना गया है. यह बलिदान मानव सभ्यता में श्रेष्ठ इसलिए भी है क्योंकि मानव जीवन का अर्थ ही सृष्टि को समृद्ध और सुन्दर करके जाना है. यह अर्थ इस रूप में इस जगह निकला है, यह अद्भुत ही है. अहिंसा के इस रूप को तो कोई समझा ही नहीं पाया था और यहाँ यह रूप जीवंत हो गया था. इसलिए हमारे लिए यह स्थान पर्यावरण और पर्यटन की दृष्टि से विशेष है.

खेजड़ली की घटना से पहले हम उन महान पर्यावरण ऋषि को याद कर लेते हैं, जिनकी प्रेरणा से यह घटना घटी. जिनकी शिक्षाओं ने इस महानतम बलिदान को अंजाम दिया. ये ऋषि थे- जाम्भोजी. जाम्भोजी राजस्थान के पश्चिम में स्थित नागौर और बीकानेर में पंद्रहवीं सदी में अवतरित हुए थे. ध्यान लगाते लगाते जब इनको 'ज्ञान' हुआ तो यह ज्ञान 29 मूल बातों के रूप में सारगर्भित हुआ था. इन बातों को 'शबद' कहा गया है और इनकी संख्या 120 है. इन बातों में एक श्रेष्ठ और सरल मानव जीवन जीने का मार्ग स्थानीय भाषा में बताया गया है. मानव और प्रकृति के बीच समन्वय को इन बातों के केंद्र में रखा गया है. शायद आज के पर्यावरणविद इस विषय को इतना सलीके से कभी नहीं रख पाएंगे! न ही वे मानव को उस हद तक प्रेरित करने की स्थिति में हैं, जितने जाम्भोजी थे.

इन्हीं में से एक शबद है- सर साटे रूंख रहे, तो भी सस्तो जाण. जाम्भोजी के अनुसार सृष्टि को बचाने से बड़ा कोई मानव धर्म नहीं है और ऐसे में अगर किसी पेड़ को बचाने के लिए एक सिर बलि करना पड़े तो भी वह सस्ता है. इस धरती पर इस बात को इतनी गहराई से शायद ही किसी ने समझाया होगा. भगवान महावीर भी अहिंसा को इस हद तक लेकर नहीं गए होंगे शायद. जाम्भोजी ने इस बात को इतनी अधिकारिता से कहा कि उनके अनुयायियों ने इसे मूर्त रूप देने में कोई हिचक नहीं दिखाई. जाम्भोजी के निर्वाण के पचास वर्ष बाद ही ऐसा काम आन पड़ा कि रूंख या वृक्ष के बदले सर देना पड़ा. जोधपुर जिले के बिलाड़ा के पास रामासनी में करमा और गोरा नामक वीर महिलाओं ने वृक्षों को बचाने के लिए वर्ष 1603 में बलिदान दे दिया. वर्ष 1642 में नागौर में रेण के पास पोलास में बुचाजी ने भी बलिदान दे दिया. जाम्भोजी की शिक्षाओं का व्यवहार में बलिदान के रूप में उतरना शुरू हो गया था.

लेकिन वर्ष 1730 में जोधपुर के खेजड़ली गाँव में घटी घटना ने तो इस धरती पर वह दिखा दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था. हुआ यूं कि जोधपुर शासन को मंडोर के महलों में निर्माण कार्य के लिए भारी मात्र में लकड़ी चाहिए थी. किसी ने यह सुझाया कि इतनी लकड़ी तो खेजड़ली गाँव में मिल सकती है. यह गाँव लूनी नदी के किनारे है. पर जब हाकिम और सैनिक इस गाँव में गए और खेजड़ियां काटने को गए तो गाँव में रहने वाले बिश्नोइयों ने इसका विरोध किया. इस विरोध में सबसे आगे 42 वर्षीय वीर महिला अमृता देवी थीं. उन्होंने 'सर साटे रूंख रहे तो भी सस्तो जाण' का शबद हाकिम को बताया तो हाकिम गिरधर भंडारी ने उसे मजाक में लिया और अमृता को खेजड़ी के लिए सिर देने की चुनौती दी. फिर क्या था. अमृता खेजड़ी के पेड़ से लिपट गईं तो सैनिकों ने गुस्से में उनका सिर काट दिया. वीर मां की बेटियां भी मां से कम नहीं थीं. तीन बेटियां आशु, रतनी और भागु भी बारी बारी खेजड़ी से लिपटीं और बलिदान कर दिया. फिर जब अमृता के पति रामोजी को खबर हुई तो वे भी आये और बलिदान दे दिया. पूरा परिवार सृष्टि के लिए समर्पित हो गया. वृक्षों के लिए इस बलिदान को 'खड़ाना' कहते हैं. अमृता के परिवार ने खड़ाना कर दिया तो बाकी लोग भी पीछे क्यों रहते.

देखते ही देखते आसपास के चौरासी गांवों के बिश्नोई इकट्ठा हुए और खड़ाना की होड़ लग गई. हाकिम भी अहंकार में था तो बिश्नोई भी जाम्भोजी की शिक्षा में डूबे हुए थे. कुल 363 लोगों के बलिदान के बाद गुजरात गए हुए जोधपुर के शासक को खबर हुई तो उनको बड़ी वेदना हुई और उन्होंने तुरंत सैनिकों को वापिस बुलाया. साथ ही यह ताम्र पत्र लिखा गया कि इस क्षेत्र में अब कोई हरे पेड़ नहीं काटेगा. स्वार्थरहित बलिदान के सामने 'राज' और 'शक्ति' का अहंकार कमजोर साबित हुआ. होना ही था.

आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन को मानव के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानकर चिंता कर रहा है और सम्मेलन पर सम्मेलन कर रहा है. पर केवल चिंता और सम्मेलन करने से जलवायु परिवर्तन नहीं थमेगा. धरातल पर ठोस काम करना होगा. इस ठोस काम के लिए खेजड़ली एक प्रेरणा स्तम्भ के रूप में विश्व को प्रेरित करेगा. राजस्थान और भारत में अमृता के नाम पर पुरस्कार रखे गए हैं पर ये काफी नहीं हैं. बिश्नोई संप्रदाय के लोग आज भी वृक्षों और वन्यजीवों के लिए बलिदान कर रहे हैं पर वे अकेले कब तक संघर्ष करेंगे? जब हिरणों का शिकार करने वालों को आधुनिक राजस्थान की अदालत ही खुलेआम निर्दोष बता देगी तो ये बिश्नोई कितना संघर्ष करेंगे? फिर भी उनके संघर्ष को अभिनव राजस्थान सलाम करता है.

अभिनव राजस्थान जाम्भोजी की शिक्षाओं को राजस्थान में धरातल पर व्यवहार में उतारेगा और सृष्टि को बचाने के उनके सन्देश को विश्व के कोने कोने में पहुंचाएगा.

अभिनव राजस्थान में खेजड़ली, पर्यावरण और पर्यटन के लिए एक विश्व तीर्थ के रूप में विकसित होगा. राजस्थान में आने वाले हर देशी और विदेशी पर्यटक को यहाँ के दर्शन करवाए जायेंगे, यहाँ का महत्व बताया जाएगा और पर्यावरण को समर्पित इस कथा को विश्व की युवा पीढ़ी को सुनाया पढ़ाया जाएगा.

अभिनव संस्कृति

अभिनव संस्कृति,
आनंद से भरा जीवन.

संस्कृति क्या है? हम इस शब्द को कहते, दोहराते तो बहुत हैं पर इसका मूल अर्थ क्या है? यह समझ लें ताकि हम यह जान सकें कि अभिनव संस्कृति कैसी होगी और कैसे बनेगी. संस्कृति असल में समाज के चारों ओर एक आवरण का नाम होता है, जिस आवरण से समाज को जीवन के मूल्य मिलते हैं. जिन मूल्यों से समाज का व्यवहार, मानव का व्यवहार प्रभावित होता है, वे मूल्य और मान्यताएं ही संस्कृति कहलाते हैं. ये मूल्य और मान्यताएं, वेल्यूज और बिलीफ सिस्टम्स धर्म से आते हैं.

अलग अलग जगहों पर और अलग अलग समय में नए नए मूल्य जुड़ते रहते हैं पर कुछ मूल्य तो शाश्वत होते हैं. सत्य, अहिंसा, सहयोग, समानता, स्वतंत्रता, स्नेह, सम्मान, सुन्दरता या सादगी ऐसे कई मूल्य हैं जो हमारी संस्कृति को बनाते हैं. इन मूल्यों के आधार पर कुछ 'संस्कार' बनाये जाते हैं और उन संस्कारों से परम्पराएं बनती हैं. एक उदहारण से यह स्पष्ट हो जायेगा. भाई और बहिन का रिश्ता समाज को बांधे रखने के लिए होता है, यह रिश्ता स्नेह के भाव से जुड़ता है और इसके लिए रक्षा बंधन और भाईदूज का उत्सव होता है. राखी बांधना या तिलक करना इस संस्कार की परम्परा है. यानि धर्म से मूल्य और मान्यताएं, मूल्यों और मान्यताओं से संस्कार, संस्कारों से संस्कृति बनती है. परम्पराएं इन संस्कारों को निभाने के रीति रिवाज हैं. रीतियाँ जब दूषित हो जाती हैं तो कुरीतियाँ बन जाती हैं.

सीधे शब्दों में कहें तो संस्कृति, समाज का गहना होती है. इससे समाज सुन्दर दिखाई पड़ता है. इससे समाज आनंद से भरा हुआ रहता है क्योंकि समाज में संतुलन और समन्वय बना रहता है. संस्कृति के अभाव में समाज में विषाद पैदा हो जाते हैं, निराशा फैल जाती है, भ्रम की अधिकता हो जाती है, आनंद चला जाता है. आज के भारतीय और राजस्थानी समाज में, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन की उलझनों के पीछे संस्कृति की उपेक्षा साफ झलक रही है. जीवन से आनंद कम होता जा रहा है.

अभिनव संस्कृति में हम राजस्थान के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन को पुनः व्यवस्थित करेंगे. लेकिन आप पूछ सकते हैं कि शासन, समाज और संस्कृति के मामलों में क्यों पड़े. क्या यह शासन का काम है कि समाज और संस्कृति की दशा और दिशा को ठीक करे? जी हाँ, शासन का काम ही यही होता है कि वह समाज के विभिन्न पहलुओं में हस्तक्षेप करे और समाज की दशा और दिशा को समय के अनुसार तय करे और बदले. असल काम यही है. असल काम 'राज' की मस्ती लेना नहीं है! इसलिए अभिनव राजस्थान का शासन राजस्थान की संस्कृति को पुनः संवारने के काम में लगेगा ताकि समाज की कुरूपता कम हो सके और समाज में आनंद की बढ़ोत्तरी हो सके. ताकि समाज ऊर्जा से भर सके और आर्थिक विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़े. निराश और दुखी समाज प्रगति नहीं करते हैं.

पांच काम हम अभिनव संस्कृति की रचना के लिए करेंगे. सबसे पहला काम हम राजस्थान की हमारी संस्कृति को पुनः परिभाषित करेंगे. हमारी संस्कृति के अलग अलग रंगों को फिर से एक चित्र में सजायेंगे. हमारे मूल्य, मान्यताएं, हमारे संस्कार, हमारी भाषा, हमारी मूल परम्पराएं, हमारे देवी-देवता, संत-संप्रदाय, हमारे उत्सव, हमारे मेले, हमारी कला, स्थापत्य की, चित्र बनाने की, हमारे नृत्य, हमारे संगीत, हमारे पहनावे और हमारे खानपान जैसे विषयों को पुनः सरल शब्दों में लिखेंगे. ऐसे कि आम आदमी इन्हें समझ सके, आम आदमी की इसमें रुचि जगे. अभी राजस्थान में रहने वाले लोगों को ही व्यवस्थित ढंग से अपनी संस्कृति और अपने मूल्य-मान्यताओं के बारे में नहीं पता है.

पर यह काम आधुनिक संदर्भों में होगा, व्यवहारिक तरीके से होगा. ऐसे नहीं कि नई पीढ़ी आज के समय से इसे जोड़ न सके. तब यह अरुचि का विषय हो जायेगा. बहुत सावधानी और प्रमाणिकता से यह काम होना है.

दूसरे हम जन्म से लेकर मृत्यु तक निभाई जाने वाली सामाजिक परम्पराओं के मूल सांस्कृतिक आधार और उनके महत्व को पुनर्स्थापित करेंगे. सभी सामाजिक वर्गों के संगठनों के सहयोग से हम हमारे रीति रिवाजों को सरल और सार्थक बनायेंगे. इससे एक तरफ समाज की उलझनें कम होंगी तो दूसरी तरफ आडम्बरों से पीछा छूटेगा और फिजूलखर्ची कम होने से समाज का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.

तीसरे, जयपुर से लेकर गाँव तक सांस्कृतिक प्रबंधन महत्वपूर्ण होगा. यह विषय अब उपेक्षा से बाहर निकलेगा और इसे उतना ही महत्व दिया जायेगा जितना अन्य विषयों को. सचिवालय में इस प्रबंधन की नीतियां बनेंगी, जिसे संभाग और विकास खंडों में योजनाओं के माध्यम से लागू किया जाएगा. लेकिन विभाग के भीतर अब कोई निगम या अकादमियां नहीं होंगी. शासन बहुत ही सरल, सार्थक और प्रभावी होगा. नए शासन में हमारे लिए गाँव का गैर नृत्य उतना ही महत्वपूर्ण होगा, जितना फुटबॉल का खेल. गाँव से लेकर जयपुर तक और देश-विदेश में संस्कृति की प्रत्येक धरोहर को सलीके से प्रस्तुत किया जायेगा. अब कोई भी मेला या उत्सव प्रचार-प्रबंध के अनूठे रंग में रंगा होगा और आमजन को इसमें भाग लेने के लिए लुभाएगा. सांस्कृतिक प्रबंध के लिए वित्त व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी.

चौथे, विभिन्न कलाओं में महारत हासिल कलाकारों, चित्रकारों, संगीतकारों, मूर्तिकारों या नाट्यकर्मियों का अब उतना ही सम्मान होगा, जितना चिकित्सकों का या अभियंताओं का या सामान्य प्रशासकों का. हम राजस्थान की संस्कृति पर गर्व करना भी सीखेंगे. हमारी भाषा, पहनावा अब हमें शर्मिंदा नहीं करेंगे, बल्कि हमें आत्मविश्वास से भरेंगे. समारोहों में अध्यक्षता करते कोई चित्रकार या गायक या मूर्तिकार अभिनव संस्कृति में दिखाई पड़ेगा. साथ ही अभिनव शिक्षा में कला और संस्कृति का समावेश उतने महत्व से ही होगा, जैसे गणित और विज्ञान का.

और पांचवें, हम राजस्थान के समाज से सांस्कृतिक प्रदूषण को विदा करेंगे. अब हमारे युवा फूहड़ता और अश्लीलता से दूर रहेंगे. हम समाज को इस अँधेरे में डूबने के लिए नहीं छोड़ेंगे. बहुत हो गया, अब नहीं.

वर्तमान राजस्थान, सिमटती संस्कृति.

आज के राजस्थान की संस्कृति के बारे में आप सभी जानते हैं. बुरा हाल है. बहुत अधिक भ्रम है, बहुत अधिक प्रदूषण है. होली हो या दिवाली, कि कोई मेला हो या कोई उत्सव, या विवाह हो या मौत, नई पीढ़ी को समझ नहीं आ रहा है कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है. युवाओं को कोई बता नहीं रहा है कि वे समाज में परम्पराओं को कैसे उचित तरीके से निभाएं. सब कचरा हुआ जा रहा है. ऐसे आयोजनों से आनंद की उम्मीद कैसे की जा सकती है? उल्टे बेवजह की परेशानियां जरूर बढ़ जाती हैं.

वर्तमान राजस्थानी समाज में जो चीज सबसे अधिक कचोटती है, वह है, अपनी संस्कृति को लेकर हीनता की भावना. चाहे भाषा हो, खानपान हो या पहनावा या कोई नृत्य-संगीत, आम राजस्थानी और विशेषकर युवा उससे दूर भागने को बेताब रहता है. उसे ये 'पिछड़ेपन' के प्रतीक दिखाई देते हैं. जबकि ऐसा किसी तमिल को, किसी गुजराती को या किसी बंगाली या पंजाबी को नहीं लगता है! ऐसा क्यों है?

दो कारण हैं. पहला तो यह कि इतिहास में राजस्थान के लोग तिहरी गुलामी में जिए हैं. सुल्तानों, मुगलों और अंग्रेजों ने राजस्थान के राजाओं पर राज किया था और राजाओं ने ठाकुरों पर और ठाकुरों ने जनता पर राज किया. एक हजार वर्ष चली इस व्यवस्था में बाहरी शासकों के गुलाम अधिकतर राजाओं ने राज के चक्कर में बाहरी संस्कृति के मूल्यों और परम्पराओं को मानने से परहेज नहीं किया. जैसा राजा वैसी प्रजा होनी ही थी. हमारे मूल्य बदलते गए, बाप बेटे का कत्ल करके राजा बनने लगा, कई पत्नियाँ रखने का रिवाज चला, घूँघट आ गया, जनता के पैसे से ऐश मौज होने लगी, झूठी शान और दिखावे छाने लगे. इस सबने राजस्थान की मूल संस्कृति को समेटना शुरू कर दिया और अपनी संस्कृति से राजस्थानी आमजन दूर होने लगा. आज भी अजमेर के ब्यावर में बादशाह का मेला शान से भरता है! एक सादा, कलात्मक, सुन्दर समाज, हीनता में दबने लगा और उसे छिपाने के लिए दिखावा करने लगा.

दूसरे, बाहरी शासकों की आर्थिक नीतियों ने राजस्थान को शोषण के अँधेरे में धकेल दिया. राजस्थान की प्रगति सदियों से रुकी पड़ी है. राजस्थानी अभी भी उस अँधेरे में ही भटक रहे हैं. आर्थिक प्रगति नहीं हुई तो अपनी संस्कृति के प्रति भी हीनता का भाव आ गया. समाज के वर्गों का यह स्वभाव होता है, जो धनी वर्ग या शासक वर्ग करता है, गरीब या शासित वर्ग उसका अनुसरण करता है. उसे धनी या शासक वर्ग की संस्कृति में दम लगता है. इसीलिये हम अंग्रेजों की संस्कृति के सामने भारतीय संस्कृति को तुच्छ समझने लग गए. हम विवाह में ढोल की जगह बैंड ले आये और स्टेज सजाने लगे! इसलिए ही राजस्थान के लोग अपने गैर नृत्य को छोड़कर गुजरात का डांडिया करने को मॉडर्न होना समझ बैठे!

अपनी संस्कृति के प्रति हीनता के भाव के साथ ही समय के साथ साथ राजस्थान के लोग सामाजिक परम्पराओं का भी सत्यानाश कर बैठे हैं. जब समाज में नेतृत्व नहीं होता है तो ऐसा ही होता है. आज राजस्थान के सामाजिक जीवन के सभी संस्कारों में से मूल बात गायब है, केवल ढोंग, दिखावा और उलजुलूल बातें बची हैं. अब कहाँ किसी के पास समय है कि विवाह के संस्कार को शास्त्रों के अनुरूप निभाया जाये. विवाह के पारंपरिक गीत भी अब अपना अर्थ और आकर्षण दोनों खोते जा रहे हैं. दिनोंदिन बढ़ती फूहड़ता के बीच मूल संस्कार बहुत नीचे दब गया है. अब 'भोजन' लेन-देन' और 'दिखावे' को परम्परा मान लिया गया है. संस्कृति का विनाश भी हो रहा है और फिजूल का आर्थिक बोझ भी परिवारों का जीवन बर्बाद कर रहा है. यही हाल किसी परिजन की मृत्यु पर होता है. बच्चे के जन्म से लेकर व्यक्ति की मृत्यु तक सभी संस्कारों की परम्पराएं विकृत हो चुकी हैं.

फिर राजस्थान के समाज में धन और पद का महत्व इतना अधिक हो गया है कि संस्कृति का पोषण मुश्किल हो गया है. अब किसी का संगीतकार होना या चित्रकार होना, जैसे जरूरी नहीं रह गया है. जैसे समाज को अब संगीत या कला की कोई आवश्यकता ही नहीं है. संगीत चाहिए भी तो 'शोर' के रूप में! इस स्थिति में हमारे पास दुनिया को अपनी संस्कृति से परिचय कराने के लिए केवल पुरानी बातें ही रह गई हैं, नया तो कुछ जोड़ा ही नहीं जा रहा है. वही पुराने भवन दिखा रहे हैं, नए कलात्मक भवन नहीं बन पा रहे हैं. न ही हम अपने संगीत को संजो पा रहे हैं. संस्कृति, समाज और शासन के संरक्षण के बिना लम्बी नहीं चलती है. आज राजस्थान के समाज और शासन दोनों ने संस्कृति से मुंह फेर लिया है.

राजस्थान के समाज में बहुत से ऐसे वर्ग या जातियां रही हैं, जिनके पास संस्कृति, कला और साहित्य के विशाल भंडार रहे हैं. पर राजस्थान बनने के बाद इन वर्गों को उपेक्षित छोड़ दिया गया. इनकी दो पीढियां अभी तक इसी उपेक्षा में जी ली हैं. अपनी परम्परा से अलग काम करना अचानक से इनके लिए संभव नहीं था. अभी तक ये वर्ग नए राजस्थान में अपनी जमीन तलाश रहे हैं. साहित्य को समर्पित भाट हों या संगीत को समर्पित भोपे, मेरासी, लंगा, मागणीयार, ढोली, रावल हों या परिवहन के लिए जिम्मेदार बंजारे. नए समाज और शासन ने इनके पुनर्स्थापन के बारे में नहीं सोचा. न ही हस्तकला के महारथी वर्गों, सुथार, सुनार, लुहार, दर्जी, जुलाहे, रंगरेज, छीपे, चर्मकार, कुम्हार या मूर्तिकार के बारे में शासन और समाज कुछ सोच पाए या कर पाए. नतीजन, ये वर्ग कला को छोड़कर मजदूरी से परिवार पालने लगे. इससे राजस्थान को एक तरफ कला का नुकसान तो दूसरी तरफ आर्थिक नुकसान भी बहुत हुआ.

अंतिम बात, आज के सांस्कृतिक प्रदूषण की है. आज इंटरनेट, एफ.एम. और टीवी ने गाँव से लेकर शहर तक इतना अधिक प्रदूषण फैलाया है कि नई पीढ़ी के जीवन में कुंठा ही कुंठा भर गई है. अश्लीलता घर आँगन में बुरी तरह से पसर गई है और बचपन को लील रही है. मनोविज्ञान कहती है कि वातावरण का मानसिकता पर गहरा असर पड़ता है पर हमने अपने वातावरण को अश्लीलता से भरने दिया है, रोकने की कोई कोशिश नहीं की है. नतीजन संस्कृति विनाश के कगार पर खड़ी है. अभिनव राजस्थान, विनाश की इस प्रक्रिया को रोकेगा और पुनः मूल संस्कृति के मार्ग पर चलेगा.

अभिनव पर्यटन, देशी पर्यटन पर जोर.

आज राजस्थान के शासन को सम्भाल रहे कई ज्ञानी पर्यटन को ही राजस्थान का भविष्य बताते हैं और मीडिया भी इन बातों को अंतिम सत्य मानकर चलता है. हम इस बात को सिरे से नकारते हैं. हमारे माने राजस्थान में प्रगति कृषि, पशुपालन और छोटे उद्योग के सहारे ही होगी. इन क्षेत्रों की उपेक्षा अब बहुत हो चुकी. पर्यटन से हम राजस्थान का भविष्य नहीं चमकाएंगे पर पर्यटन की उपेक्षा भी नहीं करेंगे. हमें अच्छा लगेगा कि राजस्थान से बाहर के लोग, देश से या विदेश से आयें और एक खूबसूरत, समृद्ध राजस्थान देखें. हम उनको अपनी दुर्दशा के दर्शन नहीं करवाएंगे, बल्कि उन्हें हमारी समृद्ध संस्कृति और प्रकृति से परिचित करवाएंगे. उन्हें लगेगा कि वे धरती पर सही मायने में विकसित एक भूभाग पर विचरण कर रहे हैं. हम दुनिया में राजस्थान के प्रति नजरिया बदल देंगे. उन्हें बताएँगे कि कालबेलियों, लंगों और महलों के अलावा भी राजस्थान में बहुत कुछ देखने को है.

पर्यटन को लेकर हम एक नई नीति पर काम करेंगे. हमारे लिए अब प्राथमिकता में विदेशी पर्यटक नहीं होंगे. उनकी उपेक्षा बिल्कुल नहीं होगी पर प्राथमिकता देशी पर्यटकों को होगी. हम कुछ लाख विदेशी पर्यटकों की तुलना में करोड़ों देशी पर्यटकों की उपेक्षा का यह खेल बंद कर देंगे. हमारे लिए राजस्थान के भीतर से या भारत के अन्य प्रदेशों से आये पर्यटक अधिक महत्वपूर्ण होंगे. इससे एक तो हमें भारत की अखंडता मजबूत करने में मदद मिलेगी तो दूसरे राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कुछ सहारा होगा. हम यह मानते हैं कि कोई भी देशी पर्यटक जब राजस्थान आता है तो वह यहाँ की अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ योगदान करके ही जाता है. चाहे वह चाय पीये या खाना खाए, कुछ देता ही है. उसके इस योगदान को हम अब पूरा सम्मान देंगे और उसको इसके एवज में भरपूर सुविधाएँ देंगे.

सबसे पहले हम राजस्थान के पर्यटन नक्शे को नए सिरे से बनायेंगे जो देशी पर्यटन को ध्यान में रखकर बनेगा. इसमें राजस्थान के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों को प्रमुखता से दर्शाया जायेगा. इसके साथ ही हम इन स्थानों से जुड़ी गाथाओं को नए सिरे से लिखेंगे ताकि इनकी प्रामाणिकता और प्रासंगिकता आम पर्यटक को सरल भाषा में समझ आ सके. तभी इनका आकर्षण बढ़ेगा.

हम पर्यटकों को बताएँगे कि गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी, रामदेवजी और देवनारायण जी का परहित में त्याग और बलिदान कैसे हुआ. हम जाम्भोजी और जसनाथजी की शिक्षाओं से पर्यटकों का परिचय करवाएंगे. कोलायत के कपिल मुनि और भीनमाल के ब्रह्मगुप्त को पर्यटक जानेंगे. ऋषि भर्तृहरी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के समाज और विश्व को दिए योगदान को समझेंगे. देशी और विदेशी पर्यटक, दोनों.

राजस्थान के देवताओं, देवियों और संतों, फकीरों से जुड़े सभी स्थानों का परंपरा और आधुनिकता से विकास किया जाएगा. इन स्थानों पर जाने वाले पर्यटकों को प्रमाणिक जानकारियां उपलब्ध करवाई जाएगीं और इन सबके समाज, मानवता को दिए हुए योगदान को नए अंदाज में लिखा जाएगा.

अभिनव राजस्थान में दो अद्भुत पर्यटन सर्किट होंगे. अरावली के पश्चिम में गोगामेड़ी से शुरू होकर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर होते हुए माउंटआबू और वहां से पाली, नागौर, सीकर और चूरू-झुंझुनूं होते हुए पुनः गोगामेड़ी तक. ऐसे ही अरावली के पूर्व में अलवर के भर्तृहरी से शुरू होकर, भरतपुर, डांग, हाडौती, चित्तौड़ होते हुए बाँसवाड़ा के घोटिया अम्बाजी तक और वहां से डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमन्द, अजमेर और जयपुर होते हुए भर्तृहरी तक. इन सर्किटों में सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थानों को जोड़ते हुए पर्यटन की व्यवस्था की जाएगी. इन पर्यटकों के लिए प्रत्येक पचास कि.मी. पर एक आधुनिक सुविधा केंद्र होगा, जिसका प्रबंध स्थानीय पंचायत या नगरपालिका करेगी.

इन पर्यटन सर्किटों पर विशेष बसों और मार्गदर्शकों की व्यवस्था होगी, जो पर्यटकों को इन स्थानों का महत्व नए अंदाज में बताएँगे, ताकि इन स्थानों और इनसे जुड़े व्यक्तित्वों में आमजन की रुचि बढ़े.

अभिनव पर्यटन के तहत हम राजस्थान में आने वाले पैदल यात्रियों के लिए भी प्रत्येक तीस कि.मी. पर एक आधुनिक सुविधा केंद्र विकसित करेंगे. चाहे रामदेवरा जाने वाले या पुष्कर या अजमेर ख्वाजा के यहाँ जाने वाले यात्री हों, या कैला देवी और शिवाड़ जाने वाले हों या बेणेश्वर जाने वाले यात्री हों, सभी के लिए पैदल यात्रा करना श्रद्धा के साथ एक आनंद की अनुभूति होगी. अभिनव पर्यटन ऐसा ही होगा. अपना शासन ऐसा ही होगा. अभी की तरह परायेपन का अहसास लिए हुए व्यवस्था नहीं होगी.

प्राकृतिक पर्यटन भी हमारे अभिनव पर्यटन का अभिन्न अंग होगा. राजस्थान की प्राकृतिक विविधता धरती के किसी भी भाग से अधिक है. हम इसे नए अंदाज में देशी-विदेशी पर्यटकों के सामने प्रस्तुत करेंगे और इसका भी बेहतर प्रबंध करेंगे. हमारे पहाड़, हमारी झीलें और हमारा रेगिस्तान पर्यटकों को बहुत कुछ अनुभव करवा सकता है. हम इसके लिए सभी संभागों में नए सिरे से योजनाएं बनायेंगे.

आप सुनते हैं कि सर्दियों में लोग ठंड का मजा लेने के लिए उत्तरी भारत के पहाड़ों में जाते हैं. वे बर्फ से खेलते हैं. बिना सर्दी लगने के डर के. एडवेंचर या साहस के लिए. हम राजस्थान में इसी तर्ज पर गर्मी में रेत से खेलने का एडवेंचर पैदा करेंगे! गर्मियों में राजस्थान आओ और आनंद लो! साथ ही हम रेगिस्तान में लम्बी लम्बी यात्राओं का भी आयोजन करेंगे, ताकि पर्यटक रेत के समन्दर में प्रकृति की विशालता का अलग ही अनुभव हासिल कर सकें. हम इसके लिए खूब मार्केटिंग करेंगे.

लेकिन एक पर्यटन हम अब नहीं होने देंगे! राजस्थान को अब राजनैतिक पर्यटन की भूमि नहीं रहने देंगे. सदियों तक हम यह पर्यटन उपलब्ध करवाते रहे हैं. सुल्तानों, मुगलों और अंग्रेजों को हमने खूब 'राज' करवाया है, खूब मौज करवाई है. वे गए तो कई नई ताकतें राजस्थान में चुनाव के नाम पर घूमने आने लगी हैं. उनको चस्का लग गया है. राजस्थान आओ, चुनाव लड़ो, जीतो और राज करो, मौज करो. लोकसभा में जाओ, राज्यसभा में जाओ, विधासनभा में जाओ. अब नहीं. अब माफ करो.

हमारे सपनों का राजस्थान

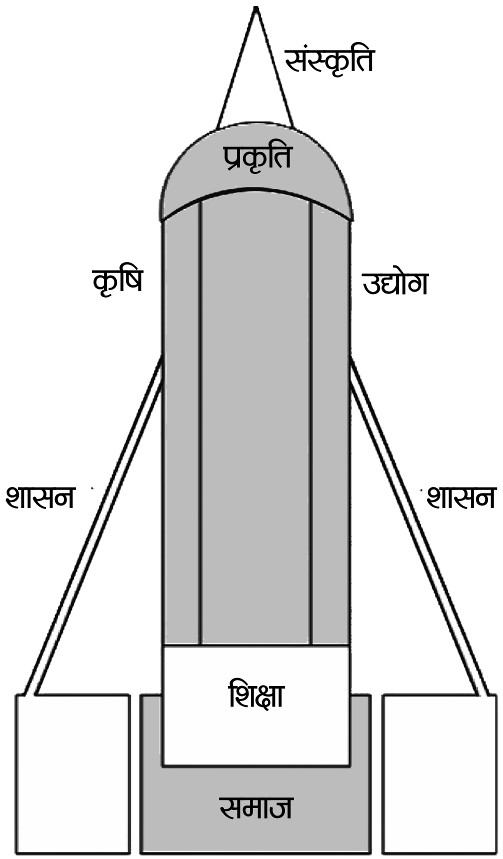

अभिनव राजस्थान का भवन

- समृद्ध समाज
- सार्थक शिक्षा
- अपना शासन
- उत्तम कृषि
- अनुपम उद्योग
- पावन प्रकृति
- सांस्कृतिक गरिमा

अभिनव राजस्थान अभियान

'आपां नहीं तो कुण? आज नहीं तो कद?

राजनीति अब और नहीं
राजनीति Exit लोकनीति Entry

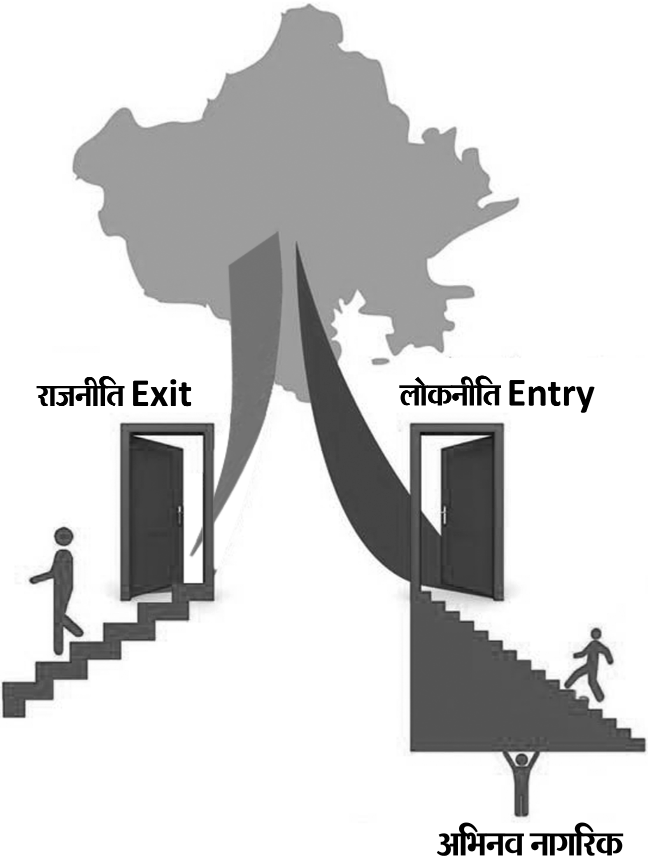

अभिनव राजस्थान अभियान

अभिनव राजस्थान में,
आपको यह नजारा दिखाई देगा.

कोई भी सैलानी जब राजस्थान की सीमा में प्रवेश करेगा तो पहले कदम पर ही उसे अहसास हो जायेगा कि वह एक विकसित क्षेत्र में प्रवेश कर गया है. वह एक चमचमाती सड़क के दोनों और वृक्षों की सुन्दर कतार देखेगा. वह सीमा पर स्थित स्वागत केंद्र में जाकर यह देख सकेगा कि इस वंडरलैंड में, धरती के इस अद्भुत हिस्से में देखने के लिए क्या क्या है. यह एक जीवंत केंद्र होगा जो तमाम तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा. इसका प्रबंध स्थानीय पंचायत या नगरपालिका करेगी. इस केंद्र में काम करने वाले लोक सहयोगियों के व्यवहार और सजगता से ही यह अहसास हो जायेगा कि आगे राजस्थान में कैसी व्यवस्थाएं मिलने वाली होंगी. यह केंद्र देशी या विदेशी, बड़ी गाड़ी वाले या छोटी गाड़ी वाले या बस के यात्री के साथ या किसी पैदल यात्री या ग्वाले के साथ, एक ही तरह का सम्मानजनक व्यवहार करेगा.

हमारी सभी प्रमुख सड़कें एकतरफा यातायात उपलब्ध करवाएंगी. प्रत्येक दस कि.मी. पर एक कैमरा यातायात पर निगाह रखेगा, जो एक निश्चित गति से अधिक चलने वाले वाहनों को नियंत्रित करेगा. प्रत्येक पचास कि.मी. पर यात्रियों और ट्रकों-बसों-टैक्सियों के ड्राइवरों के लिए आधुनिक सुविधा केंद्र होंगे. सड़कों पर कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं मिलेगा. यह पानी सड़क के किनारे बने विशेष नालों के माध्यम से इकट्ठा करके सबंधित गाँव या शहर के जलसंसाधन तंत्र को दे दिया जायेगा. न ही सड़क पर कोई गड्ढा दिखाई पड़ेगा. अभिनव परिवहन में दुर्घटनाएं वैसे भी कम हो जाएँगी पर अगर कोई घट भी गई तो यह केवल एक खबर नहीं होगी, एक एक मानव जीवन महत्वपूर्ण होगा, अमूल्य होगा. आपातकाल के लिए परिवहन विभाग की हमारी गाड़ियाँ और एम्बुलेंस तैयार होंगी, जो नजदीक के अस्पताल से जुड़ी होंगी. हमारे संभाग मुख्यालयों पर खड़े हेलीकॉप्टर आपातकाल में तुरंत इन अस्पतालों से गम्भीर घायलों को बड़े अस्पताल लेकर जायेंगे. अब ये हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्रियों के घूमने के काम नहीं आएंगे !

अभिनव राजस्थान में हर तरफ हरियाली दिखाई देगी. अरावली और विन्ध्य पर्वतमालाएँ पुनः हरी भरी हो जाएँगी और वन्य जीवों की चहलपहल बढ़ जाएगी. इन पहाड़ियों से निकलती लूनी और बनास और उनकी सहायक नदियाँ फिर से कई महीनों तक बहेंगी. गाँवों और शहरों के तालाबों की रौनक फिर लौट आयेगी तो हमारी हरी-भरी गोचर में चरते पशुओं की मस्ती से सृष्टि आनंद से भर जाएगी. हमारे खेतों और घरों की छतों पर बरसी एक एक बूँद सहेजी जाएगी. इससे हमारे खेतों में उत्पादन बढ़ जायेगा और हम कम से कम आठ महीने खेती कर पाएंगे. दो फसलें, सब्जियां-फल और पशुपालन हमारे किसान और बागवान के परिवार की आमदनी कई गुना बढ़ा देगी. नया अभिनव फसल बीमा खेती की जोखिम एकदम कम कर देगा. मंडियों में वैज्ञानिक तरीके से मोल-तोल होने से उचित कीमतें मिलेंगी.

हर हुनरमंद हाथ राजस्थान में उद्योगों की नई कहानी लिखता हुआ नजर आएगा. गाँव में या शहर में छोटे और कुटीर उद्योग में सुन्दर, कलात्मक और उच्च गुणवत्ता के उत्पाद तैयार होंगे, जो राजस्थान, भारत और विश्व के बाजारों में छाये हुए रहेंगे. चीन को राजस्थान ही विश्व बाजार में प्रतिस्पर्द्धा देगा.

राजस्थान छोड़कर विदेश या अन्य प्रान्तों में गए हमारे उद्यमी, व्यापारी, कारीगर और मजदूर अब वापिस लौटने लगेंगे और सूनी पड़ गई हवेलियों में फिर से गीत गुलजार होने लगेंगे.

हमारा समाज ज्ञान, कला, सादगी और बचत के सामाजिक मूल्यों में रंगा हुआ होगा और हमारे सामाजिक रीति रिवाज हमारी कमाई के साधनों के भीतर ही निभा लिए जायेंगे. हम अपनी बचत से अपने परिवारों के रहन सहन, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान देंगे. हमारा समाज आपस में प्रेम, सहयोग और भाईचारे से चलेगा, घृणा और अपराध के लिए कम जगह बचेगी. समाज में कला, साहित्य और खेल लोकप्रिय हो जायेंगे. हमें अपनी मूल संस्कृति और भाषा पर गर्व होने लगेगा. समाज स्वस्थ और समृद्ध दिखाई देने लगेगा. विश्व में सबसे अद्‌भुत. जैसा कभी था, जैसा होना चाहिए.

अभिनव समाज में महिलाऐं, बच्चे, कमजोर, कम आमदनी वाले और वृद्ध, सभी एक गरिमामय जीवन जियेंगे. हमारी बालिकाएं और महिलाऐं अब डर से मुक्त होकर जीवन जियेंगी और बेटे बेटी का मानसिक और सामाजिक भेद कम हो जायेगा. अवसरों की समानता हर वर्ग को हर क्षेत्र में मिलेगी.

शासन हर नागरिक को अपना सा लगेगा और किसी भी कार्यालय में जाने पर यह अहसास होगा. अब शासन से नवसामंतवाद गायब हो जायेगा. अब पुलिस को देखकर शरीफ लोग या बच्चे नहीं डरेंगे बल्कि इसे देखकर सुरक्षा का भाव पैदा होगा. यह शासन सरल होगा, प्रभावी होगा, पारदर्शी और जवाबदेह होगा. शासन में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन और उद्योग, इन पांच विभागों को प्राथमिकता रहेगी.

अब कोई भी युवा पढ़ने लिखने के बाद बेरोजगारी की मानसिकता से नहीं गुजरेगा. वह अपने ज्ञान के दम पर काम करने के आत्मविश्वास से लबरेज होगा. हमारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटी की रौनक लौट आयेगी. दुनियाभर से युवा राजस्थान के विश्वविद्यालयों में पढ़ने और शोध करने के लिए आएंगे. तभी तो ये 'विश्व' विद्यालय कहलायेंगे. राजस्थान ज्ञान के सृजन का केंद्र बनेगा.

ओलम्पिक में अब जब मेडल गिने जायेंगे तो राजस्थान का एक बड़ा हिस्सा होगा. भारत को खेल की दुनिया में सितारा राजस्थान ही बनाएगा. यह काम 2020 के टोक्यो ओलम्पिक से शुरू हो जायेगा.

क्या यह एक सपना है? यूटोपिया है? नहीं, यह एक धरातलीय सोच है और ऐसा इसी धरती पर दुनिया के कई देशों ने कर दिखाया है. वे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम उनसे किसी मायने में कम नहीं हैं, कर दिखायेंगे. **आपां नहीं तो कुण? आज नहीं तो कद?** यही हमारा नारा है.

धन्यवाद

ईश्वर का, जिन्होंने सृष्टि के लिए कुछ सोचने का अवसर दिया.
जिन्होंने मानवता का दर्द महसूस करने की तासीर दी.

उन सभी मित्रों का, जिन्होंने इस पुस्तक के प्रकाशन में सहयोग किया है.
उन सभी मित्रों का, जो अभिनव राजस्थान अभियान में सक्रिय सहयोग और काम करते रहे हैं.
उन शुभचिंतकों का जो कई मंचों और चौपालों पर अभियान की बातों का जिक्र करते रहते हैं.

माता श्रीमती सुगन कँवर और पिता श्री बक्षा राम चौधरी का, जिन्होंने मानव जीवन दिया है.
जिन्होंने अथक परिश्रम करने की आदतें दीं, जोखिम लेने की हिम्मत दी.

जीवनसाथी अंजू का, जो मेरे साथ कठिन जीवन जीकर भी खुश रहती है.
जो जीवन की अनिश्चितता के बावजूद मेरा साथ दिल से निभा रही है.

बेटी बीटा और बेटे अल्फा का, जो कम उम्र में ज्यादा जिम्मेदार हो गए हैं.
जिन्होंने सुविधाओं की कमियों की शिकायत कभी नहीं की.

टोनी का, जो घर को अपनी ऊर्जा से भर कर रखता है.
जो, घर में प्रवेश को अपने स्नेह से सार्थक कर देता है.

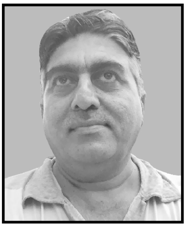

डॉ. अशोक चौधरी

लेखक परिचय

राजस्थान के बीच में स्थित एक गाँव आकेली 'ए' के एक किसान परिवार के घर जन्म. (1965)

प्रारम्भिक शिक्षा गाँव में हुई, माध्यमिक शिक्षा मेड़ता सिटी के सीनियर स्कूल में. (1981)

मेडिकल कॉलेज, अजमेर से एम.बी.,बी.एस. डिग्री. (1989)

समाज शास्त्र और मनोविज्ञान विषयों से इंडियन सिविल सर्विस में प्रवेश. (1993)

इंडियन पोस्टल सर्विस में दस वर्ष तक का अनुभव. (2003)

रेडीमेड गारमेंट्स के व्यवसाय और कोचिंग संस्थान का प्रबंध तब से जारी है.

समाज में मृत्युभोज और फिजूलखर्ची के खिलाफ आन्दोलन. (2005-2007)

राजस्थान के सामान्य ज्ञान पर 'रोचक राजस्थान' पुस्तक के दो संस्करण. (2007, 2011)

अभिनव राजस्थान अभियान प्रारंभ. (2009)

संपर्क :

सी-14, गांधी नगर, मेड़ता शहर, नागौर (राजस्थान)

मो./वाट्सएप : 94141-18995

ई-मेल : ashokakeli@gmail.com
facebook.com/ashokakeli

असली लोकतंत्र असली विकास

अभिनव राजस्थान

हम सभी चाहते हैं कि अपने परिवार के साथ एक समृद्ध जीवन जीयें और आनंद से इस धरती पर रहें. हम चाहते हैं कि महंगाई के अनुपात में हमारी एक सम्मानजनक आमदनी हो. हम यह चाहते हैं कि हमारे परिवार को जीवन में आगे बढ़ने के भरपूर अवसर मिलें. हम यह भी चाहते हैं कि हमारे परिवार के लिए उत्तम दर्जे की शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था हो. हम अच्छी सड़कें, सस्ती बिजली और शुद्ध पेयजल भी चाहते हैं. हमें यह भी लगता है कि हमारे परिवार पर कोई हमला करे या हमें अपमानित करे तो हमें तुरंत सुरक्षा और न्याय मिले. हम साफ गलियां और प्रदूषण मुक्त हवा भी चाहते हैं. तो क्या हम कुछ ज्यादा ही चाहते हैं? नहीं. हमारी ये चाहतें तो अत्यंत साधारण चाहतें हैं. एक विकसित समाज या देश में ये चाहतें तो पूरी होनी ही चाहियें.

पर अभी भारत या राजस्थान, ऐसे विकसित समाज, देश या प्रदेश नहीं बन पाए हैं. क्यों नहीं बन पाए हैं? क्योंकि अभी यहाँ पर लोकतंत्र और लोकनीति का शासन नहीं आया है. क्योंकि अभी यहाँ चुने हुए राजतंत्र, राजनीति और राज जैसा नजारा ही दिखाई देता है.

तो, यह असली लोकतंत्र और लोकनीति कैसे स्थापित होंगे ताकि हम एक असली विकसित व्यवस्था में जी सकें? यह होगा, जब हम सब जागरूक होंगे, जिम्मेदार होंगे और एक ऐसी व्यवस्था की रचना करेंगे, जिसमें शासन 'अपना' लगता हो, जो लोक के सहयोग के लिए हो और जो असली विकास को समर्पित हो. असली विकास वह, जो हमें हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में स्पष्ट दिखाई दे, महसूस हो. जिसे हम केवल अखबारों या चैनलों के विज्ञापन में न देखें.

आपां नहीं तो कुण? आज नहीं तो कद? यह नारा लेकर हम आगे बढ़े हैं, राजस्थान में एक नई व्यवस्था की रचना और उसके संचालन की जिम्मेदारी के लिए. इसकी योजना हमने तथ्यों के आधार पर विस्तार से बनाई है. हमारा विकास का यह मॉडल कृषि, पशुपालन और उद्योग के उत्पादन को बढ़ाने का काम

इन्फ़ोलिम्नर

ISBN 978-81-931220-6-8
9 788193 122068